



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2018-2019



बैंकिंग के साथ-साथ
मधुर रिश्ते भी
BONDING
Beyond Banking



सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए 'केन्द्रित' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

कॉरपोरेट विज़न मिशन सैद्धान्तिक कथन CORPORATE VISION MISSION VALUE STATEMENT

विज़न / VISION

सबकी बैंकिंग एवं वित्तीय जरूरतों
का केन्द्र बिन्दु बनना.

To be CENTRAL
to the banking and
financial needs of all

मिशन / MISSION

प्रभावी मानव संसाधन एवं प्रौद्योगिकी के
प्रयोग से ग्राहक केन्द्रित उत्पाद एवं सेवायें
उपलब्ध कराना.

To provide Customer Centric products
and services by leveraging human
resources and technology.

सैद्धान्तिक कथन / VALUE STATEMENT

C- Consistency - स्थायित्व / स्थिरता
E- Ethical Standards - नैतिक मानक
N- Nurturing Potential - क्षमताओं का पोषण
T- Transparency - पारदर्शिता
R- Responsiveness - अनुक्रियाशीलता
A-Accountability - जिम्मेदारी
L-Loyalty - निष्ठा



अनुक्रमणिका / INDEX

विषय सूची / Contents	पृष्ठ क्र. Page No.
अध्यक्ष का संदेश	2
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	4
निदेशक मंडल / Board of Directors	7
सूचना	9
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	17
निदेशक रिपोर्ट 2018-19	18
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	23
सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट	27
प्रबंधतंत्र विचार एवं विश्लेषण	28
कॉर्पोरेट गवर्नेंस	63
सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	84
दिनांक 31 मार्च, 2019 का संक्षिप्त तुलन पत्र	91
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए संक्षिप्त लाभ व हानि खाता	92
तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते की अनुसूचियाँ	93
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	99
लेखों से संबंधित टिप्पणियाँ	104
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी	130
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समेकित तुलन पत्र	161
प्रॉक्सि फार्म	189
उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पास	191
Chairman's Message	193
Managing Director and Chief Executive Officer's Message	195
Notice	197
Performance Highlights	205
Director's Report 2018-19	206
Secretarial Audit Report	211
Secretarial Compliance Report	215
Management Discussion & Analysis	216
Corporate Governance	249
Auditors' Report to the Members	269
Balance Sheet as at 31 March, 2019	276
Profit & Loss Account for the year ended 31 March, 2019	277
Schedules to Balance Sheet and Profit & Loss Account	278
Significant Accounting Policies	284
Notes Forming part of the Accounts	289
Cash Flow Statement for the year ended 31 March, 2019	313
Consolidated Balance Sheet as at 31 March, 2019	344
Proxy Form	371
Attendance Slip / Entry Pass	373



अध्यक्ष का संदेश

प्रिय स्टैक धारक,

पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग उद्योग एक कठिन दौर से गुजरा है, जिसमें इस उद्योग से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तथापि, आगे बढ़ने पर सुरंग के अंत में आशा की एक झलक भी दिखाई देती है क्योंकि कुछ समय पहले हुई उथल-पुथल शांत होती प्रतीत हो रही है। कमजोर आस्तियों की कांटों भरी राह से निपटने की प्रक्रिया जारी है। कॉर्पोरेट दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की तीव्र गति और घटते हुए नए खराब ऋणों के कारण बैंकिंग उद्योग के लिए वर्ष 2019-20 हर तरह से सकारात्मक रहने की संभावना है। कमजोर आस्तियों में कमी होने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अत्यंत आवश्यक पूंजी, मुक्त होगी और बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही, इस क्षेत्र पर नियामक निगरानी, बाजार में क्रमिक विकास हेतु अपेक्षित अनुशासन को निस्संदेह सुनिश्चित करेगी।

उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कई कारकों के परिणामस्वरूप वर्ष 2018 में विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी दिखाई दी। प्रमुख रूप से, वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त व्यापार संरक्षणवाद तथा अन्य अनिश्चितताओं में हो रही वृद्धि के कारण प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वर्ष 2019 के लिए वृद्धि अनुमानों को कम किया गया है। घरेलू मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था ने हाल की तिमाहियों में मध्यम संकेत दिए हैं। वर्ष 2018 के अंतिम तीन महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.6 प्रतिशत वार्षिक दर से आगे बढ़ी, जो पिछली अवधि में संशोधित 7 प्रतिशत विस्तार और 6.9 प्रतिशत की बाजार की उम्मीदों और वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत की तुलना में नीचे थी, जो कमजोर उपभोक्ता मांग के कारण पांच तिमाहियों में सबसे कम वृद्धि दर रही है। आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण ब्रेन्ट ऑयल की कीमत अक्टूबर 2018 में प्रति बैरल \$ 80 तक पहुंच गयी, जिसने भारत की चालू खाता शेष राशि को प्रभावित किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल, 2019 के अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में वर्ष 2019-20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% वृद्धि का अनुमान लगाया है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण सुधार होने के साथ-साथ तकनीकी प्रगति और तकनीकी कुशल मानव संसाधनों के कारण उभरती फिन टेक कंपनियों, भुगतान बैंकों से बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशाल डेटा का लाभ उठाना, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के बढ़ते उपयोग के साथ डिजिटलीकरण बैंकिंग स्पेक्ट्रम में चारों ओर व्याप्त है, जो आज समय की मांग भी है। हमारे बैंक ने परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम को कम करते हुए परिचालन लागत को घटाने के लिए तकनीकी चुनौती को सही अर्थों में अपनाया है। इसका उद्देश्य अंततः, बेहतर सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को लाभान्वित करना है। हमारा बैंक ग्राहक की निरंतर बढ़ती अपेक्षाओं के प्रति पूर्ण रूप से सचेत है क्योंकि बैंकिंग परिवेश में प्रौद्योगिकी आधारित विशेषज्ञता में तेजी जारी है।

गैर-निष्पादक आस्तियां (एनपीए), बैंकिंग उद्योग के लिए एक प्रमुख चुनौती हैं। बैंकिंग सुधारों, विशेष तौर पर परेशानी का कारण बनने वाले एनपीए के समाधान हेतु दिवाला और दिवालियापन संहिता (आइबीसी) की शुरुआत ने एक नयी आशा जागृत की है। आइबीसी प्रक्रिया से सामने आए प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक हैं और हमें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आइबीसी के तहत एनसीएलटी के माध्यम से महत्वपूर्ण एनपीए खातों के समाधान की उम्मीद है। हमने एनपीए की चुनौती से निपटने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनायी है और इस रणनीति के माध्यम से उल्लेखनीय लाभ प्राप्त करने के प्रति हम आश्वस्त हैं।

हमने क्रेडिट, ट्रेजरी, जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में यथोचित सावधानी, ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने से संबंधित मुद्दों का समाधान किया है। भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण को दिए जा रहे समर्थन और प्रोत्साहन को देखते हुए हमारे बैंक ने भी उसी रणनीति



को अपनाया है. किसी भी सशक्त संस्था के लिए मानव संसाधन एक अनिवार्य तत्व है और हमारा बैंक मानव संसाधन की प्रगति को अपेक्षित महत्त्व देना जारी रखेगा. मुझे विश्वास है कि सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के हमारे प्रयासों द्वारा हम शीघ्र ही इस कठिन दौर से उभर कर निकलेंगे और वर्ष 2019-20 में हानि की स्थिति से भी बाहर आएंगे.

जहां तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का संबंध है, निदेशक मंडल, बैंक की वरिष्ठ प्रबंधन टीम का निरंतर मार्गदर्शन करते हैं ताकि उन्हें व्यावसायिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करने में सहायता मिले, जो बैंक को एक सुदृढ़ विकास पथ पर अग्रसर करने में सहायक हो. कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने सदैव इस बात को महत्त्व दिया है कि व्यवसाय के संचालन में नैतिक प्रथाओं का अनुसरण करते हुए तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए स्टेक धारक मूल्य को अधिकतम किया जाए. बैंक ने अधिशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को अपनाया है, जिनकी निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है.

अंत में, मैं अपने ग्राहकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अन्य उपलब्ध विकल्पों के बावजूद अपने पसंदीदा सेवा प्रदाता के रूप में हमारा चयन किया और मैं अपने सभी स्टेक धारकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमारे सभी प्रयासों को अपना निरंतर समर्थन दिया है.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

हस्त/-

तपन राय

स्थान -मुंबई

दिनांक - 22 मई, 2019



प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

हाल ही के समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण परिवेश से संचालित हो रही है। वर्ष 2017 से 3.8% की वृद्धि दर हासिल करने के उपरांत वर्ष 2018 में वैश्विक वृद्धि दर 3.3% के सामान्य स्तर पर रही। आईएमएफ के अप्रैल 2019 के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 में 3.6% के उछाल से पहले वर्ष 2019 में 3.3% के मामूली वृद्धि दर के स्तर पर रहेगी। वर्ष 2018 की दूसरी छमाही में वैश्विक स्तर पर संयमित वृद्धि दर दर्शायी है। यूएस के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के चलते और आभासी (shadow) बैंकिंग को रोकने के लिए उठाये गए कदमों की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था ने मंदी का दौर देखा है। यूएस फेड ने अधिक उदार मौद्रिक नीति अपनाने का संकेत दिया है।

घरेलू परिदृश्य में, वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर रहा। वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में निजी तथा सरकारी उपभोग व्यय में सामान्य वृद्धि हुई। फिर भी, सकल स्थिर पूंजी निर्माण में द्वि-अंकी वृद्धि जारी रही। अगस्त 2018 से मार्च 2019 के सभी महीनों में मुख्यतः मामूली खाद्य मुद्रास्फीति की वजह से खुदरा मुद्रास्फीति कम रही और 4% से कम रखी गई। वर्ष 2018-19 के बाद के समय में ईंधन में मुद्रास्फीति दर भी अपेक्षाकृत कम रही। मौद्रिक नीति के मोर्चे पर फरवरी, 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट में 25 आधार बिन्दु से कमी करते हुए इसे 6.25% कर दिया तथा अपना रवैया बदलते हुए तटस्थ की भूमिका अपना ली। तदोपरांत अप्रैल 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट में 25 आधार बिन्दु की कटौती करते हुए इसे 6% कर दिया।

बैंकिंग उद्योग के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 में ऋण वृद्धि में बढ़ोत्तरी हुई तथा वर्ष 2018-19 के लगभग प्रत्येक माह में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर यह 10% से ऊपर ही रही। फरवरी 2019 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात लगभग 78% रहा। क्षेत्रवार आधार पर व्यक्तिगत ऋण तथा सेवाओं के क्षेत्र में मार्च 2019 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर द्वि-अंकी वृद्धि दर्ज हुई।

अब मैं इस वर्ष के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। इस वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक का व्यवसाय ₹ 4,67,584 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह 4,72,323 करोड़ था। बैंक का जमा ₹ 2,99,855 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह ₹ 2,94,839 करोड़ था। कुल जमा में कासा की प्रतिशत हिस्सेदारी 46.21% रही, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह हिस्सेदारी 42.46% थी। उच्च लागत जमाओं में ₹793 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में उच्च लागत जमा ₹850 करोड़ था। दिनांक 31 मार्च, 2019 को हमारा कुल अग्रिम ₹1,67,729 करोड़ था, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह ₹ 1,77,484 करोड़ था, उच्च जोखिम भारत आस्तियों में हमारे एक्सपोजर को घटाना इसकी मुख्य वजह रही।

पिछले 3-4 वर्षों के दौरान आस्ति गुणवत्ता सामान्यतः बैंकिंग उद्योग में तथा विशेषकर हमारे बैंक में चिंता का एक प्रमुख कारण रही है। संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019 में हम ₹5,656 करोड़ की नकद वसूली तथा अपग्रेडेशन कर पाए हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2018 में यह ₹3,122 करोड़ थी। बैंक का सकल एनपीए घटकर ₹ 32,356 करोड़ हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह ₹38,131 करोड़ था। हमारा सकल एनपीए दिनांक 31 मार्च, 2019 को घटकर 19.29% हो गया, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह 21.48% था। शुद्ध एनपीए का प्रतिशत दिनांक 31 मार्च, 2019 को घटाकर 7.73% तक लाया गया, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह 11.10% था। वर्ष 2019-20 के दौरान आईबीसी के तहत एनसीएलटी के माध्यम से कुछ बड़े एनपीए खातों में समाधान की उम्मीद है। वर्ष 2019-20 के दौरान एनपीए वसूली का बढ़ाने, आस्ति गुणवत्ता में बेहतर लाने तथा शुद्ध लाभ अर्जित करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक की जमा लागत घटकर 5.21% हो गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान यह 5.53% थी। बैंक की शुद्ध ब्याज आय बढ़कर ₹ 6,773 करोड़ हो गई, जो वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 6,517 करोड़ थी, जबकि गैर-ब्याज आय घटकर ₹ 2,413 करोड़ हो गई, जो वर्ष



2017-18 के दौरान ₹ 2,623 करोड़ थी, जिसका मुख्य कारण ट्रेडिंग बही में ₹ 325 करोड़ की हानि को अंतरित करना था. तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में बट्टे खाते डाले गये खातों में बसूली बेहतरी के साथ 35.85% रही. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान शुद्ध ब्याज मार्जिन 2.47% थी, जो लगभग उसी स्तर पर अर्थात् 2.54% रही. इसका मुख्य कारण एनपीए खातों में ब्याज का रिवर्सल था.

बैंक का परिचालन लाभ ₹ 3,127 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह ₹ 2,733 करोड़ था. तथापि, बैंक ने ₹ 5,641 करोड़ की हानि दर्ज की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध हानि ₹ 5,105 करोड़ थी. इसकी मुख्य वजहें उच्चतर एनपीए प्रावधान, स्लीपेज़/एजि तथा एनसीएलटी खातों में अतिरिक्त प्रावधान, निवेशों ट्रेडिंग लाभ में कमी इत्यादि हैं. दिनांक 31.03.2018 को बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 63.13% रहा, जबकि दिनांक 31.03.2019 को सुधार के साथ यह बढ़कर 76.60% हो गया, जिसने हमारे तुलन-पत्र को मजबूती प्रदान की है. दिनांक 31.03.2018 को बैंक का लागत आय अनुपात 70.10% था, जो दिनांक 31.03.2019 को उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 65.96% अनुपात हो गया. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्ति अनुपात अर्थात् CRAR (बासल-III) वर्ष 2018 के 9.04% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 9.61% हो गया. यह सभी वित्तीय संकेतक यह दर्शाते हैं कि परिवर्तन की दिशा सही है.

दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक के नेटवर्क के अंतर्गत 4,659 शाखाओं, 3,966 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालयों एवं 1 एक्स्टेंशन काउंटर शामिल हैं. हमारा बैंक 29 राज्यों, 6 में से 5 संघशासित राज्य एवं एनसीटी दिल्ली, 574 जिला मुख्यालय तथा देश में कुल 707 जिलों में से 635 जिलों में अपनी उपस्थिति के साथ अखिल भारतीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, जो हमारे बैंक की शक्ति का स्रोत है.

अपने बैंक की दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में मुझे हर्ष हो रहा है.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

हस्त/-

पल्लव महापात्र

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2019



<p>निदेशक मंडल</p> <p>श्री तपन राय श्री पल्लव महापात्र श्री पी. आर. मूर्ति श्री. बी. एस. शेखावत श्री आलोक श्रीवास्तव डॉ. भूषण कुमार सिन्हा श्री थॉमस मैथ्यू (दिनांक 26.04.2019 से) श्री एन. नित्यानंद प्रो. (डॉ.) आत्मानंद श्रीमती मिनी आईप</p>	<p>BOARD OF DIRECTORS</p> <p>SHRI TAPAN RAY SHRI PALLAV MOHAPATRA SHRI P. R. MURTHY SHRI B. S. SHEKHAWAT SHRI ALOK SRIVASTAVA DR. BHUSHAN KUMAR SINHA SHRI THOMAS MATHEW (w.e.f. 26.04.2019) SHRI N. NITYANANDA PROF. (Dr.) ATMANAND SMT MINI IPE</p>
<p>लेखा परीक्षक</p> <p>मे. एस. के. मेहता एण्ड कं. मे. बोरकर एण्ड मुजुमदार मुकुंद एम चितले एंड कम्पनी एएजेवी एंड एशोसिएट</p>	<p>AUDITORS</p> <p>M/s. S. K. Mehta & Co. M/s. Borkar & Muzumdar M/S. Mukund M. Chitale & Co M/S. Aajv And Associates</p>
<p>रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट</p> <p>लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुंबई - 400 083. टेलीफोन : 022-4918 6270 फैक्स : 022-4918 6060 ई-मेल आईडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in</p>	<p>REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS</p> <p>Link Intime India Pvt. Ltd. C-101, 247 Park LBS Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083. Tel : 022-4918 6270 Fax : 022-4918 6060 E-mail ID : rnt.helpdesk@linkintime.co.in</p>
<p>बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता</p> <p>उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी नरीमन पॉइंट मुंबई - 400 021 संपर्क नं. 022 - 6638 7818 फैक्स : 022 - 2283 5198 ई-मेल आईडी : agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in</p>	<p>ADDRESS FOR CORESPONDENCE WITH THE BANK</p> <p>DGM / Company Secretary and Compliance Officer Central Bank of India 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point Mumbai - 400 021 Contact No. : 022 - 6638 7818 Fax No. : 022 - 2283 5198 E-mail ID : agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in</p>



निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



श्री तपन राय
Shri TAPAN RAY

अध्यक्ष
Chairman



श्री पल्लव महापात्र
Shri PALLAV MOHAPATRA

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer




श्री पी. आर. मूर्ति
Shri P. R. MURTHY

कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री बी. एस. शेखावत
Shri B. S. SHEKHAWAT

कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री आलोक श्रीवास्तव
Shri ALOK SRIVASTAVA

कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

(जारी / Contd...)




डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA

निदेशक
Director



श्री थॉमस मैथ्यू
Shri THOMAS MATHEW

निदेशक
Director



श्री एन. नित्यानंद
Shri N. NITYANANDA

निदेशक
Director



प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
Prof. (Dr.) ATMANAND

निदेशक
Director



श्रीमती मिनी आईप
Smt MINI IPE

निदेशक
Director



सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार दिनांक 28 जून 2019 को दोपहर 12.00 चंद्रमुखी, नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के 9वें माले में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

- 1) दिनांक 31 मार्च, 2019 का लेखापरीक्षित स्टैंड अलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.
- 2) एफपीओ / राइट इश्यू / क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना.

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधनों के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 ("योजना") एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 समय समय पर यथासंशोधित के अनुसार एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और /अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2018 (सेबी (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) यथा अद्यतन संशोधित सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत एवं अन्य आवश्यक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों के तथा अन्य लागू कानूनों के अधीन एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करारों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं जिसे एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे "बोर्ड" कहा गया है) को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल है जिसे बोर्ड ने अपनी शक्तियों (इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित) के उपयोग के लिए गठित अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से उतनी संख्या में इक्विटी शेयर्स जिनका मूल्य ₹ 5000/- करोड़ (रुपए पाँच हजार करोड़ केवल) (प्रीमियम सहित, यदि हो) हो, एक या एकाधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कंपनियों, निजी अथवा सार्वजनिक निवेश संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य उद्योग विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्यनिधियों, पेंशननिधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य निकायों, प्राधिकारियों अथवा निवेशकों की अन्य श्रेणियों, जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (तत्समय लागू कानून द्वारा अनुमत निर्गम के उस भाग और उस श्रेणी के व्यक्तियों को पुष्ट आबंटन और/अथवा प्रतियोगी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की शक्ति प्रदान करता है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि अति आबंटन के विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हताप्राप्त संस्थानों को नियोजन ऐसे निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन सार्वजनिक निर्गमन (अर्थात्, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और राइट्स इश्यू और/अथवा निजी तौर पर आबंटन द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रस्ताव, निर्गम नियोजन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") के प्रावधानों तथा भारिबै, सेबी और कोई अन्य प्राधिकारी जो भी लागू हो, द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और यह उस तरीके तथा उन नियमों एवं शर्तों तथा उस समय समयांतरों में किया जाएगा जो निदेशक मंडल द्वारा अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति में उपयुक्त समझा जाता हो.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निदेशक मंडल को सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियम तथा कोई अथवा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने संपूर्ण विवेक से उन निवेशकों जो बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा न हों, को ऐसी कीमत जो आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्धारित कीमत से कम न हों, को इस प्रकार स्वयं तय करने और आवश्यकता पड़ने पर अग्रणी प्रबंधकों और अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्यथा तय करने हेतु प्राधिकृत होगा.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता व्यवस्था के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारीकरण), 2000, और भारतीय



प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों जिन्हें संयुक्त रूप से (“सक्षम प्राधिकारी” के तौर पर संदर्भित किया है) के अनिवार्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/अथवा स्वीकृतियों के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति देते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, और/अथवा स्वीकृति (जिन्हें इसमें “आवश्यक अनुमोदन कहा गया है”) निदेशक मंडल अपनी सम्पूर्ण विवेकाधीन शक्ति के आधार पर समय-समय पर एक अथवा अधिक श्रृंखलाओं में वारंट के सिवाय इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों, जो बाद में किसी समय इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनियम योग्य हैं, को सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमत, नियम एवं शर्तों एवं अन्य प्रकार से तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में यथानिर्बंधित अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के अनुसार, किसी नियोजन दस्तावेज और / अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को बोर्ड इस प्रकार निर्गम प्रस्ताव एवं आबंटन कर सकेगा कि बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम हो.

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन के मामले में:

- ए) प्रतिभूतियों का आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निहितार्थों में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा एवं ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः चुकता होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जायेगा.
- बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अधिकतम 5% की छूट पर शेयर, प्रस्तावित करने हेतु अधिकृत है.
- सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण की संगत तारीख, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार तय होगी.

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए.

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई एवं/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, यथालागू, के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगा.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि कथित नए इक्विटी शेयर्स, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के अधीन जारी किए जाएंगे और वे सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर्स के समान माने जाएंगे और वे घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई हो, के लिए सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो उनकी घोषणा के समय प्रचलित हैं, के लिए पात्र होंगे.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि किसी भी निर्गम अथवा इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु, निवेशकों की श्रृंखला, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले निर्गम पर प्रीमियम सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के नियमों को निर्धारित करने के लिए, निदेशक मंडल एतद्वारा प्राधिकृत है और रहेगा तथा उन सभी कार्यों विलेखों व मामलों को करने तथा उन सभी विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों, जो इसके संपूर्ण विवेकाधिकारों में आवश्यक उचित अथवा वांछित हों, का निष्पादन करने तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम आबंटन एवं निर्गम प्राप्ति के उपयोग के सम्बंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार का प्रश्न, कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान करने तथा सदस्यों के और अधिक अनुमोदन के बिना, बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने संपूर्ण विवेक में उचित एवं आवश्यक समझे जाने के अनुरूप उसके नियमों व शर्तों में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विचलनों, बदलावों, समापनों, जुड़ावों को प्रभावी करने तथा इस प्रस्ताव के द्वारा बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का उपयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निदेशक मंडल एतद्वारा किसी भी बुक-रनर(रो), अग्रणी प्रबंधक(को), बैंकर(रो), हामीदार(रो), डिपॉजिटरी(रियों), पंजीयक(को), लेखापरीक्षक(को) और ऐसी सभी एजेन्सियों, जो इक्विटी/प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्तावों से सम्बंधित अथवा शामिल हैं, के साथ ऐसे सभी ठहरावों को करने एवं उनके निष्पादन के लिए प्राधिकृत है और रहेगा तथा ऐसे सभी संस्थानों एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस अथवा इसी प्रकार की अन्य मदों हेतु पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेन्सियों के साथ ऐसे सभी ठहरावों, अनुबंधों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन करने के लिए निदेशक मंडल प्राधिकृत है और रहेगा.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं एवं/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर एतद्वारा निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें शेयर्स/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला

में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई है), अंकित मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/ वारंट के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयर्स एवं अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन पर प्रीमियम अथवा छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड अथवा बही बंदी की तिथि का निर्धारण तथा अन्य सम्बंधित अथवा प्रासंगिक मामले, भारत एवं/अथवा विदेश में एक अथवा एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता, निदेशक मंडल जो भी अपने संपूर्ण विवेकाधीन उचित समझे, सहित निर्गम(मों) का स्वरूप एवं नियमों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत है और रहेगा।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस तरह के उन शेयर्स/प्रतिभूतियों, जो अभिदत्त न हों, को निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक के अंतर्गत उस प्रकार से, जैसा निदेशक मंडल उचित समझे और जैसा विधि द्वारा अनुमत हो, के अनुसार निपटान कर सकेगा।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्त/-

(आनंद कुमार दास)

उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 22.05.2019

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरणी

बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करता व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते/सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 21 जून, 2019 को सायं: 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए जोकि 23 जून, 2019 रविवार, अवकाश दिवस के एकदम पहले का कार्यालयीन दिवस है।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 21 जून, 2019 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए जोकि 23 जून, 2019 रविवार, अवकाश दिवस के एकदम पहले का कार्यालयीन दिवस है।

4. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।



5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में “प्रॉक्सी” अथवा “प्राधिकृत प्रतिनिधि”, जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहिचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए।

6. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 25 जून (मंगलवार), 2019 से दिनांक 28 जून, 2019 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी।

7. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा / होगी।

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा।

8. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा।

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं।

10. भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अतः शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें। आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है। शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि। साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात् वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों।

तदपि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें।

- बैंक का नाम
- शाखा का पता
- बैंक खाता संख्या
- शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- शाखा का आईएफएससी कोड (अधिमानतः हमें एक निरस्त चेक/ चेक पत्रे की प्रतिलिपि प्रेषित करें)।

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेयरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए।

11. डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं। तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरी के पास दर्ज कराए गए पते पर ही लाभांश वारंट (डी.डब्ल्यू.) के द्वारा भेजे गए हैं।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था.

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि (जब भी घोषित किया जाय) सीधे जमा की जा सके. इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उपर्युक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं.

12. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या डुप्लीकेट लाभांश/मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.

13. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

I. सेबी (सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 44 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुपालन में बैंक, वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. कंपनी द्वारा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

(i) वोटिंग समयावधि मंगलवार दिनांक 25 जून 2019 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारंभ हो कर गुरुवार दिनांक 27 जून 2019 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी. इस समयावधि के दौरान शुक्रवार दिनांक 21 जून 2019 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं. वोटिंग के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग के माड्यूल को सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

(ii) शेयर धारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें.

(iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.

(iv) अब अपना यूजर आईडी डालें

ए. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों के डीपी आईडी के पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी

सी. भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर एंटर करें.

(v) इसके पश्चात प्रदर्शित की गयी सत्यापन छवि को एंटर कर लॉग इन पर क्लिक करें.

(vi) यदि आपके पास शेयर्स डीमेट रूप में हैं एवं आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है एवं पूर्व में आपने किसी कंपनी / संगठन में वोटिंग की है तब आपके वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाए.



(vii) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

	डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में शोयर्स रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकीय एल्फान्यूमेरिक डपैन एंटर करें. (डीमेट शोयरधारकों के साथ साथ भौतिक शोयरधारकों दोनों के लिए लागू) वे सदस्य जिन्होंने बैंक / निक्षेपागार सहभागी में अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे ईजीएम नोटिस पर चिपकाए गए पते के स्टीकर पर छपे हुए सीक्वेंस नंबर पैन फील्ड में उल्लिखित स्थान पर प्रयोग करें,
लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म तिथि	लॉग इन करने के लिए कृपया जन्म तिथि डीओबी अथवा लाभांश बैंक विवरण एंटर करें. यदि वे विवरण बैंक अथवा निक्षेपागार में अभिलेखित नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण अनुदेश (iv) में किए उल्लेख के अनुसार सदस्य आई डी / फोलियो नंबर में प्रविष्ट करें.

(viii) समुचित रूप से उक्त विवरण प्रविष्ट करने के पश्चात, “सबमिट” टेब पर क्लिक करें.

(ix) तब ऐसे शोयरधारक, जिनके शोयर्स भौतिक रूप में हैं, उनके लिए सीधा वोटिंग स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगा. तथापि वे सदस्य, जिनके शोयर्स डीमेट स्वरूप में हैं वे “पासवर्ड क्रियेशन” मेन्यु में पहुंचेंगे जहां उन्हें नये पास वर्ड फील्ड में अनिवार्यतः लॉग इन पासवर्ड एंटर करना होगा. कृपया नोट करें कि डीमेट शोयर धारकों द्वारा इस पासवर्डका उपयोग अन्य संस्था/कंपनी में यदि मतदान के लिए पात्र हों तो वहां भी संकल्पों की वोटिंग के लिए वे इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकेंगे, बशर्ते कि कंपनी/संस्था, द्वारा सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुना गया हो. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और इसे गोपनीय रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें.

(X) भौतिक स्वरूप में शोयरधारित करने वाले सदस्य, अपने विवरण, सिर्फ इस सूचना में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए ही कर सकते हैं.

(xi) कृपया सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के ईवीएसएन पर क्लिक करें जिस पर आप वोट करना चाहते हैं.

(xii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको “संकल्प विवरण” एवं इसके समक्ष वोटिंग के लिए हां / नहीं का विकल्प दिखाई देगा. अपनी इच्छानुसार हां अथवा नहीं के विकल्प का चयन करें. हां का विकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति दर्शाता है एवं नहीं का विकल्प आपकी असहमति दर्शाता है.

(xiii) यदि आप संकल्प का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हों तो ‘रिजोल्यूशंस फाइल’ लिंक पर क्लिक करें.

(xiv) ‘रिजोल्यूशन’ का चयन करने के उपरांत, आपने वोट डालने का निर्णय लिया है, “ओ.के.” पर क्लिक करें. एक कन्फर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओ.के.” पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट परिवर्तित करने हेतु “कैसिल” पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.

(xv) संकल्प पर एक बार अपना वोट ‘कन्फर्म’ करने के पश्चात आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी.

(xvi) आप वोटिंग पृष्ठ पर “प्रिन्ट करने के लिए यहां क्लिक करें” विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिन्ट ले सकते हैं.

(xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉग इन पासवर्ड भूल जाता है तब यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन एंटर कर “फॉरगॉट पासवर्ड” पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा दिये गये विवरण को एंटर करें.

(xviii) शोयर धारक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल पर उपलब्ध सीडीएसएल मोबाइल एप्प एम-वोटिंग उपयोग कर अपना वोट दे सकते हैं. यह एम-वोटिंग एप्प गुगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. एप्पल एवं विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमशः एप्प स्टोर एवं विंडोज फोन स्टोर से यह एप्प डाउनलोड कर सकते हैं. कृपया अपने मोबाइल से वोटिंग करते समय मोबाइल एप्प द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनुपालन करें.

(xix) गैर वैयक्तिक शोयरधारक एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर वैयक्तिक शोयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉगइन कर अपने आपको कॉर्पोरेट के तौर पर पंजीकृत करना आवश्यक है.
- पंजीकरण फार्म पर संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर उसकी एक स्कैन प्रति helpdesk.evotingindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए.
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग कर अनुपालन प्रयोगकर्ता निर्मित किया जाना चाहिए. अनुपालनकर्ता उपयोगकर्ता उन खातों का लिंक देने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं.



- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के पश्चात वे वोट करने सक्षम होंगे.
 - बोर्ड के संकल्प एवं मुख्तारनामा जिसे अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया गया है, जांचकर्ता द्वारा जांचने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए.
- (xx) ई- वोटिंग के मामले में यदि आपकी कोई शंका अथवा मुद्दा है, तो आप वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत पर उपलब्ध आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") एवं ई-वोटिंग के मेन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं.
- II कट-ऑफ तारीख दिनांक 21 जून 2019 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरोंधारकों के शेयरों के अनुपात में उनके वोटिंग अधिकार होंगे. बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.
 - III एक व्यक्ति, जिनका नाम सदस्यों के पंजीकरण में अथवा जमाकर्ता द्वारा सम्मोषित लाभार्थी स्वामी के पंजीकरण में रिकार्ड किया गया है, कट-ऑफ तिथि अर्थात् दिनांक 21 जून, 2019 को एजीएम में रिमोट ई- वोटिंग एवं ई-वोटिंग/पूल की सुविधा के लिए पात्र होंगे.
 - IV कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजे जाने के पश्चात सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् दिनांक 21 जून, 2019 को शेयर धारण करते है, उपरोक्त दिए अनुसार यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते है.
 - V. इस सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.
 - VI. ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु ईजेडवाई के श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट्स एवं कोर्पोरेट लिगल एडवाजर को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.
 - VII जांचकर्ता, न्यूनतम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में मतों के अनब्लॉक करने ई-वोटिंग करने की अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवस से अनधिक अवधि के भीतर होंगे, जो बैंक के रोजगार में नहीं हैं और मतों की जांच रिपोर्ट, चाहे वह पक्ष अथवा विरुद्ध जैसी भी हो, तैयार कर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाएगी.
 - VIII. जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में संकल्प परित करने के 2 दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.



व्याख्यात्मक विवरणी

एफपीओ/ राइट / क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

बासेल III के विनियमन के अनुसार, बैंक को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक सामान्य इक्विटी टायर – 1 (सीईटी – 1) अनुपात न्यूनतम 5.50% एवं इक्विटी पूंजी (सीसीबी) के रूप में 2.50% की पूंजी संरक्षण टियर 1 अनुपात 9.50% एवं समग्र सीआरएआर 11.50% बनाए रखना आवश्यक है। बैंक को निरंतर आधार पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) को बनाए रखने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। अतः आपके निदेशकों ने ₹5000/- करोड़ (₹ पांच हजार करोड़) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने करने का निर्णय लिया है एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक प्राधिकारियों एवं सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों सहित सभी लागू विनियमों के अधीन बैंक, इक्विटी पूंजी उगाही विकल्पों यथा सार्वजनिक निर्गमों (अर्थात् अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/अथवा अधिकार निर्गम और/अथवा निजी प्लेसमेंट और/अथवा अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट्स और/अथवा अन्य किसी माध्यम का उपयोग कर सकता है। बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य व्यवसाय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

यह विशेष संकल्प बोर्ड को एक या एकाधिक श्रृंखला में उस कीमत अथवा कीमतों तथा ऐसे समय अथवा समयांतरों एवं ऐसे निवेशकों को, जैसा बोर्ड अपने विवेक से उचित समझे, उसके अनुसार इक्विटी शेयर्स जारी करने की शक्ति चाहता है। इक्विटी शेयर्स के जारीकरण के विस्तृत नियम एवं शर्तें जब भी बनाए जाएंगे तब उन्हें बोर्ड द्वारा बाजार की प्रचलित स्थिति तथा अन्य संबद्ध घटकों पर ध्यान देते हुए बैंक के विचार से आवश्यक समझे जाने वाले मर्चेट बैंकर्स, लीड प्रबंधकों, सलाहकारों एवं ऐसे अन्य प्राधिकारियों के परामर्श कर निर्धारित किया जाएगा।

अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट के माध्यम से उपरोक्तानुसार इक्विटी शेयर्स जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

- इक्विटी शेयर्स के कीमत निर्धारण के प्रयोजन से संगत तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों के अध्याय VIII और/अथवा लागू अन्य विनियमों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में सदस्यों के अनुमोदन की प्राप्ति एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अंतर्गत तत्पश्चात आयोजित उस बैठक की तारीख होगी जिसमें बोर्ड अथवा पूंजी उगाही समिति इक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम को खोलने का निर्णय लिया जाता है।
- चूँकि शेयर प्रस्ताव का कीमत निर्धारण बाद के चरणों से पूर्व नहीं किया जा सकता अतः जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत व्यक्त करना सम्भव नहीं है। तथापि, यह समय समय पर संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एण्ड मीटिंग्स) विनियम, 1998 अथवा अन्य दिशानिर्देशों/विनियमों/सहमतियों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे, जो लागू हों अथवा अपेक्षित हों।
- पूर्ण दत्त शेयरों का निर्गमन एवं आबंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के निहितार्थ में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को ही किया जाएगा और इनका आबंटन, उपर्युक्त संकल्प के पारित होने की तिथि से 12 महीने के अन्दर किया जाएगा।
- प्रस्ताव के विस्तृत नियम एवं शर्तें बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परामर्शकों, अग्रणी प्रबंधकों एवं हामीदारों और अन्य वांछित ऐसे प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर तय किए जाएंगे।
- प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार, अतिआबंटन, यदि कोई हो, को मिलाकर इस प्रकार जुटाई गई कुल राशि पिछले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शित बैंक की निवल मालियत के 5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों द्वारा समय समय पर दी गई अनुमति के अलावा ये प्रतिभूतियां इनके आबंटन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक अंतरण/विक्रय किए जाने के पात्र नहीं होंगी।
- आबंटित इक्विटी शेयर डिविडेंड सहित हर प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों समकक्ष होंगे।

आपके निदेशकगण इस कार्य सूची के नोटिस में यथा-उल्लेखित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की अनुशांसा करते हैं।

बैंक के निदेशकगण को बैंक में उनकी वैयक्तिक क्षमता में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक इस संकल्प हेतु सम्बद्ध एवं इच्छुक माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 22.05.2019

हस्त/-

(आनंद कुमार दास)

उप महाप्रबंधक कंपनी सचिव



कुल व्यवसाय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18	मार्च 19
कुल व्यवसाय	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323	4,67,584
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)
कुल जमा	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839	2,99,855
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%
कुल ऋण एवं अग्रिम	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)
निवेश	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295	1,29,219
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%
सीडी अनुपात	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29	71.44	51.57%	60.20%	55.94%
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)

लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18	मार्च 19
सकल आय	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)
सकल व्यय	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926	21,925
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)
परिचालन लाभ	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733	3,127
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%
शुद्ध लाभ/हानि	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)	(5,641)
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	----	----	----	----
निम (%)	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.78	2.51	2.47	2.54
शुद्ध ब्याज आय	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517	6,773
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%
गैर ब्याज आय	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623	2,413
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)



निदेशक रिपोर्ट 2018-19

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2019 समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद-प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. कार्य निष्पादन वैशिष्ट्य

- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹4,67,584 करोड़ रहा जो 31 मार्च, 2018 को ₹4,72,323 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक की कुल जमा राशि ₹ 299855 करोड़ हो गयी, जो 31 मार्च, 2018 में ₹ 294839 करोड़ थी।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक का कुल अग्रिम ₹ 1,67,729 करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च, 2018 में ₹ 1,77,484 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल आय ₹ 25,052 करोड़ हुई जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹ 26,659 करोड़ थी।
- ❖ बैंक की गैर-ब्याज आय दिनांक 31 मार्च, 2019 को ₹ 2,413 करोड़ हुई जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 2,623 करोड़ थी।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का परिचालन लाभ 14.42% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 3,127 करोड़ हुआ, जो पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 3089 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक ने ₹ 5,641 करोड़ की निवल हानि दर्ज की है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निवल हानि ₹ 5,105 करोड़ थी। यह हानि मुख्यतः उच्चतर एनपीए प्रावधानों, उच्चतर स्लिपेज/एजिंग एवं एनसीएलटी खातों में अतिरिक्त प्रावधानों, निवेश पर विशेष रूप से घटते ट्रेडिंग लाभ, निवल ब्याज आय में कमी इत्यादि के कारण है।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी व्यय ₹ 471 करोड़ की कमी के साथ ₹ 3,566 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 4,037 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल-II के अंतर्गत) 10.13% हो गया, जिसमें टीयर I 5.70% और टीयर II 4.43% है। दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल- III के अंतर्गत) 9.61% हो गया, जिसमें टीयर I 7.49% और टीयर II 2.12% है।
- ❖ बैंक की शुद्ध मालियत ₹ 16,062.89 करोड़ रही।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में नकद वसूली बढ़कर 5,161 करोड़ हो गयी जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 2403 करोड़ थी।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को सकल अग्रिमों में सकल एनपीए बेहतर दर्शाते हुए 19.29% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को 21.48% था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए घटकर 7.73% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को 11.10% था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को प्रोविजन कवरेज अनुपात सुधरकर 76.60% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को 63.31% था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) सुधरकर 2.54% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 2.47% था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹ 12.78 करोड़ रहा।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (1.70)% रहा।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन बढ़कर ₹ 83,201 हो गया है। जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष से ₹ 366 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। तथापि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में एनबीसी को ऋण के आधिक्य का फायदा उठाते हुए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/खरीद लेनदेन किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में ₹ 27,436 करोड़ के पीएसएलसी का विक्रय किया है तथा एमएसएमई पोर्टफोलियों में ₹ 5,885 करोड़ की पीएसएलसी की खरीद की है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बिक्री ₹ 21,551 करोड़ रही। दिनांक 31.03.2019 को प्राथमिकता क्षेत्र में आरआईडीएफ में बकाया ₹4907.27 करोड़ रहा जिसमें से कृषि में यह राशि ₹3,075.97 करोड़ रही।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का कृषि ऋण वर्ष-दर-वर्ष 15.85% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 35,655 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 30,776 करोड़ था।

- ❖ पीएसएलसी और सिडबी तथा मुद्रा लि. में निवेश किए बिना दिनांक 31 मार्च, 2019 को एमएसएमई अग्रिम ₹ 32,090 रहा जो कुल अग्रिम और ऋण का 19.13% है.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रिटेल ऋण बढ़कर ₹ 48,666 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 48,123 करोड़ था.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो 23,301 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹ 21,392 करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष 8.92% की वृद्धि दर्शाता है. दिनांक 31 मार्च, 2019 को कुल रिटेल पोर्टफोलियो में आवास ऋण पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 47.88% रही.
- ❖ बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), ओड़ीसा (1) एवं असम (1) में स्थापित किए हैं. वर्ष 2018-19 के दौरान, आरसेटी ने 1098 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें 31,274 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है. इनमें से 23403 (अर्थात 74%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते एवं स्व-वित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है. नियोजित अभ्यर्थियों की क्रेडिट लिंकेज उपलब्धि 13,227 अर्थात 43% रही.
- ❖ बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 3 राज्यों के 48 जिलों में 1629 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं.
- ❖ बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम की जनसंख्या वाले 18,376 गांवों को कवर किया है. बैंक ने ये सभी गांव 6,387 बीसी एजेन्ट के माध्यम से कवर किए हैं. हमने 177 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र भी खोले हैं. बैंक ने बीसी एवं शाखाओं के माध्यम से 202 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते (बीएसबीडीए) खोले हैं. दिनांक 31 मार्च, 2019 को इन खातों में कुल जमा शेष ₹ 3,307.16 करोड़ था.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंकाश्युरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹22 करोड़ हुई.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को पूरे देश में बैंक के नेटवर्क में 4659 शाखाएं हैं जिनमें से 63.32% ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में, 3966 एटीएम, 10 सेटलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं.

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2018-19 की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए जा रहे हैं :

₹ करोड़ में

	31.03.2019	31.03.2018	विचलन	%
1 ब्याज आय	22639	24036	(1397)	(5.81)
-अग्रिम	12950	14478	(1528)	(10.55)
-निवेश	8454	7138	1316	18.44
-अन्य	1235	2420	(1185)	(48.97)
2 गैर ब्याज आय	2413	2623	(210)	(8.01)
3 कुल आय (1+2)	25052	26659	(1607)	(6.03)
4 प्रदत्त ब्याज	15866	17519	(1653)	(9.44)
-जमा	15276	16222	(946)	(5.83)
-अन्य	590	1297	(707)	(54.51)
5 परिचालन व्यय	6059	6407	(348)	(5.43)
-स्थापना	3565	4037	(472)	(11.69)
-अन्य	2494	2370	124	5.23
6 कुल व्यय (4+5)	21925	23926	(2001)	(8.36)
7 स्प्रेड (1-4)	6773	6517	256	3.93
8 परिचालन लाभ (3-6)	3127	2733	394	14.42
9 प्रावधान	8768	7838	930	11.87
10 कर के लिए प्रावधान	(2529)	(2791)	262	(9.39)
11 शुद्ध लाभ/(हानि)	(5641)	(5105)	(536)	-----



3. प्रावधान

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹ 8,768 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019	31.03.2018	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(115)	7	(122)
एनपीए के लिए प्रावधान	11030	10543	487
पुनर्संचित खातों के लिए प्रावधान	(425)	(951)	526
निवेश के लिए प्रावधान	984	799	185
करों के लिए प्रावधान	(2529)	(2791)	262
अन्य	(177)	231	(408)
कुल	8768	7838	930

4. लाभप्रदता अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2019	31.03.2018
जमाओं की लागत	5.21	5.53
निधियों की लागत	5.28	5.79
अग्रिमों पर आय	7.28	8.31
निवेशों पर आय	7.15	7.14
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.54	2.47
लागत आय अनुपात	65.96	70.10

5. व्यावसायिक अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2019	31.03.2018
ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ)	6.81	7.59
गैर-ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ)	0.73	0.83
परिचालन लाभ एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ)	0.94	0.86
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	(1.70)	(1.61)
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)	12.78	12.71
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	(15.55)	(13.86)

6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संविभाग निम्नानुसार है :

	31.03.2019	31.03.2018
	बासल-III	बासल-III
सीईटी 1 / टियर-1	7.49	7.01
टियर-2	2.12	2.03
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	9.61	9.04

7. शुद्ध हानि

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 5641 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर पर कोई किसी प्रकार का लाभांश देने की संस्तुति नहीं की है।

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- ❖ श्री तपन राय दिनांक 23 मई, 2018 से वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार अंशकालिक गैर-सरकारी और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
- ❖ श्री राजीव ऋषि, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिनांक 1 अगस्त, 2018 से बैंक के निदेशक नहीं हैं।
- ❖ श्री पल्लव महापात्र भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना के अनुसार 21 सितंबर, 2018 से बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
- ❖ श्री गोविंद मोहन दिनांक 14 मई, 2018 से बैंक के भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक नहीं हैं।
- ❖ डॉ भूषण कुमार सिन्हा को भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 14 मई, 2018 से वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
- ❖ श्री बी के दिवाकर, कार्यपालक निदेशक, दिनांक 23 जनवरी, 2019 से बैंक के निदेशक नहीं हैं।
- ❖ श्री आलोक श्रीवास्तव वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार 23 जनवरी, 2019 से 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
- ❖ शेरधर निदेशक श्री के आर पटेल दिनांक 1 जुलाई, 2018 से बैंक के निदेशक नहीं हैं।
- ❖ श्रीमती मिनी आइप को 1 जुलाई, 2018 से से बैंक के शेरधर निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं।

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए श्री राजीव ऋषि, श्री गोविंद मोहन, श्री बी के दिवाकर और श्री के आर पटेल प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित करता है।

- 8.1 वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के अनुसार विद्यमान आरबीआई नामित निदेशक श्री शेखर भटनागर के स्थान पर हमारे बैंक के बोर्ड में श्री थॉमस मैथ्यू, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू को तुरंत प्रभाव (दिनांक 26 अप्रैल, 2019) से अगले आदेश तक आरबीआई नामित निदेशक मनोनीत किया जाता है। श्री शेखर भटनागर द्वारा आरबीआई निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य योगदान हेतु बोर्ड द्वारा प्रशंसा की जाती है।

9. कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ईएसपीएस) के माध्यम से पूंजी जुटाना

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ईएसपीएस) के तहत पात्र कर्मचारियों से ₹ 212.53 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई। ईएसपीएस के तहत यह इश्यू 19 मार्च, 2019 को सब्सक्रिप्शन के लिए खोला और 29 मार्च, 2019 को बंद किया गया था। 31 मार्च, 2019 को ₹212.53 करोड़ रुपये की पूंजी निधि शेयर आवेदन निधि खाते में रखी गई थी। बैंक ने दिनांक 15 मई, 2019 को 26,071 पात्र कर्मचारियों को अपेक्षित 7,87,16224 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

10. पर्दाफाश नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफाश शिकायतों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक का सेंट विजिल नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारों की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ मुख्य सतर्कता अधिकारी को ही ज्ञात होती है। निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं। इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिलती है।

11. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

दिनांक 13 जून, 2017 को जारी अपने पत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक ने उच्च शुद्ध एनपीए और आस्तियों पर नकारात्मक प्राप्ति के आलोक में बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत रखा है। बैंक को यह विश्वास है कि पीसीए से बाहर आने के सुधारात्मक उपाय बैंक के संपूर्ण कार्यनिष्पादन को सुधारने में सहायक होंगे।



12. व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट

व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34 के अंतर्गत निर्धारित है जो बैंक की वेबसाइट (www.centralbankofindia.co.in) पर उपलब्ध है। इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति बैंक के प्रधान कार्यालय में कम्पनी सचिव को लिख कर इसे प्राप्त कर सकता है।

13. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

- ❖ निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय;
- ❖ महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- ❖ समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ/हानि का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- ❖ भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं; एवं
- ❖ लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर, लेखे तैयार किए गए हैं।
- ❖ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे।
- ❖ सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गयी है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से कार्यरत हैं।

14. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है।

15. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्त/-

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2019

तपन राय

अध्यक्ष



सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए.

[सेबी परिपत्र संख्या आईआर / सीएफडी / सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08.02.2019 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियम और प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

प्रति,

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण,

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है और पाया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (इसके पश्चात बैंक कहा जायेगा) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहारों का पालन किया जाता है. सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया है कि इस पर कॉर्पोरेट संचालन / वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन एवं दिए गए हमारे टिप्पणियों को उचित आधार दिया गया है.

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के लेखा, कागजात, कार्यवृत्त लेखा, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न एवं बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच और साथ ही सचिवीय लेखा परीक्षा करने के दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में, बैंक ने, दिनांक 31/03/2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाले लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है एवं साथ ही यह भी है कि बैंक के पास एक सीमा तक उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं, इसके पश्चात किए गए रिपोर्टिंग के तरीके और विषय:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31/03/2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखों, कागजातों, कार्यवृत्त लेखों, प्रपत्रों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम, जो बैंक पर प्रभावी रूप से लागू है
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1957 ("एससीआरए") और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और इसके अंतर्गत बनाये गए विनियमों और उपनियमों;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों एवं विनियमों; **(समीक्षाधीन अवधि में बैंक के लिए लागू नहीं)**
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -
 - (ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018;
 - (बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मामला) विनियम, 2018;
 - (सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - (डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018; **(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं, अतः कोई बायबैक नहीं थे)**
 - (ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
 - (एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008;
 - (जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय अधिमानी शेयर्स का निर्गमन एवं सूचीबद्ध करना) विनियम, 2013; **(समीक्षाधीन वर्ष में बैंक के लिए लागू नहीं)**
 - (एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;
- (vi) बैंक के लिए लागू अन्य नियम निम्नलिखित हैं:
 - (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारत सरकार (GOI) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना और परिपत्रों के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949
 - (बी) बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और इसके संशोधन



(सी) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

(डी) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और मीटिंग) विनियम, 1998

हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

(I) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

(ii) बैंक द्वारा बीएसई लिमिटेड (BSE) लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट्स समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने उपर्युक्त दिए गए अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

बैंक का निदेशक मंडल उचित प्रकार से स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशकों सहित कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों के पूर्ण संतुलन सहित गठित है। निदेशक मंडल के संघटन में समीक्षा समयावधि के अंतर्गत किए गए परिवर्तन बैंकिंग विधि के प्रावधान के अनुपालन में सेबी (एलओडीआर) के साथ सामंजस्य सहित है।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक, एजेन्डा एवं एजेन्डा पर विस्तृत नोट के बारे में सात दिन पूर्व ही नोटिस प्रेषित कर दिया गया था एवं इसके अतिरिक्त बैठक में जानकारी एवं एजेन्डा मदों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनायी गयी है ताकि बैठक में एक सार्थक सहभागिता हो सके।

बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में परिपत्रों के द्वारा प्रस्तावों सहित निर्णयों पर सर्वसम्मति से सहमति दी गयी। समीक्षा की अवधि के अंतर्गत निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा कोई असहमति नहीं दर्शायी गयी।

इसके अतिरिक्त हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के आकार एवं परिचालन को मॉनीटर एवं लागू कानून, नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उसके अनुरूप पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त हम यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान:

i). बैंक की दिनांक 30 जून, 2018 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में नये ईक्विटी शेयर / अथवा बासल III की दिशा निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त टियर –I अथवा टियर II पूंजी जारी कर बैंक की पूंजी उगाही की स्वीकृति के लिए विशेष संकल्प लिया गया।

तदनुसार, बैंक के बोर्ड की पूंजी उगाही समिति ने दिनांक 29 मार्च, 2019 को सेबी (उधार प्रतिभूतियों का जारीकरण एवं सूचीबद्धता) अधिनियम, 2008 के अनुपालन में प्रत्येक ₹10 लाख के ₹500 करोड़ की राशि के एनएसई / बीएसई इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म पर बंद हुई बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी नियोजन आधार पर 5000 बॉन्डस भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटित किए।

ii). बैंक की दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को आयोजित असामान्य साधारण बैठक में निम्न के लिए विशेष संकल्प पास किए गए –

(ए) नगद के लिए ₹56.43 प्रीमियम पर प्रति ईक्विटी शेयर के प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य के 35,43,57,970 ईक्विटी शेयरों का सृजन, जारी एवं आबंटन करना। अर्थात् अधिमानी आधार पर ₹ 66.43 के इश्यू राशि पर ₹2354 करोड़ तक की राशि के भारत सरकार को जारी।

तदनुसार, बैंक के बोर्ड की पूंजी उगाही समिति ने दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को आयोजित इसकी बैठक में सेबी आईसीडीआर अधिनियम 2018 के अनुपालन में उपर्युक्त शेयर आबंटित किए।

iii). बैंक की दिनांक 28 फरवरी, 2019 को आयोजित असामान्य साधारण बैठक में निम्न के लिए विशेष संकल्प पास किए गए

(ए) नगद के लिए ₹33.31 प्रीमियम पर प्रति ईक्विटी शेयर के प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य के 38,74,39,390 ईक्विटी शेयरों का सृजन, जारी एवं आबंटन करना। अर्थात् अधिमानी आधार पर ₹ 43.31 के इश्यू राशि पर ₹1678 करोड़ तक की राशि के भारत सरकार को जारी।

तदनुसार, बैंक के बोर्ड की पूंजी उगाही समिति ने दिनांक 28 फरवरी, 2019 को आयोजित इसकी बैठक में सेबी आईसीडीआर अधिनियम 2018 के अनुपालन में उपर्युक्त शेयर आबंटित किए गए।

(बी) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी स्टॉक परचेज स्कीम, 2019 (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ईएसपीएस, 2019) के अंतर्गत एक अथवा इससे अधिक हिस्सों में प्रति ₹10/- अंकित मूल्य के 10 करोड़ तक के नये इस राशि पर एवं बोर्ड /समिति द्वारा पूर्ण रूप से लिए गए निर्णयों पर इक्विटी शेयर के सृजन, स्वीकृति, ऑफर, जारीकरण एवं आबंटन करना।

शेयर वर्तमान वित्तीय वर्ष में आबंटित किए जाएंगे।

iv). बैंक की दिनांक 28 मार्च, 2019 को आयोजित असामान्य साधारण बैठक में निम्न के लिए विशेष संकल्प पास किए गए

(ए) नगद के लिए ₹27.25 प्रीमियम पर प्रति ईक्विटी शेयर के प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य के 68,72,48,322 ईक्विटी शेयरों का सृजन, जारी एवं



आबंटन करना. अर्थात अधिमानी आधार पर ₹ 37.25 के इश्यू राशि पर ₹2560 करोड़ तक की राशि के भारत सरकार को जारी.

तदानुसार, बैंक के बोर्ड की पूंजी उगाही समिति ने दिनांक 28 मार्च, 2019 को आयोजित इसकी बैठक में सेबी आईसीडीआर अधिनियम 2018 के अनुपालन में उपर्युक्त शेयर आबंटित किए गए.

- v). धारा 47 (ए)(1)(सी) के साथ सहपठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदान की गयी शक्तियों के तहत बैंक पर कुछ समाधान खामियों के कारण ₹10 मिलियन की पेनाल्टी लगायी है. यह स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया गया है.
- vi). सूचना ज्ञापन एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृति के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित कर्ज लिखत का मोचन किया है

मोचन की तारीख	लिखत की प्रकृति	मोचन राशि	उद्देश्य
10.04.2018	लोअर टियर II सिरीज़ III	274,08,06,988	परिपक्वता पर मोचन
14.11.2018	अपर टियर II सिरीज़ I	334,35,00,000	क्रय विकल्प पर मोचन
17.02.2019	अपर टियर II सिरीज़ II	311,86,35,486	क्रय विकल्प पर मोचन

कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्त/-

राजश्री पाडिया

एफसीएस : 6804: सीपी: 7488

दिनांक 13/05/2019

स्थान : मुम्बई



सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक – I

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

यहां तक की तारीख की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

1. सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया पर लागू कानून के सभी प्रावधानों, नियमों, विनियमों एवं मानकों के अनुपालन का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से अभिलेखों एवं प्रक्रियाओं का परीक्षण जांच आधार पर जांच करने का हमारा परीक्षण सीमित था.
2. सचिवीय एवं लागू अन्य विधिक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है. बैंक द्वारा जहां कहीं आवश्यक है, वहां स्पष्टीकरण सहित प्रस्तुत किए एवं रखे गए संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा के आधार पर सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने की जम्मेदारी हमारी है.
3. हमने सचिवीय अभिलेख के सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासनों को पाने के लिए जो भी समुचित है सभी प्रक्रियाएं एवं व्यावहारिकताओं का अनुपालन किया है. सचिवीय अभिलेखों में परिलक्षित तथ्यों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए जांच आधार पर सत्यापन किया गया है. सचिवीय एवं हमें दिए गए अन्य अभिलेखों में परिलक्षित तथ्यों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए जांच आधार पर सत्यापन किया गया है. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाए गयी प्रक्रियाएं एवं व्यावहारिकता सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य हेतु उचित आधार प्रदान करता है.
4. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता की जांच नहीं की है.
5. जहां कहीं भी आवश्यक था, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विधि, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन एवं परिणामों के लिए हमने प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है.
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक के भविष्य व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही क्षमता अथवा प्रभाविता है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्य किए हैं.

कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्त/-

राजश्री पाडिया

एफसीएस : 6804: सीपी: 7488

दिनांक 13/05/2019

स्थान : मुंबई



दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट [सेबी परिपत्र सं. आईआर/सीएफडी/सीएमडीआई/27/2019 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार]

प्रति,

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

1. हमने जांच की है:

- (ए) हमें उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण ("सूचीबद्ध इकाई"), पैरा 2 इन्फ्रा के अंतर्गत सूचीबद्ध विशिष्ट विनियमों के अनुपालन में है.
- (बी) उपरोक्त के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को सूचीबद्ध संस्था द्वारा दाखिला / प्रस्तुतिकरण दिया गया है.
- (सी) सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइट,
- (डी) कोई अन्य दस्तावेज / दाखिला, जैसा कि प्रासंगिक हो सकता है, इस प्रमाणीकरण को बनाने के लिए विश्वास में लिया गया है,

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ("समीक्षा अवधि") प्रावधानों के संबंध में अनुपालन :

- (ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") और इसके अंतर्गत जारी किए गए विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश; तथा
 - (बी) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा इसके अंतर्गत जारी किए गए विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश जारी किए गए;
2. विशिष्ट विनियम, उसके प्रावधान और इसके अंतर्गत जारी किए गए परिपत्र / दिशानिर्देश, जांच किया गया, शामिल:-
- (ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;
 - (बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मामला) विनियम, 2018;
 - (सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - (डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018;
 - (ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
 - (एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;
 - (जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों का निर्गमन एवं सूचीबद्ध करना) विनियम, 2013;
 - (एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;
- और उपरोक्त जांच के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि, समीक्षा अवधि के दौरान:
- (ए) सूचीबद्ध इकाई ने इसके अंतर्गत जारी किए गए उपरोक्त विनियमों और परिपत्रों / दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है, हालांकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रतिभूति बायबैक एवं गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों से संबंधित कोई भी लेन-देन जारी न होने की स्थिति में, यहाँ उल्लेखित प्रासंगिक प्रावधानों का पालन नहीं करना है.
 - (बी) सूचीबद्ध इकाई ने इसके अंतर्गत जारी किए गए उपरोक्त विनियमों और परिपत्रों / दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, क्योंकि यह हमारे द्वारा उन अभिलेखों की जांच में प्रकट होता है।
 - (सी) इसके अंतर्गत जारी किए गए उपर्युक्त अधिनियमों / विनियमों एवं परिपत्र / दिशानिर्देश के तहत या तो सेबी द्वारा अथवा स्टॉक एक्सचेंजों (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रियाओं सहित) द्वारा सूचीबद्ध इकाई / उसके प्रवर्तकों / निदेशकों / सामग्री अनुषंगियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी.
 - (डी) इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की आवश्यकता की अधिसूचना के बाद से यह पहली रिपोर्टिंग है, पिछली रिपोर्टों में किए गए टिप्पणियों के अनुपालन के लिए की गई कार्रवाई पर रिपोर्टिंग नहीं होती थी.

कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्त/-

राजश्री पाडिया

एफसीएस : 6804: सीपी: 7488

दिनांक 13/05/2019

स्थान : मुंबई



प्रबंधतंत्र विचार एवं विश्लेषण

भाग ए : आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2018-19 में भारत में आर्थिक विकास की गति कुछ धीमी रह सकती है। लेकिन देश अभी भी विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2018-19 में वास्तविक जीडीपी की सामान्य वृद्धि 7% पर रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2017-18 में यह 7.2% थी। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2019 के अनुमानों के अनुसार, ब्रेक्सिट अनश्चितताओं, व्यापार शुल्कों में वृद्धि, चाइनीज पुनर्संतुलन, यूरोजोन में धीमी वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण वैश्विक उत्पादन घट गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2019 के अनुमानों के अनुसार उच्च अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक वृद्धि की दर वर्ष 2018 की 2.2% के मुकाबले वर्ष 2019 में 1.8 % रहने का पूर्वानुमान है, और 2020 में इसके 1.7 % से अधिक नरम रहने का अनुमान है।

वर्ष 2018 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 2.9 % की प्रभावपूर्ण वृद्धि हुई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से वर्ष 2019 में 2.3 % और वर्ष 2020 में 1.9 % तक रहने का अनुमान है। (आईएमएफ, अप्रैल 2019)। सरकार की कामबंदी से विकास पर असर पड़ा है। यूएस फेड ने वर्ष 2018 में कई बार ब्याज दर में वृद्धि की थी। हालांकि विकास की प्रवृत्ति में अपेक्षाकृत सुस्थिर मौद्रिक नीति रूख देखने की उम्मीद है। आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो के अग्रिम अनुमान के अनुसार अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मार्च 2019 में 3.2% की वृद्धि हुई जबकि दिसम्बर 2018 तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद में 2.2% की वास्तविक वृद्धि हुई थी। दिसम्बर 2018 से मार्च 2019 तक अमेरिका में मुद्रास्फीति 2% से नीचे के स्तर पर बनी हुई थी। मार्च 2019 में बेरोजगारी की दर 4% से नीचे आ गई थी, जो श्रम बाजार की स्थितियों में निरंतर सुधार का संकेत था। मार्च 2019 में औद्योगिक उत्पादन में 2.8% की वृद्धि हुई। व्यक्तिगत उपभोग व्यय में भी मामूली वृद्धि प्रदर्शित हुई और पिछले कुछ महीनों में व्यापार तनाव के कारण निर्यात में वृद्धि दर धीमी रही।

वर्ष 2019 में यूरोजोन में वृद्धि 1.3% की दर से अनुमानित है (आईएमएफ, अप्रैल 2019) जबकि 2018 में यह 1.8% थी। जर्मनी में विकास वर्ष 2017 में 2.5% से वर्ष 2018 में 1.5% रहा जो कि मंद औद्योगिक वृद्धि और निजी खपत में कमी आने के कारण हुआ। वर्ष 2019 में अन्य प्रमुख यूरोजोन अर्थव्यवस्थाओं जैसे- फ्रांस, स्पेन एवं इटली में भी वृद्धि दर मामूली रहने की उम्मीद है।

वर्ष 2017 में जापानी अर्थव्यवस्था के 1.9 % की मजबूत दर से बढ़ने के बाद वर्ष 2018 में यह 0.8% की धीमी वृद्धि दर तक आ गई और 2019 में इसके 1%की वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है (आईएमएफ, अप्रैल 2019), जो मुख्य रूप से राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच, चीनी अर्थव्यवस्था मार्च 2019 में 6.4% बढ़ी जो दिसम्बर 2018 से अपरिवर्तित थी। चीन में आर्थिक गतिविधियां विनिर्माण पीएमआई द्वारा सांकेतिक रूप में अप्रबल रहीं, जो दिसम्बर 2018 से फरवरी 2019 तक लगातार तीन महीनों के लिए संकुचित रही और मार्च 2019 में इसमें मामूली वृद्धि हुई। वर्ष 2018 में 6.6% की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2019 में जीडीपी का 6.3%की दर से बढ़ने का अनुमान है (आईएमएफ, अप्रैल 2019)।

द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार; भारत का औद्योगिक मूल्य वर्ष 2017-18 में 5.9% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 7.7% हो गया। वर्ष 2017-18 में कृषि विकास दर 5% से वर्ष 2018-19 में 2.7% (द्वितीय अग्रिम अनुमान) तक कम हो गई। सेवा क्षेत्र में 2017-18 में 8.1% से 2018-19 (द्वितीय अग्रिम अनुमान) में 7.4% की वृद्धि दर्ज की थी।

वर्ष 2018-19 में मुख्य उद्योगों में समग्र विकास दर 4.3% रही जो वर्ष 2017-18 से अपरिवर्तित थी। दूसरी ओर अप्रैल - फरवरी 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर अप्रैल-फरवरी 2017-18 के दौरान 4.3% थी।

मार्च 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर खुदरा मुद्रास्फीति की दर 5 महीने के उच्चतम स्तर 2.86% पर दर्ज की गई। वर्ष 2018-19 में पूरे वर्ष के लिए मुद्रास्फीति की दर में 3.4% की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2017-18 में यह 3.6% थी।

वर्ष 2019-20 के लिए फरवरी 2019 में प्रस्तुत अंतरिम केन्द्रीय बजट में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, कुल व्यय ₹2784200 करोड़ अधिकीकृत किया गया है। जो कि वर्ष 2018-19 में ₹2457235 करोड़ (आरई) था। वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19 (आरई) के समान जीडीपी का 3.4% रखा गया है।

बैंकिंग उद्योग

बैंकिंग उद्योग ने भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (दिसम्बर 2018) के अनुसार मार्च 2018 से सितम्बर 2018 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल एनपीए अनुपात के साथ आस्ति की गुणवत्ता में सुधार दिखाया है। मार्च 2018 के स्तर से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि में भी सुधार हुआ है। बैंकिंग उद्योग को सहारा देने के लिए सरकार ने कई पहल की है। सरकार द्वारा जारी पुनर्पूजीकरण बांड बैंकिंग उद्योग को मजबूती प्रदान करेंगे।

भाग बी - बैंक का कार्यनिष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹467584 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह आँकड़ा ₹472323 करोड़ था. उच्च लागत जमा दिनांक 31 मार्च, 2019 को घटकर ₹ 57 करोड़ हो गई है, जबकि दिनांक 31 मार्च 2018 को यह ₹850 करोड़ थी.

बैंक का परिचालन लाभ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 3127 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹ 2733 करोड़ था. बैंक ने बढ़े हुए प्रावधानों के कारण वर्ष 2018-19 में ₹ 5641 करोड़ की शुद्ध हानि दर्ज की है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹5105 करोड़ थी.

संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक की सकल जमा ₹ 299855 करोड़ रही, जो ₹793 करोड़ की उच्च लागत जमाओं में हुई कमी के पश्चात थी. बचत जमा वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹122139 करोड़ हो गई, जो 10.52 % की वृद्धि दर्शाती है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 110509 करोड़ थी तथा चालू जमा वर्ष 2018-19 में ₹16416 करोड़ हो गई, जबकि वर्ष 2017-18 में यह ₹ 14687 करोड़ थी. जो 11.77%की वृद्धि दर्शाती है. दिनांक 31 मार्च 2019 को कुल जमा में कासा जमा की हिस्सेदारी बढ़कर 46.21% हो गई, जो कि दिनांक 31 मार्च 2018 को 42.46% थी. कोर सावधि जमा, वर्ष 2018 -19 में 4.77% की कमी के साथ ₹ 161243 करोड़ के स्तर पर पहुँच गई है, जबकि वर्ष 2017-18 में यह ₹ 169343 करोड़ थी.

बैंक में भारतीय लेखांकन मानक का क्रियान्वयन एवं कार्य-योजना

कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित मंत्रालय द्वारा घोषित मूल रोड मैप के अनुसार सभी बैंक (क्षे.ग्रा.बैंक को छोड़कर) दिनांक 1 अप्रैल, 2018 के प्रारंभ से अब तक की लेखांकन अवधि के साथ-साथ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि अथवा उसके पश्चात के लिए तुलनात्मक लेखांकन के लिए अपनी वित्तीय विवरणियाँ भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार करनी होंगी. बैंक एक भारतीय लेखांकन मानक सलाहकार, संस्थापित कोर भारतीय लेखांकन टीम की सेवायें ले रहा है और भारतीय लेखांकन मानक को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका है. प्रगति की निगरानी के लिए कार्यपालक निदेशक की अगुवाई में एक संचालन समिति स्थापित की गई है. निदेशक मंडल और बोर्ड की लेखा समिति भारतीय लेखांकन मानक की प्रगति की आवधिक समीक्षा करती है.

दिनांक 05 अप्रैल, 2018 को भारिबैं ने अपने विकास और विनियामक नीतियों से संबंधित विवरणियों में यह उल्लेख किया है कि बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित वित्तीय विवरणियों के प्रारूप में आवश्यक विधायी सुधार किए गए हैं, जो सरकार के विचाराधीन है. इसके आलोक में, और कई बैंकों की तैयारी के स्तर को देखते हुए भी बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक के क्रियान्वयन को भारिबैं द्वारा, अपेक्षित आवश्यक विधायी परिवर्तन तक, एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है. अब से, बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक के क्रियान्वयन हेतु संशोधित समय सीमा दिनांक 31 मार्च, 2019 अथवा उसके पश्चात समाप्त अवधि के लिए तुलनात्मक लेखांकन सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होगी. हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना के माध्यम से कहा कि भारिबैं द्वारा अनुशंसित विधायी संशोधन भारत सरकार के विचाराधीन है. तदनुसार भारिबैं द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित रखा जाए. भारिबैं के निर्देशानुसार बैंक जून 2018 से भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण का प्रारूप नियमित रूप से प्रस्तुत कर रहा है.

ऋण

बैंक का सकल अग्रिम दिनांक 31 मार्च, 2019 को ₹167729 करोड़ रहा , जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह ₹177484 करोड़ था. यह वर्ष दर वर्ष 5.50% की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है.

ऋण निगरानी विभाग

- ❖ बैंक ने सुपरिभाषित निगरानी नीति शुरू की है, जिसमें एसएमए (विशेष उल्लिखित खाते) प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, इसमें एसएमए प्रबंधन के सभी क्षेत्र, त्वरित चेतावनी संकेतक, निगरानी एवं अनुवर्ती उपाय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली को समाहित किया गया है.
- ❖ बोर्ड के अनुमोदन के अनुरूप समय-समय पर नीति में संशोधन किए जा रहे हैं.
- ❖ निगरानी नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय कार्यालय, सभी आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कॉर्पोरेट वित्त शाखाओं के स्तर पर प्रत्येक माह मानक अनियमित/एसएमए खातों की पुनरीक्षा करने के लिए निगरानी समितियां गठित की गई हैं एवं ऋण निगरानी की संपूर्ण कार्यवाही की संगठित पुनरीक्षा माह में एक बार की जाती है. सीएमसी बैठक में एजेंडा की सभी मदों की स्थिति की सावधानीपूर्वक रिपोर्टिंग के लिए एक समर्पित पोर्टल तैयार किया गया है.



- ❖ ऋण निगरानी से संबंधित मामलों के अद्यतन /जागरुकता विकसित करने के लिए, क्षेत्रीय एवं आंचलिक कार्यालय के नोडल अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं.
- ❖ बैंक ने कॉर्पोरेट, एसएमई, रिटेल तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर रीयलटाइम निगरानी के लिए केन्द्रीकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली एवं पर्यवेक्षण (क्लास) निगरानी मॉड्यूल सॉफ्टवेयर का भी कार्यान्वयन किया है.
- ❖ सघन ऋण निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ऑफसाइट निगरानी पर्यवेक्षण प्रणाली हेतु भी कदम उठाए गए हैं.
- ❖ ऋण लेखा परीक्षा के दायरे को व्यापक बनाने के लिए नए/ऋण सीमा वृद्धि के अग्रिमों में संवितरण पूर्व लेखापरीक्षा की निर्दिष्ट सीमा को 1 करोड़ रूपए से घटाकर 50 लाख रूपए कर दिया गया है तथा संवितरण से पूर्व लेखा परीक्षा की निर्दिष्ट सीमा को घटाकर 5 करोड़ से ₹ 1 करोड़ कर दिया गया है.
- ❖ लागत को कम करने के लिए क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) निकालने के लिए 02 नई क्रेडिट सूचना कंपनियां, मैसर्स एक्सपेरियन और मैसर्स क्रिफ हाइमार्क से गठजोड़ किया गया है.
- ❖ ऋण निगरानी विभाग को और मजबूत किया जा रहा है. ऋण से संबंधित सभी नीति विभाग द्वारा बनाई जानी है ओर कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न ऋण समितियों का संचालन करना और विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) कार्यों को भी विभाग को सौंपा गया है.
- ❖ सरकार के 'ईएएसई' दिशानिर्देशों के अनुसार, 'दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन' वर्टिकल की स्थापना की गई है और सभी एएमए-1, एसएमए-2, और 25 करोड़ एवं उससे अधिक के एनपीए खातों के समाधान/ वसूली के लिए इस वर्टिकल द्वारा देखरेख की जाएगी.

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण अथवा इतर तुलन-पत्र जोखिम के तुल्य ऋण, में से जो भी अधिक हो, का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किया जाना है. अतः इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह बैंक के लिए अत्यंत महत्व का क्षेत्र है. हमने कृषि, एमएसएमई, आवास, शैक्षिक एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य प्रमुख घटकों में ऋण प्रवाह बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है. इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत हमारी प्रगति प्रभावपूर्ण रही है.

दिनांक 31.03.2019 को प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बैंक का कार्यनिष्पादन (लेखापरीक्षित) निम्नानुसार है :-


(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 2018	मार्च 2019	वृद्धि (%)
1	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	82835	83201	0.44
	(एएनबीसी का प्रतिशत)	49.74 %	47.22%	
2	सकल कृषि अग्रिम	34192	35655	4.28
	(एएनबीसी का प्रतिशत)	20.53%	20.24%	
3	एमएसएमई	32346	31036	-4.05
4	शैक्षणिक ऋण	2773	2522	-9.05
5	आवास ऋण (₹25.00 लाख तक)	13392	13956	4.21
6	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	6	0	-100.00
7	नवीकरणीय ऊर्जा	9	8	-11.11
8	सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर	8	5	-37.50
9	निर्यात ऋण	8	5	-37.50

- ❖ वर्ष 2018-19 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण विनियोजन ₹ 83201 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 366 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है. तथापि, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में एएनबीसी से ऊपर अतिरिक्त ऋण का फायदा उठाने के लिए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/खरीद लेनदेन आरंभ किया है. वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत ₹ 27436 करोड़ मूल्य की पीएसएलसी की बिक्री की है और एमएसएमई पोर्टफोलियो के अंतर्गत ₹ 5885 करोड़ मूल्य की पीएसएलसी की खरीद की है. इस प्रकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बिक्री 21551 करोड़ थी. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत आरआईडीएफ का ₹4907.27 करोड़ बकाया है. जिसमें दिनांक 31.03.2019 तक कृषि के तहत ₹3075.97 करोड़ है..

प्राथमिकता क्षेत्र

(राशि ₹ करोड़ में)




कृषि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुल कृषि ऋण ₹ 1463 करोड़ की वृद्धि दर्शाते हुए दिनांक 31.03.2018 के ₹ 34192 करोड़ के स्तर से बढ़कर दिनांक 31.03. 2019 को ₹ 35655 करोड़ हो गया है. समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) में शुद्ध कृषि ऋण की हिस्सेदारी 20.24 % रही. जबकि निर्धारित लक्ष्य 18% था.

कृषि

(राशि ₹ करोड़ में)



कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु की गईं नई पहलें :

विशिष्ट ऋण अभियान :


- ❖ हमारी सभी ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं में कृषि ऋणों के प्रचार एवं नए ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक माह के दौरान कम-से-कम एक मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया.
- ❖ सभी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं ने स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिकेज के लिए विशेष ऋण शिविर आयोजित किए हैं.
- ❖ प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) के अंतर्गत पात्र ऋणकर्ता कृषकों के लिए बैंक 100% फसल बीमा सुनिश्चित कर चुका है और गैर – ऋणी किसानों को फसल बीमा के कवरेज के लिए ऋण दिया है.
- ❖ वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने कृषि के तहत निवेश ऋण पर जोर दिया है.
- ❖ बैंक ने छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने पर ध्यान केन्द्रित किया है.




वित्तीय समावेशन (एफआई)

बैंक ने 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम जनसंख्या के 18,376 गांवों को कवर किया है. बैंक ने इन गांवों को 6,387 बीसी एजेंटों के माध्यम से कवर किया.

- हमने 177 शहरी वित्तीय समावेशन केन्द्र खोले हैं.
- लेनदेनो की संख्या




- वित्तीय लेनदेनों में बीसी के माध्यमों से खोले गए खातों में वित्तीय वर्ष 2018-19 में लेनदेन बढ़कर 437 लाख (वर्ष दर वर्ष 37.42 % वृद्धि) हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 318 लाख थी.
- बीसी के माध्यम से व्यवसाय ;



बीसी के माध्यम से व्यवसाय बढ़कर दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 1573.47 करोड़ (वर्ष दर वर्ष 56.73 की वृद्धि) हो गया है, जो दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹1003.94 करोड़ था.

5. बीसी के माध्यम से खाते खोलना:



बीसी के माध्यम से खातों की संख्या दिनांक 31 मार्च 2018 के 99.89 लाख से बढ़कर दिनांक 31 मार्च 2019 को 117.00 लाख हो गई है. वर्ष दर वर्ष 17.13 % की वृद्धि.

6. बैंक ने अपनी शाखाओं एवं बीसी की माध्यमों से 202.00 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट (बीएसबीडीए) खोले हैं. इन खातों में कुल जमा शेष ₹ 3307.16 करोड़ है.

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एफआई-पीएमजेडीवाई की प्रमुख उपलब्धियां

- ❖ बीसी आउटलेट के माध्यम से व्यवसाय 42.96% की वृद्धि के साथ ₹ 1003.94 करोड़ से बढ़कर ₹ 1573.47 करोड़ हो गया.
- ❖ वित्तीय समावेशन व्यवसाय 24.00% की वृद्धि के साथ ₹2566.90 करोड़ से बढ़कर ₹ 3307.16 करोड़ हो गया.
- ❖ 31 मार्च 2019 को पीएमजेडीआई खातों की संख्या बढ़कर 1.33 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च 2018 को 1.12 करोड़ थी.
- ❖ पीएमजेडीआई के तहत कुल जमा 31 मार्च, 2019 को बढ़कर ₹ 3048 करोड़ हो गया, जो 31 मार्च 2018 को 2264 करोड़ था.
- ❖ बीसी-आउटलेट्स के माध्यम से कुल लेनदेनों की संख्या 42.96 % की वृद्धि के साथ 305.68 लाख से बढ़कर 437 लाख हो गए.
- ❖ बीएसबीडी खातों की संख्या 9.67% की वृद्धि के साथ 184.19 लाख से बढ़कर 202.00 लाख हो गई.
- ❖ ₹10 लाख से अधिक के व्यवसाय वाले बीसी की संख्या में 16.23 % की वृद्धि हुई और ये 2317 से बढ़कर 2693 हो गई. इसी प्रकार ₹ 1 करोड़ से अधिक के व्यवसाय वाले बीसी की संख्या में 121.65 % की वृद्धि हुई और ये 97 से बढ़कर 215 हो गए.
- ❖ दिनांक 31.03.2019 को सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल पंजीकरण पीएमजेजेबीवाय -1366,176 पीएमएसबीवाय -3965922 , तथा एपीवाय -608031 है.
- ❖ पीएमजेजेबीवाय के अंतर्गत 6090 मृत्यु दावों में से, 5903 दावों का निपटान किया जा चुका है और पीएमएसबीवाय के अंतर्गत 1806 मृत्यु दावों में से 1699 दावों का निपटान किया जा चुका है.

अग्रणी बैंक के तहत कार्यनिष्पादन

- ❖ हम सात राज्यों यथा; मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महाराष्ट्र(7), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(4), राजस्थान(3) एवं छत्तीसगढ़(4) के 51 जिलों में अग्रणी बैंक के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं. हमारी 50% से अधिक एवं लगभग 25% शाखाएं क्रमशः इन राज्यों एवं अग्रणी जिलों में कार्यरत हैं.
- ❖ अग्रणी बैंक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, अग्रणी जिला प्रबंधकों के कार्यालयों को पर्याप्त सुविधाओं युक्त बनाया गया है तथा स्टाफ की समुचित व्यवस्था की गई है. साथ ही, अन्य बुनियादी सुविधाएं, यथा-पृथक/अच्छा परिसर, वाहन, कंप्यूटर/लैपटॉप (स्काइप सुविधायुक्त) तथा प्रिंटर, टेलीफोन, इंटरनेट सुविधा, ई-मेल आईडी, मोबाइल, फैक्स, वेबसाइट की स्थापना इत्यादि भी उपलब्ध कराई गई हैं.
- ❖ हमने ग्रामीण इलाकों की आम जनता/लोगों को लोगों को उनसे सम्बंधित हमारे बैंक के विभिन्न उत्पादों से परिचित कराने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड, सेन्ट्रल अर्टिजन क्रेडिट कार्ड, स्वाभिमान/आधार इत्यादि को एलडीएम को प्रदत्त गाड़ियों पर प्रदर्शित किया है.



- हमने सशक्तीकरण, युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण एवं ऋण संबद्धता के माध्यम से समन्वित विकास के लिए प्रत्येक अग्रणी जिले में एक-एक गांव का चयन किया है। सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सभी विकासपरक गतिविधियों जैसे वित्तीय शिक्षा/वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आरसेटी में ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह/कृषक क्लब/जेएलजी का गठन, ऋण गतिविधियों का पूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है। अग्रणी जिले के अन्य गांवों में भी इनकी प्रतिकृति दर्शाई जा रही है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति :

- मध्य प्रदेश राज्य में हमारा बैंक एसएलबीसी का समन्वयक है। वर्ष 2018-19 के दौरान, विभिन्न एजेन्सियों द्वारा सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों सहित विभिन्न पैरामीटरों के अंतर्गत राज्य में की गई प्रगति की समीक्षा तथा उस पर निगरानी रखने हेतु दो नियमित एसएलबीसी बैठकें आयोजित की गईं। विधानसभा एवं लाकेसभा चुनावों के चलते आचार संहिता के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 की दिवितीय छमाही में राज्य में होने वाली 02 अनिवार्य बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी।
- बैंकों से लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए दिनांक 14 अप्रैल, 2018 से दिनांक 05 मई, 2018 तक आयोजित पीएमजेडीवाय, पीएमएसबीवाय एवं पीएमजेजेबीवाय के अंतर्गत भारत सरकार के “ग्राम स्वराज अभियान” के 100% लक्ष्य को राज्य ने प्राप्त कर लिया है।
- बैंकों से लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जैसे मुख्य मंत्री स्व:रोजगार सृजन योजना, मुद्रा, पीएमईजीपी, एनआरएलएम के लक्ष्यों को बैंकों ने 100% से अधिक प्राप्त किया है।
- वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों के कार्य-निष्पादन पर एसएलबीसी द्वारा सतत निगरानी रखी जाती है। परिणामतः वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य साख योजना के अंतर्गत 94% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के “प्लेस ऑफ यूटिलाईजेशन मानदंड” के अंतर्गत रूपये 10,718 करोड़ के ऋण जोड़ने के बाद 31 मार्च 2018 से राज्य के सीडी अनुपात में काफी सुधार होकर 74.69% से बढ़कर 31 मार्च 2019 को 80.90% हो गया।
- सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्रालय, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 38 लाख वृद्ध निराश्रित लोगों को डीबीटी के माध्यम से रूपये 600 प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। बैंकिंग सुविधा आसानी से प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा “पेंशन आपके द्वार” योजना को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख को बैंकिंग मित्र/बैंक शाखा द्वारा किया जाता है जिससे लाभार्थी को अपने संबंधित गांव से 5 किलोमीटर से दूर न जाना पड़े। इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा बैंकों की प्रगति की नियमित सतत निगरानी की जाती है।
- राज्य के लिए हमारा ध्येय है “राज्य का संपूर्ण एवं सर्वांगीण विकास” जिसके माध्यम से नागरिकों का जीवन खुशहाल बन सके और उनके सामर्थ्य के अनुसार उन्हें अवसर मिलने चाहिए कि वह श्रेष्ठ प्रयास करें और देश के विकास में योगदान प्रदान करें।
- वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा, वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन से संबंधी कार्य-योजना एवं इन उद्देश्यों की प्राप्ति में उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व को निर्धारित कर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों की समीक्षा सम्मेलन/कार्यशाला करने में हम अग्रणी रहे हैं।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार, एमएसएमई विभाग द्वारा कृषकों के पुत्र/पुत्री के लिए उदयोग (विनिर्माण/सेवा/व्यापार क्षेत्रों) में इकाइयां स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा एक नई वित्तपोषण योजना “मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना” का शुभारम्भ किया गया है। रूपये 2 करोड़ की परियोजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। यह योजना मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान, गारंटी शुल्क, उद्यमी विकास प्रशिक्षण आदि के रूप में लाभ प्रदान करती है।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

- हमने 7 राज्यों में 48 एफएलसीसी खोले हैं, यथा मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महाराष्ट्र(7), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), राजस्थान(3) एवं छत्तीसगढ़(2)।
- इन सभी केन्द्रों द्वारा गांवों में 41480 आउटडोर विजिट की गईं, जिसमें 435250 व्यक्तियों को साक्षरता/परामर्श प्रदान किया गया। इनके अंतर्गत जन-अभियान एवं व्यक्तिगत परामर्श दोनों ही शामिल हैं।
- लोगों में जागरूकता लाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति और जीवनयापन स्तर में सुधार के अवसर प्रदान करने के लिए बैंक ने उन्हें जन सम्पर्क प्रणाली युक्त गाड़ियां एवं बैंक द्वारा आरम्भ किये गए विभिन्न उत्पादों/योजनाओं को प्रचारित करने के लिए एलसीडी प्रदान किए हैं। इसके अलावा गांव के दौरो एवं परामर्श प्रदान करते समय शिक्षण सामग्री, किट, किताबें इत्यादि भी उपलब्ध कराई है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)

- बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 आरसेटी की स्थापना की है अर्थात् मध्य प्रदेश(18), बिहार(9), महाराष्ट्र(6), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), छत्तीसगढ़(2), राजस्थान(1), ओडिसा(1) एवं असम(1)।

- ❖ वर्ष 2018-19 के दौरान, आरसेटी ने 1098 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 31,274 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमें से 23,142 (74%) प्रशिक्षार्थी बैंक ऋण, मजदूरी निपटान एवं स्व:वित्त पोषण से स्थापित किए गए।
- ❖ कुल प्रशिक्षित प्रतिभागियों में से 13227 यानि 43% क्रेडिट लिंकेज से स्थापित किए गए।

अन्य पहलें

- ❖ आरसेटी तथा एफएलसीसी के प्रचालनों तथा कार्य-प्रणाली पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने के लिए हमारे बैंक द्वारा “सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआई-एसयूएपीएस)” नाम से एक सोसाइटी/ट्रस्ट की स्थापना की गई है।
- ❖ हमने एक उच्च स्तरीय प्रशासकीय परिषद का गठन किया है, इसमें हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरंक्षक के रूप में, कार्यपालक निदेशक अध्यक्ष के रूप में एवं महाप्रबंधकगण इसके सदस्य के रूप में आरसेटी तथा एफएलसीसी के मामलों तथा कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण एवं निगरानी रखेंगे।
- ❖ हमने पर्याप्त मानवशक्ति के साथ यथेष्ट दक्षता प्राप्त सेवानिवृत्त वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को आरसेटी निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु अनुबंधित करना प्रारम्भ कर दिया है।
- ❖ जिला स्तर पर सभी स्थानीय विकास संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर स्थानीय सलाहकार समितियों तथा प्रशिक्षण समितियों का गठन किया गया है।
- ❖ सभी 46 आरसेटी के लिए भवन निर्माण हेतु, हमने एक मॉडल योजना तैयार की है। इन 46 आरसेटी में से 33 आरसेटी भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष में कार्य प्रगति पर है।

एमएसएमई विभाग:

सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत निष्पादन:

- ❖ सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत खातों की संख्या में बैंक ने 20.24% की वृद्धि हासिल की है।
- ❖ एमएसएमई के अंतर्गत सूक्ष्म ऋण का प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के बिना 36.39%, पीएसएलसी के साथ 44.89% है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, सीजीटीएमएसई के अंतर्गत 483 खातों में ₹ 35.62 करोड़ के दावों का निपटान हुआ। खातों के मामले में दर्ज दावों के प्रतिशत के रूप में अनुमोदित दावे 46.79% है। राशि के मामले में दर्ज दावों के प्रतिशत के रूप में स्वीकृत दावे 32.12% है।
- ❖ पीएमएमवाय के अंतर्गत वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्य में हमारे बैंक की उपलब्धि 58.28% है। 31 मार्च 2019 को नये संवितरण के अंतर्गत ₹3,550 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष हमारे बैंक की उपलब्धि ₹2,069 करोड़ है।

पहलें :

- ❖ फील्ड फंक्शनरियों के उपयोग एवं त्वरित संदर्भ हेतु एमएसएमई ऋणों के वर्गीकरण संबंधी अद्यतन मास्टर परिपत्र बैंक की इंटरनेट साइट पर अपलोड किया गया है।
- ❖ बैंक ने psbloansin59minutes पोर्टल पर कार्य आरम्भ किया है। वित्तीय वर्ष 2019 के अंतर्गत psbloansin59minutes में 2,200 खातों में कुल रूपये 485 करोड़ स्वीकृत किए गए।


बढ़ते कदम :

भारतीय रिजर्व बैंक एवं प्रधानमंत्री टास्क फोर्स (पीएमटीएफ) द्वारा सूक्ष्म उद्यम के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुद्रा योजना, स्टेन्ड अप इंडिया योजना, केवीआईसी/पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ऋण तथा सेन्ट वीवर मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त पोषण बढ़ाने पर जोर दिया है।

रिटेल ऋण

दिनांक 31.03.2019 को रिटेल ऋण योजनाओं में कुल बकाया राशियां ₹ 48,666 करोड़ थीं। बैंक के कुल अग्रिम में रिटेल पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 29.01% है। पिछले वर्ष की तुलना में रिटेल में 1.13% की वृद्धि हुई।

	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019
रिटेल ऋण	34939	38505	32008	48123	48666
कुल ऋण	194967	190152	153008	177484	167729
कुल ऋण में रिटेल का %	17.92%	20.25%	20.92%	27.11%	29.01%



उत्पाद और सेवाएं

- बैंक के पास आम जनता को प्रदान करने के लिए अनेकों योजनाबद्ध योजनाएं हैं जो कि स्पष्ट अंतर के साथ संभावित ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. बैंक इन सभी योजनाओं को स्पष्ट अंतर के साथ संभावित ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए आम जनता को प्रदान करते हैं. यह उत्पाद विभिन्न समूहों और निर्दिष्ट आला खंडों के लिए निर्देशित है.
- रिटेल उत्पादों की विक्रेयता को बढ़ाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आवास, वाहन, मॉर्गेज, ट्रेड तथा व्यक्तिगत ऋण योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं.
- जोखिम में कमी करने के लिए बैंक ने खुदरा ऋण उत्पादों पर पुनः विचार किया और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आवश्यक बदलाव किए:
 - सेंट मॉर्गेज योजना (ओडी) को बंद करना- एनपीए में बढ़ोतरी के कारण हालाँकि वर्तमान ओडी खातों के संबंध में समीक्षा/नवीनीकरण/वृद्धि पात्रता के आधार पर जारी रहेगी.
 - ₹ 7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण अनिवार्य रूप से एनसीजीटीसी योजना के अंतर्गत खोले गए.
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रीकृत ऋण प्रसंस्करण केन्द्र (सीसीपीसी) ने निष्पादन इंडेक्स में 40.05% की उपलब्धि रही है. ₹ 3,342.67 करोड़ राशि के कुल 12476 खाते स्वीकृत किए गए. ₹ 2,373.15 करोड़ राशि के कुल 9079 आवास ऋण खाते स्वीकृत किए गए. 58% से अधिक सभी आवास ऋण तथा 40% से अधिक मॉर्गेज/ट्रेड/ शैक्षणिक ऋणों का प्रसंस्करण सीसीपीसी में किया गया. सभी रिटेल उत्पादों का प्रसंस्करण क्लास मोडयूल द्वारा ही किया गया.
- वर्ष के दौरान ₹ 9689 करोड़ राशि के 1.54 लाख नए रिटेल ऋण खाते स्वीकृत किए गए. वित्तीय वर्ष 2018-19 में रिटेल शाखाओं द्वारा प्रति माह खोले जाने वाले खातों की औसत संख्या 2.78 है, जिसका औसत टिकट आकार ₹ 6.28 लाख है.
- बढ़ते कदम:

हम वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने खुदरा ऋणों के पोर्टफोलियो में 13.04% की वृद्धि को लक्षित कर रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक कुल अग्रिम में से खुदरा ऋण 30% लक्षित है. खुदरा ऋण को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने कम जोखिम वाले मॉर्गेज आधारित ऋण पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ विशेष योजना रणनीति बनाई है यानी LTV अनुपात < 80% के साथ आवास ऋण विशेषतः पीएमएवाई श्रेणी के अंतर्गत, गोल्ड ऋण और वेतन तथा पेंशन खाता धारक को व्यक्तिगत ऋण. बैंक खुदरा पोर्टफोलियो के 50% से अधिक करने के लिए आवास ऋण की परिकल्पना करता है.

खुदरा बैंकिंग के लिए, बैंक ने अनेक रणनितियाँ बनाई हैं, जिसमें शामिल है:

- उत्पाद पोर्टफोलियो को युक्तिसंगत बनाना: उत्पाद पोर्टफोलियो को तर्कसंगत बनाने के लिए हमने कुल 33 खुदरा ऋण उत्पादों को घटाकर 12 उत्पादों को तर्कसंगत बनाया है. एक जैसी सुविधाओं वाले उत्पादों का समेकन किया गया. कम मात्रा, कम मांग एवं अप्रचलित उत्पादों बंद किया गया. ग्राहकों के प्रति आकर्षण बढ़ाने, बेहतर मानकीकरण और फील्ड फंक्शनरियों का उत्पाद के प्रति ज्ञान बढ़ाने के लिए बाजार की मौजूदा मांगों के अनुरूप लाने के लिए तैयार किया गया.

- ❖ परिसंपत्ति कवरेज से नकदी प्रवाह में परिवर्तन विशेष रूप से सेंट ट्रेड, सेंट बंधक योजनाओं आदि में परिवर्तन.
- ❖ सीसीपीसी की पुनःस्थापना: शुरुआत से अंत तक स्वामित्व के निरीक्षण से प्रलेखन तथा वितरण तक का अधिकार सीसीपीसी में होगा.
- ❖ ऋण प्रस्ताव लाने में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विपणन वर्टिकल.
- ❖ क्लास की पुनःस्थापना: गतिशीलता के साथ नए मंच तथा केवाईसी और क्रेडिट स्कोर, जीएसटीएन, आईटीआर, ग्राहकों के ऋण आवेदनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग आदि के डिजिटल सत्यापन की अतिरिक्त सुविधा के साथ क्लास की पुनःस्थापना.
- ❖ टर्न अराउंड टाइम में कमी.
- ❖ ग्राहक शिकायतों में कमी

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

- ❖ बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देशभर में फैली 71 प्राधिकृत डीलर ("बी" श्रेणी) शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है. परिचालनीय कुशलता के लिए मुंबई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है ताकि कोष प्रबन्धन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हासिल की जा सके.
- ❖ दिनांक 31.03.2019 को बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो कम होकर ₹ 5,314 करोड़ हो गया जो दि. 31.03.2018 को ₹ 5,694 करोड़ था.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2018-19 में मर्चेट ट्रेड विदेशी विनिमय का टर्नओवर ₹ 42,995 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 42,332 करोड़ था.
- ❖ एनआरई जमा राशि दिनांक 31.03.2018 को ₹ 4,764 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2019 को ₹ 4,941 करोड़ हो गयी, जो गत वर्ष की तुलना में 3.72% की वृद्धि दर्शाती है.
- ❖ एफसीएनआर जमा राशि दिनांक 31.03.2018 को यूएसडी 220.83 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31.03.2019 को यूएसडी 226.73 मिलियन हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.67% की वृद्धि दर्शाती है.

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश

- ❖ बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च 2019 को बढ़कर ₹ 1,29,219 करोड़ हो गया है, (गैर-एसएलआर, गैर-अंतरण भारत सरकार पुनःपूंजीकरण बॉण्ड ₹11,427 करोड़) जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को ₹ 1,05,295 करोड़ था, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 22.72% की वृद्धि दर्ज हुई. दस वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31.03.2018 के 7.40% की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2019 को 7.35% पर बंद हुआ है.
- ❖ वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में दो बार जून और अगस्त 2018 में 0.25% की बढ़ोतरी की और फरवरी 2019 में 0.25% घटा कर प्रभावी रूप से रेट को 6.25% लाया गया एवं पॉलिसी रेट कॉरिडोर 0.5% से कम करके 0.25% किया गया. इसके परिणामस्वरूप बैंक रेट बढ़कर 6.50% हो गया.
- ❖ रेपो उधारी सीमा एनडीटीएल के 0.25% तथा मीयादी रेपो एनडीटीएल के 0.75% में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रेट को रेपो रेट के आसपास रखने के उद्देश्य से इसके साथ विवेकपूर्ण परिवर्तनीय मियादी रेपो एवं रिवर्स रेपो को एनडीटीएल के 1% अधिक रखा. मियादी एलएफ में उधारी के लिए बैंकों को नीलामी में बोली लगानी पड़ती है.
- ❖ अस्थिर बाजार एवं संकटग्रस्त तरलता प्रबंधन परिस्थितियों में, ट्रेजरी ने ₹ 215 करोड़ का ट्रेडिंग लाभ दर्ज किया, जोकि पिछले वर्ष ₹ 576 करोड़ था. निवेश पर प्रतिफल (ट्रेडिंग लाभ के अलावा) वर्ष 2017-18 के 7.07% से बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान 7.15% हो गया.
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिभूतियों के स्थानांतरण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की ₹ 11950 करोड़ की प्रतिभूतियां एफएस से एचटीएम में एवं ₹14541 करोड़ की राशि, एचटीएम से एफएस में अंतरित की.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का संघटन इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संघटन	31.03.2019	31.03.2018
1.	एसएलआर	96206.03	81613.25
2.	गैर एसएलआर	33013.28	23681.44
	कुल	129219.31	105294.69



जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन प्रणाली/ संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से क्रेडिट, मार्केट और परिचालन जोखिम तथा पिलर II जोखिमों के तहत बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों/प्रथाओं की देखरेख करती है. समिति उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है और बाजार के विकास के सापेक्ष जोखिम वाले मॉडल का आकलन करती है और नए जोखिमों की पहचान और नियंत्रण भी करती है. समिति नियमित रूप से कॉर्पोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम मानकों के अनुपालन की निगरानी करती है.

जोखिम प्रबन्धन संरचना

- ❖ परिचालन स्तर पर विभिन्न समितियां, यथा बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता समिति (आल्को), ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम प्रबन्धन समिति (सीआरएमसी) तथा परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरसीओ) गठित की गई है जिसमें शीर्ष प्रबन्धन टीम से सदस्य शामिल किए गए हैं.
- ❖ यह समितियां बैंक के विभिन्न परिचालनों के अंतर्गत जोखिम के स्तर के निगरानी एवं निर्धारण के लिए वर्ष भर नियमित बैठकें करती हैं तथा आवश्यकतानुरूप उचित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय लागू करती हैं.
- ❖ सभी आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंक ने वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक श्रेणी के अधिकारियों को “जोखिम प्रबन्धक” के तौर पर अभिचिन्हित किया है. यह जोखिम प्रबन्धक, आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबन्धन विभाग के विस्तारित भाग के तौर पर कार्य करते हैं. बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी भी अभिचिन्हित किए हैं जो जोखिम प्रबन्धन से संबंधित नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं को देखने एवं जोखिम प्रबन्धन की सहायता के लिए “नोडल अधिकारी” के रूप में कार्य करते हैं.

बाजार जोखिम प्रबंधन

- ❖ मिड ऑफिस बाजार की स्थिति, फंडिंग पैटर्न की समीक्षा करता है और एक्सपोजर, अवधि, काउंटर पार्टी की सीमाओं और विभिन्न संवेदनशील मापदंडों का अनुपालन को सुनिश्चित करता है और रिपोर्ट नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है.
- ❖ वीएआर तथा अवधि विश्लेषण जैसे उपकरण का उपयोग अल्पकाल में बैंक के लाभ को तथा दीर्घकाल में इक्विटी मूल्य इक्विटी को नापने और प्रबंधित करने के लिए सतत आधार पर किया जाता है.
- ❖ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर पूंजीगत प्रभार का सतत अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है तथा बाजार जोखिम के संबंध में बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार उसे लागू किया जा रहा है.
- ❖ बैंक ने पोर्टफोलियो में बाजार जोखिम पर निगरानी करने के लिए बैंक के बोर्ड ने बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति को मंजूरी दी है. परिचालन के लिए प्रति-पक्ष पार्टियों की सीमाएं समकक्षों की नवीन्तम स्थिति के अनुसार निर्धारित /समीक्षा की गयी है.

ऋण जोखिम प्रबन्धन

- ❖ बैंक में सुस्पष्ट लिखित एकीकृत ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति है. जिसकी पिछली समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 25/02/2019 को की गई.
- ❖ बैंक ने क्रिसिल लि. से रेटिंग मॉड्यूल प्राप्त किया है.
- ❖ बैंक ने रिटेल ऋण की ग्रेडिंग के लिए रेटिंग मॉडल्स (स्कोर कार्ड) विकसित किए हैं तथा इसका उपयोग किया जा रहा है.
- ❖ ऋण जोखिम प्रबन्धन की गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्ट निगरानी हेतु, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली ऋण जोखिम नीति समिति को प्रस्तुत की जाती है.
- ❖ कॉर्पोरेट एवं रिटेल दोनों पोर्टफोलियो के लिए विकसित दृष्टिकोण अपनाने की तैयारी करते हुए बैंक पीडी, ईएडी एंड एलजीडी की गणना हेतु मॉडल्स विकसित करने की प्रक्रिया में है.

परिचालन जोखिम प्रबन्धन

- ❖ बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन पूरी तरह से सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबन्धन नीति के द्वारा मार्गदर्शित है.
- ❖ परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरसीओ) तिमाही अंतराल में बैंक की जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करती है एवं निदेशक मंडल द्वारा किया गया पर्यवेक्षण परिचालन जोखिम से संबंधित गुणात्मक पहलुओं को प्रबल करता है.
- ❖ बैंक, उन्नत मापक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए भा.रि.बैं. को आवेदन करने हेतु मॉडल विकसित कर रहा है तथा गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सूचनाएं

बना रहा है. नए उत्पादों अथवा गतिविधियों से जुड़ी जोखिम को न्यून करने हेतु नई उत्पाद अनुमोदन नीति संरचना बैंक को मार्गदर्शन प्रदान करती है.

- ❖ बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निर्देशित किया जाता है. बैंक अपने धोखाधड़ी जोखिम को फील्ड स्तर और प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित धोखाधड़ी संवेदीकरण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से कम करता है.
- ❖ बैंक एंटरप्राइज वाइड फ्रॉड डिटेक्शन, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन सोल्यूशन (EFRMS) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है जो कि वास्तविक समय/ निकट, वास्तविक समय में लेनदेन, घटनाओं, उपयोगकर्ताओं, खातों और प्रणालियों में संदिग्ध प्रणाली की निगरानी करेगा.

पूँजी आयोजना

बैंक के पास सुदृढ़ आईसीएएपी (आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया) उपलब्ध है. बैंक ने जोखिम अभिलाषी ढांचा तैयार किया है एवं बेसल III मानदंडों की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूँजी अनुपात रखने का उद्देश्य है. पूँजी के समक्ष प्राक्कलनों की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है.

आस्ति एवं देयता प्रबन्धन पद्धतियाँ

- ❖ एएलएम प्रमुखतया बैंक के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से तरलता एवं ब्याज दर जोखिम के मापन एवं प्रबंधन से संबंधित है. आलको (आस्ति एवं देयता समिति) ने वर्ष के दौरान तरलता एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में बैंक की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 20 बार बैठकें कीं.
- ❖ विनियामक रिपोर्टिंग के अलावा, जमाओं पर ब्याज निर्धारण करने के साथ-साथ आधार दर और बीपीएलआर का निर्धारण भी एएलएम द्वारा किया जाता है. वर्ष 2018-19 के दौरान जमा ब्याज दरों को तीन(3) बार, आधार दरों में चार (4) बार एवं एमसीएलआर में बारह (12)बार संशोधन किया गया है.
- ❖ भारिबै के नये दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने दिनांक 01 जनवरी 2015 से एलसीआर (तरलता कवरेज अनुपात) की गणना मासिक आधार पर करना प्रारंभ कर दिया है एवं यह अनुपात भारिबै द्वारा निर्धारित प्रारंभिक सीमा (अर्थात्, 2019 के लिए 100%) से काफी अधिक है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए औसत एलसीआर 279.83% रहा है(आडिटिड).

बासल III दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2015 में नए पूँजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया है. इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने बासल III अपनाया है तथा ऋण जोखिम हेतु "मानकीकृत दृष्टिकोण", परिचालनात्मक जोखिम के लिए "मूल संकेतक दृष्टिकोण" और बाजार जोखिम हेतु "मानकीकृत अवधि" पद्धति के आधार पर पूँजी का प्रावधान किया है.
- ❖ आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए बैंक आईआरएमएस (एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है.
- ❖ सभी आवश्यक नीतियाँ, जैसे ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबन्धन नीति, बाजार अनुशासन तथा प्रगटीकरण नीति, आईसीएएपी इत्यादि बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है.
- ❖ बैंक ने आईआरबी (आंतरिक रेटिंग आधारित)दृष्टिकोण के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाये हैं.

पूँजी पर्याप्तता सुधार के लिए कार्य योजना

बासल III के विनियमों के अनुसार, बैंक को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक न्यूनतम 5.50% अनुपात में कॉमन इक्विटी टीयर -1 (सीईटी 1) एवं 2.5% का पूँजी संवहन बफर (सीसीबी) इक्विटी पूँजी के रूप में टीयर 1 अनुपात 9.50% एवं कुल सीआरएआर 11.50% बनाये रखने की आवश्यकता है. बैंक को चालू आधार पर निर्धारित पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) को प्राप्त करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होगी. बैंक द्वारा पूँजी पर्याप्तता मानदंडों को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं -

- I- बैंक ₹ 5,000/- करोड़ (रुपए पांच हजार करोड़ मात्र) तक की इक्विटी पूँजी भारत सरकार, भा.रि.बैं.और अन्य विनियामक संस्थाओं के अनुमोदन और सेबी(आईसीडीआर) विनियमों सहित सभी लागू विनियमों के अनुसार में विभिन्न माध्यमों जैसे कि पब्लिक इश्यू के फॉलो ऑन, राइट्स इश्यू, मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नियोजन सहित प्राइवेट नियोजन इत्यादि के माध्यम से उगाही करना चाहता है. वर्धित पूँजी का उपयोग बैंक के सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होगा.
- II- बैंक सचेत रूप से ऋण जोखिम आरडब्ल्यूए/ कुल अग्रिम अनुपात को मार्च 2018 में 80.34% से मार्च, 2019 में 71.91% तक नीचे लाया है. बैंक पूँजी बढ़ाने के बहुत से उपायों को अपनाने के द्वारा आरडब्ल्यूए को कम करने के लिए प्रयासरत है.
 - i. बैंक ने अपना ध्यान कॉर्पोरेट ऋण से हटाकर रैम (रिटेल, कृषि और एमएसएमई) पर केंद्रित किया है. हमारा कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो मार्च 2019 में 31% हो गया है जो मार्च 2018 में 37% था.



- ii. कॉर्पोरेट ऋण बही के संबंध में, बैंक बीबी और निम्न मूल्यांकित उधारकर्ताओं के एक्सपोजर में कमी लाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है, क्योंकि इनकी उच्च जोखिम भारिता है। इसके परिणामस्वरूप बीबी और निम्न मूल्यांकित उधारकर्ताओं के लिए बैंक का एक्सपोजर मार्च 2018 में कुल कॉर्पोरेट अग्रिम के 44% से कम होकर मार्च 2019 में 34% हो गया।
- iii. रिटेल खंड में, बैंक आवास ऋण, गोल्ड ऋण, शैक्षिक ऋण, सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटीकृत ऋण इत्यादि में एक्सपोजर बढ़ाने के द्वारा निम्न आरडब्ल्यूए पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- iv. एनपीए खातों के समाधान की ओर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के माध्यम से, बैंक पर्याप्त वसूली और अर्जक आस्तियों के लिए एनपीए के अपग्रेडेशन को सुनिश्चित करेगा जो कि प्रावधानों में आवश्यक प्रतिलेखन होगा, जिसके चलते टीयर 1 पूंजी में सुधार होगा।
- v. वित्तीय वर्ष 2019-20 में हमारा ध्यान उपार्जन बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण अग्रिम और निवेश को सुरक्षित करने के लिए केंद्रित होगा जिससे टीयर 1 पूंजी में सुधार होगा।

वसूली विभाग

अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन के लिए बैंक में विस्तृत दिशानिर्देशों से युक्त एक सुपरिभाषित वसूली नीति मौजूद है। इसमें एनपीए प्रबन्धन के सभी क्षेत्र, निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम, प्रवर्तन वसूली एजेंसियों की नियुक्ति, एआरसी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्ता शामिल है। अर्थव्यवस्था में नवीनतम परिवर्तनों/गतिविधियों एवं एनपीए निपटान/प्रबंधन की प्रवृत्तियों इत्यादि को समाहित करने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। बैंक ने चौथी तिमाही में गैर विवेकाधीन और गैर भेदभावपूर्ण (एनडीएनडी) एकबारगी समझौता योजना (ओटीएस) शुरूआत की है।

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, यद्यपि बैंक ने ₹ 5,718 करोड़ की नकद वसूली (बट्टे खातों में ₹ 557 करोड़ की वसूली शामिल है) और ₹ 567 करोड़ का अपग्रेडेशन कुल मिलाकर ₹ 6,285 करोड़ का सुधार किया है परंतु उच्च राशियों के नए खातों (₹ 50 करोड़ एवं अधिक के कुल 27 खाते राशि ₹ 3,188 करोड़) के जुड़ जाने से कार्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।
 - ❖ सकल एनपीए का स्तर 31.03.2019 में घटकर ₹ 32,356 करोड़ हो गया जो कि 31.03.2018 में ₹ 38,131 करोड़ था अर्थात् 31.03.2019 में ₹ 5,775 करोड़ की कमी हुई है।
 - ❖ शुद्ध एनपीए 31.03.2019 में घटकर ₹ 11,333 करोड़ हो गया जो कि 31.03.2018 को ₹ 17,378 करोड़ था अर्थात् दिनांक 31.03.2019 को 6,045 करोड़ की कमी हुई है।
 - ❖ सकल एनपीए प्रतिशत और शुद्ध एनपीए प्रतिशत में कमी हुई है जो कि क्रमशः 21.48 % से 19.29% और 11.10% से 7.73% हो गया।
 - ❖ वित्तीय वर्ष 2018 में ₹ 2,403 करोड़ की तुलना में नकद वसूली में पर्याप्त बढ़ोतरी होकर वित्तीय वर्ष 2019 में ₹ 5,161 करोड़ (114.77%) हो गई।
 - ❖ वित्तीय वर्ष 2018 में ₹ 410 करोड़ की तुलना में बट्टे खातों में नकद वसूली में बढ़ोतरी होकर वित्तीय वर्ष 2019 में ₹ 557 करोड़ (35.85%) हो गई।
2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में एकमुश्त समझौता योजना (ओटीएस) आरंभ की गई। इस योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में एनपीए खातों का निपटान किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में एकमुश्त समझौता योजना (ओटीएस) के माध्यम से ₹ 1,425.66 करोड़ की नकद वसूली हुई।
3. वर्ष के दौरान बैंक ने अस्ति वसूली कंपनियों (एआरसी) को 06 एनपीए खाते 100% नकद के अंतर्गत स्विस चुनौती पद्धति के अंतर्गत बेचे गए, जिसके अंतर्गत ₹ 1,405.55 की एनपीए में नकद वसूली हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,618 करोड़ की एनपीए में कमी हुई एवं ₹ 540.66 करोड़ के प्रावधान का प्रतिलेखन किया गया।
4. वर्ष 2018-19 में एनपीए खातों में वसूली को अत्यधिक महत्व दिया गया। हमारे कार्यपालकों द्वारा दैनिक आधार पर एनपीए के संचालन पर कड़ी निगरानी रखी। समीक्षा बैठक के दौरान कानूनी कार्रवाई तथा सरफेसी के अंतर्गत कर्रवाई के माध्यम से एनपीए खातों में वसूली की नियमित आधार पर समीक्षा की गई और क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं आंचलिक प्रबंधकों से मासिक आधार पर विडियो कांफ्रेंसिंग की गई।
5. ₹ 5.00 करोड़ से ऊपर के सभी एनपीए खातों की चर्चा फील्ड फंक्शनरियों से की जाती है। तदनुसार आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधकों, आंचलिक प्रबंधकों द्वारा खातों में वसूली की कार्रवाई शुरू की जाती है। मासिक आधार पर आयोजित विडियो कांफ्रेंसिंग में एनपीए खातों में

हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है। खाते नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई के लिए केन्द्रीय कार्यालय में आंचलिक समन्वयक को सौंपे जाते हैं।

6. प्रतिदिन वसूली शिविर आयोजित किए जाते हैं इन शिविरों में बट्टे खाते में वसूली करना भी अभियान का एक हिस्सा है।
7. वसूली प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आस्ति वसूली शाखाओं (एआरबी) पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
8. क्षेत्र/आंका तथा विधि अधिकारी की सक्रिय सहभागिता से तिमाही आधार पर जिला स्तर पर विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।

एनपीए प्रबंधन के लिए कार्य योजना

एनपीए प्रबंधन बैंक का प्रमुख फोकस क्षेत्र है। हमारा जोर नकद वसूली, अपग्रेडेशन, समझौता निपटान और अन्य वसूली उपायों के माध्यम से एनपीए में कमी लाने हेतु निम्नानुसार होगा :

- ❖ एनपीए स्तर को कम करने के लिए बैंक ने डीए 1, डीए 2, डीए 3, हानि खाते एवं ₹ 10 करोड़ तक के बकाया राशि के साथ पीडब्ल्यूओ/टीडब्ल्यूओ खातों के लिए नए गैर विवेकाधीन/भेदभावरहित (एनडीएनडी) विशेष ओटीएस योजना 2019-20 का शुभारम्भ किया है।
- ❖ सभी एनपीए खातों को कवर करते हुए ओटीएस तरीके पर आधारित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर भी फोकस रहेगा।
- ❖ स्विस चैलेंज पद्धति के अंतर्गत एनपीए खातों की एआरसी को बिक्री।
- ❖ एनसीएलटी/आईबीसी 2016 के माध्यम से प्रस्ताव
- ❖ कर्ज की पुनर्संरचना जहां इकाईयां व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है।
- ❖ इस वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीए खातों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य है।
- ❖ बट्टे खाते में वसूली पर जोर।
- ❖ इरादतन चूककर्ताओं/ गैर सहयोगी उधारकर्ताओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई।
- ❖ समयबद्ध तरीके से डीआरटी के माध्यम से वसूली प्रक्रिया में तेजी लाना।
- ❖ नियमित अंतराल पर एनपीए सेक्टरल/पोर्टफोलियों समीक्षा।

बैंकाश्युरेंस :

जीवन बीमा के लिए जीवन बीमा निगम तथा गैर- जीवन बीमा उत्पादों के लिए चोला एम एस जनरल इश्युरेंस कंपनी की कॉर्पोरेट एजेन्सी के तहत हमारे बैंक द्वारा बीमा सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष में कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशिष्टताएँ निम्नानुसार रहीं :

- ❖ जीवन बीमा व्यवसाय में, बैंक ने 20,883 पॉलिसियाँ एवं 176 करोड़ प्रीमियम संग्रहित किया है।
- ❖ साधारण बीमा व्यवसाय में, बैंक ने ₹ 74 करोड़ प्रीमियम सहित 1,86,065 पॉलिसियाँ संग्रहित की हैं।
- ❖ बैंकाश्युरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹ 20.61 करोड़ की हुई है।
- ❖ वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (एसपी) की संख्या 140 बढ़कर अब बैंकाश्युरेंस व्यवसाय करने हेतु हमारे पास 1,561 विनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं।
- ❖ आईआरडीआई की ओपन आर्किटेक्चर स्कीम के अंतर्गत बैंक ने 4 नये बीमा साझेदार जोड़े हैं। अब बैंकाश्युरेंस व्यवसाय हेतु बैंक की निम्न इश्युरेंस पार्टनर के साथ टाई-अप व्यवस्था है।

क्र.सं.	बीमा कंपनी का नाम	श्रेणी
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड	जीवन बीमा
2.	टाटा एआईए जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	जीवन बीमा
3.	द न्यू इंडिया एश्युरेंस कंपनी लिमिटेड	साधारण बीमा
4.	बजाज अलाएज जनरल इश्युरेंस कंपनी लिमिटेड	साधारण बीमा
5.	अपोलो म्यूनिक हेल्थ इश्युरेंस कंपनी लिमिटेड	केवल स्वास्थ्य बीमा



डिपॉजिटरी सेवाएं :

बैंक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ व्यवस्था के तहत एक डिपॉजिटरी सहभागी है। सभी परिचालन केन्द्रीयकृत है तथा फोर्ट मुंबई स्थित नोडल शाखा पूंजी बाजार सेवा शाखा द्वारा ये सेवाएँ प्रदान की जा रही है। मुख्य केंद्रों पर स्थित शाखाएँ खाते खोलने, शेरों का क्रय तथा विक्रय, शेरों के बंधक तथा भौतिक प्रतिभूतियों को डीमैट करने की सेवायें प्रदान कर रही हैं। बैंक के पास करीब 28585 डी-मैट खाता धारक है।

कैपिटल मार्केट सेवा शाखा, मुंबई आस्बा, डी-मैट, समाशोधन बैंक, लाभांश वारंटों का भुगतान, ब्रोकरों को ऋण / गारंटी जैसी पूंजी बाजार संबंधी सुविधायें प्रदान करती है। यह डीमैट तथा आस्बा के लिए नियंत्रक शाखा भी है।

सूचना प्रौद्योगिकी

1. कोर बैंकिंग समाधान

- ❖ दिसम्बर 2010 में बैंक ने अपनी 100% शाखाओं को केन्द्रीयकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में कवर कर लिया है।
- ❖ बैंक ने उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी बुनियादी संरचना स्थापित की है एवं ग्राहकों को परिचालनात्मक दक्षता एवं त्वरित सेवाएं देना सुनिश्चित करने हेतु व्यवसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है।
- ❖ विद्यमान कम्प्यूटिंग संसाधनों जैसे हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा एवं अन्य संबंधित आवश्यकताओं को भविष्य के व्यावसायिक पुर्वानुमान एवं अन्य सांविधिक एवं सुरक्षा बाध्यताओं के अनुसार उन्नयन / संवर्धन किया जाता है।
- ❖ बैंक द्वारा एक आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है तथा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की नीति के अनुरूप नियमित डीआर ड्रिल की जाती है।
- ❖ बैंक एवं ग्राहक हित सुरक्षित रखने हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ लागू की गई हैं।
- ❖ व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने शून्य डाटा हानि सहित नियर साईट क्रियान्वित की है।
- ❖ सीबीएस में आवश्यकतानुसार, निरंतर नयी कार्यविधियां क्रियान्वित की जा रही है।
- ❖ बैंक, संग्रहण (भंडारण) एवं निष्पादन अनुकूलता हेतु सीबीएस के डाटा संग्रहण को लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

2. नेटवर्क तथा कनेक्टिविटी

- ❖ बैंक का कॉर्पोरेट नेटवर्क 4732 स्थानों पर व्याप्त है जिनमें शाखाएं, विस्तार पटल, एआरबी तथा प्रशासनिक कार्यालय सम्मिलित हैं।
- ❖ बैंक ने व्यवहार्यता एवं आवश्यकता के आधार पर प्राथमिक अथवा बैंकअप के तौर पर 2 एमबीपीएस वायर्ड / वायरलेस लिंक / आरएफ / वीसेट लिंक खरीदने हेतु कई सेवा प्रदाताओं से टाई-अप किया है।
- ❖ बैंक ने लगभग सभी प्राइमरी लिंक को 2 एमबीपीएस एवं उससे अधिक में अपग्रेड कर दिया है। कुल स्थानों में से 78% पर बैंकअप लिंक को 512 केबीपीएस और इसके ऊपर अपग्रेड किया गया है, जिसमें 500+ बीएसएनएल वीसेट, 500+ एयरटेल वीसेट एवं 300+ ह्यूगस वीसेट शामिल हैं।
- ❖ बैंक, शेष 22% स्थानों पर उच्च बैंडविथ बैंकअप लिंक प्रदान करने एवं मौजूदा बैंकअप वीसेट्स को बदलने हेतु बीएसएनएल एलएल / 2 एमबीपीएस आरएफ / 3जी / 4जी की खरीद की प्रक्रिया में है।
- ❖ शाखा के कारोबारी समय के दौरान लगभग 100% अपटाइम बनाए रखने हेतु लगातार निगरानी रखी जाती है तथा नियंत्रण लागू किए गए हैं।
- ❖ बैंक ने सुरक्षा बढ़ाने हेतु डीसी और डीआर में नई पीढ़ी के प्रमाणित फॉयरवॉल, वेब एप्लीकेशन फॉयरवॉल की खरीद एवं स्थापना की है।
- ❖ उत्कृष्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने हेतु बैंक ने डीसी एवं डीआर में टॉप ऑफ रैक (टीओपी) स्विच, सर्वर लोड बैलेंसर, नेटवर्क बिहैविअर एनालिसिस टूल प्राप्त किये हैं।

वैकल्पिक डिलीवरी चैनल :

3. इंटरनेट बैंकिंग

- ❖ बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा हमारे कॉर्पोरेट एवं खुदरा ग्राहकों को विभिन्न ऑनलाइन सेवा प्रदान करती है। वेबसाइट, सुरक्षा बढ़ाने हेतु विस्तारित वैधता के साथ एसएसएल प्रमाणपत्र एवं टीएलएस 1.2 प्रोटोकाल का उपयोग करती है।
- ❖ वर्ष 2018-19 में जोड़ी गई नई सुविधाएँ –

1. इंटरनेट बैंकिंग अब सात भाषाओं, यथा अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली एवं कन्नड़ में उपलब्ध है।
2. इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हुए ग्राहक अब एनपीसीआई ई - मैडेड हेतु पंजीकरण एवं स्वचालित नियमित भुगतानों की व्यवस्था कर सकता है।
3. ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग हेतु अपनी प्रयोगकर्ता आईडी के रूप में अपने सीआईएफ नंबर का उपयोग करना आवश्यक था। ग्राहकों को अब इंटरनेट बैंकिंग हेतु सीआईएफ नंबर की जगह अपनी मनचाही प्रयोगकर्ता आईडी सेट करने हेतु एक नई सुविधा प्रदान की गई है।
4. ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने हेतु ऑनलाइन पासवर्ड जेनरेशन के लिए अधिप्रमाणन का दूसरा घटक प्रस्तुत किया गया है।

- ❖ इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उत्पाद एवं सेवाओं की एक वृहद श्रृंखला प्रदान कर रही है। इनमें खुदरा एवं कॉर्पोरेट ग्राहकों हेतु ऑनलाइन पासवर्ड बनाना, स्वेच्छा एवं सुविधा से लेनदेन हेतु ग्राहकों के लिए 2एफए (ओटीपी, ग्रिड एवं डिजिटल हस्ताक्षर) विकल्प देना, निधि अंतरण, ऑनलाइन जमा किये गये कर को देखना, उपभोक्ता बिलों का भुगतान, विभिन्न सरकारों हेतु करों का भुगतान, एयरलाईस / मूवी टिकटों, खरीदारी, मंदिरों को दान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए दान, विभिन्न संस्थाओं / विश्वविद्यालयों की फीस का ऑनलाइन भुगतान, सरकारी, ई-भुगतान / प्राप्तियाँ, खाते के नियमित विवरण के अलावा आवश्यकतानुरूप खाता विवरण, एनआरई / एनआरओ जमाओं सहित ऑन लाइन सावधि जमा, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन सॉवरन गोल्ड बांड हेतु अनुरोध, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कार्ड को सक्षम, अक्षम एवं कार्ड की सीमा नियंत्रित करने हेतु कार्ड प्रबंधन की सुविधा इत्यादि शामिल हैं।
- ❖ कर भुगतान की सुविधा का लाभ लेने के लिए कॉर्पोरेट ग्राहकों हेतु एक अलग समूह बनाया गया है। जांच एवं सहयोग के उद्देश्य से केवल देखने हेतु एडमिन को अतिरिक्त सुविधा प्रारंभ की गयी है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा उच्च मात्रा में कर संग्रहण की सुविधा देने हेतु सीबीडीटी मॉड्यूल को नया रूप दिया गया है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन कर संग्रह हेतु राजस्थान भुगतान पोर्टल एवं बिहार राज्य ट्रेजरी पोर्टल (सीटीएमआईएस) के साथ समन्वयन किया गया है।
- ❖ शाखाओं तक सुविधा की पहुंच सहित आईएमपीएस सेट-अप का नवीकरण।
- ❖ आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग, ऑन लाइन रेलवे माल परिवहन बुकिंग के लिए कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा इ-फ्रेट आरटीजीएस/ एनईएफटी इत्यादि सुविधाएँ भी बैंकिंग द्वारा उपलब्ध है तथा कॉर्पोरेट (गैर- व्यक्ति) आईएनबी ग्राहकों के लिए बल्क अपलोड सहित आईएफबी के माध्यम से ग्राहकों को 24X7 एनईएफटी कार्यप्रणाली वर्तमान में उपलब्ध है। ऑनलाइन लेनदेन प्रसंस्करण सुविधा को द्रुतगामी बनाने के लिए लाइवेट पेमेंट पेज सुविधा प्रारंभ की गई है। कॉर्पोरेट ग्राहकों हेतु आवश्यकतानुरूप खाता विवरण की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है। कॉर्पोरेट ग्राहक अपनी आवश्यकतानुसार इंटरनेट बैंकिंग उपयोग करते समय विभिन्न विकल्प चुन सकते हैं।
- ❖ ओडिसा, बिहार सरकार के कर तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में संग्रहण के लिए बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर के माध्यम से एक बिल्कुल नया मॉडल लगाया है जिसमें 40 से ज्यादा बैंकों के ग्राहक कर जमा कर सकते हैं। बैंक ने सिविल सेवा, खाद्य मंत्रालय एवं अन्य ई-पीएओ हेतु भी भुगतान पद्धति को कार्यान्वित किया है।
- ❖ वैयक्तिक आईएनबी ग्राहकों को पहले से ही उपलब्ध सेवाओं की तरह अब कॉर्पोरेट ग्राहकों को भी केवल देखने की सुविधा युक्त आईएनबी / कर एवं उपभोक्ता बिल भुगतान सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।

4. इंटरफेस :

- ❖ हमारे बैंक सरकारी भुगतानों की प्रक्रिया हेतु पीएफएमएस (लोक निधि प्रबंधन प्रणाली) के साथ जुड़ा हुआ है। दो राज्यों मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र जहाँ हमारा बैंक योजनाओं का प्रायोजक बैंक है, वहाँ यह प्रणाली मनरेगा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त की जाती है।
- ❖ निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए नये इंटरफेस विकसित किए गए हैं:
 - दो राज्यों मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र जहाँ हमारा बैंक योजनाओं का प्रायोजक बैंक है हेतु पीएफएमएस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान योजना क्रियान्वित की गई है
 - फीस विवरण को तत्काल लेने एवं शाखाओं में सफलतापूर्वक संग्रहण के पश्चात अद्यतन हेतु वेबसेवा का प्रयोग कर ग्राहकानुकूल फीस संग्रहण माड्यूल। यह मॉड्यूल अल्पावधिक सूचना पर नये संस्थानों को जोड़ने के लिए जेनरिक एपीआई उपलब्ध कराकर संस्थानों के उपयोग एवं फीस संग्रहण प्रारंभ करने हेतु कॉन्फिगर किया जा सकता है।
 - बस एक क्लिक पर सामाजिक न्याय विभाग, मध्य प्रदेश पेंशन प्रसंस्करण - यह मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना है जिसमें 40 लाख लाभार्थियों को एक बार में ही पेंशन प्रदान की जाती है।



- हरियाणा सामाजिक न्याय विभाग पेंशन प्रसंस्करण - इस परियोजना का उद्देश्य है कि केवल एक फाइल अपलोड करने से हमारे बैंक के लाभार्थियों की राशि जमा हो जाये.
- ग्राम पंचायत विभाग (डीओजीपी), मध्य प्रदेश – ग्राम पंचायत विभाग को बैंक प्रणाली में सीधे प्रसंस्करण हेतु डिजिटली हस्ताक्षरित फाइल को अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. इसके अतिरिक्त इससे दैनिक खाता विवरण मिलता है एवं डीओजीपी सेटअप अद्यतन होता है.
- राजस्थान भुगतान पोर्टल (आरपीपी): सीधे प्रसंस्करण हेतु आरपीपी को बैंक प्रणाली में डिजिटली हस्ताक्षरित फाइल अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है.
- हमारे बैंक के एफसीआरए खातों के खाता विवरण विदेश मंत्रालय को उपलब्ध करायी जा रहा है.
- बैंक खाते के उपयोग से ईवीसी : ग्राहक की खाता संख्या का प्रयोग करके आयकर विवरणी फायरिंग के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन की सुविधा विकसित की गयी है.

5. ई मेल के माध्यम से ई विवरण

- ❖ हमारे बैंक के ग्राहकों को ई-मेल के माध्यम से डिजिटली हस्ताक्षरित खाता विवरण प्रेषित करने के सेटअप को क्रियान्वित किया गया है. यह सुविधा ग्राहकों के ई-मेल पत्तों पर स्वतः हस्ताक्षर एवं प्रलेख प्रेषण भी उपलब्ध कराती है.

6. एम-पासबुक :

- ❖ ग्राहकों हेतु मोबाइल आधारित एम-पासबुक को गूगल प्लेस्टोर में हमारे ग्राहकों द्वारा बहुत सराहा गया है.

7. एसएमए – एनपीए ट्रेकर

- ❖ नियमित आधार पर ऋण पोर्टफोलियों की बेहतर निगरानी की खाता संचालन की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए फील्ड में कार्य करने वालों की सुविधा हेतु हमारे बैंक में एसएमए – एनपीए ट्रेकर सोल्यूशन क्रियान्वित किया गया है. इस सोल्यूशन को केन्द्रीयकृत सर्वर पर नियोजित किया गया है जिसपर मोबाइल एप, डेस्कटॉप / लैपटॉप / टैबलेट / फोन से पहुंच बनाई जा सकती है. इस उत्पाद को फिन्नोविटी प्रोडक्ट – 2019 एवं आईबीए पुरस्कार - 2019 द्वारा नवोन्मेष उत्पाद के रूप में पुरस्कृत किया गया है.

8. भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

यह बिल भुगतान व्यवसाय की समस्याओं के समाधान के लिए एनपीसीआई की एक नई पहल है. हमारे बैंक को इस पहल के अंतर्गत एक संचालन इकाई के रूप में सहभागिता करने हेतु विनियामक लाइसेंस प्राप्त है. इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है. बीबीपीएस वेबसाइट सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दी गयी है एवं यह उत्पाद आईएनबी तथा मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा.

9. एसएमएस बैंकिंग / अलर्ट :

एसएमएस बैंकिंग सेटअप ग्राहकों को उनके द्वारा किए गए व्यावसायिक लेनदेन संबंधी तत्काल अलर्ट से खातों की सूचना उन्हें उपलब्ध कराता है. नियंत्रण एवं निगरानी बनाए रखने के लिए शाखा प्रबंधकों तथा उच्च अधिकारियों को भी सूचनात्मक एसएमएस भेजे जाते हैं जिससे वे एनपीए की निगरानी सहित बेहतर हाउसकीपिंग हेतु शाखाओं की महत्वपूर्ण गतिविधियों की निगरानी एवं खातों की देखरेख का नियंत्रण तथा नियंत्रण कर सकें.

10. मिस्ड कॉल एलर्ट :

- ❖ यह सुविधा हमारे कासा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिसके द्वारा ग्राहक क्रमशः 9555244442 एवं 9555144441 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर खाते में शेष राशि की जानकारी और अंतिम तीन लेनदेनों की निःशुल्क जानकारी का एसएमएस प्राप्त करते हैं. ग्राहकोंमुखी इस अभिनव पहल के लिए हमें भारतीय बैंक संघ से प्रशंसा प्राप्त हुई है.
- ❖ एक ग्राहक के कई खातों हेतु खाता शेष एवं लघु विवरण प्रदान करने हेतु इस सुविधा का उन्नयन किया गया है.

11. राशि बंधन द्वारा आवेदन समर्थन (आस्बा) :

- ❖ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने कंपनियों द्वारा शेयर्स के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम की विद्यमान प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया है और “राशि बंधन द्वारा आवेदन समर्थन” (आस्बा) नामक पूरक प्रक्रिया प्रारंभ की है. हम अपने सभी ग्राहकों को आस्बा सुविधा प्रदान करते हैं. जिसके द्वारा निवेशक उनके खाते में आवेदन राशि को बंधक करने तथा उसके पश्चात आबंटन राशि प्रेषित करने के लिये बैंक को प्राधिकृत कर सार्वजनिक निर्गम हेतु आवेदन कर सकते हैं. यह सुविधा आस्बा समूहन एवं ई-आईपीओ के लिए भी विस्तारित की गई है.

12. मोबाइल बैंकिंग :

- ❖ सेन्ट्रल मोबाइल बैंक का एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है. उपयोगकर्ता मोबाइल के माध्यम से कभी भी और कहीं भी अधिकांश बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं. सेन्ट्रल मोबाइल एंड्राइड, एप्पल (आईओएस) एवं ब्लैकबेरी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है. यह संबंधित प्ले स्टोर / एप स्टोर से डाउन लोड किया जा सकता है. प्रि-लॉगिन विकल्प सभी के लिए उपलब्ध है पोस्ट लॉगिन विकल्प सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के ग्राहक एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात हासिल कर सकते है.
- ❖ सेन्ट्रल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कार्य निम्नलिखित हैं :-

लॉगिन पूर्व विकल्प :

- शाखाओं के आईएफएससी कोड सहित कार्यालय पता, फोन नंबर, ई-मेल पता, एमआईसीआर कोड, पिनकोड, केन्द्रीय कार्यालय / आंचलिक / क्षेत्रीय कार्यालयों का सम्पर्क विवरण.
- शाखा एवं एटीएम अवस्थिति - जीपीएस आधारित मोबाइल हैडसेट में निकटतम एटीएम अथवा शाखाओं की सूची. राज्य, जिला, केन्द्र अथवा पिन कोड आधारित समस्त भारत में दूढ़ने का विकल्प भी उपलब्ध है.
- एटीएम / शाखा / प्रशासनिक कार्यालय की दूरी एवं ड्राइविंग हेतु मार्गदर्शक मानचित्र.
- शाखाओं / प्रशासनिक अधिकारियों / कॉल सेंटर के फोन नंबर प्रदर्शित करने के लिए टच डायल.
- कॉर्पोरेट वेबसाइट, अधिकारिक सोशल मिडिया पृष्ठों (फेसबुक, ट्वीटर)? ई-मेल पते हेतु लिंक.
- जूम विकल्प सहित बैंक उत्पाद तथा सेवाओं संबंधी सूचना बैनर.
- बचत और विभिन्न परिपक्वता अवधियों हेतु सावधि जमा पर ब्याज दरें.
- चयनित खुदरा ऋण योजनाओं पर ब्याज दरें.
- एसएमएस द्वारा खाते की शेष राशि तथा पिछले कुछ लेनदेन जानने हेतु टच डायल द्वारा बैंक की मिस्ड कॉल सेवा (इस सेवा के लिए पंजीकृत ग्राहकों के लिए उपलब्ध).
- नये उत्पाद / प्रस्ताव / योजनाओं में संशोधन आदि संबंधी तत्काल अधिसूचना / अलर्ट
- प्रमुख शब्द आधारित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न खोजना.

लॉगिन पश्चात विकल्प :

- **खाता संबंधी विशिष्टताएँ :** खाता शेष पूछताछ खाता विवरण, लघु विवरण, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के खातों में निधि अंतरण, एनईएफटी के माध्यम से अन्य बैंक के खातों में निधि अंतरण, आईएमपीएस के माध्यम से अन्य बैंक के खातों में निधि अंतरण, चयनित संस्थानों को दान एवं नए सावधि जमा (आवर्ती, एडडीआर एवं एमएमडीसी खाते) खाते खोलना.
- **अनुरोध :** कार्ड अवरूद्ध करना, चेक बुक अनुरोध, भुगतान रोकने का अनुरोध, भुगतान रोक निरस्तीकरण का अनुरोध, चेक स्थिति पूछताछ, ई-मेल पर खाता विवरण पाने हेतु पंजीकरण एवं एनईएफटी / आईएमपीएस स्थिति पूछताछ.
- सेन्ट्रल मोबाइल एप्लीकेशन हेतु फीडबैक / सुझाव / रेटिंग प्रस्तुत करने का विकल्प देना.
- **बिल भुगतान सेवा :** उपभोक्ता बिल भुगतान, मोबाइल / डीटीएच रिचार्ज.
- **क्रेडिट कार्ड सेवाएँ :** सेन्ट्रल बैंक कार्ड संबंधी जानकारी जैसे उपलब्ध सीमा, बिल राशि, शेष राशि, अंतिम बिल सारांश, कार्ड विवरण, रिवाईर पॉइन्ट, सेन्ट्रल कार्ड संपर्क विवरण एवं सेन्ट्रल कार्ड बिल भुगतान एवं क्रेडिट कार्ड अवरूद्ध करने हेतु अनुरोध.

कार्ड नियंत्रण विशिष्टताएँ :

ग्राहकों को डेबिट कार्ड संबंधी निम्नलिखित कार्य करने हेतु इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एवं सीबीएस में कार्ड नियंत्रण फीचर प्रारंभ किया गया है:

i) डेबिट कार्ड नियंत्रण

- मोबाइल बैंकिंग एप में प्रारंभ की गयी डेबिट कार्ड नियंत्रण मॉड्यूल ग्राहक को मोबाइल बैंकिंग से डेबिट कार्ड संबंधी निम्न कार्य करने हेतु समर्थ बनाता है:
- डेबिट कार्ड का अस्थाई निलम्बन



- निलम्बित डेबिट कार्ड का पुनः सक्रियन
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के लिए ई-कॉम /पीओएस खरीद हेतु डेबिट कार्ड दैनिक सीमा तथा एटीएम नकद आहरण सीमा का निर्धारण

ii) क्रेडिट कार्ड नियंत्रण

- सेन्ट मोबाइल एप्लीकेशन में समाहित क्रेडिट कार्ड नियंत्रण मॉड्यूल में निम्नलिखित विशेषताएं हैं
- क्रेडिट कार्डों को देखना.
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों का अस्थायी निलंबन.
- निलंबित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों को पुनःसक्रिय करना
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों की ई-कॉम एवं पीओएस के लिए मासिक लेन देन सीमा निर्धारित करना.

मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में प्रारंभ की गई नई विशेषताएँ

- निधि अंतरण हेतु मोबाइल पर एसएमएस के अतिरिक्त ई मेल के माध्यम से ओटीपी भेजना.
- नयी एप्लीकेशन डिजायन जिसमें विस्तारित यूजर इंटरफेस तथा दृष्टि और अनुभूति है
 - ❖ बहुभाषी विकल्प दिया गया है.
 - ❖ मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से यूपीआई विकल्प प्रदान किया गया
 - ❖ सीमित कार्यों के साथ नए सॉफ्टवेयर का शुभारंभ
 - ❖ सेंट बी ओ टी - ऑन लाइन संवाद चैट सहायक
 - ❖ भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

13. किओस्क बैंकिंग:

नगद जमा शेषराशि पूछताछ सुविधाओं के साथ बैंक ने 254 स्वयं सेवा किओस्क मशीनें स्थापित की है. इसके अतिरिक्त नकद जमा, शेषराशि पूछताछ, लघु विवरण, पासबुक प्रिंटिंग, चेक जमा तथा इंटरनेट बैंकिंग सेवा सहित 407 मल्टी - फंक्शन कियोक्स मशीनें स्थापित की है.

14. यूपीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) :

बैंक का यूपीफाइड भुगतान एप्लीकेशन (यूपीआई) भीम सेन्ट यूपीआई, एंड्राएड एवं आईओएस के लिए प्ले स्टोर पर निम्नलिखितविशेषताओं के साथ उपलब्ध है :-

1. निम्नलिखित के उपयोग से धन प्रेषण
 - ए. वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए)
 - बी. खाता सं. एवं आईएफएससी
 - सी. मोबाइल नं. एवं एमएमआईडी
 - डी. आधार सं.
 - ई. क्यू आर कोड
2. संग्रहण अनुरोध प्रेषित कर धन प्राप्त करना
3. बैंक खातों के लिए भुगतान पता सृजित करना
4. आदाता प्रबंधन
5. शेष राशि पूछताछ
6. लेनदेन इतिहास
7. लेनदेन स्थिति जानना
8. शिकायत प्रस्तुत करना



9. एम-पिन सृजन / परिवर्तन
10. संग्रहण अनुरोध के लिए सूचना
11. संग्रहण अनुरोध का अनुमोदन
12. ओटीपी को स्वतः खोजना.
13. ओटीपी का पुनः प्रेषण
14. यूपीआई एप्लीकेशन हेतु हिन्दी भाषा का विकल्प
15. यूपीआई के माध्यम से भारत क्यू आर का स्कैन एवं भुगतान.
16. विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उपयोगकर्ता को वीपीए ब्लॉक विकल्प.

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में प्रस्तुत नई विशेषताएँ

- यूपीआई 1.5 - प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त घटक के रूप में एटीएम पिन
- यूपीआई का उपयोग करके व्यापारी भुगतान के लिए भारत क्यूआर का एकीकरण
- यूपीआई 2.0 जारीकर्ता ग्राहक प्रमाणन सम्पन्न. जो निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है.
 - ❖ एक बार आदेश सृजन, अस्वा कार्यप्रणाली में खंडन करना और निष्पादन करना.
 - ❖ विदेशी आवक प्रेषण.
 - ❖ यूपीआई में रेखांकित खाते के रूप में ओवरड्राफ्ट खाते तक पहुँच.
- एनपीसीआई द्वारा अनुशासित अनिवार्य सुरक्षा नियंत्रण को क्रियान्वित किया गया.
- यूपीआई के माध्यम से आधार आधारित लेनदेन प्रतिबंधित करना
- एक ही खाते से यूपीआई लेनदेन को प्रतिबंधित करना

15. भीम प्रोत्साहन योजना

भारत सरकार ने दो प्रोत्साहन योजनाएँ प्रारंभ की हैं अर्थात ए) व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस योजना बी) बैंक में कार्यान्वित भीम यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायियों के लिए कैश बैंक योजना.

अन्य परियोजनाएँ

16. वेबसाइट :

- ❖ ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझते हुए, वेबसाइट के प्रदर्शन एवं अनुभूति में निरंतर बदलाव किया जा रहा है. यह वेबसाइट जमा खातों एवं शाखा में उपलब्ध लॉकर्स इत्यादि के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करती है.
- ❖ वेबसाइट के माध्यम से एमएसएमई ऋण के लिए ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करना
- ❖ ग्राहकों इसपर अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं एवं उसकी स्थिति देख सकते हैं.
- ❖ बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट एवं इंटरनेट बैंकिंग की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए हैं. तिमाही आधार पर सुरक्षा लेखा परीक्षा की जाती है.
- ❖ वेबसाइट पर स्मार्ट पे के माध्यम से यूटील्टी बिल भुगतान लिंक.
- ❖ ग्राहकों की सुविधा के लिए वेबसाइट पर विभिन्न केन्द्रीय/राज्य कर भुगतान लिंक उपलब्ध हैं.
- ❖ ग्राहकों हेतु सुरक्षा उपाय (वीडियो प्रस्तुति)
- ❖ ग्राहकों हेतु विभिन्न छूट प्रस्ताव वाले विज्ञापन
- ❖ नेशनल पेंशन स्कीम हेतु लिंक उपलब्ध करवाया गया है.
- ❖ ई लेनदेन प्रणाली हेतु ग्राहकों को अद्यतन करने हेतु विभिन्न वीडियो अपलोड किये जाते हैं.



17. भारिबैं भुगतान गेटवे प्रणाली :

- ❖ हमारे बैंक में एनईएफटी एवं आरटीजीएस दोनों ही स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) के अंतर्गत हैं।
- ❖ अनेक लाभार्थियों को एक साथ निधि अंतरण के लिए शाखाओं को बल्क एनईएफटी सुविधा उपलब्ध है।
- ❖ अरेरा हिल शाखा (3312) भोपाल को सरकारी खजाना खाते के ग्राहकों के लिए चेक के माध्यम से एनईएफटी बल्क अपलोड भी प्रदान किया जाता है।
- ❖ रिटेल तथा कॉर्पोरेट ग्राहकों को भी इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से एनईएफटी/आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध है। तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी हमारे बैंक के भुगतान गेटवे के माध्यम से एनईएफटी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त बैंक ने उप-सदस्यता व्यवस्था के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 40 सहकारी बैंकों को भी एनईएफटी सुविधा का विस्तार किया गया है।
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रारंभ करने के साथ ही हमारे बैंक में नेक्स्ट जेन आरटीजीएस (एनजी- आरटीजीएस) सक्रिय कर दिया गया।
- ❖ नेक्स्ट जेनरेशन आरटीजीएस (एनजी-आरटीजीएस) सुविधा मध्य प्रदेश के 39 उप सदस्य सहकारी बैंकों को भी उपलब्ध करवायी गयी है।
- ❖ वर्चुअल खाता संख्या के आधार पर निधि संग्रहण की सुविधा डीडिए, एलेन कैरियर इंस्टीट्यूट एवं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ), साई बाबा सेन्ट्रल स्कूल एवं नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी को उपलब्ध करायी गयी है।

18. चेक ट्रैकेशन प्रणाली (सीटीएस)

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार निम्नलिखित स्थानों पर चेक ट्रैकेशन प्रणाली (सीटीएस) सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा चुकी है :

- ❖ दक्षिण ग्रिड में सीटीएस के लिए 211 चयनित केंद्र।
- ❖ उत्तर ग्रिड में सीटीएस के लिए 155 चयनित केंद्र।
- ❖ पश्चिमी ग्रिड में 161 चयनित केंद्र।

19. कॉल सेन्टर :

- ❖ बैंक ने दिनांक 6 जुलाई 2011 को कॉल सेन्टर की स्थापना की है तथा यह सुगमतापूर्वक कार्य कर रहा है
- ❖ वर्तमान में कॉल सेन्टर द्वारा विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। जैसे, बैंक के उत्पाद तथा सेवाओं की सूचना, शाखा/एटीएम लोकेशन की सूचना, ब्याज दर तथा सेवा प्रभागों पर सूचना, शेष राशि पूछताछ, लेनदेन जानकारी, चेक नंबर की जानकारी, डेबिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग, चेक के भुगतान को रोकना, ब्याज अर्जित/ब्याज भुगतान की जानकारी, टीडीएस जानकारी, लेनदेन विवरण, जारी या जमा किए गए चेक की स्थिति, सीडी/सीसी/ओडी ऋण सीमा एवं ब्याज की जानकारी बैंक के ग्राहकों की शिकायतें रिकार्ड करना तथा उपयुक्त स्तर पर समाधान हेतु उन्हें बैंक की ग्राहक शिकायत प्रणाली में फीडिंग करना। बैंक ने सभी कॉल सेन्टरों में सीआरएम कार्यान्वित किया है
- ❖ ग्राहकों की सुविधा के लिए आईवीआर प्रणाली कॉल सेन्टर में कार्यान्वित की गयी है
- ❖ ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को देखते हुए तथा उन तक प्रभावी तरीके से पहुँचने के उद्देश्य से एक नया कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है। प्रस्तुत किए जा रहे उत्पादों के बारे में जागरूकता लाने के लिए बैंक बाहरी कॉल कर रहा है एवं एसएमए ऋणियों को वसूली हेतु सॉफ्ट कॉल किए जा रहे हैं
- ❖ फीड बैक /मार्गदर्शन उत्पाद जागरूकता इत्यादि के लिए ग्राहकों को बाहरी कॉल करने के लिए लाइन्स बढ़ाने के लिए दो विभिन्न सेवा प्रदाताओं से दो लिंक संस्थापित कर लिए गए हैं
- ❖ ग्राहकों द्वारा उठाई गयी विभिन्न शंकाओं के त्वरित निवारण के लिए कॉल सेन्टर के कार्यपालकों को विभिन्न तकनीकी /परिचालन टीम द्वारा आवधिक तौर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है
- ❖ बैंक ने एक अत्याधुनिक कॉल सेन्टर को अपग्रेड किया है, जो अधिक सीटों वाली एवं और अधिक कार्यक्षेत्र को कवर करेगी। इस नए कॉल सेन्टर का नं. 1800221911 है एवं इसके 90 चैनल हैं

20. सिंगल डाटा रिपोर्टरी (एसडीआर) :

बैंक ने सिंगल डाटा रिपोर्टरी की स्थापना किया है, जो कि पूरे बैंक में सूचना/रिपोर्ट प्रदान करने का एक स्रोत होगा। यह उच्च प्रबंधन को सत्यतापूर्ण रिपोर्टिंग के विभिन्न डैशबोर्ड्स उपलब्ध कराते हुए रिपोर्टिंग की तारतम्यता सुनिश्चित करेगा। जिससे निर्णय सहायता प्रक्रिया में अभिवृद्धि होगी। बैंक का स्टेटिक एएलएम, गतिशील एएलएम, निधि अंतरण मूल्य निर्धारण, विश्लेषणात्मक सीआरएम तथा कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन प्रबंधन (योजना एवं बजटिंग) मॉड्यूल, एसडीआर परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वित किए गए हैं।

21. उद्यम सेवा बस (भुगतान समन्वयक समाधान)

कतार होने के कारण, भुगतान प्रक्रियाओं में देरी से बचने के लिए क्षमता निर्माण अभ्यास किया गया है और समयसीमा को पूरा करने के लिए मल्टी थ्रेड प्रसंस्करण शुरू किया गया है। बैंक ने एक भुगतान इंटीग्रेटर समाधान अर्थात आईबीएम इंटीग्रेशन बस (IIB) लागू किया जो कि विभिन्न बैंच प्रोसेसिंग फंक्शंस के प्रभावी कामकाज के लिए कार्य करेगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (NECS), सरकारी भुगतान (GEPG), पेंशन प्रोसेसिंग, और ईएफएमएस -खाता संख्या आधारित, लियन हटाना और लेन-देन प्रसंस्करण (स्रोत ऐप ऐसबा), वेतन और कर्मचारियों के अन्य दावों के लिए एचआरएमएस एकीकरण, इनवर्ड स्विफ्ट मैसेज का एकीकरण (MT103), कोऑपरेटिव बैंक एनईएफटी, स्पीड रेमिटेंस, एनजीआरटीजीएस, सीपीएसएमएस - डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, पैन सत्यापन (सीबीएस में सीआईएफ सृजन करते समय), ई-प्रेषण (फ्लैश प्रेषण), ट्रेजरी का एकीकरण, डीडीए के लिए आरटीजीएस, आधार आधारित ईएफएमएस, मनरेगा आधार सीडिंग, सीटीएस, कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ सीएमएस, आईएमपीएस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, खज़ाना, पीएमजेबीवाय, विभिन्न राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनायें आदि।

22. एचआरएमएस :

❖ बैंक ने पीपुलसॉफ्ट ओरेकल सोल्युशन के सहयोग से नवीन तकनीक युक्त एचआरएमएस सोल्युशन (स्वदर्पण) कार्यान्वित किया है जिसमें सभी कार्यों जैसे वेतन रजिस्टर प्रबंधन, दौरा अनुमोदन एवं दावा प्रसंस्करण, एलएफसी का प्रबंधन, अवकाश एवं उपस्थिति प्रशासन, कर्मचारी सूचना प्रणाली, स्टाफ ऋण प्रसंस्करण, चिकित्सा सहायता का प्रबंधन, एचआरडी/विधि विभाग, अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रभाग (डीएडी), ग्रेच्युटी प्रबंधन/भुगतान, भविष्य निधि डाटा प्रबंधन एवं भुगतान, एनआरडब्ल्यू भुगतान प्रसंस्करण, रिहायशी क्वार्टर्स का आबंटन, समाचार पत्र प्रतिपूर्ति रिपोर्ट (स्टाफ संख्या, पेट्रोल, फार्म 16 अवकाश, यूनियन, वेतनवृद्धि रिपोर्ट), प्रशिक्षण प्रबंधन एवं मानव शक्ति प्रशिक्षण (एमपीटी), निवेश, पदोन्नति परीक्षा आवेदन फार्म, वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन फॉर्म एवं सम्बद्ध रिपोर्ट, ब्रीफकेस, रजत जयंती पुरस्कार प्रतिपूर्ति, फर्नीचर एवं फिक्स्चर, अधिकारियों के स्थानांतरण, किराया प्रतिपूर्ति, वीआरएस इत्यादि की सुविधा एचआरएमएस में उपलब्ध है। इसके अलावा स्वयं सेवा प्रबंधक का उपयोग करते हुए स्टाफ के विभिन्न दावों, अनुरोध को अनुमोदन अधिकारी स्वीकृत करते हैं।

❖ एचआरएमएस में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध हैं

❖ एचआरएमएस के लिए बैंक ने एक डीआर सेट-अप स्थापित किया है।

23. इन-हाउस डेवलपमेंट

❖ बैंक की एक मजबूत इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है जो प्रभावी रूप से बैंक की सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं को देखती है, इस प्रकार जहाँ भी संभव हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गतिविधियों की आउटसोर्सिंग से बचती है। 40 से अधिक पोर्टल विकसित किए गए हैं और उन्हें जीवंत बनाया गया है। कई पोर्टल्स का उपयोग शाखाओं से डाटा संग्रह के लिए किया जाता है। इन-हाउस डेवलपमेंट टीम द्वारा विकसित किए गए प्रमुख पोर्टल हैं:

- केवल कर्मचारियों के लिए - यह पोर्टल विभिन्न विभागों के परिपत्र, निर्देशों के मैनुअल, बैंक की प्रमुख नीतियों सहित मानव संसाधन, आईटी, सूचना सुरक्षा, लेखा परीक्षा आदि को प्रदर्शित करता है।
- एमओसी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग- शाखाओं में लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए एमओसी की रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल।
- इन-हाउस डेवलपमेंट टीम द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन - परफोरमैटिक्स, जो कि शाखाओं के वर्तमान, अंतिम तिमाही, पिछले वित्त वर्ष और पिछले वर्ष के विभिन्न व्यावसायिक मापदंडों के आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा डिजिटल लेनदेन में वृद्धि, एनपीए, एसएमओ आदि खातों के बारे में अधिसूचना को दर्शाता है। यह ग्राहक का मोबाइल नंबर दर्शाता है ताकि शाखा प्रबंधक ग्राहक से आसानी से संपर्क कर सके।
- बीसी के कमीशन की गणना के लिए पोर्टल - यह पोर्टल बिजनेस करोसपोन्डेन्ट के कमीशन (वित्तीय समावेशन) की गणना करता है।

❖ निम्न इन-हाउस कार्यकलाप पूर्ण किये गये

- सीएमसी रिपोर्टिंग के लिए वेब पोर्टल
- धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए पोर्टल (रिटर्न का समापन)
- बीसी के कमीशन की गणना के लिए पोर्टल
- परफोरमैटिक्स- आईओएस संस्करण
- डीआरसी फ़ाइल जेनरेशन के लिए पोर्टल
- आरएआरओसी कैलकुलेटर
- सीआर अनुरोध के लिए वेब पोर्टल
- शाखाओं द्वारा उपयोग नहीं किये गये विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यू एफ सी ई) की रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल



❖ विकासधीन परियोजनाएँ: -

- आईपीएस का मिलान
- एसआईबीसी डाटा संग्रहण के लिए पोर्टल
- पीएमएवाई के लिए वेब पोर्टल
- आंका/क्षे.का से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शाखाओं की आकस्मिक जांच की रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल
- शाखा सुरक्षा विवरणों की रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल

24. बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी:

बैंक द्वारा 1632 शाखाओं वाली 3 आरआरबी को प्रायोजित किया जा रहा था. सरकार की अधिसूचना के अनुसार, इनआरआरबी में से एक सीएमपीजीबी को, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित एक और आरआरबी के साथ विलय किया गया है. अप्रैल 2019 तक प्रशासनिक विलय पूरा हो चुका है और नेटवर्क चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से तकनीकी माइग्रेशन भी किया जायेगा. सभी शाखाएं कोर बैंकिंग समाधान के अंतर्गत हैं और आरआरबी की प्रौद्योगिकी पहल को, बैंक द्वारा शुरू की गई पहल के समान करने का प्रयास किया गया है. बैंक की अगस्त 2020 तक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी प्रणाली को नया रूप दिया गया है. आरआरबी के व्यवसाय वृद्धि एवं शाखाओं के विस्तार की परिकल्पना के साथ नवीनीकरण किया गया है. वर्तमान में आरआरबी की शाखा नेटवर्क मुख्य रूप से फीजेबिल्टी होने पर बीएसएनएल पर आधारित है और शेष शाखाएँ प्राथमिक रूप में वीसैट के साथ कार्य कर रही हैं.

प्रायोजक बैंक की सभी तकनीकी पहलों को लागू करने के प्रयास किए गए हैं और प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं: -

- आरआरबी ग्राहकों के लिए ईएमवी चिप आधारित एटीएम कार्ड की सुविधा
- आरआरबी में एसएमएस अलर्ट की शुरुआत की गई
- शाखा सीबीएस उपयोगकर्ताओं के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान का नवीनीकरण.
- रुपये डेबिट कार्ड के माध्यम से पीओएस सुविधा
- आरआरबी का व्यापक आईएस ऑडिट पूरा किया गया है
- डीबीटीएल/एसीएच को सभी 3 आरआरबी में लागू किया गया है
- मायक्रो एटीएम के माध्यम से रुपये कार्ड लेनदेन का कार्यान्वयन.
- बीसी बिंदु पर बीसी ओडी का मैपिंग
- आईएमपीएस का कार्यान्वयन
- सीकेवायसी का कार्यान्वयन
- ई-कॉमर्स का कार्यान्वयन
- आरआरबीसीबीएस का नवीकरण - सलाहकार की नियुक्ति
- बीओआई के साथ सीएमपीजीबी का विलय
- आधार डाटा वॉल्ट
- मेसर्स इंटेग्रा वेंडर से मेसर्स अत्याति टेक्नोलॉजीज में परिवर्तन होने के पश्चात एफ आई इंटीग्रेशन
- मेसर्स विप्रो / जोम्बा के साथ एमएमएस नवीनीकरण

25. वित्तीय समावेशी पहल:

- ❖ डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) - गैस एजेंसी से सब्सिडी पाने वाले ग्राहकों के खातों में क्रेडिट और सरकार से लाभार्थी खातों में मनरेगा जैसे क्रेडिट सफलतापूर्वक किए गए और हमारा बैंक मार्च, 2019 के दौरान सभी पीएसबी में डीबीटीएल रिटर्न में कमी करते हुए प्रथम स्थान पर रहा.
- ❖ बीसी की पहचान के लिए सत्यापन जिसके माध्यम से लेनदेन हुआ- एफसी टर्मिनल आईडी वैधता
- ❖ संशोधन, हटाना, पुंछताछ विकल्पों के साथ सीबीएस में आधार प्रमाणीकरण हेतु मेनू
- ❖ खाता सत्यापन सीबीडीटी के अनुसार संशोधित प्रारूप

- ❖ पीएमजेजेबीवाय और पीएमएसवाय योजनाओं में फ्रंट एंड नामांकन संशोधन स्क्रीन की आवश्यकता को सक्षम बनाना
- ❖ बीसी पूरक रिपोर्ट और असफल लेनदेन का कारण के साथ स्टोर करते हुये सीबीएस को अनुकूल बनाना
- ❖ आधार सीडिंग इतिहास जानने के लिए आधार सीडिंग / मेकर एन चेकर द्वारा ग्राहक खातों के साथ लिंकिंग सीबीएस यूआईडीएच तालिका में अनुकूलित किया गया
- ❖ 2019 से संशोधित वाणिज्यिक के लिए बीसी को कमीशन के भुगतान के लिए रिपोर्ट.
- ❖ सीबीएस (पैरामीटर स्क्रीन) में एडिशन / डिलीट / इंकवायरी विकल्प के साथ एसएसए नाम
- ❖ जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) डाटा अपडेशन
- ❖ बीसी बिंदु पर एसएचजी दोहरी प्रमाणीकरण लागू किया जाना
- ❖ पुराने बी सी से नए बी सी को व्यापार अंतरण
- ❖ पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का बीसी बिंदु पर नामांकन सक्षम बनाना
- ❖ सीबीएस में असफल लेनदेन को स्टोर करना एवं सक्षम बनाना
- ❖ एपीवाई पेंशन राशि को शाखाओं में अपग्रेड एवं डाउनग्रेड करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई.
- ❖ एसएसएस (सामाजिक सुरक्षा योजनाओं) के तहत पीएमजेडीवाई ओडी खातों में एपीवाय, पीएमजेजेबीवाय और पीएमएसबीवाय के इनरोलमेंट की सुविधा उपलब्ध कराना
- ❖ एनआरई खातों में वित्तीय लेनदेन को अवरुद्ध किया गया.

26. आईटी गवर्नेंस:

बैंक में आईटी कार्य नीति एवं आईटी जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करके बैंक में आईटी गवर्नेंस के लिए आवश्यक संरचना तैयार की गई है.

- ❖ सूचना प्रौद्योगिकी नीति के संस्करण 1.45 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया था. आईटी का संगठनात्मक ढांचा बैंक द्वारा की जा रही व्यवसायिक गतिविधियों के आकार, प्रमाण एवं प्रकृति के अनुरूप तथा व्यावसायिक परिचालन के लिए सूचना प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराये गए अन्तर्निहित समर्थन के अनुरूप होना चाहिए. आईटी संगठनात्मक संरचना के प्रमुख कार्यक्षेत्रों में “तकनीक एवं विकास”, “आईटीपरिचालन”, “आईटीएश्योरेंस” एवं “आपूर्तिकर्ता” “नया संसाधन प्रबंधन” शामिल होंगे. आईटी विभाग उप महाप्रबंधक जैसे उच्च कार्यपालक की श्रेणी के अधिकारी एवं उनके सहयोग हेतु सहायक महाप्रबंधको द्वारा संचालित होना चाहिए. आईटी विभाग का प्रत्येक वर्टिकल समुचित रूप से अनुभवी एवं प्रशिक्षित वरिष्ठ अधिकारियों, द्वारा संचालित होना चाहिए.
- ❖ बेहतर प्रबंधन हेतु बैंक द्वारा पैच प्रबंधन नीति, स्वीकार्य उपयोग नीति, नक़ल रोधी नीति, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एवं आईटी हार्डवेयर नीति, हार्डवेयर निपटान नीति, डाटा अंतरण नीति को अंगीकृत किया गया है.
- ❖ आई टी कार्यनीति समिति की सलाह के अनुसार , संतुलित स्कोर कार्ड नियमित रूप से तैयार कर उसका प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है तथा आई टी परियोजनाओं के विभिन्न पैरामीटरों के अंतर्गत कार्यनिष्पादन की रेटिंग की जा रही है.

27. सूचना सुरक्षा:

- ❖ बैंक का डाटा केन्द्र (डीसी) और आपदा पुनर्स्थापन केन्द्र (डीआरसी) आईएसओ 27001:2013 आईएसएमएस मानकों एवं आईएसओ 22301:2012 बीसीएमएस मानकों से प्रमाणित है.
- ❖ सुरक्षा संतुलन स्कोर कार्ड की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न सूचना सुरक्षा नियंत्रणों/गतिविधियों की प्रभाविता तिमाही आधार पर मापी जाती है.
- ❖ आईडीआरबीटी द्वारा आयोजित साइबर ड्रिल में नियमित रूप से सहभागिता की जा रही है.
- ❖ बैंक में विभिन्न प्रणालियों के विशिष्ट उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए विशिष्ट पहचान प्रबंधन समाधान (पीआईएम) क्रियान्वित कर दिया गया है.
- ❖ ग्राहकों के साथ साथ स्टाफ के लिए सुरक्षा जागरूकता पहलें नियमित आधार पर की जा रही हैं.
- ❖ बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश एवं बैंकिंग उद्योग में व्याप्त प्रथाओं के अनुरूप बैंक की साइबर सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम सुनिश्चित किए गए हैं.



- ❖ कैपिटल आधार पर साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर (C-SOC) की स्थापना.
- ❖ विभिन्न उन्नत सुरक्षा समाधानों का कार्यान्वयन शुरू किया जाना.
- ❖ बैंक के लिए साइबर बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जाना.
- ❖ महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना / अनुप्रयोगों का तृतीय पक्ष के माध्यम से नियमित सुरक्षा लेखा परीक्षा.

28. सीबीएस यूजर्स (स्टाफ) के लिए बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन:

- ❖ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के तौर पर सीबीएस में लॉगइन करते समय, बैंक ने बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन प्रणाली (बीएस) का कार्यान्वयन पूर्ण करके, बैंक ने दो फैक्टर अधिप्रमाणन समर्थित किए हैं.
- ❖ सभी शाखाएं और कार्यालय बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन समर्थित हैं और सभी लेनदेन योग्य उपयोगकर्ताओं को बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सीबीएस में लॉगिन करना अनिवार्य बनाया गया है.

29. जीवन प्रमाण

पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के सृजन हेतु हमारे बैंक के सभी क्षेत्रीय/आंचलिक/शाखाओं में जीवन प्रमाण एप्लीकेशन इंस्टॉल किया गया है. केंद्र सरकार/सेना/राज्य सरकार के पेंशनर्स किसी भी आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं.

30. केंद्रीकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली एवं पर्यवेक्षण (क्लास) :

रिटेल, कृषि, एमएसएमई एवं कॉर्पोरेट मॉड्यूल के साथ निगरानी मॉड्यूल के साथ क्लास क्रियान्वित किया गया है.

- ❖ इस प्रणाली के लागू करने से ऋणों की स्वीकृति के नियमों को लागू करना आसान हो गया है तथा सभी शाखाओं में एकसमान प्रक्रिया लागू हो गई है.
- ❖ वर्तमान में, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी शाखाओं के द्वारा रिटेल ऋणों एवं सीकेसीसी (कृषि फसल ऋण) इत्यादि के अंतर्गत ऋण आवेदन प्रवर्त करने में केवल क्लास द्वारा किया जाता है एवं सीबीएस द्वारा नहीं किया जाता. रिटेल ऋण आवेदनों को इस सॉफ्टवेयर की सहायता से ऑनलाईन प्रेषण करने की सुविधा उपलब्ध है.
- ❖ इन्टरनेट पर इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ऋण आवेदनों की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जानकारी के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है.
- ❖ हाल ही में शैक्षणिक ऋणों के लिए प्रस्तुत किया गया एनएसडीएल विद्यालक्ष्मी पोर्टल पहले से ही क्लास से सम्बद्ध कर दिया गया है एवं एनएसडीएल पोर्टल के स्वचलन के चरण दो का कार्यान्वयन हो चुका है एवं यह शाखाओं के प्रयोग में है.
- ❖ इस सॉफ्टवेयर में भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण चूककर्ता सूची प्रदर्शित करने की क्षमता है एवं एनपीए मॉड्यूल परीक्षाधीन है.
- ❖ अनुप्रयोग, मिडल वेयर, हार्डवेयर एवं लाइसेंसों के लिए पांच वर्षीय समेकित एमसी/एटीएस वेन्डर से बातचीत एवं आरएफपी के माध्यम से निष्पादित किया जा चुका है.
- ❖ कई नयी कार्यक्षमताएं प्रक्रियाधीन हैं एवं उपयोगकर्ता विभाग से आवश्यकता के आधार पर नियमित रूप से कार्यान्वित किया जाएगा
- ❖ बेहतर निष्पादन हेतु क्लास डाटाबेस को ओरेकल में माईग्रेट किया गया है.

31. सरल टीडीएस वेब एप्लीकेशन :

दिनांक 06.10.2015 को केंद्रीकृत ई-टीडीएस प्रबंधन सोल्यूशन क्रियान्वित किया गया था. जो कि टीडीएस सम्प्रेषण के लिए मासिक आयकर चालान का सृजन एवं आईटी विवरणी फाइल करने में सहायक है.

32. नकद प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस):

दिनांक 01.01.2015 को नकदी प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गयी थी जो तरलता, खाता शेष, भुगतान एवं नकदी प्रबंधन कार्य प्रबंधित करने में कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सहायक है. इस एप्लीकेशन के दो प्रमुख मॉड्यूल हैं अर्थात् भुगतान एवं संग्रहण.

33. धन-शोधन निवारण (एएमएल):

दिनांक 15.06.2015 को एमलॉक एप्लीकेशन क्रियान्वित की गयी थी जो कि (वित्तीय अन्वेषण इकाई), एफआईयू को प्रस्तुत की जाने वाली अनिवार्य रिपोर्टें (दैनिक/मासिक) यथा एसटीआर, सीटीआर, एनटीआर, सीसीआर, एवं सीबीडब्ल्यूआर इत्यादि सृजित करने में सहायक है.



34. विविध परियोजनाएं:

- ❖ समेकित जोखिम प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन
- ❖ धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन सिस्टम का क्रियान्वयन
- ❖ दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) के क्रियान्वयन से दस्तावेजों के डिजिटलीकरण किया जाना
- ❖ मेल मैसेजिंग प्रणाली एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- ❖ आईटी संबंधी विद्यमान नीतियों की समीक्षा
- ❖ कार्पोरेट आईएनबी ग्राहकों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का कार्यान्वयन
- ❖ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे लाइसेंसशुदा उत्पादों के उपयोग का नियमन
- ❖ डेबिट कार्डों के लिए अधिप्रमाणन के लिए दूसरे घटक के रूप में ओटीपी का कार्यान्वयन
- ❖ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का व्यापक प्रयोग जिसे बैंक के कार्पोरेट नेटवर्क, इंटरनेट एवं आईपैड पर उपलब्ध कराया जाना
- ❖ इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन
- ❖ ऑफ साइट निगरानी हेतु लेखा परीक्षा विभाग को 90 ऑफ साइट निगरानी अलर्ट पूर्व में प्रदान किये जा चुके हैं।

35. स्विफ्ट

- ❖ स्विफ्ट का प्रयोग केवल सीमापार लेनदेन के लिए किया जाता है। जब कभी भी सीमापार मुद्रा का लेन देन होता है फोरेक्स शाखाएं स्विफ्ट में ही लेन देन करती हैं। स्टेन्डर्ड मैसेजिंग सिस्टम जिसमें स्विफ्ट प्लेटफार्म के माध्यम से संदेश प्रेषित / प्राप्त किया जाता है एवं नोस्त्रो / वोस्त्रो खाता स्तर पर निपटान किया जाता है। स्विफ्ट संदेश कई प्रकार के होते हैं एवं प्रत्येक अलग उद्देश्य के लिए होते हैं।
- ❖ सीमा पार प्रेषण के लिए 31/03/2019 को हमारे बैंक में 72 शाखाओं में स्विफ्ट सक्षम है। स्विफ्ट सिस्टम को केवल इन 72 शाखाओं में श्वेतसूची पीसी से एक्सेस किया जा सकता है।
- ❖ स्विफ्ट एप्लिकेशन का उपयोग केवल श्वेतसूची वाले आईपी से लिया जा सकता है, जिसमें केवल पहचान किए गए उपयोगकर्ता द्वारा 2 कारक प्रमाणीकरण का उपयोग किया गया हो।
- ❖ आईबीएम संदेश क्युइंग का उपयोग करते हुये आउटगोइंग संदेशों के लिए, स्थापित ट्रेड फाइनेंस एप्लिकेशन के साथ इंटरफेस।
- ❖ सभी स्विफ्ट लेनदेन के लिए 6 मुख्य सिद्धांत लागू किये गये हैं। इसके अलावा 500000 अमरीकी डालर और अधिक मुद्रा के लेनदेन के लिए 8- मुख्य सिद्धांत लागू किये गये हैं।
- ❖ SR2018 के अनुसार स्विफ्ट एलायंस संस्करण, अनिवार्य पैच SAA7.2 में अपग्रेड किया गया है।

36. न्यू ट्रेड फायनेन्स माड्यूल (एफएक्स – 24) दिनांक 03/04/2018 को एक्टिव बिल्स माड्यूल के स्थान पर कार्यान्वित किया गया।

महत्वपूर्ण विशेषताएं :

- वेब आधारित समाधान एवं हमारे बैंक की सभी शाखाओं को उपलब्ध।
- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्यात डाटा प्रसंस्करण प्रबंधन प्रणाली (ईडीपीएमएस) के साथ पूर्ण समन्वयन। इसके कारण, आरबीआई के 70% के अनुपालन के विरुद्ध बैंक ने ईडीपीएमएस रिपोर्टिंग में 76% का अनुपालन प्राप्त किया।
- भारतीय रिजर्व बैंक के आयात डाटा प्रसंस्करण प्रबंधन प्रणाली (आईडीपीएमएस) के साथ पूर्ण समन्वयन।
- आयात एवं निर्यात के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देशों का अनुपालन।
- ग्राहक जानकारी सुविधा नंबर (सीआईएफ) डी-डुप्लीकेशन का अनुपालन।
- निर्यात बिल पर आंशिक बट्टा काटना / आयात बिल्स का आंशिक भुगतान की सुविधा।
- सभी माड्यूल में क्रॉस करेन्सी फारवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्रयोग (बाह्य धन प्रेषण, आवक धन प्रेषण, निर्यात एवं आयात लेन देन)।
- सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सभी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पीडीएफ / एक्सेल फॉर्मेट में उपलब्ध।
- एकल लेन देन में रेडी, फॉरवर्ड एवं कार्ड दर के संयोजन का उपयोग।
- ₹ 10,00,000 के बराबर एवं इससे अधिक के वित्तीय लेन देन के लिए दोहरा अधिप्रमाणन।



- विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) प्रिन्टिंग.
- डीजीएफटी / आरबीआई (प्रीशिपमेंट एवं पोस्ट शिपमेंट दोनों के लिए) के 416 अनुमत एचएस कोड्स आधारित ब्याज समकरण.
- ऑफसाइट मॉनीटरिंग एलर्ट्स, 16 अलर्ट्स सृजित किए जाते हैं एवं लेखापरीक्षा विभाग को मॉनीटरिंग के लिए उपलब्ध कराए गये हैं.
- निर्यात / आयात के विरुद्ध अग्रिम भुगतान के लिए कार्यक्षमता.
- एल सी / बीजी कमीशन का परिशोधन स्वचालित किया गया. पहले शाखा तिमाही आधार पर, मैनुअल रूप से एलसी / बीजी कमीशन की गणना करके वाउच करती थी.
- एसआर 2018 के परिवर्तनों के अनुसार स्विफ्ट एकीकरण पूरा किया गया.
- एल सी / बीजी कमीशन की आवधिक वसूली को सक्षम बनाया गया.

ट्रेड फायनेन्स माड्यूल के साथ, बैंक ने कॉर्पोरेट वित्त शाखा, चैत्रे में कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सफ्टवेयर चैन फायनेन्स माड्यूल भी कार्यान्वित किया है.

37. व्यापक पेंशन प्रक्रिया प्रणाली (CPPC)

27/03/2018 से नई पेंशन प्रणाली को लागू कर दिया गया है. सभी प्रकार के पेंशन के भुगतानों का केंद्रीकृत प्रसंस्करण हेतु प्रणाली सक्षम है. सिस्टम में पीपीओ की स्कैनिंग और स्टोरेज उपलब्ध कराया गया है. पेंशनभोगियों के लिए लाभ निम्नानुसार हैं-

- ❖ पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र की आसान उपलब्धता जो कि इस उद्देश्य के लिए किसी भी शाखा में जा सकते हैं.
- ❖ जीवन प्रमाण पत्रों को सुचारू रूप से प्रस्तुत करने के लिए जीवन प्रमाण के साथ एकीकरण.
- ❖ पेंशनरों को पेंशन / एरियर / डीए एरियर / कम्प्यूटेशन / ग्रेच्युटी और अन्य भुगतान पर एसएमएस भेजा जाना.
- ❖ आसान पहुँच और सुरक्षित रखने के लिए, पीपीओ की स्कैन की गई छवियों का संग्रहण और पुनर्प्राप्ति.
- ❖ पेंशन राशियों की आसान और सटीक गणना. परिवार और विभाजित पेंशन के प्रसंस्करण और भुगतान की सुविधा.
- ❖ पेंशनरों को किए गए भुगतान के लिए पेंशन पे स्लिप का सृजन करना.
- ❖ ईमेल द्वारा पेंशन पेस्लिप का लागू किया जाना.

लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

बैंक की शाखाएं आंतरिक लेखापरीक्षकों के माध्यम से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के अधीन है और सम्मिश्र जोखिम ढांचे के अनुसार प्रत्येक शाखा को जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है. तदनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान 4659 शाखाओं में से 4449 आरबीआईए के अधीन थी एवं शाखाओं को वर्ष 2018-19 के दौरान रेटिंग दी गई. दिनांक 31.03.2019 को 3106 शाखाएं, मध्यम जोखिम रेटिंग में, 1449 शाखाएं, न्यून जोखिम रेटिंग में एवं 90 शाखाएं उच्च जोखिम रेटिंग में एवं 3 शाखाएं बहुत उच्च जोखिम रेटिंग के अंतर्गत हैं. बैंक की कोई भी शाखा अत्यधिक उच्च जोखिम रेटिंग के अंतर्गत नहीं है.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, 33 क्षेत्रीय कार्यालयों, 12 आंचलिक कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय के 09 विभाग, प्रबंधन लेखापरीक्षा के अधीन थे.

दिनांक 31.03.2019 को 819 शाखाएं / 23 एसएसबी / 9 सीसीपीसी / केन्द्रीय कार्यालय के 4 विभाग कुल 855 शाखाएं एवं विभाग, सनदी लेखाकार की फर्मों / बैंक अधिकारियों द्वारा संगामी लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर किए गए हैं. बैंक की सभी 7 कॉर्पोरेट वित्त शाखाएं एवं 5 अन्य अत्यधिक बड़ी शाखाएं, बैंक के वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों द्वारा संगामी लेखापरीक्षा के अंतर्गत हैं. दिनांक 31.03.2019 को बैंक के कुल व्यवसाय का लगभग 54.57% और कुल अग्रिमों का 64.38% संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत कवर किया है. 843 सनदी लेखाकार फर्मों को संगामी लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है जिनमें से 412 फर्में भारिबैं श्रेणी I की, 290 श्रेणी II की, 110 श्रेणी III की एवं 31 फर्में आरबीआई श्रेणी IV की हैं.

बैंक प्रत्येक वर्ष 1 मार्च से 10 मार्च तक सनदी लेखाकार, आंतरिक लेखा परीक्षक एवं अन्य अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए राजस्व जांच करवाती है कि विधिसम्मत आय बैंक की बही में प्रविष्ट की गयी है.

आरबीआई के अनुदेशों के अनुपालन में, दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2018 के दौरान 374 पात्र खातों में विधिक लेखापरीक्षा कराया गया एवं स्वत्व विलेख का पुनःसत्यापन सुसंगत प्राधिकारियों के द्वारा कराया गया.

बैंक आवधिक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा के माध्यम से कड़ाई से अनुपालन संस्कृति सुनिश्चित करती है. बैंक शाखाओं को रेन्डम आधार पर अनुपालन लेखापरीक्षा भी करती है ताकि लेखा परीक्षा वाली शाखा द्वारा प्रस्तुत की गयी लेखापरीक्षा अनुपालन की सत्यता को सुनिश्चित किया जा सके. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 361 शाखाएं अनुपालन लेखापरीक्षा के अधीन थीं.

विभिन्न परिदृश्य के अंतर्गत निश्चित की गयी प्रारम्भिक सीमा से अधिक के लेन देन की मॉनीटरिंग के लिए बैंक ऑफसाइट मॉनीटरिंग प्रणाली के अंतर्गत भी है. वर्तमान में 89 परिदृश्य के एलर्ट्स सृजित होते हैं.


बैंक ने अपनी एडी शाखाओं द्वारा प्रेषित स्विफ्ट संदेशों हेतु विशेष लेखापरीक्षा भी कराया था एवं कोई भी अनियमितता नहीं पायी गयी।

बैंक नियमित लेखा परीक्षा के अलावा केवायसी अनुपालन लेखापरीक्षा भी करवाती है।

शाखा विस्तार

दिनांक 31 मार्च 2019 को, बैंक के नेटवर्क में कुल 4659 शाखाएं हैं, 3966 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं। देश के सभी 29 राज्यों, 6 में से 5 केन्द्र शासित प्रदेशों, एनसीटी दिल्ली, 574 जिला मुख्यालयों एवं 707 जिलों में से 635 जिलों में उपस्थिति के साथ बैंक का देशव्यापी विस्तार है।

शाखाओं का वर्गीकरण



परिचालन

- ❖ बैंक द्वारा विस्तारित किए गए आधुनिक कॉल सेंटर उत्पादों के प्रमोशन / ग्राहकों को उनके ऋण खाता में अधिशेष इत्यादि संबंधी अनुस्माकर के लिए निर्गामी कॉल के अतिरिक्त ग्राहकों की शिकायतों / शंकाओं के समाधान के लिए आवक कॉल सुविधा उपलब्ध करा रही है।
- ❖ सोविनियर गोल्ड बॉन्ड्स के लिए ऑन लाइन अंशदान सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध करायी गयी है।
- ❖ पेंशन प्रसंस्करण प्रणाली में सुरक्षा, शुद्धता एवं स्पीड को बेहतर बनाने के लिए नया पेंशन सॉफ्टवेयर - जीबीएम - पेंशन मॉड्यूल आरंभ किया गया है। यह पेंशनरों को भुगतान विवरण एवं संशोधनात्मक लाभों के संबंध में एसएमएस उपलब्ध करायेगा।
- ❖ भारत सरकार के बैंकिंग सुधार के लिए रोड मैप के अनुसार, ग्राहकों की आसानी के लिए संशोधित सरलीकृत खाता खोलने का फॉर्म (सीआईएफ एवं एओएफ – व्यक्तिगत / वैयक्तिक) आरंभ किया गया है।
- ❖ समाशोधन के चेक नामे करने के पूर्व ग्राहकों को एसएमएस प्रेषित किए जा रहे हैं। विवादित चेक के मामलों में, ग्राहकों को होम शाखा से अथवा कॉल सेंटर 1800221911 पर संपर्क करना है।
- ❖ वरिष्ठ नागरिकों तथा विशेष विकलांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधा :-
हमने ग्राहकों के लिए जो शारीरिक रूप से विकलांग तथा वरिष्ठ नागरिक हैं, डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत कर अतिरिक्त दूरी का सफर तय किया है। शुरुआत के लिए हमने उचित सेवा शुल्क पर निम्नलिखित सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं :
नकदी लेने हेतु तथा खाते में क्रेडिट करने के लिए रसीद के खिलाफ लिखत, खाते में निकास के खिलाफ नकद की डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट की डिलीवरी, अपने ग्राहक को जाने (केवायसी) दस्तावजों को प्रस्तुत करना तथा ऐसे ग्राहकों के परिसर/निवास पर जीवन प्रमाण-पत्र, फार्म नं. 15 एच, अन्य बुनियादी बैंक सेवायें जैसे चेक बुक का वितरण। यह सेवाएँ होम शाखा के 3 किलोमीटर क्षेत्र के घेरे के भीतर प्रदान किये जायेंगे। सेवा शुल्क प्रति अवसर ₹ 50/- है।
- ❖ अब ग्राहक अपनी पसंद की किसी भी शाखा में लघु बचत स्कीम जैसे पीपीएफ / वरिष्ठ नागरिक बचत योजना / सुकन्या समृद्धि खाता / केवीपी के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं।



- ❖ ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाता है, निपटान समय घटकर 10 दिन हो गए हैं.
- ❖ सीकेवायसीआर का कार्य प्राथमिकता पर किया जाएगा और हम वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूरा करने की योजना बना रहे हैं.

राजभाषा :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विशिष्ट उपलब्धियों का विवरण

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन:

- ❖ दिनांक 24-25 जनवरी, 2019 को आंचलिक कार्यालय, भोपाल के तत्वावधान में दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन.

अंतर बैंक अखिल भारतीय काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन :

- ❖ हमारे एसपीबीटी महाविद्यालय द्वारा 'अंतर बैंक अखिल भारतीय काव्य पाठ' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में विभिन्न बैंकों के लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया.

अंतर बैंक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन:

- ❖ राजभाषा विभाग द्वारा द्वितीय अंतर बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जिसमें विभिन्न बैंकों में कार्यरत स्टाफ सदस्यों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया.

वर्ष 2018-19 के दौरान हमारे बैंक को निम्नानुसार पुरस्कार प्राप्त हुए

राज्य स्तरीय पुरस्कार:

- ❖ तेलंगाना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा आंचलिक कार्यालय, हैदराबाद को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु "प्रथम पुरस्कार" प्रदान किया गया.

गृह मंत्रालय के पुरस्कार

- ❖ दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को 'हिंदी दिवस' के सुअवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'हिंदी दिवस समारोह 2018' कार्यक्रम में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के अंतर्गत हमारे बैंक द्वारा संचालित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), भोपाल को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- ❖ भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भाषिक क्षेत्र 'ख' के अंतर्गत हमारे मुम्बई आंचलिक कार्यालय को "प्रथम" और भाषिक क्षेत्र 'ग' के अंतर्गत पणजी क्षेत्रीय कार्यालय को "प्रथम" पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है.
- ❖ हमारे द्वारा संचालित पणजी नराकास को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "प्रथम" पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है.

आशीर्वाद संस्था से प्राप्त पुरस्कार :

- ❖ मुम्बई स्थित आशीर्वाद संस्था द्वारा हमारे बैंक को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु 'तृतीय' पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा हमारी गृह पत्रिका 'सेन्ट्रलाइट' को भी 'द्वितीय' पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पुरस्कार :-

- ❖ आंचलिक कार्यालय, कोलकाता को "प्रथम" पुरस्कार.
- ❖ आंचलिक कार्यालय, पटना को "प्रथम" पुरस्कार.
- ❖ आंचलिक कार्यालय, हैदराबाद को "प्रथम" पुरस्कार.
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर को "प्रथम" पुरस्कार.
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद को "प्रथम" पुरस्कार.
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत को "प्रथम" पुरस्कार.
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि को "प्रथम" पुरस्कार.
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर को "प्रथम" पुरस्कार.
- ❖ मडगांव शाखा को "प्रथम" पुरस्कार.
- ❖ इलाहाबाद मुख्य शाखा को "प्रथम" पुरस्कार.



- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, सागर को “द्वितीय” पुरस्कार.
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ को “द्वितीय” पुरस्कार.
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी को “द्वितीय” पुरस्कार.
- ❖ अमरावती मुख्य शाखा को “द्वितीय” पुरस्कार.
- ❖ बेलगाम शाखा को “द्वितीय” पुरस्कार.
- ❖ कर्नूल शाखा को “द्वितीय” पुरस्कार.
- ❖ रावपुरा शाखा को “द्वितीय” पुरस्कार.
- ❖ जरगनहल्ली शाखा को “द्वितीय” पुरस्कार.
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर को “तृतीय” पुरस्कार.
- ❖ आंचलिक कार्यालय, मुंबई को “विशेष” पुरस्कार.
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरु को “विशेष” पुरस्कार.
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को “विशेष” पुरस्कार.
- ❖ आंचलिक कार्यालय, दिल्ली को “सांत्वना” पुरस्कार.
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा को “सांत्वना” पुरस्कार.
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर को “स्मृति चिन्ह एवं प्रशंसा पत्र”.

कॉर्पोरेट कम्प्यूनिकेशन

हमारे उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर एवं अन्य मास कम्प्यूनिकेशन के माध्यमों से जागरूकता जागृत करने के लिए, गो ग्रीन उपायों को स्वीकार करते समय अपनी ब्रांड छवि को बनाए रखने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए तथा फील्ड स्टाफ सदस्यों के सक्रिय सहयोग से अपने बैंक के व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए निम्न लागत विज्ञापनों को महत्व देते हुए निरंतर प्रयास करते रहने के हमारे प्रयास इस वर्ष भी जारी रहेंगे. अखिल भारतीय स्तर पर विजिविलिटी बढ़ाने के लिए, फील्ड स्तर पर स्थानीय खेल स्पर्धाओं/यात्राओं/आयोजनों/किसान कैम्पों/सम्मेलनों के प्रायोजन के अतिरिक्त, विभिन्न प्रचार-प्रसार गतिविधियों जैसे ट्रैफिक बेरिकेडस्, नो पार्किंग बोर्डों, पुलिस चौकियों, यूटिलिटी किऑस्क, दीवार पेंटिंग, ऑटो-रिक्शा, बस एवं ट्रेन, शिकारा, में ब्रैंडिंग की गई. इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लोकल केबल, एफएम रेडियो, मोबाइल एप, सिनेमा में विज्ञापन का भी उपयोग किया गया.

- ❖ हमारे संस्थापक सर सोराबजी पोचखानावाला की 137वीं जयंती दिनांक 09 अगस्त, 2018 को सभी सेन्ट्रलाइट द्वारा सभी क्षेत्रों में मनाई गई. इस शुभ अवसर पर “एक्सटेंडेड मिशन रिकवरी” शुरूआत की गई.
- ❖ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार “स्वच्छता अभियान” का सभी क्षेत्रों द्वारा आयोजन किया गया था.
- ❖ मुंबई सीएसटी मुख्य परिसर में टीएमटी एवं बीईएसटी बसेस ब्रांडिंग तथा ग्लो साईन बोर्ड एमएमझेडओ द्वारा किया गया.
- ❖ गोवा पुलिस को बैंक के नाम तथा लोगो के साथ ब्रांडेड रेनकोट दिए गए.
- ❖ नैनी झील में तैरते पेडल बोट्स पर ब्रांडिंग दिल्ली अंचल द्वारा की गई है.
- ❖ अहमदाबाद अंचल में राजकोट क्षेत्र द्वारा विज्ञापन के लिए बैकलिट पोल कियोस्क ब्रांडिंग.
- ❖ अंचल जिसके माध्यम से हमारे बैंक के उत्पाद और सेवाओं को व्यापक प्रचार दिया गया – दिल्ली अंचल द्वारा सुब्रतो कप स्पॉनसरशिप तथा गवर्मेन्ट एक्प, आईआईटीएफ स्पॉनसरशिप, भोपाल अंचल द्वारा आईआईएम इंदौर स्पॉनसरशिप, चेन्नै अंचल द्वारा म्युजिक फेस्टीवल, आईआईएम एकोचेस कोच्चि का स्पॉनसरशिप, मेल्मावरुवथुर अधी पराशक्ति के लिए स्पॉनसरशिप. हैदराबाद अंचल द्वारा एफकेसीसीआई के लिए स्पॉनसरशिप, मुंबई अंचल द्वारा ग्लो साइन, मोबाइल चार्जिंग, मुंबई में रेलवे स्टेशन पर होर्डिंग द्वारा प्रचार-प्रसार, थाने एवं नवी मुंबई में बस पर ब्रांडिंग तथा विभिन्न म्युजिकल शो का स्पॉनसरशिप तथा नेवी डे स्पॉनसरशिप.
- ❖ हमारे अंचलों के माध्यम से स्थापना दिवस शानदार तरीके से मनाया जाता है तथा हमारे प्रिय संस्थापक का सम्मान तथा हमारे सम्मानित ग्राहकों के कृतज्ञता को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रिंट एड प्रचार दिया गया.
- ❖ सोशल मिडिया द्वारा विज्ञापन/ प्रचार-प्रसार दिया गया है.
- ❖ सतर्कता जागरूकता सप्ताह, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया तथा हमारे बैंकों की दृश्यता बढ़ाने के लिए प्रचार किया गया.
- ❖ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जन्म तथा मृत्यु वर्षगांठ की स्पॉनसरशिप दी गई.



सतर्कता

1 प्रणालीगत सुधार :

वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार किए गए :

- ए) स्विफ्ट मेसेजिंग पद्धति सीबीएस के साथ एकीकृत है तथा स्विफ्ट में सभी प्रविष्टियों को अब सीबीएस/एफX24 प्लेटफार्म के माध्यम से किए जाते हैं।
- बी) कार्यान्वयन के तहत खुदरा ऋणों के प्रसंस्करण के लिए मौजूदा क्लास माड्यूल में सुधार.

2 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 :

सीवीसी से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार, "सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018" इस वर्ष की थीम "नया भारत बनाने के लिए भ्रष्टाचार खत्म करो" के साथ दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 तक हमारे बैंक में पूर्ण निष्ठा के साथ मनाया गया. दिनांक 29.10.2018 को केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत स्टाफ सदस्यों द्वारा शपथ ली गयी. इसी प्रकार के कार्यक्रम हमारे सभी 13 आंचलिक कार्यालयों, 59 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं बैंक की शाखाओं तथा हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मनाए गए.

हमारे बैंक ने ग्राहकों और स्टाफ को ई-शपथ लेने में समर्थ बनाने के लिए सीवीसी की वेबसाइट को हाइपरलिंक किया है.

बैंक ने 24.20 मिलियन ग्राहकों को एसएमएस प्रेषित किए जिसके चलते सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा लेने के लिए सीवीसी साइट के लिए हाइपरलिंक उपलब्ध कराया गया.

ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में जहां ई-शपथ लेने के लिए तकनीकी खामियां थी, ग्राहकों के साथ आम लोगों के लिए सामूहिक शपथ का आयोजन किया गया. कुल 7,42,000 जनसमूह की प्रतिज्ञा को सीवीसी साइट पर अपलोड करने में बैंक पूरी तरह सफल रहा.

केवल हमारे बैंक के स्टाफ सदस्यों के लिए सतर्कता निवारक से संबंधित मुद्दों को कवर करते हुए अखिल भारतीय ऑन लाइन क्विज़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें सबकी भागीदारी उत्साहजनक थी और इस प्रतियोगिता में 20 उम्मीदवारों को पुरस्कृत किया गया.

हमारे बैंक के साथ साथ क्षे.ग्रा.बैं. के माध्यम से सम्पूर्ण भारत में सतर्कता निवारक गतिविधियों पर लगभग 22.35 लाख पैम्पलेट्स वितरित किए गए.

बैंक ने कर्मचारियों, संबंधियों एवं स्टेकधारकों के लिए संगठन की नीतियों/ प्रणालियों एवं सतर्कता निवारक उपायों पर 627 कार्यशालाएं / संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए.

सीवीसी से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार बैंक ने 9 विनिर्दिष्ट केन्द्रों जैसे पटना, सिलिगुड़ी, जबलपुर, अहमदाबाद, नासिक, पिंपरी, चिचवाड़, ग्रेटर मुम्बई, ठाणे एवं नवी मुम्बई के 215 स्कूलों एवं 138 कॉलेजों में अखंडता को बढ़ावा देने एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन जागरूकता के लिए डिबेट, वाद-विवाद प्रतियोगिता, स्लोगन लिखना, लेक्चर इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए.

विभिन्न स्थानों पर जनसामान्य / ग्राहकों / स्टाफ सदस्यों के लिए टाउन हॉल मीटिंगों का आयोजन किया गया एवं न्यायिक, सीवीसी, सीबीआर, पुलिस विभाग, कॉलेजों इत्यादि से विशेष तौर पर आमंत्रित कार्यक्रम में उपस्थित हुए एवं उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया.

बैंक ने सम्पूर्ण देश के शहरी और अर्द्धशहरी केंद्रों में जनसामान्य के बीच हमारे समाज से भ्रष्टाचार के उन्मूलन और अखंडता को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 8,304 ग्रामसभाएं आयोजित की.

पूरे देश की शाखाओं, पेट्रोल पम्पों, रेलवे स्टेशनों इत्यादि के विभिन्न स्थानों पर लगभग 15000 बैनर्स एवं पोस्टर प्रदर्शित किए गए. पूरे भारतवर्ष की विभिन्न शाखाओं द्वारा 5938 ग्राहक शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया गया. पूरे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान 29 केन्द्रों पर एफएम चैनल पर रेडियो जिगल का प्रसारण किया गया. सतर्कता जागरूकता का संदेश फेसबुक, ट्विटर के माध्यम के साथ साथ यू ट्यूब द्वारा भी विस्तारित किया गया. सीवीसी का संदेश हमारे बैंक की शाखाओं की विजुअल डिस्प्ले इकाईयों, फेसबुक और ट्विटर पेज पर प्रदर्शित किए गए. सीवीसी का संदेश भी पूरे देश में 15000 (लगभग) होर्डिंग/बैनरों के माध्यम से प्रदर्शित किए गए.

विभिन्न स्थानों पर विभिन्न आयोजन जैसे मानव श्रृंखला, पैदलचालन, रोड शो, नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए.

मानव संसाधन विकास

1. मानव-शक्ति :

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक में स्टाफ सदस्यों की संख्या 35,675 हो गई है जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 36,843 थी. स्टाफ सदस्यों का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2019
अधिकारी वर्ग	16247	17166	16868
लिपिक वर्ग	13001	12300	11766
अधीनस्थ वर्ग	7796	7377	7041
कुल योग	37044	36843	35675

2. मानव संसाधन विकास :

(i) मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए दान — केरल

अगस्त, 2018 में बाढ़ के कारण केरल राज्य के प्रभावित लोगों के प्रति चिंता और एकजुटता दिखाते हुए, बैंक ने विद्यमान वृहद मानव शक्ति के हमारे सभी स्टाफ सदस्यों से एक दिन की प्रिविलेज लीव (विशेषाधिकार अवकाश) के नकदीकरण के दान की अपील की. इस अपील के जवाब में हमारे स्टाफ सदस्यों ने ₹ 5.35 करोड़ की राशि का योगदान दिया और इसे मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष —केरल को प्रेषित कर दिया गया.

(ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बोनस का भुगतान

वर्ष 2017-18 के लिए बोनस अर्थात दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से दिनांक 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए "वेतन/पारिश्रमिक" के @8.33% की दर से अधिकतम ₹ 7,000 सभी पात्र कर्मचारियों को भुगतान किया गया.

(iii) कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा कवरेज :

कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा का दिनांक 01/10/2018 से 30/09/2019 तक के लिए नवीनीकरण किया गया.

(iv) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.11.2018 से 31.10.2019 तक की अवधि के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दिनांक 1 नवम्बर, 2018 से 31 अक्टूबर, 2019 तक के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नवीनीकृत की गयी है.

(v) बैंक में प्रचलित स्टाफ कल्याण योजनाएं – वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्टाफ कल्याण गतिविधियों के संबंध में दिनांक 21.07.2018 को आयोजित स्टाफ कल्याण समिति की बैठक में प्रमुख निर्णय.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्टाफ कल्याण योजनाओं पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 21.07.2018 को स्टाफ कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गयी. समिति के निर्णयानुसार केवल निम्नलिखित तीन योजनाएं वित्तीय वर्ष 2018-19 में लागू रहेंगी.

(ए) कार्य के दौरान कर्मचारी के निधन पर उसके परिवार को सहायता योजना.

(बी) अवकाश गृह एवं ट्रांजिट होम – वर्तमान में 7 अवकाश गृह हैं.

(सी) स्टाफ को चिकित्सा सुविधा का प्रावधान - 'विद्यमान अंश कालीन डॉक्टर को वेतन एवं दवाइयों का मूल्य.

(vi) सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया – कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना

हमारे कर्मचारियों के बीच बैंक के प्रति अपनापन/स्वामित्व के विचार को बढ़ाने के लिए और पूंजी जुटाने की दृष्टि के साथ हमारे बैंक ने कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के माध्यम से कर्मचारियों को शेयर जारी कर पूंजी जुटाने हेतु वांछित विचार किया. ये इश्यू दिनांक 19.03.2019 को खुले और दिनांक 29.03.2019 को बंद हुआ. दीर्घ अवधि के संसाधनों से पूंजी जुटाने की अपेक्षा बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए स्वीकार्य और प्रतिफल योगदान के लिए ईएसपीएस बैंक की सहायता करेगा और उनके हितों के साथ बैंक के दीर्घकालिक हितों को संरेखित करेगा.

3. प्रशिक्षण

अनुमोदित प्रशिक्षण योजना के अनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया एवं ऋण (रिटेल, एमएसएमई एवं कृषि), वसूली, विदेशी विनिमय, जोखिम प्रबंधन तथा मानवीय स्वभाव के पहलुओं पर प्रशिक्षण देने को प्राथमिकता दी गई है.

सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं जेडएसटीसी ने प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं. वर्ष के दौरान, कवरेज अनुपात 93% के साथ 33,152 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए हैं.

वर्ष 2018-19 के दौरान विशेष प्रशिक्षण पहलें निम्नानुसार हैं :

- ❖ 59 कार्यपालकों (वेतनमान V में उप महाप्रबंधकों एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों) ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ़ इंडिया, हैदराबाद में "कस्टमाइज्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम" में सहभागिता की.
- ❖ माह दिसम्बर, 2018 में आईआईबीएम, गुवाहाटी में 43 शाखा प्रबंधकों ने "इफेक्टिव ब्रांच बैंकिंग" पर आयोजित विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता की.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2018-19 में नवनियुक्त पीओ एवं एफओ के लिए हमारे प्रशिक्षण कॉलेज में "इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित की गई.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नवनियुक्त लिपिकों के लिए आंचलिक स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों पर इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई.
- ❖ ई लर्निंग के 26 कोर्स बैंक द्वारा प्रबंधित ई-लर्निंग पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए.



वर्ष 2018-19 के दौरान क्लास रूम, स्थानिक, विशेष प्रशिक्षण सहित 1845 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सभी स्टाफ सदस्यों को कवर किया गया और प्रत्येक ने एक अथवा दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की अर्थात् 3 प्रशिक्षण कॉलेजों और 15 आंचलिक स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा 33152 सहभागियों को 91921 मानव दिवस का प्रशिक्षण दिया गया. इसके अलावा विभिन्न वेतनमानों में कार्यरत 333 अधिकारियों को बाह्य प्रशिक्षण एजेंसियों जैसे- एनआईबीएम, सीएबी, आईडीबीपी, बीआईआरडी, आईआईबीएफ, एससीआई और आईडीआरबीटी द्वारा आयोजित विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया. इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 में 7 अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम/वर्कशॉप / शिखर सम्मेलन/ एक्सपोजर के लिए विदेश दौरे पर भेजा गया.

4. भर्ती एवं पदोन्नति :

- ❖ वर्ष 2018-19 में परिवीक्षाधीन अधिकारी, कृषि वित्त अधिकारी, एचआर अधिकारी, आईटी अधिकारी, ऋण अधिकारी, जोखिम प्रबंधक, लिपिक संवर्ग तथा अधीनस्थ वर्ग के 1067 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई.
- ❖ पदोन्नति प्रक्रिया को और अधिक प्रोत्साहकारी तथा कॉर्पोरेट उद्देश्यपरक बनाया गया है. अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि यथासम्भव सभी वेतनमानों/श्रेणियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की जाए. तदनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान अंतर-वेतनमान एवं अंतर-श्रेणीपदोन्नति प्रक्रियाएं आयोजित की गई तथा कर्मचारियों/अधिकारियों को उच्चतर श्रेणी/वेतनमान में पदोन्नत किया गया. इस प्रकार 50 अधीनस्थ कर्मचारी लिपिक संवर्ग में, 307 लिपिक वेतनमान – I अधिकारियों की श्रेणी में तथा 1108 अधिकारी उच्चतर श्रेणी/वेतनमान में पदोन्नत हुए.

5. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन :

- बैंक द्वारा आरक्षण नीति पर भारत सरकार/भारतीय बैंक संघ से प्राप्त दिशानिर्देशों/अनुदेशों का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा आरक्षण नीति के अनुसार अजा/अजजा/ अपिव/पीडब्ल्यूडी को छूट एवं रियायतें प्रदान की जा रही हैं.
- सुश्री मंजू दिलेर, सफाई कर्मचारियों के राष्ट्रीय आयोग के माननीय सदस्य ने दिनांक 06.06.2018 को भुवनेश्वर का दौरा किया और बैंक के सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों एवं बैंक के प्रबंधतंत्र के साथ सफाई कर्मचारियों के क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की.
- अजा/अजजा कल्याण पर गठित संसदीय समिति का दिनांक 11.06.2018 को मनाली में अध्ययन दौरा, अजा/अजजा के यूनियन/संघ के प्रतिनिधियों के साथ अजा/अजजा के मुद्दों पर चर्चा और बैंक के प्रबंधतंत्र के साथ अजा/अजजा के कल्याण हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा.
- श्री ए. सत्यनारायण सहायक निदेशक अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, बंगलोर, राज्य कर्नाटक ने रोस्टर, शिकायत रजिस्टर इत्यादि की जांच के लिए बंगलोर का दौरा किया और अजा के यूनियन/संघ के प्रतिनिधियों और बैंक प्रबंधतंत्र के साथ दिनांक 15, 18 एवं 19 जून, 2018 को विचार-विमर्श किया.
- श्री मनहार वालजी जाला, अध्यक्ष, सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने दिनांक 21.07.2018 को जामनगर का दौरा किया और सफाई कर्मचारियों के यूनियन/संघ के प्रतिनिधियों के साथ सफाई कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा की और बैंक के प्रबंधतंत्र के साथ सफाई कर्मचारियों के कल्याण हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया.
- श्री योगेंद्र पासवान, अजा के लिए राष्ट्रीय आयोग के माननीय सदस्य ने दिनांक 24.07.2018 को पटना का दौरा किया और अजा के यूनियन/ संघ के प्रतिनिधियों एवं बैंक के प्रबंधतंत्र के साथ अजा के मुद्दों पर विचार विमर्श किया.

6. औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सामान्यतया संतोषजनक रहे.

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक का क्रेडिट कार्ड आधार 92838 है एवं प्री-पेड कार्ड का आधार 398624 है.
- ❖ बैंक प्रमुख कार्ड जारीकर्ताओं अर्थात् मास्टर, वीजा एवं रूपे के सहयोग से क्रेडिट कार्ड जारी करता है. प्री-पेड कार्ड मास्टर कार्ड के सहयोग से जारी किये जाते हैं.
- ❖ बैंक ग्राहकों की सिर्फ ईएमवी चिप आधारित क्रेडिट कार्ड जारी करता है.
- ❖ बैंक ने क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष वेब पोर्टल शुरू किया है.



- ❖ मोबाइल बैंकिंग पर क्रेडिट कार्ड संबंधी कार्य-प्रणाली भी विकसित की गई है।
- ❖ क्रेडिट कार्ड की ऑन-लाइन खरीद के लिए ईएमआई विकल्प विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है।
- ❖ जुलाई, 2017 में रूपे क्रेडिट कार्ड दो प्रकारों के साथ (रूपे प्लेटिनम और रूपे सेलेक्ट) जारी किया गया है।
- ❖ वर्ष के दौरान बैंक ने रूपे प्लेटफॉर्म पर रिलोडेबल (ओपन लुप सिस्टम) रूपे प्रीपेड कार्ड जारी किया है।

एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन :

- ❖ दिनांक 31.03.2019 को एटीएम की कुल संख्या 3966 हैं।
- ❖ 1061 एटीएम में नकदी भराई का कार्य स्टाफ द्वारा किया जा रहा है।
- ❖ दिनांक 31.03.2019 को 3603 शाखाएं एटीएम के साथ सम्बद्ध हैं।
- ❖ बैंक के 66३ एटीएम ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित है।
- ❖ वर्ष के दौरान औसत एटीएम अप-टाइम 91% है।
- ❖ एटीएम पर औसत दैनिक हिट 129 है।

अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम

I. सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

- ❖ मार्च 2019 को शुद्ध स्वामित्व निधि ₹ 111.57 करोड़ थी।
- ❖ दिनांक 31 मार्च 2019 को वर्ष के दौरान कंपनी का कुल अग्रिम ₹1270.79 करोड़ हो गया है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह ₹1266.09 था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को रिटेल जमाएं एवं संस्थागत जमाएं ₹ 482.33 करोड़ हो गया है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह ₹ 542.84 करोड़ था।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2018-19 को कंपनी का शुद्ध लाभ ₹16.28 करोड़ हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 को यह ₹16.84 था।
- ❖ प्रति शेयर आय ₹ 6.51 (₹ 10 प्रति शेयर) [गत वर्ष ₹ 6.73] रही।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 के वर्ष समाप्ति में एनपीए ₹ 27.97 करोड़ रहा, जो दिनांक 31 मार्च 2018 के वर्ष समाप्ति में ₹ 26.90 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च 2019 को शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए 1.26% है।
- ❖ आस्तियों पर प्रतिफल 1.26% है। [गत वर्ष 1.26%]
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2019 को सीएआर 17.88% है।

II. सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

- ❖ सेन्ट्रल बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड, डिबेंचर/सुरक्षा न्यास, निष्पादक न्यास, प्रबंध चेरीटेबल ट्रस्ट इत्यादि सहित अनिवार्यतः न्यासधारिता सेवाएं उपलब्ध करा रही है।
- ❖ कंपनी, डिबेंचर न्यास गतिविधियों के अधिग्रहण के लिए सेबी के साथ पंजीकृत है।

वित्तीय अद्यतन जानकारी :

- ❖ कंपनी ने 31 मार्च 2019 के वर्ष समाप्ति में ₹ 2.70 करोड़ का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो गत वर्ष 31 मार्च, 2018 के वर्ष समाप्ति में ₹ 2.58 करोड़ था।
- ❖ खंडवार अर्जन :



(राशि रुपये में)

विवरण	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18
निष्पादक न्यास से शुल्क	43,24,805	34,85,414
डिबेंचर एवं प्रतिभूति न्यास से शुल्क	2,70,82,673	2,90,70,143
अन्य आय (ब्याज)	2,51,22,941	2,81,65,842
कुल	5,65,30,419	6,07,21,398

iii. इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड

- ❖ जाम्बिया सरकार तथा भारत के तीन बैंकों अर्थात् सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है। इसमें इन तीनों भारतीय बैंकों में से प्रत्येक की 20% इक्विटी है, जबकि शेष 40% इक्विटी जाम्बिया गणराज्य सरकार की है।
- ❖ बैंक का वित्तीय वर्ष, कैलेंडर वर्ष है।
- ❖ बैंक सभी पैरामीटरों में बेहतर कार्यनिष्पादन दर्शा रहा है और वर्तमान में जाम्बिया का छठा सबसे बड़ा बैंक है।
- ❖ दिसम्बर 2018 के अंत तक हमारे बैंक के पास कुल 1 क्वाचा प्रति शेयर के 8,32,00,000 शेयर हैं।
- ❖ पिछले वर्ष की तुलना में बैंक की जमा राशियों में 24.21% एवं अग्रिमों में 34.46% वृद्धि हुई है।
- ❖ कैलेंडर 2018 में बैंक को 116.09 एमआईओ क्वाचा (₹ 66.99 करोड़) का शुद्ध लाभ हुआ है।

iv. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हमारे पास दिनांक 31 मार्च, 2019 को हमारे 3 आरआरबी हैं, जिनका 3 राज्यों के 48 जिलों में 1629 शाखाओं का नेटवर्क है।

(₹ करोड़ में)

आरआरबी एवं मुख्यालय का नाम तथा राज्य	जिलों एवं शाखाओं की संख्या	कुल जमाराशियां	कुल अग्रिम	सकल एनपीए	शुद्ध लाभ
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (म.प्र.)	25/455	-	-	-	-
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)	18/1032	15499.85	8101.59	2282.47	16.78
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार (प.बंगाल)	5/142	3014.96	1713.47	158.40	10.98
कुल	48/1629	18514.81	9815.06	2440.87	27.76

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (सीएमपीजीबी) का विलय बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित आरआरबी के साथ किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

- ❖ सीएसआर, कार्यबल एवं उनके परिवारों के साथ साथ समुदाय एवं समाज के जीवन स्तर में सुधार लाते हुए अर्थव्यवस्था के विकास में व्यवसाय की सतत प्रतिबद्धता है।
- ❖ सीएसआर के अंतर्गत निर्धन, समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने प्राकृतिक आपदाओं एवं समाज के समग्र कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था/ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक दान देना हमारी सतत प्रतिबद्धता है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर बजट शून्य है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को हानि हुई थी।

पुरस्कार एवं सम्मान

- ❖ बैंक के कार्यनिष्पादन को को पहचानने के लिए नेतृत्व पूंजी तथा देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में योजना को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए बैंक को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के विभाग से अटल पेंशन योजना पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- ❖ सब से अधिक नवोन्मेष उत्पाद श्रेणी के लिए बैंक को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा सम्मानित किया गया।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

1) बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य:

- ❖ बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचलन में नैतिक संव्यवहार से शेरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है। बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है। कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेरधारकों के शेर मूल्य में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं।
- ❖ बैंक के इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है। हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। अतः बैंक सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों को उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 एवं भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों, निदेश इत्यादि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा।

2) निदेशक मंडल

ए) निदेशक मंडल की संरचना

- ❖ बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है। सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
- ❖ बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है।

समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2018-19 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:

क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2019 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2019 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2018 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थित थे
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री तपन राय	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	23.05.2018 से	निरंक	वित्त, अर्थशास्त्र, तकनीक, विधि, पूंजी बाजार, प्रबंधन, विदेशी व्यापार, जन नीति एवं प्रशासन	आरएमसी, एलवीएफसी, एसआरसी, आरसी, एचआर, एनसी	आरएमसी, एलवीएफसी, एसआरसी, आरसी, एचआर, एनसी	निदेशक	जी हां
2.	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.08.2013 से 22.05.2018	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	-इन्डो जाम्बिया बैंक लि. -एक्विजि बैंक -एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोर्पोरेशन -इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस	जी हां



क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2019 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2019 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2018 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थित थे
						सदस्य	अध्यक्ष		
		प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	23.05.2018 से 31.07.2018			एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एमसीबी, सीएससी, वीआईजी, सीएसी, एमआरसी सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी		
3.	श्री पल्लव महापात्र	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	21.09.2018 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एमसीबी, सीएससी, वीआईजी, सीएसी, एमआरसी सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	(1)एनआईबीएम के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य (2)आईआईवीएफ के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य (3)आईआईवीएम, गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
4.	श्री बी.के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक	23.01.2014 से 22.1.2019 तक	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	लागू नहीं	जी हां
5.	श्री पी रमण मूर्ति	कार्यपालक निदेशक	17.02.2017 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि. -न्यू इंडिया एश्युरेंस कं. लि.	जी नहीं

क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2019 को बैंक के धारित ड्रिक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2019 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2018 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थित थे
						सदस्य	अध्यक्ष		
6.	श्री बी एस शेखावत	कार्यपालक निदेशक	09.10.2017 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएस, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	सेंट्रल बैंक फाइनेंसियल सर्विसेस लि.	जी हां
7.	श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	23.01.2019 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएस, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
8.	श्री गोविंद मोहन	भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	17.08.2017 से 14.05.2018 तक	निरंक	वित्त एवं अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आरसी, बीसी, एमआरसी, एचआर, नामांकन	आरसी, नामांकन	लागू नहीं	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
9.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	14.05.2018 से	निरंक	वित्त एवं अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आरसी, बीसी, एमआरसी, एचआर, नामांकन, आईटीएस	निरंक	आईएफसीआई	जी नहीं
10	श्री शेखर भटनागर	भारिबैं द्वारा मनोनीत निदेशक	13.03.2014 से	निरंक	बैंकिंग एवं वित्त	एमसीबी, एसीबी, आरसी, वीआईजी	निरंक	निरंक	जी नहीं
11	श्री के. आर. पटेल	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	दिनांक 01.07.2015 से 30.06.2018 तक	163	सनदी लेखाकार	एमसीबी, आईटीएस, एसआरसी, आरएमसी, सीएससी, एचआर, आरसीएनसीबी, सीआर आई डब्ल्यूडी	आईटीएस एसआरसी	लागू नहीं	जी नहीं



क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2019 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2019 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2018 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थित थे
						सदस्य	अध्यक्ष		
12	श्री एन नित्यानंद	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	21.06.2016 से	निरंक	सनदी लेखाकार	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, एसआरसी, सीएससी, नामांकन, आरसीएनसीबी, सीआरआई डब्ल्यूडी, सीसी	एसीबी, आईटीएस, सीसी	निरंक	जी हां
13	डॉ. आत्मानन्द	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	27.12.2017 से	निरंक	अर्थशास्त्र	एमसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी आरएमसी, नामांकन, सीसी	निरंक	पीटीसी इंडिया लि.	जी नहीं
14	श्रीमती मिनि आईप	शेयरधारक निदेशक	01.07.2018	100	वित्त	एमसी, आरएमसी, एसआरसी, एमआरसी, सीसी	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं।

- एमसीबी - बोर्ड की प्रबंधन समिति
- एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- आरएमसी - जोखिम प्रबंधन समिति
- एलवीएफसी - उच्च मूल्य की धोखाधड़ी संबंधी समिति
- सीएससी - ग्राहक सेवा समिति
- आईटीएस - सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
- एसआरसी - स्टैकहोल्डर सम्बंध समिति
- आरसी - पारिश्रमिक समिति
- वीआईजी - सतर्कता समिति
- सीएसी - ऋण अनुमोदन समिति
- एचआर - मानव संसाधन समिति
- एमआरसी - वसूली समिति की निगरानी
- सीआरसी - पूंजी उगाही समिति
- नामांकन - नामांकन समिति

आरसीएनसीबी	-	उदघोषित गैर सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
सीआरआईडब्ल्यूडी	-	इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति
सीसी	-	क्षतिपूर्ति समिति

नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

1. श्री तपन राय, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष – (जन्म तिथि 09.09.1957)

दिनांक 23 मई, 2018 को भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में श्री तपन राय को गैर- कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था. श्री तपन राय, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) को वित्त, अर्थशास्त्र, तकनीकी, विधि, पूंजी बाजार, प्रबंधन, विदेशी व्यापार, जन नीति एवं प्रशासन के क्षेत्र में वृहद ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त है. गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नियुक्ति प्राप्त करने से पूर्व, श्री तपन राय, गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएस) के रूप में 35 वर्षों की सेवा के पश्चात, सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार के रूप में कार्य कर चुके हैं. आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है. आपने वुडरो विलसन स्कूल, प्रिंस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएट और मैक्सवेल स्कूल, सिराकांस विश्वविद्यालय, यूएसए से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है. श्री राय ने भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, नई दिल्ली से विदेशी व्यापार में एग्जेक्यूटिव मास्टर्स भी किया है. आपने कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी डिग्री हासिल की है. आपने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, जैसे- रक्षा, कपड़ा, विद्युत उर्जा, विज्ञान एवं तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं योजना मंत्रालयों में अपनी सेवायें प्रदान की हैं. आप गुजरात राज्य में वित्तीय विभाग में मुख्य सचिव पद पर सेवा प्रदान कर चुके हैं. श्री राय गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (जीएसपीसी) एवं गुजरात राज्य पेट्रोनेट लि. (जीएसपीएल) के प्रबंध निदेशक भी थे. आप जीएसपीसी/ जीएसपीएल के अन्य समूह कम्पनियों के बोर्ड में भी रहे हैं. आपने सचिव (कॉर्पोरेट अफेयर्स), के रूप में सेबी के बोर्ड में भी अपनी सेवायें प्रदान की है.

2. श्री पल्लव महापात्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जन्म तिथि 25.02.2961)

दिनांक 21.09.2018 से भारत सरकार द्वारा श्री पल्लव महापात्र को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था. श्री महापात्र ने एम.ए. और सीएआईआईबी की डिग्री प्राप्त की है. आपने, अपना करियर भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में वर्ष 1983 में शुरू किया. आपने भारतीय स्टेट बैंक में साढ़े तीन दसकों से भी अधिक समय तक विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व संभाले हैं जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसबीआई काइड्स, उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधन, नये व्यवसाय कॉर्पोरेट केन्द्र, प्रबंध निदेशक एसबीआई कस्टोडियल सर्विसेस प्रा.लि. एवं उप अध्यक्ष (क्रेडिट एवं फॉरेक्स), एसबीआई (कैलिफोर्निया) लॉस एंजेलिस शामिल हैं. उप प्रबंध निदेशक (दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह) के रूप में नियुक्त होने के पूर्व, आप मुख्य महाप्रबंधक, एसबीआई न्यू दिल्ली सर्कल के पद पर थे.

3. श्री आलोक श्रीवास्तव (जन्म तिथि 22.11.1962)

श्री आलोक श्रीवास्तव ने अर्थशास्त्र में स्नाकोत्तर एवं एमबीए (फाइनेंस) की डिग्री प्राप्त की है. वर्ष 1985 में आपने पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में अपना करियर शुरू किया. आपको बैंकिंग के क्षेत्र में 33 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है, जिसमें बैंकिंग के लगभग सभी मुख्य हिस्सों, शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों इत्यादि में आपने कार्य किया है.

4. डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, भारत सरकार मनोनित निदेशक (जन्म तिथि 20.07.1964)

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, दिनांक 14.05.2018 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार मनोनित निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे. डॉ. सिन्हा वित्तीय अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से वित्तीय अर्थशास्त्र में पीएचडी एवं नेशनल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एनजीएसएम), ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (एएनयू), केनबेरा, ऑस्ट्रेलिया से एमबीए किया है. डॉ. सिन्हा भारतीय वित्तीय सेवा के 1993 बैच से हैं एवं वर्तमान में वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर हैं. वर्तमान के संयुक्त सचिव के कार्यभार के पूर्व, आप डीएफएस में आर्थिक सलाहकार थे. मई 2018 में डीएफएस में नियुक्त होने के पूर्व, डॉ. सिन्हा ने निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) में आर्थिक सलाहकार के रूप में 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है.

5. श्रीमती मिनी आईप (जन्म तिथि 19.08.1963)

श्रीमती मिनी आईप ने वित्त, मार्केटिंग एवं मानव संसाधन के क्षेत्र में भिन्न-भिन्न प्रकार की अनुभव प्राप्त की है एवं वर्तमान में आंचलिक प्रबंधक, दक्षिण मध्य आंचलिक कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), हैदराबाद के पद पर कार्यरत है. आपने एलआईसी में



कार्यपालक निदेशक (एसबीयू-अंतर्राष्ट्रीय परिचालन) के पद पर भी कार्य किया है। आप एलआईसी एचएफएल हाउसिंग फाइनेंस सर्विसेस लि. में निदेशक एवं सीईओ भी थीं। श्रीमती मिनी आईपी ने एलआईसी में क्षेत्रीय प्रबंधक, एस्टेट्स एवं पी एण्ड आईआर तथा सचिव, ईआर एण्ड मार्केटिंग के रूप में कार्य किया है।

6. श्री थोमस मैथ्यू (जन्म तिथि 13.11.1965)

श्री थोमस मैथ्यू, दिनांक 26.04.2019 से श्री शेखर भटनागर के स्थान पर आरबीआई मनोनित निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे। श्री मैथ्यू वर्तमान में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू के पद पर हैं।

अन्य निदेशकों के विवरण

1. श्री पी रमण मूर्ति, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि 16.05.1964)

श्री पी रमण मूर्ति कृषि विज्ञान में स्नातक एवं सीएआईआईबी हैं। आपने दिनांक 16.01.1989 को इलाहाबाद बैंक कृषि फील्ड अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया। दिनांक 17.02.2017 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण करने के पूर्व आप दिनांक 10.05.2014 को महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए एवं दिनांक 19.05.2014 से फील्ड महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

श्री मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे केलॉग्स स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट, शिकागो, यूएसए से लीडरशीप फोर कोर्पोरेट एक्सलेंस एवं आईआईएम, कोलकाता से लीडरशीप एक्सलेंस में भाग लिया है।

2. श्री बी. एस. शेखावत, कार्यपालक निदेशक - (जन्म तिथि 27.06.1962)

श्री बी. एस. शेखावत को दिनांक 09.10.2017 से भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री शेखावत आनर्स सहित कृषि विज्ञान स्नातक एवं सीएआईआईबी हैं। उन्होंने आईआईएम बैंगलुरु से प्रबंधन में स्नाकोत्तर सर्टिफिकेट कोर्स पूर्ण किया है। उन्होंने वर्ष 1986 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में कृषि वित्त अधिकारी के रूप में अपना करियर आरम्भ किया था। अपने 31 वर्षों की लम्बी कार्यअवधि के दौरान, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों एवं स्थानों की शाखाओं, जयपुर एवं रांची क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रबंधक, पुणे एवं दिल्ली अंचलों में आंचलिक प्रबंधक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय में दो वर्षों तक बैंक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। इस पदोन्नति के तुरंत पूर्व, वे बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र एवं वित्तीय समावेशन के प्रमुख थे।

3. श्री शेखर भटनागर, आरबीआई मनोनीत निदेशक (जन्म-तिथि 17.07.1958)

श्री भटनागर, बी.एस.सी., एम.ए. (लखनऊ विश्वविद्यालय) एवं एफ.एम.एस., नई दिल्ली से एमबीए (वित्त) हैं। आपने वर्ष 1984 में भारतीय रिजर्व बैंक में एक अधिकारी (ग्रेड 'बी') के पद पर कार्यग्रहण किया एवं आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग एवं गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग जैसे विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी कार्य किया था। वर्तमान में आप भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई, में मुख्य महाप्रबंधक – विदेशी विनियम विभाग, के रूप में कार्यरत हैं। श्री शेखर भटनागर दिनांक 26.04.2019 से बैंक के निदेशक पद पर नहीं हैं।

4. श्री एन नित्यानंद, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 20.05.1955)

श्री नित्यानंद वाणिज्य स्नातक, डी.बी.ए., एल.एल.बी., एफ.सी.ए. एवं व्यवसाय प्रशासन के स्नाकोत्तर डिप्लोमा में गोल्ड मेडलिस्ट हैं।

श्री नित्यानंद पिछले 3 दशकों से अपने ग्राहकों, सरकार एवं इकोनोमी के मूल्य संवर्धित सेवाएं दे रहे व्यावसायिक सनदी लेखाकार हैं। आप लगभग 16 वर्षों से दक्षिण भारत स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं (किसी कनाडिगा द्वारा सबसे लम्बी)। आपने अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार परिसंघ (आईएफएसी), न्यूयार्क, यूएसए, जो विश्व में लेखा एवं लेखा परीक्षा की सबसे उच्च संस्था है एवं दक्षिण एशिया लेखाकार परिसंघ (सार्क की सदस्य संस्था) करांची, पाकिस्तान में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है तथा 'कोर्पोरेट गवर्नेंस' पर मेगा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। आपने आर्थिक मामलों की समिति के सलाहकार, कर्नाटक चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) परिसंघ की केन्द्रीय कर समिति के अध्यक्ष एवं सह-सलाहकार सहित राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड, कॉमर्स एवं इंडस्ट्री में सेवाएं दी हैं। आपने कर्नाटक सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के कुछ महत्वपूर्ण समितियों पर भी सेवाएं दी हैं।

5. डॉ. आत्मानंद, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 30.06.1959)

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद प्रबंधन विकास संस्थान, गुरगांव के निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और प्रबंधन विकास संस्थान, मुर्शिदाबाद के निदेशक हैं।

आप पीटीसी इंडिया लि. के निदेशक मंडल में भी हैं। आप एमआईडी, गुरुग्राम में डीन और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। एमआईडी में, आप प्रतिष्ठित एमआईडी के स्कूल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेंस एवं इक्विटीयूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के डीन के रूप में कार्यरत हैं। आप एमआईडी, मुर्शिदाबाद के संस्थापक डीन हैं। 30 वर्षों से अधिक समय तक आपने अर्थशास्त्र में अध्यापन, रिसर्च एवं कंसल्टेंसी पर कार्य किया है। 5 वर्ष के संक्षिप्त अल्पावधि के दौरान, जब यूएसएआईडी एवं ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से स्कूल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट की शुरुआत की गई थी, तब उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में आपने इस स्कूल को प्रसिद्धि दिलायी थी। आपके समर्पण और लगाव को मूल्यांकित करते हुए, उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने आपके कार्यकुशलता एवं समर्पित सेवाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशंसा पत्र जारी किया था। एमआईडी के बौद्धिक एवं प्रशासनिक कार्यों में मुख्य और निर्णायक भूमिका अदा करने के अलावा, आपने इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। पॉलिसी निर्धारण में उनके योगदान को मूल्यांकित करते हुए, सेल के बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति (अध्यक्ष), जोखिम प्रबंधन समिति (अध्यक्ष) एवं अन्य के कार्यों के लिए प्रशंसा पत्र जारी किया था। आपने, आयुष मंत्रालय (सदस्य), भारत सरकार के साथ अपने एशोसिएशन, उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, एटीएफ, केबिनेट सचिव, भारत सरकार, राज्य वित्त आयोग, बिहार सहित विभिन्न राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का पद पर कार्य किया है। रिसर्च, अध्यापन एवं प्रशिक्षण में विस्तृत कार्य करने के अलावा, आपने 16 पुस्तकें और अनेक शोध पत्र लिखे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में उनकी रुचि के कारण, परियोजना वित्त, समाजिक वित्त एवं व्यवसाय का आर्थिक परिदृश्य पर महत्व के साथ इस क्षेत्र में उन्होंने शोध एवं प्रशिक्षण पर भी कार्य किया है।

बी) बोर्ड बैठकों का आयोजन

वर्ष के दौरान, बोर्ड की 16 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

05.05.2018	30.07.2018	13.11.2018	02.02.2019
17.05.2018	10.08.2018	14.11.2018	02.02.2019
25.05.2018	06.09.2018	28.12.2018	25.02.2019
29.06.2018	28.09.2018	18.01.2019	28.03.2019

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

निदेशकों के नाम	दर्ज उपस्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से-तक)
श्री तपन राय	13	14	23.05.2018 – 31.03.2019
श्री राजीव ऋषि	5	5	01.04.2018 – 31.07.2018
श्री पल्लव महापात्र	9	9	21.09.2018 – 31.03.2019
श्री बी. के. दिवाकर	11	12	01.04.2018 – 22.01.2019
श्री पी. आर. मूर्ति	14	16	01.04.2018 – 31.03.2019
श्री बी. एस. शेखावत	16	16	01.04.2018 – 31.03.2019
श्री आलोक श्रीवास्तव	4	4	23.01.2019 – 31.03.2019
श्री गोविंद मोहन	1	1	01.04.2018 – 14.05.2018
डॉ. बी. के. सिन्हा	10	15	14.05.2018 – 31.03.2019
श्री शेखर भटनागर	16	16	01.04.2018 – 31.03.2019
श्री के. आर. पटेल	4	4	01.04.2018 – 30.06.2018
श्री एन. नित्यानंद	15	16	01.04.2018 – 31.03.2019
प्रो.(डॉ.) अत्मानंद	16	16	01.04.2018 – 31.03.2019
श्रीमती मिनी आईप	9	12	01.07.2018 – 31.03.2019



3. बोर्ड की कुछ समितियों का विवरण

i) निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

- निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित वित्तीय स्वीकृतियां, समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव एवं वाद दायर/अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है, दिनांक 31.03.2019 को इस समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के मनोनीत निदेशक एवं 2 अन्य निदेशक, जिनमें 1 शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक, तथा 1 अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं, एक पद रिक्त है. अंशकालीन निदेशक का प्रत्येक छः माह में आवर्तन किया जाता है.
- वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति की 20 बैठकें निम्नलिखित तिथियों में आयोजित की गईं.

05.05.2018	27.08.2018	14.11.2018	14.01.2019	27.02.2019
24.05.2018	06.09.2018	30.11.2018	18.01.2019	06.03.2019
29.06.2018	28.09.2018	15.12.2018	02.02.2019	18.03.2019
30.07.2018	01.11.2018	28.12.2018	18.02.2019	27.03.2019

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	प्रबंधन समिति की अवधि (से – तक)
श्री राजीव ऋषि	3	4	01.04.2018 – 31.07.2018
श्री पल्लव महापात्र	13	14	21.09.2018 – 31.03.2019
श्री बी.के.दिवाकर	13	14	01.04.2018 – 22.01.2019
श्री पी. आर. मूर्ति	16	20	01.04.2018 – 31.03.2019
श्री बी. एस. शेखावत	19	20	01.04.2018 – 31.03.2019
श्री आलोक श्रीवास्तव	5	6	23.01.2019 – 31.03.2019
श्री शेखर भटनागर	20	20	01.04.2018 – 31.03.2019
श्री के.आर. पटेल	1	2	01.04.2018 – 30.06.2018
प्रो.(डॉ.) अत्मानंद	20	20	01.04.2018 – 31.03.2019
श्रीमती मिनी आईप	11	17	01.07.2018 – 31.03.2019

ii) ऋण अनुमोदन समिति:

- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 को निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है. ₹ 400 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव, ₹10 करोड़ तक के समझौता/बट्टे खाते इत्यादि के प्रस्ताव संबंधी बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करती है. वर्तमान समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक एवं प्रभारी महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन, ऋण, खाते/वित्त पोषण एवं वसूली शामिल हैं.
- वर्ष के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 21 बैठकें आयोजित की गईं.

24.04.2018	20.06.2018	15.11.2018	12.02.2019	29.03.2019
05.05.2018	30.06.2018	30.11.2018	22.02.2019	
21.05.2018	16.07.2018	21.12.2018	05.03.2019	
06.06.2018	29.09.2018	08.01.2019	14.03.2019	
14.06.2018	19.10.2018	30.01.2019	25.03.2019	

iii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है.

- ❖ अंतर-शाखा समायोजन खातों, अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया पुरानी प्रविष्टियों, बही संतुलन का पुराना बकाया कार्य, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा की समीक्षा;
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार, बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उनकी समीक्षा करना;
- ❖ बोर्ड को प्रस्तुत करने के पूर्व लेखा-परीक्षकों के अवलोकनों सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा और तिमाही, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करना;
- ❖ तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पूर्व सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गये समस्त मुद्दों एवं बाह्य लेखा परीक्षकों से चर्चा करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- ❖ लेखों, लेखांकन नीतियों एवं प्रकटीकरणों की नियमित समीक्षा;
- ❖ प्रबंधन के निर्णय की कार्रवाई पर आधारित प्रमुख प्रविष्टियों की समीक्षा एवं लेखा-परीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजनों की समीक्षा करना;
- ❖ मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में कमियां;
- ❖ लेखा परीक्षा के पश्चात किसी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य क्षेत्र का पता लगाने के लिये लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना;
- ❖ आंतरिक लेखा-परीक्षा के कार्यक्षेत्र आवश्यकता और बारंबारता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- ❖ जहां तक लागू हो, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू स्टॉक एक्सचेंज की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
- ❖ सांविधिक, अनुबंधित अथवा विनियामकों की समय-समय पर वांछित अन्य सभी मामलों से संबंधित अपेक्षाएं पूरी करने के कार्य को लेखा परीक्षा समिति देखेगी;

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में केन्द्रीय लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर सरकारी गैर-कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम से कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये, शामिल होंगे. स्टाफ निदेशक एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे. 31.03.2019 को, एसीबी में एक पद रिक्त है, क्योंकि समिति में नामांकित करने के लिए कोई पात्र सदस्य नहीं है.

दिनांक 31.03.2019 को लेखा परीक्षा समिति का संयोजन निम्नानुसार है:

1	श्री एन. नित्यानंद	अध्यक्ष
2	श्री पी. आर. मूर्ति	सदस्य
3	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य
4	श्री शोखर भटनागर	सदस्य

वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 11 बैठकें आयोजित की गईं.

17.05.2018	13.07.2018	28.09.2018	14.11.2018	02.02.2019	11.03.2019
25.05.2018	30.07.2018	13.11.2018	18.01.2019	06.03.2019	



सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि(से – तक)
श्री एन. नित्यानंद	11	11	01.04.2018 – 31.03.2019
श्री बी.के.दिवाकर	08	08	01.04.2018 – 22.01.2019
श्री पी. आर. मूर्ति	03	03	01.04.2018 – 31.03.2019
डॉ. बी. के. सिन्हा	05	11	14.05.2018 – 31.03.2019
श्री शेखर भटनागर	10	11	01.04.2018 – 31.03.2019

बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणाम और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की समीक्षा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी।

iv) जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र.डीबीओडी नं.डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 एवं दिनांक 20.04.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/01/2002-03/3.2 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित डॉ. गांगुली समूह के रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर बोर्ड द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं दो गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का उद्देश्य बैंक द्वारा सामना किए जा रहे कुल जोखिमों की गणना करना एवं जोखिमों के स्तर को निर्धारित करना जो बैंक के हित के लिए अच्छा हो तथा बैंक के परिचालनों से सृजित हो रहे जोखिमों की पहचान, निगरानी एवं पैमाना निर्धारित करने के लिए अन्य जोखिम प्रबंधन संस्थानों से समन्वय स्थापित करना।

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गईं:

29.06.2018	28.09.2018	28.12.2018	27.03.2019
------------	------------	------------	------------

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि(से – तक)
श्री तपन राय	4	4	23.05.2018 – 31.03.2019
श्री राजीव ऋषि	0	1	01.04.2018 – 31.07.2018
श्री पल्लव महापात्र	2	3	21.09.2018 – 31.03.2019
श्री बी.के.दिवाकर	2	3	01.04.2018 – 22.01.2019
श्री पी. आर. मूर्ति	3	4	01.04.2018 – 31.03.2019
श्री बी. एस. शेखावत	4	4	01.04.2018 – 31.03.2019
श्री आलोक श्रीवास्तव	1	1	23.01.2019 – 31.03.2019
डॉ. बी. के. सिन्हा	1	4	14.05.2018 – 31.03.2019
श्री गोविंद मोहन	1	1	01.04.2018 – 30.06.2018
श्री के. आर. पटेल	2	3	01.04.2018 – 31.03.2019
श्री एन. नित्यानंद	3	3	01.04.2018 – 31.03.2019
प्रो. (डॉ.) अत्मानंद	1	2	01.07.2018 – 31.03.2019
श्रीमती मिनी आईप	4	4	23.05.2018 – 31.03.2019

v) पारिश्रमिक समिति एवं निदेशकों को पारिश्रमिक

- ❖ पूर्ण-कालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ.नं.20.1.2005-बीओ-1 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया। इस समिति में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है।
- ❖ गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों / गैर कार्यपालक निदेशकों को दिनांक 17.01.2019 तक मण्डल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹ 20,000/- बैठक फीस एवं इसके पश्चात निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में शामिल होने के लिए ₹ 40,000 तथा इसी प्रकार बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए दिनांक 17.01.2019 तक ₹ 10,000/- एवं उसके पश्चात ₹ 20,000 बैठक फीस का भुगतान किया जाता था। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण एवं निदेशकगणों, जो भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक को दिनांक 1 अगस्त, 2018 से बैठक फीस का भुगतान किया जाता है क्योंकि दिनांक 31.07.2018 को भारतीय रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त हुए थे। निदेशक मण्डल और समितियों के बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, क्रमशः ₹ 10,000 एवं ₹ 5,000 की अतिरिक्त बैठक फीस का भुगतान किया गया था।
- ❖ वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यपालक निदेशकों को वेतन, भत्ते एवं परिलब्धियों के रूप में कुल निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है:

क्र.सं	नाम	₹ लाख में
1.	श्री पल्लव महापात्र, (एमडी एवं सीईओ)	14.68
2.	श्री राजीव ऋषि, (सीएमडी/ एमडी एवं सीईओ)	39.50
3.	श्री बी. के. दिवाकर, (कार्यपालक निदेशक)	46.55
4.	श्री पी. आर. मूर्ति, (कार्यपालक निदेशक)	24.98
5.	श्री बी. एस. शेखावत, (कार्यपालक निदेशक)	24.47
6.	श्री आलोक श्रीवास्तव, (कार्यपालक निदेशक)	4.60

- ❖ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 19,10,000/- (रुपये उन्नीस लाख दस हजार मात्र) तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 19,95,000/- (रुपये उन्नीस लाख पंचानबे हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया।

vi) नामांकन समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं. डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के साथ पठित डीबीओडी नं.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के शर्तों के अनुसार, बोर्ड की पात्रता अर्थात (i) शैक्षिक योग्यता, (ii) अनुभव एवं विशेषज्ञता का क्षेत्र एवं (iii) ट्रेक रिकॉर्ड और ईमानदारी, के आधार पर अधिनियम (अर्थात शेयरधारक निदेशक) की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत वर्तमान निर्वाचित निदेशक(को)/ऐसे व्यक्ति जो निदेशक नियुक्त होने वाले हैं, की 'फिट एवं प्रोपर' स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को करने के लिए बैंक की नामांकन समिति का गठन किया गया है।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, शेयर धारक निदेशक – श्री केतुल आर. पटेल के फिट एवं प्रोपर मानदंडों को निर्धारित करने के लिए दिनांक 17.05.2018 को नामांकन समिति की बैठक आयोजित की गई थी एवं समिति के अनुसार श्री केतुल आर. पटेल 'फिट एवं प्रोपर स्थिति' में हैं, जो तीन वर्ष अर्थात 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2018 तक की अवधि के लिए बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1070 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत शेयर धारक निदेशकों के रूप में निर्वाचित किए गए हैं।

vii) शेयरधारकों की संबंध समिति

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित शेयर बाजार के सूचीकरण करार के अनुपालन में, स्ट्रेकधारकों की संबंध समिति का गठन विशेष तौर पर शेयर धारकों, लाभांश धारकों एवं अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों सहित शेयर्स के अंतरण संबंधित, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण



की प्रणाली को देखने के लिये किया गया है। वर्ष के दौरान, निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है। सामान्यतः निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर ली जाती है। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं। दिनांक 5 मई, 2018 तक श्री केतुल पटेल शेयरधारकों की संबंध समिति की अध्यक्ष थे। तथापि, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के नियुक्ति के अनुवर्ती, इस समिति के अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष ही है। अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है।

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गईं:

05.05.2018	30.07.2018	13.11.2018	18.01.2019
------------	------------	------------	------------

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि(से – तक)
श्री केतुल पटेल	1	1	01.04.2018 – 30.06.2018
श्री तपन राय	3	3	23.05.2018 – 31.03.2019
श्री राजीव ऋषि	1	2	01.04.2018 – 31.07.2018
श्री बी.के. दिवाकर	4	4	01.04.2018 – 22.01.2019
श्री पी. आर. मूर्ति	4	4	01.04.2018 – 31.03.2019
श्री बी. एस. शेखावत	4	4	01.04.2018 – 31.03.2019
श्री एन. नित्यानंद	3	3	01.04.2018 – 31.03.2019
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	4	4	05.05.2018 – 31.03.2019
श्रीमती मिनी आईप	1	1	28.12.2018 – 31.03.2019

वर्ष 2018-19 (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक) के दौरान निवेशक शिकायत का विवरण निम्न प्रकार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	अप्राप्त शेयर प्रमाणपत्र/अप्राप्त शेयर के लिए पत्र	01
3	अप्राप्त लाभांश वारंट	25
4	अप्राप्त वार्षिक रिपोर्ट/ईजीएम सूचना	40
5	अप्राप्त धनवापसी आदेश	01
6	अप्राप्त अस्वीकृत डीआरएफ	01
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	05
8	प्राप्त कुल शिकायतें	73
9	निपटाई/ध्यान दी गई कुल शिकायतें	73
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है।

4. अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, उप महाप्रबंधक/कंपनी सचिव, निर्गम बैंकर एवं डिबेंचर ट्रस्टी गतिविधि के अनुपालन अधिकारी के अलावा वे बैंक द्वारा जारी एवं स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों तथा अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण, बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं

5. सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमान निर्गमों इत्यादि से प्राप्तियां।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को प्रति ₹ 10 के अंकित मूल्य की कुल ₹ 6592 करोड़ की 142,90,45,682 इक्विटी शेयर्स (कुल ₹ 2354 करोड़ की प्रति इक्विटी शेयर ₹ 56.43 की प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर ₹ 66.43 की निर्गम मूल्य पर 35,43,57,970 इक्विटी शेयरों, कुल ₹ 1678 करोड़ की प्रति इक्विटी शेयर ₹ 33.31 की प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर ₹ 43.31 की निर्गम मूल्य पर 38,74,39,390 इक्विटी शेयरों एवं कुल ₹ 2560 करोड़ की प्रति इक्विटी शेयर ₹ 27.25 की प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर ₹ 37.25 की निर्गम मूल्य पर 68,72,48,322 इक्विटी शेयरों को समाविष्ट कर) का जारीकरण एवं आबंटन द्वारा ₹ 6592.00 करोड़ इक्विटी पूंजी (दिनांक 19-09-2018 को बैंक द्वारा प्राप्त ₹ 2354 करोड़, दिनांक 31-12-2018 को बैंक द्वारा प्राप्त ₹ 1678 करोड़ एवं दिनांक 21-02-2019 को बैंक द्वारा प्राप्त ₹ 2560 करोड़ सहित) की उगाही की है।

बैंक ने प्रति इक्विटी शेयर ₹ 17 के प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर ₹ 27 के निर्गम मूल्य पर कुल ₹ 212,53,38,048 कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों से इक्विटी पूंजी की उगाही भी की है। यह राशि शेयर आवेदन मुद्रा खाता में रखी हुई है, इसके लिए शेयर आबंटन लम्बित है।

बैंक ने निजी नियोजन आधार पर प्रत्येक ₹ 10.00 लाख के अंकित मूल्य के अपरिवर्तनीय मोचनीय अरक्षित बासल III अनुपालित टियर 2 बॉन्ड्स (सीरीज-III) के वचन पत्र प्रकृति के जारी एवं आबंटित कर ₹ 500.00 करोड़ की उगाही की एवं प्रत्येक ₹ 10.00 लाख के 5000 बॉन्ड्स आबंटित किए।

पूंजी पर्याप्ता अनुपात को मजबूत करने एवं बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए, ये निधियां टियर I एवं टियर II को प्राथमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए उगाही की है। उगाही गई निधि का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया गया है।

6. संप्रेषण के माध्यम :

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर-लेखापरीक्षित परंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यतया इकॉनामिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, पुढारी (मराठी), इत्यादि जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी एवं अनेक स्थानीय भाषा के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया।

7. आचार संहिता

- ❖ बैंक ने निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के लिए आचार संहिता अपनाई है। इसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in में “इन्वेस्टर रिलेशन” लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए, सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है और अनुपालन की पुष्टि का प्रमाणपत्र अनुलग्नक I में दिया गया है।
- ❖ बैंक की प्रतिभूति में इनसाइड ट्रेडिंग रोकने के लिए, बैंक ने अपने निदेशकों एवं नामित कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बनाई है। इसकी प्रतिलिपि बैंक की www.centralbankofindia.co.in में “इन्वेस्टर रिलेशन” लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

8. अन्य प्रकटीकरण

- ❖ बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहारों के अलावा, बैंक ने इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधतंत्र, उनकी सहायक कंपनियों अथवा रिश्तेदारों इत्यादि से ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है, जिससे कि बैंक के व्यापक हितों पर प्रतिकूलता संभावित हो। वर्ष के दौरान, बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुआ है।
- ❖ बैंक में यह सुस्थापित प्रथा है कि जिन निदेशक, जिनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित जब कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता है, तब वे बोर्ड एवं बोर्ड की उप-समितियों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेन देन नहीं हुआ जिससे बैंक के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हो सकता था।
- ❖ बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य सांविधिक प्राधिकारी को लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है। समीक्षा वर्ष के दौरान, पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।
- ❖ लोक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प(पीआईडीपीआई) के अंतर्गत विसले ब्लोवर शिकायतों पर बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। “सेन्ट विजिल” नाम से बैंक का वेब आधारित पोर्टल भी है जो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान को बिना बताए जोकि केवल मुख्य सतर्कता अधिकारी को पता होगी, कर्मचारियों के अनाचार की रिपोर्टिंग को सुसाध्य बनाता है। जो अनाचार को नियंत्रित



रखता है, धोखाधड़ी से बचाता है एवं कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है. “सेन्ट विजिल” निदेशकों के लिए भी उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त निदेशक एवं कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर मिल सकते हैं. वर्ष 2018-19 के दौरान इस संबंध में किसी भी व्यक्ति ने लेखापरीक्षा समिति से संपर्क नहीं किया. इसके अतिरिक्त यह भी अभिप्रेषित किया जाता है कि लेखापरीक्षा समिति ने किसी भी व्यक्ति को संपर्क करने से मना नहीं किया है.

- ❖ बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 की अनुबद्ध आवश्यकताओं का, जहां तक खंड की आवश्यकताओं से, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रावधानों, विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन किया है.
- ❖ प्रमुख अनुषंगियों के निर्धारण की नीति बैंक की वेबसाइट पर <https://www.centralbankofindia.co.in> में “इन्वेस्टर रिलेशन” लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है.
- ❖ संबंधित पार्टियों के साथ व्यवहार करने संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है. <https://www.centralbankofindia.co.in> में “इन्वेस्टर रिलेशन” लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है.

9. विवेकसम्मत आवश्यकताएं (सेबी सूचीकरण विनियमन की अनुसूची II का भाग ई)

क्र.सं.	गैर-अनिवार्य	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के कार्यालय का संस्था के खर्च पर रखरखाव	जी हां, कार्यान्वित
2.	गत छह माह में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार के साथ वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्द्धवार्षिक घोषणा शेरधारकों को प्रेषित करना है.	बैंक ने दिनांक 30.09.2018 को समाप्त छःमाही के लिए एवं दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज भेजे हैं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किए हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी वित्तीय परिणाम अपलोड किए थे.
3.	कंपनी गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था अपना सकती है.	बैंक के पास गैर- सापेक्ष वित्तीय विवरणियां हैं.
4.	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग अलग पद.	बैंक में अध्यक्ष तथा एमडी एवं सीईओ के लिए अलग-अलग पद है. हमारा बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत शासित है.
5.	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखापरीक्षक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी है.

10. सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 12वीं वार्षिक साधारण बैठक:

दिन एवं दिनांक : शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 2019 को दोपहर 12.00 बजे चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई -400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय का 9वां माला.

1. यह साधारण वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित है.
2. बही-बंदी की तारीख : दिनांक 25 जून, 2019 से 28 जून, 2019 (दोनों दिवस सहित)
3. वर्ष 2018-19 के लिए कोई लाभांश की अनुशांसा नहीं की गई है.

11. पिछले तीन वर्षों के दौरान साधारण बॉडी बैठक के आयोजन का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	ग्यारवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2018, पूर्वाह्न 11.00 बजे	9वां माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021
2.	दसवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2017, पूर्वाह्न 11.00 बजे	9वां माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021
3.	नवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2016, पूर्वाह्न 11.00 बजे	9वां माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021

12. स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण :

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत है:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर	आईएनई 483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर-II पूंजी) जारी किए हैं. तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत है:

दिनांक 31.03.2019 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉण्ड्स-टियर-II पूंजी की स्थिति:

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (₹करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर II- सीरीज XIV	21.12.2011	500.00	आईएनई483A09245
अपर टियर II-सीरीज III	23.06.2009	500.00	आईएनई483A09203
अपर टियर II- सीरीज IV	20.01.2010	500.00	आईएनई483A09211
अपर टियर II- सीरीज V	11.06.2010	1000.00	आईएनई483A09229
अपर टियर II- सीरीज VI	21.01.2011	300.00	आईएनई483A08015
बासल III अनुपालित क्र. I	08.11.2013	1000.00	आईएनई483A09260
बासल III अनुपालित क्र. II	07.03.2017	500.00	आईएनई483A09278
बासल III अनुपालित क्र. III	29.03.2019	500.00	आईएनई483A09286
कुल		4800.00	

ये सभी बॉण्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं. बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

बाजार मूल्य आंकड़े:

मासिक उच्च एवं न्यून भाव एवं एनएसई पर शेयरों के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की एनएसई निफ्टी से तुलना सहित) निम्नवत है:

माह	एनएसई			एनएसई निफ्टी	
	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम
	अप्रैल, 2018	71.35	69.30	1936941	10739.35
मई, 2018	73.55	66.25	8235596	10806.60	10430.35
जून, 2018	83.35	68.15	11675618	10856.70	10589.10
जुलाई, 2018	72.55	67.45	24813680	11356.50	10657.30
अगस्त, 2018	69.45	67.80	4446766	11738.50	11244.70
सितम्बर, 2018	68.60	41.15	28949290	11589.10	10930.45
अक्टूबर, 2018	40.70	27.45	28444637	11008.30	10030.00
नवम्बर, 2018	32.25	29.00	10127303	10876.45	10380.45
दिसम्बर, 2018	36.65	28.10	22751703	10967.30	10488.45
जनवरी, 2019	37.25	31.05	18742691	10961.85	10651.80
फरवरी, 2019	31.85	28.40	8992800	11069.40	10604.35
मार्च, 2019	35.65	31.05	21910030	11623.90	10863.50



मासिक उच्च एवं निम्न भाव एवं बीएसई पर शेयर्स के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की सेसेक्स से तुलना सहित) निम्नवत है:

माह	बीएसई				
	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	सेसेक्स	
				अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल, 2018	71.80	69.15	4030663	35213.3	32972.56
मई, 2018	73.20	65.90	1112879	35993.53	34302.89
जून, 2018	83.10	68.35	844000	35877.41	34784.68
जुलाई, 2018	72.20	67.30	4053427	37644.59	35106.57
अगस्त, 2018	69.25	67.80	453083	38989.65	37128.99
सितम्बर, 2018	68.65	41.10	2297225	38934.35	35985.63
अक्तूबर, 2018	40.70	27.50	4547268	36616.64	33291.58
नवम्बर, 2018	32.40	28.95	1316306	36389.22	34303.38
दिसम्बर, 2018	36.70	28.15	3897812	36554.99	34426.29
जनवरी, 2019	37.20	30.90	1863304	36701.03	35375.51
फरवरी, 2019	31.75	28.45	2055325	37172.18	35287.16
मार्च, 2019	36.50	31.25	2900534	38748.54	35926.94

13. शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है:

लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सी-101, 247 पार्क

एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)

मुंबई-400 083

टेली.: 022-49186270

फैक्स: 022-49186060

ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक से पत्राचार करने का पता:

उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

9वीं मंजिल, चंदरमुखी

नरीमन पॉइंट

मुंबई-400 021

संपर्क नं. 022- 6638 7818

फैक्स : 022- 2283 5198

ई-मेलआईडी:agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in



14. शेयरधारिता का संवितरण

i) दिनांक 31.03.2019 को शेयरधारिता का संवितरण

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर्स)				
शेयर्स की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1-500	130082	91.4595	152722270.00	0.3774
501-1000	6754	4.7487	53312310.00	0.1317
1001-2000	2848	2.0024	42953020.00	0.1061
2001-3000	942	0.6623	24121620.00	0.0596
3001-4000	404	0.2840	14500590.00	0.0358
4001-5000	291	0.2046	13730720.00	0.0339
5001-10000	461	0.3241	33829510.00	0.0836
10001 और अधिक	447	0.3143	40136844330.00	99.1718
कुल	142229	100.00	40472014370.00	100.00

ii) “सार्वजनिक” की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है

“सार्वजनिक” की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	262883360	6.4954

iii) “सार्वजनिक” की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है

“सार्वजनिक” की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	262883360	6.4954

iv) दिनांक 31.03.2019 को शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2019 को शेयरधारिता का स्वरूप						
शेयरधारकों की श्रेणी	शेयर्स की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर्स	धारिताका %
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
केन्द्र सरकार	3691169652	0	1	0	3691169652	91.2030
क्लियरिंग मेम्बर	5968134	0	396	0	5968134	0.1475
अन्य कॉर्पोरेट निकाय	21623101	90	712	1	21623191	0.5343
निदेशकगण	163	0	1	0	163	0.0000
वित्तीय संस्थाएं	262883360	0	14	0	262883360	6.4954
सरकारी कम्पनियां	700	0	1	0	700	0.0000
हिंदू अविभाजित परिवार	1641660	0	3761	0	1641660	0.0406



दिनांक 31.03.2019 को श्रेयधारिता का स्वरूप						
श्रेयधारकों की श्रेणी	श्रेयर्स की संख्या		श्रेयधारकों की संख्या		कुल श्रेयर्स	धारिताका %
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
म्यूचुअल फंड	793649	0	4	0	793649	0.0196
राष्ट्रीयकृत बैंक	244876	0	4	0	244876	0.0061
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	240860	0	4	0	240860	0.0060
अनिवासी भारतीय	627834	121600	693	1	749434	0.0185
अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय)	282259	0	432	0	282259	0.0070
सार्वजनिक	44988097	6050	136048	98	44994147	1.1117
ट्रस्ट	101658	0	11	0	101658	0.0025
जीआईसी एवं उसकी अनुषंगियां	6531875	0	4	0	6531875	0.1614
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	9930524	0	34	0	9930524	0.2454
भारिबैं में पंजीकृत एनबीएफसी	45295	0	9	0	45295	0.0011
कुल	4047073697	127740	142129	100	4047201437	100

दिनांक 28.03.2019 को, बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को डीमेटरियलाइड रूप में 68,72,48,322 इक्विटी श्रेय आबंटित किए हैं जो दिनांक 11.04.2019 से बीएससी एवं एनएससी पर लेनदेन के लिए सूचीबद्ध एवं स्वीकृत किए गए हैं।

v) रुद्ध श्रेयर्स के ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्र.सं.	श्रेयधारकों के नाम	रुद्ध श्रेयर्स की संख्या	कुल श्रेयर्स के प्रतिशत के रूप में रुद्ध श्रेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) का योग)
1	भारत के राष्ट्रपति	3691169652	91.2030
	कुल	3691169652	91.2030

vi) डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण

क्र.सं.	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर आदि) के प्रकार	बकाया डीआर की संख्या	बकाया डीआर के विचाराधीन श्रेयर्स की संख्या	कुल श्रेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

vii) डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण, जहां विचाराधीन श्रेयर्स, कुल श्रेयर्स के 1% से अधिक हैं।

क्र.सं.	डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि) के प्रकार	विचाराधीन बकाया डीआर श्रेयर्स की संख्या	कुल श्रेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

viii) श्रेयर्स का डिमेटरियलाइजेशन

बैंक के श्रेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यतः डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही श्रेयर्स के डिमेटरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है।

दिनांक 31.03.2019 को श्रेयधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में धारित श्रेयर्स के विवरण निम्नानुसार है :



	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	धारिता का %
भौतिक स्वरूप में	100	127740	0.003
एनएसडीएल	85468	321741261	7.950
सीडीएसएल*	56661	3725332436	92.047
कुल	142229	4047201437	100.00

*दिनांक 28.03.2019 को, बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को डिमेटरियलाइड रूप में 68,72,48,322 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं जो दिनांक 11.04.2019 से बीएससी एवं एनएससी पर लेनदेन के लिए सूचीबद्ध एवं स्वीकृत किए गए हैं। कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

ix) अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स:

सूचीकरण करार के खण्ड 5ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2019 को “अदावाकृत उचंत खाता” में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं :

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	233	32,853
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया.	निरंक	निरंक
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए.	निरंक	निरंक
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या.	233	32,853

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों, सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है।

स्थान: मुंबई

दिनांक: 22 मई, 2019

[पल्लव महापात्र]

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत प्रमाणन

प्रति,

निदेशक मंडल सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- ए. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की जांच की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:
- इन विवरणियों में तथ्यतः कोई गलत विवरण अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.
 - ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य-पद्धति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुसार हैं.
- बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.
- सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई है, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.
- डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है:
- वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - लेखांकन नीतियों में वर्ष 2018-19 के दौरान कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए हैं तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है; एवं
 - धोखाधड़ियों की अहम् घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

(बी.के.सिंघल)

महाप्रबंधक एवं सीएफओ

(पल्लव महापात्र)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 15 मई, 2019



प्रमाण पत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी। यह सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरणियों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है।

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निर्धारित शर्तों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अनुपालन किया है।

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है।

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए दर्शित जोशी)
भागीदार
सदस्यता सं.133755

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान : मुंबई

दिनांक : 15 मई, 2019



<p>एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार, 302-306, प्रगति टॉवर्स, 26 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008</p>	<p>बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, मुम्बई - 400055</p>
<p>मुकुंद एम चितले एंड कम्पनी सनदी लेखाकार, द्वितीय मंजिल, कपुर हाउस, परांजपे 'बी' स्कीम, रोड न. 1, विले पार्ले (पूर्व), मुम्बई - 400057</p>	<p>एएजेवी एंड एशोसिएट सनदी लेखाकार, एलजीएफ-सी 73, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024</p>

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ("बैंक") की दिनांक 31 मार्च, 2019 की संलग्न एकल वित्तीय विवरणियों, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संक्षेप तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित एकल वित्तीय विवरणियों पर नोट्स सन्निहित हैं, की लेखा परीक्षा की है, जिसमें समाप्त वर्ष के लिए उक्त दिनांक को हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2549 शाखाओं की विवरणियां समाहित हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। इसके अलावा इनमें उन 2090 शाखाओं के तुलन-पत्र एवं लाभ हानि खाते भी शामिल हैं, जो कि लेखा परीक्षाधीन नहीं है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिमों की 9.75%, जमाओं का 27.61%, ब्याज आय का 5.90% तथा ब्याज व्यय की 25.17% हिस्सेदारी है।
- हमारे अभिमत में तथा हमारी सम्पूर्ण जानकारी एवं हमें प्राप्त व्याख्याओं के अनुरूप, उक्त एकल वित्तीय विवरणियां, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप तथा बैंकों के लिए अनिवार्य तरीके से बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा आवश्यक सूचनाओं को प्रदान करती है और:
 - तुलन पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक की हालत का सही एवं निष्पक्ष प्रदर्शन करती हैं;
 - उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि एवं लाभ खाते के मामले में शेष हानि की सही स्थिति दर्शाता है।
 - नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है।

अभिमत का आधार

- हमने हमारी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा खंड में शामिल लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में पुनः व्याख्यायित है। नैतिकता आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता कोड के अनुरूप हम बैंक से स्वतंत्र हैं, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता कोड के अनुरूप हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

मूल लेखापरीक्षा मामले

- मूल लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में हमारे व्यावसायिक न्याय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मामले, सम्पूर्ण एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रदर्शित किए जाते हैं और

उनके आधार पर हम अपने अभिमत का निर्माण करते हैं और हम इन मामलों पर पृथक अभिमत नहीं प्रदान करते हैं. नीचे वर्णित मामलों को हमने मूल लेखापरीक्षा मामला माना है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित होंगे.

मूल लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
<p>1. ऋण एवं अग्रिम</p> <p>गैर निष्पादक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति श्रेणीकरण और प्रावधानों पर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के संगत में किया जाए. (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 5 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)</p> <p>अग्रिम में बैंक की कुल आस्ति का पर्याप्त भाग सन्निहित है. प्रबंधतंत्र ने आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, एवं प्राक्कलन के उच्च स्तर और निर्णय में सन्निहित प्रतिभूति के मूल्यांकन, अग्रिमों की मूल कीमत या तो वैयक्तिक या सामूहिक रूप से भौतिक रूप में अपकथित हो सकते हैं, एवं कुल आस्ति में अग्रिमों के भौतिकत्व को देखते हुए अग्रिमों के वर्गीकरण और उनके प्रावधानीकरण को हमारे द्वारा मूल लेखापरीक्षा के रूप में विचारित किया जाता है. बैंक में ऐसे गैर निष्पादक अग्रिमों की पहचान की गई है जो कि परिचालन में कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर द्वारा सिस्टम पहचान प्रणाली पर आधारित हैं, जो विभिन्न नियंत्रणों और इसमें अंतर्निहित तर्कों पर आधारित हैं.</p> <p>प्रबंधतंत्र ने आईआरएसी मानदंडों के अनुपालन में महत्वपूर्ण निर्णय भी किए हैं और आवश्यक मामलों में पर्याप्त प्रावधान भी किए हैं.</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में डिजाइन की जांच के साथ आंतरिक नियंत्रण की परिचालनीय प्रभाविता और मूल लेखा प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है. विवरण में :</p> <ul style="list-style-type: none"> हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित भा.रि.बैं. के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुपालन में हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम का मूल्यांकन किया है और समझा है; हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया और मैनुअल नियंत्रण सहित संगत नियंत्रणों के परिचालनीय प्रभाविता के लिए प्रयुक्त मूल आईटी सिस्टम/एप्लीकेशन का विश्लेषण किया है और समझा है; <p>मूल नियंत्रणों के परिचालन की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और इस संबंध में भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हमने सीबीएस सिस्टम और प्रबंधतंत्र दोनों के लिए सत्यापित किया है कि</p> <p>(ए) उपलब्ध प्रतिभूति की कीमत में रिस्कीकरण की समय पर पहचान करना;</p> <p>(बी) ऐसे समय-समय पर निगरानी पर आधारित पर्याप्त प्रावधानीकरण और आस्ति वर्गीकरण की पहचान करना.</p> <p>हम, सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ साथ शाखाओं के साथ प्रधान कार्यालय स्तर के सभी एमओसी पर विश्वास जताते हैं.</p> <p>आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी विश्वास जताते हैं.</p> <p>हमारे लेखापरीक्षा प्रक्रिया के परिणामों के भौतिकता पर विचार करते हुए इसे पर्याप्त और संतोषजनक पाया गया है.</p>
<p>2. निवेश</p> <p>बैंक के निवेश पोर्टफोलियों में सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे निवेश शामिल हैं जो कि तीन श्रेणियों के अंतर्गत, परिपक्वता तक रखी जाने वाली, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए रखी जाने वाली के रूप में वर्गीकृत हैं. निवेश में बैंक के कुल आस्ति का एक पर्याप्त हिस्सा भी शामिल है.</p> <p>निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय के अनुरूप गैर-निर्धारण एवं उन पर प्रावधान, भा.रि.बैं. के प्रासंगिक परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के संगत में किया जाता है.</p> <p>(वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें)</p>	<p>निवेशों की तरफ हमारे लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण भा.रि.बैं. के परिपत्रों/आदेशों के संदर्भ के साथ डिजाइन की समीक्षा और जांच, आंतरिक नियंत्रण की परिचालनीय प्रभाविता और मूल्यांकन के संबंध में मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधानीकरण/मूल्यहास शामिल हैं. विवरण में,</p> <ul style="list-style-type: none"> मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, प्रावधानीकरण और निवेशों पर मूल्यहास से संबंधित भा.रि.बैं. के प्रासंगिक दिशानिर्देशों की संगत में हम बैंक द्वारा निर्धारित सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण का आंकलन करते हैं और समझते हैं.



<p>उक्त प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार का मूल्यांकन भा.रि.बैं. द्वारा परिपत्रों और आदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किए जाएंगे जिनमें विभिन्न स्रोतों से संग्रहित डाटा/ सूचनाएं जैसे कि एफबिल दर, बीएसई/एनएसई पर प्रदर्शित दरों, गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की वित्तीय विवरणियां, प्रतिभूति रसीदों के मामले में एनएवी इत्यादि शामिल है।</p> <p>भा.रि.बैं. के आदेशों के अनुसार, कुछ निश्चित निवेश है जो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित है तथापि कुछ निश्चित निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित है जिसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के साथ सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों इत्यादि पर आधारित मूल्यांकन पर कीमत का निर्धारण भी शामिल है। इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निश्चित की गई कीमत केवल निवेशों के निष्पक्ष निर्धारण द्वारा होता है।</p> <p>इसलिए निवेशों का मूल्यांकन पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है और आगे वित्तीय विवरणियों में निवेशों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उसे हमारी लेखापरीक्षा में मूल लेखापरीक्षा मामले के रूप में विचार किया जाता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> - भारिबैं के दिशानिर्देशों की संगत में प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्कार्यनिष्पादन मूल्यांकन द्वारा भा.रि.बैं. के मास्टर परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ निवेशों के चयनित नमूनों के लिए शुद्धता की जांच की गई है। - हमने एनपीआई के पहचान की प्रक्रिया, और आय की तदनुसूच निरसन और प्रावधानों के सृजन का आंकलन एवं मूल्यांकन किया है। - हम, स्वतंत्र रूप से पुनः परिकलन करने, प्रावधान सृजित करने और मूल्यहास प्रदान करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाते हैं। <p>हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया का परिणाम लेनदेनों की भौतिकता को देखते हुए पर्याप्त और संतोषजनक पाया गया है।</p>
<p>3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग -</p> <p>हमारे बैंक का परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) और अन्य स्वचालित प्रक्रिया और लेनदेनों की वृहद मात्रा के नियंत्रणों के साथ समवित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित आईटी प्रणाली पर निर्भर है।</p> <p>प्रक्रिया एवं नियंत्रण, उचित उपयोगकर्ता संचालन और उपयोग में आ रहे प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए है।</p> <p>बैंक के पास उच्च प्रबंधन के पर्यवेक्षण एवं आईटी सेवाओं के रखरखाव के लिए विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों सहयोग के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी कर रहा है।</p> <p>तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों पर व्यापक प्रभाव के कारण मूल आईटी प्रणाली और नियंत्रण पर केंद्रित है एवं हमारी लेखा में इसे मूल लेखा परीक्षा के रूप में विचार किया जाता है।</p>	<p>हमने मूल्यांकन आयोजित किया और मूल आईटी एप्लीकेशन, डाटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक रूप से प्रासंगिक सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को चिह्नित किया गया। लेखापरीक्षा और वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने में उपयोग किए जा रहे सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से संबंधित मूल आईटी सिस्टम के लिए हमारी लेखापरीक्षा का फोकस क्षेत्र अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार प्राप्त के ऊपर नियंत्रण सहित) के साथ एप्लीकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डाटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन के लिए है। विवरण में :</p> <ul style="list-style-type: none"> • हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण एवं मूल परिवर्तनों की समझदारी बनाई है जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकती है। • बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के ऊपर मूल आईटी सिस्टम के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभाविता की जांच की है जो वित्तीय विवरणियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें करों के पृथक्करण मूल्यांकन और विधिवत अनुमोदित आवेदनों पर आधारित प्रावधान/संशोधित किए गए अधिकारों के संचालन, समयबद्ध तरीके में निरस्त किए गए एक्जिट मामलों के संचालन के लिए बैंक के नियंत्रण का मूल्यांकन शामिल है। • हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम सृजित रिपोर्टों के लिए मूल स्वचालित और मैनुअल व्यवसाय चक्रीय नियंत्रण और लॉजिक की भी जांच की है, साथ में प्रतिकारी नियंत्रणों अथवा आकलन हेतु निष्पादित वैकल्पिक प्रक्रियाओं, या जहां कोई असम्बोधित आईटी जोखिम हो जिससे वित्तीय विवरणियों पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है। वित्तीय विवरणियों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा सूचनाएं। • हमारे लेखापरीक्षा प्रक्रिया के परिणाम पर्याप्त और संतोषजनक पाए गए हैं।



वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त सूचना तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

5. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेवार है। अन्य सूचना में अनुलगनक सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एवं प्रबन्धतंत्र चर्चा और विश्लेषण किंतु इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचना हमें इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात उपलब्ध हो सकती है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में हमारी राय अन्य सूचना एवं बेसल III प्रकटीकरण शामिल नहीं है, हम इस पर कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, उपर्युक्त चिन्हित अन्य सूचना को जब भी यह उपलब्ध होगी पढ़ना है ऐसा करने में, सोचिए क्या अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के साथ विषयी असंगति है अथवा लेखापरीक्षा में हमारी जानकारी ली गई अथवा अन्यथा विषयी अयथार्थ प्रतीत होता है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें विषयी असत्य विवरण है, हमें गवर्नेंस के साथ आरोपित मामले को सूचित करना आवश्यक है और लागू विधि एवं विनियामकों के अंतर्गत कार्यवाही करेंगे।

प्रबन्धतंत्र की जिम्मेवारी एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों हेतु तथा गवर्नेंस के साथ आरोपित

6. बैंक का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन तथा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखांकन, एवं बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 के अनुबन्ध 29 के प्रावधान एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश एवं परिपत्र के अनुसार बैंक के नकद प्रवाह के मामले में सत्य एवं उचित जानकारी देता है। यह जिम्मेवारी है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण हेतु सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की आस्तियों का पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव सहित धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं समाप्त करने हेतु, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा आवेदन, निर्णय बना तथा यह अनुमान लगाना कि लेखांकन रिकॉर्ड की स्पष्टता तथा पूर्ण्यता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी परिचालन किया गया था, कि विषयी अयथार्थ से यह सत्य एवं उचित अवलोकन देगा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी में कार्यशील संस्था के तौर निरंतर बने रहने के लिए बैंक की क्षमता का आंकलन करने, कार्यशील संस्था संबंधी मामलों संबंधी लागू के अनुसार प्रकटीकरण हेतु प्रबंधतंत्र जिम्मेवार है तथा लेखांकन हेतु कार्यशील संस्था आधारित उपयोग करते हुए अन्यथा प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन करेगा या परिचालन रोकेगा अथवा वास्तविक विकल्प नहीं है किंतु ऐसा ही करना होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारे उद्देश्य तार्किक आश्वासन प्राप्त करना क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां एक समग्र रूप से विषयी अयथार्थ से मुक्त है, क्या धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में हमारी राय शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन एक गारंटी नहीं कि स्टैंडअलोन के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा जब भी कार्यान्वयन होगा हमेशा विषयी अयथार्थ का पता लगेगा। अयथार्थ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और यदि वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में यह विषयगत समझा जायेगा, वे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों आधार पर लेकर उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकता था।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के तौर पर, हम व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया का पालन करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयशीलता बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणियों के विषयी अयथार्थ के जोखिम की पहचान अथवा आंकलन करना, बहराल धोखाधड़ी अथवा त्रुटि, डिजाइन के कारण तथा उन जोखिमों की अनुक्रयशीलता के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रिया की गई, और हमारी राय हेतु लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने जो एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त तथा उचित हो। विषयी अयथार्थ का पता नहीं लगाने का जोखिम जिसके परिणाम स्वरूप एक त्रुटि के पता न लगाने से धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है क्योंकि धोखाधड़ी में कपटपूर्ण, जालसाजी, आंतरिक चूक, अयथार्थ अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों का औचित्य एवं संबंधी प्रकटीकरण बनाना।
- लेखांकन आधारित तथा लिए गए लेखांकन साक्ष्य पर आधारित कार्यशील संस्था के उपयोग पर प्रबंधन के औचित्य का निष्कर्ष बहराल घटनाओं अथवा परिस्थितियों संबंधी एक विषयी अनिश्चितता निकास जो कार्यशील संस्था के तौर पर बैंक की निरंतर होने की क्षमता पर पर्याप्त संदेह व्यक्त करता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक विषयी अनिश्चितता होती है, हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण संबंधी अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हो उन्हें हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक लिए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां बैंक को कार्यशील संस्था के तौर पर कायम रखने हेतु कारण हो सकती है।



- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण, ढांचा एवं विषय का मूल्यांकन तथा क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी अंतरनिहित लेनदेनों एवं घटनाओं की प्रस्तुति को ऐसे क्रम में रखें जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त हो सके.

स्टैंडअलोन विवरणी में विषयी एक अयथार्थ की महत्ता है जो वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में इसे संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणियों के एक तर्कसंगत अनुभवी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम सोचते हैं कि गुणात्मक विषयी एवं गुणात्मक घटक है (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाना और हमारे कार्य परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी चिन्हित अयथार्थ विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करना.

हम अन्य मामलों के साथ परिचालन संबंधी उन आरोपों के साथ सूचित करते हैं, योजनाबद्ध क्षेत्र और लेखापरीक्षा की समयसीमा एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धि, आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमियों सहित हमारे लेखापरीक्षा के दौरान हमने चिन्हित किया है.

हम विवरणी के साथ परिचालन सहित उन आरोप को भी उपलब्ध कराते हैं जो हमने स्वतंत्र संबंधी संबद्ध नीतिपरक अपेक्षाओं सहित संकलित किया है और सभी संबंधी एवं अन्य मामलों के साथ उन्हें सूचित करते हैं हमारी स्वतंत्रता पर तार्किक रूप से विचार हो सकता है और सुरक्षा संबंधी जहां भी लागू हो.

परिचालन सहित उन आरोप के साथ सूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं कि चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षा में अतिमहत्वपूर्ण है और इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों को वर्णित करते हैं जब तक विधि अथवा विनियामक मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण अथवा जब विशेष असाधारण कारणों को प्रतिबंधित करता है, हम निर्धारित करते हैं मामला हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सूचित नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसी सूचनाओं के प्रभावशाली सार्वजनिक हित प्रतिलाभ तर्कसंगत असंभावी होंगे.

अन्य मामले

8. बैंक के एकल वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित 2549 शाखाओं की वित्तीय विवरणियों / सूचनाओं का हमने लेखापरीक्षा नहीं किया है जिनकी वित्तीय विवरणियों / वित्तीय सूचनाओं में दिनांक 31 मार्च, 2019 को कुल ₹ 96589.14 करोड़ का अग्रिम एवं इस तारीख को समाप्त पूर्ण वर्ष के लिए ₹ 17577.07 करोड़ की ब्याज आय परिलक्षित है जोकि एकल वित्तीय विवरणियों / सूचनाओं में यह समझी गयी है कि इन शाखाओं का लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है एवं जिनकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, एवं हमारी राय में जहां तक यह राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित है, शाखाओं के संबंध में सम्मिलित है, पूर्ण तौर पर शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है.

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.
10. उपर्युक्त पैरा 6 से 8 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकताओं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षित सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए. हमने अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के आवश्यक हमारी जानकारी एवं निष्ठापूर्वक सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है.

बी. हमारे ध्यान में आए बैंक के सभी लेन देन बैंक की शक्तियों के अनुसार हैं एवं

सी. लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियां पर्याप्त पायी गयी हैं.

11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

ए. हमारी राय में, कानून की आवश्यकता के अनुसार खातों की उचित बहियां बैंक द्वारा रखी गयी हैं एवं हमारे द्वारा उन बहियों की जांच से पता लगता है एवं हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां हमें उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिन शाखाओं का हमने निरीक्षण नहीं किया है.

बी. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, लाभ हानि खाता एवं नगद प्रवाह विवरणियां खातों की बहियों एवं उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियां जिन शाखाओं का हमने निरीक्षण नहीं किया है, के साथ करार में हैं.

सी. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत शाखा लेखापरीक्षक की शाखा कार्यालय रिपोर्ट हमें प्रेषित की गयी एवं इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से संव्यवहार किया गया. एवं



डी. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाते एवं नगद प्रवाह विवरणियां लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं एवं काफी हद तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के असंगत नहीं हैं।

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)

भागीदार

सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए दर्शित जोशी)

भागीदार

सदस्यता सं.133755

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)

भागीदार

सदस्यता सं. 039585

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)

भागीदार

सदस्यता सं. 093348

स्थान : मुंबई

दिनांक : 15 मई, 2019



आस्तियों एवं देयताओं की एकल वित्तीय विवरणीयाँ

(000 को छोड़कर)

विवरण	31.03.2019 को लेखापरीक्षित ₹	31.03.2018 को लेखापरीक्षित ₹
पूँजी एवं देयताएँ		
पूँजी	4,04,720.14	2,61,815.58
प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	14,88,765.52	15,36,737.78
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित	21,254.09	-
जमा राशियाँ	2,99,85,543.68	2,94,83,885.73
उधार राशियाँ	5,23,906.16	5,70,611.62
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	6,47,576.80	7,69,476.83
कुल	3,30,71,766.39	3,26,22,527.54
आस्तियाँ		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	20,77,908.50	35,99,990.88
बैंकों में जमाराशियाँ एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	10,42,084.58	3,22,852.65
निवेश	1,25,29,806.97	1,02,63,161.22
अग्रिम	1,46,52,536.06	1,56,54,217.71
अचल आस्तियाँ	4,31,024.38	4,34,338.11
अन्य आस्तियाँ	23,38,405.90	23,47,966.97
कुल	3,30,71,766.39	3,26,22,527.54

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई

दिनांक: 15 मई, 2019



दिनांक 31 मार्च, 2019 का तुलन पत्र

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2019 को ₹	31 मार्च 2018 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	4,04,72,014	2,61,81,558
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	14,88,76,552	15,36,73,778
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित		21,25,409	-
जमा राशियां	3	2,99,85,54,368	2,94,83,88,573
उधार राशियां	4	5,23,90,616	5,70,61,162
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	6,47,57,680	7,69,47,683
कुल		3,30,71,76,639	3,26,22,52,754
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	20,77,90,850	35,99,99,088
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	10,42,08,458	3,22,85,265
निवेश	8	1,25,29,80,697	1,02,63,16,122
अग्रिम	9	1,46,52,53,606	1,56,54,21,771
अचल आस्तियां	10	4,31,02,438	4,34,33,811
अन्य आस्तियां	11	23,38,40,590	23,47,96,697
कुल		3,30,71,76,639	3,26,22,52,754
आकस्मिक देयताएं	12	86,66,82,022	1,19,39,78,648
संग्रहण हेतु बिल	-	16,24,73,915	14,48,60,670
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन के नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

आलोक श्रीवास्तव कार्यपालक निदेशक	बी.एस.शेखावत कार्यपालक निदेशक	पी.रमण मूर्ति कार्यपालक निदेशक	पल्लव महापात्र प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	तपन राय अध्यक्ष
डॉ. भूषण कुमार सिन्हा निदेशक	थॉमस मैथ्यू निदेशक	एन. नित्यानंद निदेशक	प्रो. (डॉ.) आत्मानंद निदेशक	
कृते एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000478एन	कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू	कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू	कृते एएजेवी एंड एशोसिएट सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 007739एन	
(सीए ज्योति बग्गा) भागीदार सदस्यता सं. 087002	(सीए बी. एम. अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं. 033254	(सीए ए.वी. कामत) भागीदार सदस्यता सं. 039585	(सीए दीपक गर्ग) भागीदार सदस्यता सं. 093348	

स्थान: मुंबई

दिनांक: 15 मई, 2019



दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	22,63,85,707	24,03,55,171
अन्य आय	14	2,41,29,368	2,62,23,513
कुल		25,05,15,075	26,65,78,684
II. व्यय			
व्यय ब्याज	15	15,86,63,898	17,51,85,079
परिचालन खर्चे	16	6,05,86,250	6,40,63,689
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		8,76,79,726	7,83,78,890
कुल		30,69,29,874	31,76,27,658
III. पूर्वावधि की मदों के पूर्व वर्ष का शुद्ध लाभ / (हानि)		(5,64,14,799)	(5,10,48,974)
घटाएं: पूर्वावधि मदें		-	-
पूर्वावधि की मदों के पश्चात वर्ष का शुद्ध लाभ / (हानि)		(5,64,14,799)	(5,10,48,974)
लाभ/(हानि) आगे ले जाया गया		(10,55,31,577)	(5,35,63,918)
कुल		(16,19,46,376)	(10,46,12,892)
IV. विनियोजन			
को अंतरित :			
सांवाधिक आरक्षित		-	-
निवेश आरक्षित		5,63,762	9,18,685
विशेष आरक्षित 36(1)(viii) के अंतर्गत		-	-
स्टाफ कल्याण निधि		-	-
राजस्व आरक्षित		-	-
बीमा के रूप में निधि		-	-
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी पूंजी		-	-
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी		-	-
लाभांश कर		-	-
तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		(16,25,10,138)	(10,55,31,577)
कुल		(16,19,46,376)	(10,46,12,892)
ईपीएस (प्राथमिक एंड अकुशल)		(20.19)	-26.34
प्रधान लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त फॉर्म की निर्देशित सूची लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है.

आलोक श्रीवास्तव कार्यपालक निदेशक	बी.एस.शेखावत कार्यपालक निदेशक	पी.रमण मूर्ति कार्यपालक निदेशक	पल्लव महापात्र प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	तपन राय अध्यक्ष
डॉ. भूषण कुमार सिन्हा निदेशक	थॉमस मैथ्यू निदेशक	एन. नित्यानंद निदेशक	प्रो. (डॉ.) आत्मानंद निदेशक	
कृते एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000478एन	कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू	कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू	कृते एएजेवी एंड एशोसिएट सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 007739एन	
(सीए ज्योति बग्गा) भागीदार सदस्यता सं. 087002	(सीए बी. एम. अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं. 033254	(सीए ए.वी. कामत) भागीदार सदस्यता सं. 039585	(सीए दीपक गर्ग) भागीदार सदस्यता सं. 093348	

स्थान: मुंबई

दिनांक: 15 मई, 2019



दिनांक 31 मार्च 2019 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2019 को		31/03/2018 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		5,00,00,000		5,00,00,000
प्रत्येक रु. 10/- के 500,00,00,000 शेयर प्रत्येक रु. 10/- के (गत वर्ष 500,00,00,000 शेयर)				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :				
इक्विटी शेयर	4,04,72,014		2,61,81,558	
इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10/- के 26,18,155,755 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1,90,21,70,964 इक्विटी शेयर) सहित केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु. 10/- के 22,62,123,970 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 154,61,39,79 इक्विटी शेयर)				
कुल		4,04,72,014		2,61,81,558
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,06,35,979		2,06,35,979	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		2,06,35,979		2,06,35,979
II. प्रारक्षित निधि				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	3,13,02,428		3,20,53,777	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन से वृद्धि	91,575		-	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	6,48,045		7,51,349	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
		3,07,45,958		3,13,02,428
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1,10,91,385		1,01,72,700	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,63,762		9,18,685	
		1,16,55,147		1,10,91,385
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	16,99,08,791		11,86,58,639	
वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन	5,16,29,543		5,12,50,152	
		22,15,38,334		16,99,08,791
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
i) राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,52,66,772		2,47,02,513	
जोड़े: पूंजी राजस्व से अंतरण	6,48,045		7,51,349	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (एस इल्यू निधि)	6,959		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	1,10,503		1,87,090	
		2,58,11,273		2,52,66,772
V. विशेष प्रारक्षित निधियां आयकर अधिनियम के यूएस 36 (1)(नग)		10,00,000		10,00,000
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		(16,25,10,139)		-10,55,31,577
कुल		14,88,76,552		15,36,73,778



(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2019 को		31/03/2018 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	1,32,14,516		43,03,783	
ii) अन्य से	15,09,51,022		14,25,61,085	
		16,41,65,538		14,68,64,868
II. बचत बैंक जमाराशियां	1,22,13,88,674			1,10,50,92,892
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	2,70,05,949		4,01,77,032	
ii) अन्य से	1,58,59,94,207		1,65,62,53,781	
		1,61,30,00,156		1,69,64,30,813
कुल		2,99,85,54,368		2,94,83,88,573
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		2,99,85,54,368		2,94,83,88,573
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-

अनुसूची 4 : उधार राशियां

I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	-		-	
ii) अन्य बैंक	44,471		11,534	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	29,55,145		41,08,628	
iv) अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	50,00,000		77,00,000	
V) अपर टियर II बॉन्ड्स	2,30,00,000		2,88,50,000	
vi) नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	13,91,000		13,91,000	
vii) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉण्ड्स (टीयर II)	2,00,00,000		1,50,00,000	
		5,23,90,616		5,70,61,162
II. भारत के बाहर उधारराशियां		-		-
कुल		5,23,90,616		5,70,61,162
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां		निरंक		निरंक

अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान

I. देय बिल	64,54,286		69,18,635	
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-		55,26,439	
III. उपचित ब्याज	83,71,940		77,60,143	
IV. आस्थगित कर देयता				-
V. अन्य (प्रावधान सहित)	4,99,31,454		5,67,42,466	
कुल		6,47,57,680		7,69,47,683



(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2019 को		31/03/2018 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		1,33,75,164		1,50,54,784
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	14,04,15,686		13,59,44,304	
अन्य खातों में	5,40,00,000		20,90,00,000	
		<u>19,44,15,686</u>		<u>34,49,44,304</u>
कुल		20,77,90,850		35,99,99,088

अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि

I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	6,65,590		11,47,045	
बी) अन्य जमा खातों में	6,880		13,045	
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	19,00,000		-	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	10,15,66,371		2,01,07,348	
		<u>10,41,38,841</u>		<u>2,12,67,438</u>
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	69,582		68,427	
बी) अन्य जमा खातों में	35		1,09,49,400	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
		<u>69,617</u>		<u>1,10,17,827</u>
कुल		10,42,08,458		3,22,85,265

अनुसूची 8 : निवेश

I. भारत में निवेश*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	96,20,60,271		81,31,71,345	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	83,42,097		1,26,11,655	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	21,46,94,317		14,22,05,198	
v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	30,39,987		30,39,987	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि)	6,43,69,140		5,48,13,052	
		<u>1,25,25,05,812</u>		<u>1,02,58,41,237</u>
II. भारत के बाहर निवेश**				
विदेशों में अनुषंगियां एवं असोशिएट्स		<u>4,74,885</u>		<u>4,74,885</u>
कुल		1,25,29,80,697		1,02,63,16,122

* भारत में निवेश

सकल मूल्य	1,29,17,18,017		1,05,24,71,735	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	3,92,12,205		2,66,30,498	
शुद्ध मूल्य		1,25,25,05,812		1,02,58,41,237

** भारत के बाहर निवेश

सकल मूल्य	4,75,100		4,75,100	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	215		215	
शुद्ध मूल्य		4,74,885		4,74,885



(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2019 को		31/03/2018 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	1,11,08,722		1,21,08,770	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	70,50,21,260		70,53,09,854	
iii) मीयादी ऋण	74,91,23,624		84,80,03,147	
कुल	1,46,52,53,606		1,56,54,21,771	
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,37,15,43,682		1,46,46,06,458	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	71,60,273		41,63,297	
iii) अरक्षित	8,65,49,651		9,66,52,016	
कुल	1,46,52,53,606		1,56,54,21,771	
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	77,46,50,563		78,35,46,358	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	4,18,77,509		4,39,19,258	
iii) बैंक	11,452		1,643	
iv) अन्य	64,87,14,082		73,79,54,512	
कुल	1,46,52,53,606		1,56,54,21,771	
(II) भारत के बाहर अग्रिम				
		-		-

अनुसूची 10 : अचल आस्तियां

I. परिसर

(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)

पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि

4,03,28,001

4,01,28,537

वर्ष के दौरान परिवर्धन (पुनर्मूल्यांक सहित)

14,580

1,99,464

कुल

4,03,42,581

4,03,28,001

वर्ष के दौरान कमी / समायोजन

1,13,186

-

इस दिनांक को मूल्यहास

73,27,018

67,85,203

कुल

3,29,02,377

3,35,42,798

II. अन्य अचल आस्तियां

(फर्नीचर एव जुडनार सहित)

पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि

2,90,61,087

2,63,41,855

वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन

27,56,744

34,88,370

कुल

3,18,17,831

2,98,30,225

वर्ष के दौरान कमी/ समायोजन

6,07,292

7,69,138

कुल

3,12,10,539

2,90,61,087

इस दिनांक को मूल्यहास

2,10,10,478

1,91,70,074

कुल

1,02,00,061

98,91,013

कुल (I और II)

4,31,02,438

4,34,33,811



(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2019 को		31/03/2018 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	1,84,62,354		1,67,85,595	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	5,16,34,457		5,34,81,235	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	2,01,811		1,99,846	
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	-		-	
V. आस्थगित कर आस्तियां	7,89,40,100		5,36,80,300	
VI. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	12,55,928		-	
VII. अन्य	8,33,45,940		11,06,49,721	
कुल	23,38,40,590		23,47,96,697	

अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं

I. (ए) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.	10,52,491		11,03,950	
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग	2,56,91,553		2,97,99,058	
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	52,498		76,140	
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता	64,44,32,269		92,83,13,329	
IV. ग्राहकों की आरे से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	11,56,86,575		10,44,10,635	
बी) भारत के बाहर	71,56,062		28,39,496	
	12,28,42,637		10,72,50,131	
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	6,61,57,213		12,30,09,267	
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	64,53,361		44,26,773	
कुल	86,66,82,022		1,19,39,78,648	



दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13 : अर्जित व्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर व्याज/ बट्टा	12,94,97,463	14,47,87,536
II. निवेशों पर आय	8,45,42,399	7,13,73,632
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर व्याज	87,28,057	2,05,85,442
IV. अन्य की	36,17,788	36,08,561
कुल	22,63,85,707	24,03,55,171

अनुसूची 14 : अन्य आय

I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	1,20,38,126	1,26,24,751
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	21,51,879	57,66,755
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि)	-	-
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि)	(44,269)	(44,982)
V. विनमय लेन देनों पर लाभ (शुद्ध)	14,04,372	14,09,054
VI. भारत/विदेशों में अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स से लाभांश इत्यादि के रूप में अर्जित आय	52,200	1,00,972
VII. विविध आय	85,27,060	63,66,963
कुल	2,41,29,368	2,62,23,513

अनुसूची 15 : प्रदत्त व्याज

I. जमाराशियों पर व्याज	15,27,63,230	16,22,26,890
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर व्याज	47,690	45,704
III. अन्य	58,52,978	1,29,12,485
कुल	15,86,63,898	17,51,85,079

अनुसूची 16 : परिचालन व्यय

I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	3,56,52,216	3,98,33,703
II. किराया, कर एवं बिजली	47,24,267	47,46,738
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	2,87,739	3,62,698
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	1,05,710	2,41,456
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	27,77,242	26,03,090
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	14,557	10,622
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	3,03,412	1,98,592
VIII. विधि प्रभार	1,67,276	1,71,272
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	8,99,275	6,63,447
X. मरम्मत एवं रखरखाव	9,88,942	11,32,748
XI. बीमा	30,00,804	35,71,763
XII. अन्य व्यय	1,16,64,810	1,05,27,560
कुल	6,05,86,250	6,40,63,689



अनुसूची 17 - महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

1. ए) तैयार करने का आधार :

वित्तीय विवरणियां लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए, परिसरों के पूनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं। एवं सभी तात्त्विक पहलुओं के संबंध में वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाएं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं समाविष्ट हैं।

बी) प्राक्कलनों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सूचित आय एवं व्यय पर विचार करते हुए प्रबंधतंत्र के प्राक्कलनों और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। प्रबंधतंत्र को यह विश्वास होता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं।

आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जब किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो।

2. बी) विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन-देन :

- 2.1 लेनदेनों को प्रारम्भ में पिछले दिन के अंतिम दर पर दर्ज किया जाता है।
- 2.2 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।
- 2.3 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।
- 2.4 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं।
- 2.5 बकाया वायदा संविदाएं तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

3. निवेश :

- 3.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को “परिपक्वता तक धारित”, “व्यापार हेतु धारित” तथा “विक्रय के लिए उपलब्ध” श्रेणियों में श्रेणीकृत किया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है
 - i. सरकारी प्रतिभूतियां
 - ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - iii. शेयर्स
 - iv. डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
 - v. अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
 - vi. अन्य (वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स)

3.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

i) परिपक्वता तक धारित

इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है। अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश को भी “परिपक्वता तक धारित ” के अंतर्गत श्रेणीकृत किया जाता है।

ii) व्यापार के लिए धारित

प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं।

iii) विक्रय के लिए उपलब्ध

वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं।



3.3 श्रेणियों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण :

निवेश की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख को न्यूनतम अधिग्रहण लागत / बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य पर लेखांकित की जाती है। इस अंतरण पर मूल्यहास, यदि है, का पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

3.4 मूल्यनिर्धारण :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक वैयक्तिक निवेश के लिए, जो अपने स्वरूप में अस्थायी से अलग है, के रखाव लागत में हास को घटाकर किया जाता है।

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर क्रिपवार बाजार के लिए निम्नवत चिन्हित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए/ पीडीएआई द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां,	परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर
iv)	इक्विटी शेयर्स	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) तुलनपत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो।
v)	अधिमानी शेयर्स	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड्स	ए) उद्धृत : (पिछले 15 दिनों में व्यापार किए गए) अंतिम व्यापार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्युच्युअल फंड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ)	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के ब्रेक-अप आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों। यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीए) के लिए ₹ 1/-
ix)	प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर)	एसबी /एआरसी द्वारा सूचित आस्ति मूल्य पर

प्रतिभूतियों के बही मूल्य को समायोजित किए बिना प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, को नजरअंदाज किया जाता है।

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है। प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बिना प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, को नजरअंदाज किया जाता है।



3.5 लागत निर्धारण :

- निवेश की लागत का निर्धारण भारत औसत लागत के आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त ब्रोकरेज, प्रोत्साहन, प्रारम्भिक शुल्क इत्यादि को निवेश की लागत में से घटाया जाता है।
- प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च यथा ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन अथवा करों को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

3.6 आय निर्धारण :

- निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। तथापि “परिपक्वता के लिए धारित” श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि “पूँजी प्रारक्षित निधि” में विनियोजित की गयी है।
- निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है। अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं।
- राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण को अवमानक/संदिग्ध/हानि, जैसा भी मामला हो, के साथ में वर्गीकृत किया जाता है यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हों अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हों।
- प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है।

3.7 रेपो/रिवर्स रेपो के लिए लेखांकन और चलनिधि समायोजन सुविधा(एलएएफ) :

भारिबैं के साथ एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अंतर्गत सहमत शर्तों पर बेची/खरीदी गई प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद/पुनर्विक्रय के अनुबंध को उधार/ ऋण के रूप में मान्य किया जाता है।

4. डेरिवेटिव्स :

4.1 वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है।

- ऐसे मामलों में, जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।
- जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है।
- स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

4.2 व्यापार के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है :

- एमसीएक्स – एएसएक्स, एनएसई और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनियम दिशानिर्देशानुसार करेंसी फ्यूचर और ब्याज दर फ्यूचर को दैनिक आधार पर बाजार हेतु चिन्हित किया जाता है।
- एमटीएम लाभ/हानि मार्जिन खाते में दैनिक आधार पर जमा/ नामे द्वारा लेखांकित किया जाता है और वही अंतिम निपटान के समय बैंक के लाभ और हानि खाते में लेखांकित होना चाहिए।
- बाजार के लिए ट्रेडिंग स्वैप नियमित अंतराल पर चिन्हित किए जाते हैं। किसी भी तरह की एमटीएम हानि दर्ज की जाती है और किसी प्रकार के लाभ, यदि हो तो उनकी उपेक्षा की जाती है।
- स्वैप की समाप्ति पर प्राप्ति अथवा हानि को उपरोक्त हेड के अंतर्गत तत्काल आय/व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

5. अग्रिम :

5.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हो।

5.2 गैर-निष्पादक आस्तियों में आंशिक वसूली सर्वप्रथम मूल राशि के साथ और उसके पश्चात ब्याज राशि में विनियोजित की जाती है। तथापि, किसी भी उधार खाते को पूर्व की तारीख से गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है तो, उस समय खाते में की गई किसी भी वसूली को, सर्वप्रथम ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (अर्थात् दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना (एस4ए), कर्ज की रणनीतिक संरचना, दीर्घावधि



परियोजना ऋण की लचीली संरचना(5/25), उधार ईकाइयों के स्वामित्व का परिवर्तन (वाह्य रणनीतिक कर्ज पुनर्संरचना योजना) में जमा किया जाएगा, जब तक खाता मानक के रूप में वर्गीकृत था.

5.3 अग्रिम प्रावधानों, (एनपीए के मामलों में) अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं.

5.4 मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान – अन्य में शामिल हैं.

5.5 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

5.5.1 यदि एससी/एआरसी को की गयी बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी या तो लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है अथवा दिनांक 26.02.2014 को अथवा उसके पश्चात की गयी आस्तियों की बिक्री पर इस प्रकार की कमी को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो / एक वर्ष की अवधि में समय विस्तारित किया गया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन है.

5.5.2 यदि नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर बिक्री हुई हो तो उस आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है.

5.5.3 यदि एससी/आरसी को एनबीवी के मूल्य से अधिक पर बिक्री हुई हो तो नकद वसूली के समान प्रावधान आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है एवं शेष बचे प्रावधान आधिक्य को एससी/आरसी को बेचे जाने वाली वित्तीय आस्तियों की कमी/हानि के लिए उपयोग करने हेतु रखा जाता है.

6. अचल आस्तियां/मूल्यहास :

6.1 अचल आस्तियों का मूल्यहास “मूल्यहासित मूल्य प्रणाली” के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है):

i. परिसर	अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii. फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii. वाहन	20%
iv. वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v. सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%

(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है)

6.2 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है तथा 99 वर्ष या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है. पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

6.3 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां मूल्यहास सम्मिश्र लागत पर किया गया है.

6.4 ये आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनका मूल्यहास / परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है, जिसे लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि को निरूपण योग्य वृद्धिशील मूल्यहास / परिशोधन को “पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि” से अंतरित कर “राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां” में जमा किया गया है.

6.5 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है.

7. कर्मचारी लाभ :

कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान दी गयी सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों को उपचित किया गया है. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, वे होते हैं जो उस वर्ष प्रदान की गयी सेवाओं के लिए संबंधित वर्ष के लाभ हानि के खाते में व्यय के रूप में माना गया है.

परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेज्युटि में अंशदान, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयताओं का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से प्राप्त वर्तमान मूल्य के आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है. बीमांकित लाभ / हानि की गणना उनके उत्पन्न होने वाले वर्ष में ही की जाती है.

भविष्य निधि एक निर्धारित योगदान है जिसके तहत बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर एक निर्धारित योगदान का भुगतान करता है. बैंक का कर्तव्य इस निर्धारित योगदान तक सीमित है. यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित की जाती है.

राष्ट्रीय पेंशन योजना, जो उन कर्मचारियों पर लागू है जिन्होंने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके बाद बैंक में नियुक्ति पाई है, एक निर्धारित योगदान योजना है. बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है. बैंक का कर्तव्य इस निर्धारित योगदान तक सीमित है. यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित की जाती है.

8. आय एवं व्यय की पहचान :

- 8.1 विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/ व्यय की मदों को सामान्यतः उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.
- 8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई मद कुल आय/कुल व्यय के 1% से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया गया है.
- 8.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किया जाता है.

9. आयकर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, एक समय में उत्पन्न होने वाली कर योग्य आय तथा लेखा आय को पञ्चवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तित करने में सक्षम समय अंतराल को भी ध्यान में रखते हैं. आस्थगित कर आस्तियों को उतना ही माना जाएगा जितने के लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के समक्ष पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होने की तर्कसंगत सुनिश्चितता हो. आगे लाए गए अनवशोषित अनवशोषित मूल्यह्रास एवं कर हानि के मामलों में, आस्थगित कर आस्तियों को तभी माना जाएगा जब ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के भावी कर योग्य आय से हासिल किया जा सकेगा. आस्थगित कर आस्तियों की धारित राशि की वसूली के पुनर्आकलन के कारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. विवादित कर देयताओं का लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें कर निर्धारण/अपील कार्रवाई पूर्ण होती है, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है.

10. प्रावधान, आकस्मिकता एवं अनुषंगी आस्तियां

पिछले कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चित समय अथवा राशि के ऐसे वर्तमान दायित्वों जिनका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो एवं उन दायित्वों के समाधान के लिए आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों का बहिर्गमन संभव हो, के वर्तमान दायित्वों के लिए प्रावधान मान्य किए जाते हैं जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता संभावित न हो अथवा राशि का विश्वस्त आकलन नहीं किया जा सकता हो तो आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावनाके अत्यन्त क्षीण रहने तक ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है.

अंतिम वित्तीय विवरणियों में अनुषंगी आस्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई

दिनांक: 15 मई, 2019



अनुसूची-18 : लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1. पूंजी :

दिनांक 31 मार्च 2019 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी बढ़कर ₹4047.20 करोड़ हो गयी जो पिछले वर्ष ₹2618.16 करोड़ थी. यह वृद्धि तीन आबंटनों में ₹ 10/- प्रत्येक के 1429045682 नए इक्विटी शेयर्स जारी करने से हुई है.

ए. दिनांक 13.11.2018 को भारत सरकार को ₹ 56.43 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 354357970 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

बी. दिनांक 28.02.2019 को ₹ 33.31 के प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 387439390 के इक्विटी शेयर भारत सरकार को आबंटित किए गए.

सी. दिनांक 28.03.2019 को ₹ 27.25 के प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 687248322 के इक्विटी शेयर भारत सरकार को आबंटित किए गए.

2. बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है :

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- सिस्टम उचत खाता
- उचत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- सेंट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए प्रतिरूप खाते
- कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र ऋणों का डाटा / सिस्टम अद्यतन

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा.

3. आय कर :

3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.

3.2 बैंक द्वारा भुगतान किए गए अथवा आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर संबंधी अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii)] में ₹ 2569.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2979.91 करोड़) शामिल हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयों के आधार पर कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है.

4. परिसर :

4.1 बैंक द्वारा पट्टे पर लिए गए परिसरों में ₹ 0.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.75 करोड़) की सम्पत्ति शामिल है जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी भी प्रक्रियाधीन हैं.

4.2 ऐसी आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनमें मूल्यहास का प्रावधान पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है एवं लाभ/हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 64.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 75.13 करोड़) पर आरोप्य वृद्धिशील मूल्यहास की राशि को "पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि" से अंतरित कर "राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि" में जमा किया गया है.

5. अग्रिम / प्रावधान :

5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों / आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना गया है.

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए सकल एनपीए में से फ्लोटिंग प्रावधान ₹100.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 100.56 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान की राशि ₹ 47.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 47.34 करोड़) की शुद्धि की गई है.

6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सूचनाएं प्रकट की गई है :

ए. (i) पूंजी :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मदें	31.03.2019	31.03.2018
1	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	7.49%	7.01%
2	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	7.49%	7.01%
3	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.12%	2.03%
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	9.61%	9.04%
5	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	91.20%	86.40%
6	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि	6804.54*	5158.00
7	उगाही गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) : शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई)	निरंक	निरंक
8	उगाही गयी टियर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से ऋण पूंजी लिखत : अधिमान शेयर पूंजी लिखत : [शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) /प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान शेयर(आरएनसीपीएस) /प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)]	निरंक निरंक 500.00	निरंक निरंक निरंक

* इसमें दिनांक 19.09.2018 को भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2354.00 करोड़ की पूंजी निधि सम्मिलित है जो “सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर आवेदन मनी खाता” में रखी गयी है. बैंक ने दिनांक 13.11.2018 को ₹ 56.43 प्रीमियम पर प्रत्येक ₹ 10 के (35,43,57,970) इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को आबंटित किए.

इसके अतिरिक्त दिनांक 31.12.2018 भारत सरकार से ₹ 1678.00 करोड़ की पूंजी निधि प्राप्त हुई एवं यह “सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर आवेदन मनी खाता” में रखी गयी है. बैंक ने दिनांक 28.02.2019 को बैंक ने (38,74,39,390) इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को आबंटित किए

इसके अतिरिक्त दिनांक 21.02.2019 को भारत सरकार से ₹ 2560.00 करोड़ की पूंजी निधि प्राप्त हुई एवं यह “सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर आवेदन मनी खाता” में रखी गयी है. बैंक ने दिनांक 28.03.2019 को ₹ 27.25 के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹ 10 के (68,72,48,322) इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को आबंटित किए

दिनांक 30.03.2019 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी स्टॉक परचेज स्कीम, 2019 के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों के वैध आवेदन के विरुद्ध ₹ 212.54 करोड़ की पूंजी निधि प्राप्त हुई एवं यह राशि “सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर आवेदन मनी खाता” में रखी गयी है. इक्विटी शेयर का आबंटन प्रक्रियाधीन है.

बी. (i) निवेश:

(₹ करोड़ में)

मदें		31.03.2019	31.03.2018
1)	निवेश मूल्य		
	i) सकल निवेश मूल्य	129219.31	105294.68
	ए) भारत में	129171.80	105247.17
	बी) भारत के बाहर	47.51	47.51
	ii) मूल्यहास हेतु प्रावधान	3921.24	2663.07
	ए) भारत में	3921.22	2663.05
	वर्तमान मूल्यांकन से मूल्यहास (अंतरण के समय धारित) के लिए अतिरिक्त प्रावधान	0.00	0.00
	बी) भारत के बाहर	0.02	0.02



(₹ करोड़ में)

मदें		31.03.2019	31.03.2018
iii)	निवेश का शुद्ध मूल्य	125298.07	102631.61
	ए) भारत में	125250.58	102584.12
	ए) भारत के बाहर	47.49	47.49
2)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी		
i)	प्रारंभिक शेष	2663.07	1696.68
ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2561.64	1781.21
iii)	घटाएं : वर्ष के दौरान बढ़े खाता प्रतिलेखन प्रावधान	1303.47	814.82
iv)	अंतिम शेष	3921.24	2663.07

(ii) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के सन्दर्भ में):

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दिनांक 31 मार्च, 2018 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	750.00	38.09	0.00
II. कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	34878.98	10797.67	11059.84
II. कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता-वार संघटन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन सीमा	“निवेश श्रेणी से कम” सीमा तक प्रतिभूतियां	“गैर-श्रेणीकृत” प्रतिभूतियां	“गैर-सूचीबद्ध” प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	केन्द्र सरकार रिकैप बॉन्ड	11427	0	0	11427	11427
ii)	राज्य सरकार विशेष बॉन्ड	3170	0	0	3170	0
iii)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5123	18	0	3869	1777
iv)	वित्तीय संस्थाएं	372	127	0	44	44
v)	बैंक	150	0	0	0	0
vi)	निजी कॉर्पोरेट	1868	120	227	500	692
vii)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम/ क्षेत्राबै/ इंडो-जाम्बिया	421	421	0	421	421
viii)	अन्य	10483	0	438	5132	6508
	कुल	33013	686	665	24562	20869
	घटायें: मूल्यहास के लिए प्रावधान	3921	0	0	0	0
	शुद्ध	29092	686	665	24562	20869

नोट : उपर्युक्त कॉलम संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के अधीन सूचित राशियां पारस्परिक विशिष्ट नहीं हैं.



(iv) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश (परिपक्व निवेशों सहित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2019	31.3.2018
प्रारंभिक शेष	2084.48	560.14
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	653.74	1643.39
वर्ष के दौरान कमी	1191.36	119.05
अंतिम शेष	1546.86	2084.48
धारित कुल प्रावधान	1333.64	1648.11

सी. डेरिवेटिव्स

(i) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2019	31.3.2018
i) स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	50.00	25.00
ii) करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	0.00	0.00
iii) स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	निरंक	निरंक
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण		
- विदेशी बैंक	निरंक	निरंक
- घरेलू बैंक	निरंक	निरंक
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	-0.42	0.00*

*आंकड़े ₹ 1 लाख से कम हैं.

(ii) वायदा दर करार / मुद्रा दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2019	31.3.2018
i) स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	344.19	334.07
ii) करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	3.65	4.97
iii) स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	निरंक	निरंक
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण		
- विदेशी बैंक	निरंक	निरंक
- घरेलू बैंक	निरंक	निरंक
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	निरंक	0.99

(iii) विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स :

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	मद	31.03.2019	31.03.2018
	ब्याज दर फ्यूचर्स		
i)	वर्ष के दौरान विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि	निरंक	निरंक
ii)	बकाया विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि	निरंक	निरंक
iii)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि	निरंक	निरंक
iv)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स का दैनिक बाजार मूल्य	निरंक	निरंक



(iv) विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
i)	वर्ष के दौरान, विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स का काल्पनिक मूलधन (लिखत-वार) ए) करेंसी फ्यूचर्स बी) करेंसी ऑप्शन्स	3211.51 0.00	11545.10 0.00
ii)	बकाया विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि ए) करेंसी फ्यूचर्स बी) करेंसी ऑप्शन्स	0.00 0.00	0.00 0.00
iii)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि ए) करेंसी फ्यूचर्स बी) करेंसी ऑप्शन्स	0.00 0.00	0.00 0.00
iv)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स का दैनिक बाजार मूल्य ए) करेंसी फ्यूचर्स बी) करेंसी ऑप्शन्स	0.00 0.00	0.00 0.00

डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

v) गुणात्मक प्रकटीकरण

- वायदा बाजार में बचाव / व्यापार में डेरिवेटिव लिखतों के प्रयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति बनी हुई है.
- निवेश पोर्टफोलियों में ब्याज दर की जोखिम से बचाव तथा बाजार निर्मित के लिए वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा -वायदे तथा ब्याज दर वायदों की नीति मौजूद है.
- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जोखिम प्रबंधन नीतियां तथा प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे हानि-रोध सीमाएं, काउन्टर पार्टि एक्सपोजर सीमाएं इत्यादि, मौजूद हैं. इन जोखिमों की निगरानी तथा समीक्षा नियमित रूप से की जाती है. प्रबंध सूचना प्रणाली/रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है.

बचाव स्थितियां

- आईआरएस पर ब्याज खर्च/आय के कारण उपचय को लेखागत किया जाता है तथा आय/व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है.
- यदि स्वैप को परिपक्वता के पूर्व समाप्त किया जाता है, तो दैनिक एमटीएम हानि/लाभ तथा उस तारीख तक उपचित को ब्याज दर स्वैप पर प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के तहत व्यय/आय के रूप में लेखा-जोखा किया जाता है.

व्यापारिक स्थितियां

- एमसीएक्स-एसएक्स, एनएसई तथा यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनियम दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा वायदे तथा ब्याज दर वायदे दैनिक आधार पर बाजार मूल्य की स्थिति पर अंकित किए जाते हैं.
- मार्जिन खाते को दैनिक आधार पर जमा/नामे करते हुए एमटीएम लाभ/हानि का लेखा किया जाता है तथा उसे बैंक के लाभ एवं हानि खाते में लेखागत किया जाता है.
- व्यापारिक स्वैप को थोड़े-थोड़े अंतरालों में बाजार मूल्य की स्थिति के अनुसार अंकित किया जाता है. एमटीएम की सभी हानियां लेखागत की जाती हैं जबकि लाभा को छोड़ दिया जाता है.
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त शीर्ष में तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है.

दिनांक 31.03.2019 को संविदा व्यापारी और अंतर बैंक को अग्रेषित बकाया

(₹ करोड़ में)

दिनांक 31.03.2018 को बकाया	65214.97
बचाव व्यवस्था स्थिति	4936.31
व्यापार स्थिति	60278.66



vi) गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019		31.3.2018	
		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i)	डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल धन राशि)				
ए)	बचाव व्यवस्था के लिए	4936.31	0.00	5463.05	0.00
बी)	व्यापार के लिए	60278.66	50.00	84383.91	25.00
ii)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की स्थिति				
ए)	आस्ति (+)	1178.39	0.40	435.84	0.00
बी)	देयता (-)	1149.84	0.00	454.35	0.15
iii)	एक्सपोजर (1)				
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)	-	0.01	-	0.01
ए)	बचाव व्यवस्था पर डेरिवेटिव्स	-	0.00	-	0.00
बी)	व्यापार पर डेरिवेटिव्स	-	0.01	-	0.01
v)	वर्ष के दौरान नोट किए गए अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01				
ए)	बचाव व्यवस्था पर	-	अधि-0.00 न्यू-0.00	-	अधि.0.00 न्यू.-0.00
बी)	व्यापार पर	-	अधि-0.04 न्यू- 0.01	-	अधि.0.04 न्यू.-0.01

डी. आस्ति गुणवत्ता

(ए) अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2019	31.3.2018
i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	7.73	11.10
ii)	एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी (सकल)		
ए)	प्रारंभिक शेष	38130.70	27251.33
बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन*(i)	10328.64	17071.24
सी)	वर्ष के दौरान कमी	(16103.30)	(6191.87)
डी)	अंतिम शेष	32356.04	38130.70
iii)	शुद्ध एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी		
ए)	प्रारंभिक शेष	17377.87	14217.83
बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	7087.01	6246.83
सी)	वर्ष के दौरान कमी	(13131.64)	(3086.79)
डी)	अंतिम शेष	11333.24	17377.87
iv)	शुद्ध एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
ए)	प्रारंभिक शेष	19601.31	11862.53
बी)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	12471.57	10824.41
सी)	बट्टे खाते डाले गए/प्रतिलेखन/अंतरण	(12139.30)	(3085.63)
डी)	अंतिम शेष	19933.58	19601.31

(बी) पुनर्गठित खातों के व्यौर :
(₹ करोड़ में)

Sr No	Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓	Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total					
		Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	No. of borrowers	4	1	28	0	33	70	27	120	0	217	2193	1488	1616	0	5307	2267	1526	1764	0	5557
		Amount outstanding	391.11	507.67	2772.51	0.00	3671.29	34.94	18.06	132.11	0.00	165.10	1192.22	727.26	2480.39	0.00	4399.87	1616.27	1252.98	5365.03	0.00	8236.26
		Provision thereon	63.63	30.17	357.67	0.00	451.47	0.51	0.74	1.42	0.00	2.67	124.89	9.66	34.53	0.00	169.08	189.03	40.57	391.62	0.00	623.22
2	Fresh restructuring during the year*	No. of borrowers	0	0	0	0	0	2573	33	0	1	2607	7802	68	32	0	7902	10375	301	32	1	10509
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.04	1.85	0.00	0.04	192.93	543.12	5.10	16.66	0	564.88	734.16	6.95	16.66	0.04	757.81
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87	0.09	0.00	0.00	5.96	26.63	0.25	0.03	0	26.91	32.50	0.34	0.03	0.00	32.87
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	3	-2	-1	0	0	20	-15	-5	0	0	23	-17	-6	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	-0.11	-0.56	0.00	0.00	18.94	-18.86	-0.08	0.00	0.00	19.61	-18.97	-0.64	0.00	0.00
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.07	-0.04	-0.03	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY*	No. of borrowers	1				1	5				5	61			61	67					67
		Amount outstanding	-166.20				-166.20	-1.18				-1.18	-303.32			-303.32	-470.70					-470.70
		Provision thereon							-0.06			-0.06	-7.03			-7.03	-21.83					-21.83
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	2	2	0	0	0	5	4	0	1	0	-433	-1234	1334	333	0	-440	-1228	1334	334	0
		Amount outstanding	-45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	-3.57	2.57	0.00	0.00	0.00	-177.94	-430.43	558.89	49.48	0.00	-225.60	-382.77	558.89	49.48	0.00
		Provision thereon	-3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	-10.32	-3.16	9.38	4.10	0.00	-13.40	-0.08	9.38	4.10	0.00
6	Write offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	0	-1	-12	0	-13	-21	-24	-9	-1	-55	-195	-26	-698	-333	-1252	-216	-51	-719	-334	-1320
		Amount outstanding	-8.76	-507.67	-1473.14	0.00	-1989.57	-3.72	-15.21	-24.38	0.00	-48.31	-3.88	-122.82	-1283.35	-48.48	-1439.53	-16.36	-645.70	-2780.97	-49.48	-3492.51
		Provision thereon**	41.04	3.06	88.43	0.00	132.53	6.12	0.11	0.99	0.00	7.22	133.58	6.80	21.85	0.00	172.23	180.74	9.97	121.27	0.00	311.88
7	Restructured Accounts as on 31.03.2019 (closing figures)	No. of borrowers	1	2	16	0	19	2615	38	110	1	2764	9326	791	2779	0	11666	11942	331	2465	1	14679
		Amount outstanding	171.06	48.09	1292.27	0.00	1515.42	219.18	7.15	87.17	0.04	313.54	1269.14	160.25	1772.51	0.00	3201.50	1656.38	212.49	3158.56	0.04	3030.66
		Provision thereon**	41.04	3.06	88.43	0.00	132.53	6.12	0.11	0.99	0.00	7.22	133.58	6.80	21.85	0.00	172.23	180.74	9.97	121.27	0.00	311.88

*उन मानक पुनर्गठित ऋणों के आकड़ों को छोड़कर जिनमें उच्च प्रावधान अथवा जोखिम भारिता (यदि लागू हो) नहीं है।

**धारित प्रावधान में अधित्याग किए गए प्रावधान के आकड़े हैं।

#गत वर्षों में पुनर्गठित खाते शामिल हैं तथापि जिन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष में चिह्नित किया गया है।

\$वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्गठित खातों में बसूली शामिल है।

(सी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण
ए. बिक्री का विवरण
(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2019	31.3.2018
i)	खातों की संख्या	6	2
ii)	एससी/आरसी को बिक्रीत खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	864.89	105.33
iii)	कुल प्रतिफल	1405.55	114.00
iv)	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के लिए आगत अतिरिक्त प्रतिफल	37.73	1.47
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	578.39	10.14

बी. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2019	31.3.2018
(i)	बैंक द्वारा अंतर्निहित तौर पर बिक्रीत एनपीए समर्थित	2715.38	3116.96
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीयसंस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा अंतर्निहित के तौर पर बिक्रीत एनपीए समर्थित	2.77	6.85
	कुल	2718.15	3123.81



सी. प्रतिभूति रसीदों में निवेश का विवरण

	विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी प्रतिभूति रसीदें	5 वर्षों से 8 वर्षों के दौरान जारी प्रतिभूति रसीदें	8 वर्षों से अधिक के दौरान जारी प्रतिभूति रसीदें
(i)	बैंक द्वारा विक्रय किए गए एनपीए की एवज में जारी प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य निम्नानुसार है.	2584.51	130.87	0.00
	के विरुद्ध किया गया प्रावधान (i)	1246.75	100.76	0.00
(ii)	बैंक / वित्तीय संस्थानों / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए गए एनपीए की एवज में जारी प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य निम्नानुसार है.	0.08	2.69	0.00
	के विरुद्ध किया गया प्रावधान (ii)	0.00	2.04	0.00
	कुल बही मूल्य (i) + (ii)	2584.59	133.56	0.00

(डी) अन्य बैंकों से खरीदी/को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2019	31.3.2018
1	ए वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2	ए इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी कुल बकाया	निरंक	निरंक

बी. बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2019	31.3.2018
1	खातों की संख्या	निरंक	निरंक
2	कुल बकाया	निरंक	निरंक
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	निरंक	निरंक

(ई) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2019	31.3.2018
	धारित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	478.83	496.71

(एफ) व्यावसायिक अनुपात

क्रम सं.	मदें	31.3.2019	31.3.2018
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय *	6.81	7.59
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय *	0.73	0.83
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ *	0.94	0.86
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल **	(1.70)	(1.61)
(v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय *** (जमा + अग्रिम) (₹ लाख में)	1278.03	1270.64
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(15.55)	(13.86)

* कार्यशील निधि में वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है.

** कार्यशील निधियों में कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है.

*** जमाओं (अंतर-बैंक जमाओं को छोड़कर) एवं अग्रिम के पाक्षिक औसत के आधार पर



जी. आस्ति देयता प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विविध परिपक्वता अवधि समूह के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2019 को कुल जमाओं, उधार, अग्रिमों एवं कुल निवेश का परिपक्वता पैटर्न (₹ करोड़ में)

अवधि	कुल जमाएं	कुल अग्रिम	कुल निवेश	कुल घरेलू उधारियां *	विदेशी मुद्रा	
					आस्ति	देयताएं
एक दिन	1515.25	32.64.27	52434.82	4.45	276.98	423.65
2 दिन से 7 दिन	2085.70	1372.61	2120.17	32.32	162.03	236.37
8 दिन से 14 दिन	1862.05	168.64	1378.39	0.00	19.36	13.05
15 दिन से 30 दिन	5047.08	5864.02	1716.17	0.00	10.65	14.00
31 दिन से 2 माह	7959.36	1368.86	2794.40	0.00	4.43	45.74
2 माह से अधिक व 3 माह तक	8056.37	2106.14	4720.28	32.62	194.84	23.95
3 माह से अधिक व 6 माह तक	11470.00	3956.50	4111.07	0.01	253.36	125.18
6 माह से अधिक व 12 माह तक	25306.80	7025.16	5263.85	65.08	372.45	600.96
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	135241.85	72141.86	6715.13	159.30	122.37	382.15
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	51835.10	15942.58	9306.65	5.87	9.34	159.47
5 वर्ष से अधिक	49475.87	33314.72	34737.14	0.31	0.28	0.00
कुल	299855.43	146525.36	125298.07	299.96	1426.07	2024.51

नोट : -

* टियर II पूंजी में सम्मिलित किए गए के अलावा

उपर्युक्त आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं प्रबंधन के प्रमुख अनुमानों के आधार पर संकलित किए गए हैं तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा इन पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

एच. एक्सपोजर

(i) स्थावर सम्पदा क्षेत्र सम्बंधी एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

श्रेणी		31.3.2019	31.3.2018
ए)	प्रत्यक्ष निवेश		
	(i) आवासीय मार्गेंज - आवासीय सम्पत्ति पर बंधक के द्वारा ऋण पूरी तरह से रक्षित है, अर्थात् या तो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में है अथवा किराये पर है : (उपर्युक्त में शामिल व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र है)	27083.50	22094.61
	(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदा के मार्गेंज से प्रत्याभूत ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुदेशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा वेयर हाउस स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, निर्माण एवं विकास इत्यादि.) एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी :	(13955.55) 4180.29	(13595.91) 3803.25
	(iii) मार्गेंज आधारित प्रतिभूतियां (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश - - आवासीय, - वाणिज्यिक स्थावर संपदा.	0.00 66.23	0.00 73.20
बी)	अप्रत्यक्ष निवेश		
	(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश.	2001.99	1365.03
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर		19376.46	13740.18

(ii) पूंजी बाजार एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2019	31.3.2018
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई हो.	521.84	557.92
ii)	वैयक्तिकों को शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा गैर-प्रतिभूति आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं म्यूच्युअल फंड की इक्विटी उन्मुख इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम.	2.95	0.00
iii)	किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम जिनमें शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	144.60	205.85
(iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की सीमा तक रक्षित अग्रिम अर्थात् जहां पर शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिट अग्रिमों को पूरी तरह रक्षित नहीं करती हैं.	0.00	0.00
(v)	स्टॉक-ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक-ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटियां.	327.30	333.15
vi)	कॉर्पोरेट को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों की प्रत्याशा के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण.	0.00	0.00
vii)	इक्विटी प्रवाह/निर्गम की प्रत्याशा के समक्ष कंपनियों को पूरक वित्त.	0.00	0.00
viii)	शेयरों के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों के सम्बंध में बैंकों द्वारा लिए गए हामीदारी वायदे.	0.00	0.00
ix)	स्टॉक-ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण	0.00	0.00
X)	जोखिम पूंजी निधि (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) सम्बंधित सभी एक्सपोजर.	0.00	0.00
	पूंजी बाजार का कुल एक्सपोजर	926.79	1096.92

(iii) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	दिनांक 31.03.2019 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31.03.2019 को धारित प्रावधान	दिनांक 31.03.2018 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31.03.2018 को धारित प्रावधान
अप्रयोज्य	745.22	निरंक	1236.57	निरंक
निम्न	437.08	निरंक	444.44	निरंक
मध्यम	49.26	निरंक	53.37	निरंक
उच्च	46.42	निरंक	33.79	निरंक
अत्यधिक	0.57	निरंक	28.49	निरंक
सीमित	0.00	निरंक	0.00	निरंक
ऋणेतर	0.00	निरंक	0.00	निरंक
योग	1278.55	निरंक	1796.66	निरंक

चूंकि वर्ष हेतु बैंक का निवल निधि निवेश, विदेशी विनिमय लेनदेन के सम्बंध में बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम है, अतः प्रावधान आवश्यक नहीं है.



(iv) बैंक द्वारा अतिक्रमित उन एकल ऋणी सीमा/ समूह ऋणी सीमाओं का विवरण, जिनके लिए बोर्ड का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया.

ए. बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल ऋणी सीमा

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर सीमा	कुल एक्सपोजर	पूँजी निधि के % के रूप में एक्सपोजर	दिनांक 31.03.2019 को बकाया राशि	पूँजी निधि के % के रूप में बकाया राशि
भारतीय खाद्य निगम	2439.97	2546.85	15.66	1338.58	8.23
रिलायंस जिओ इंफोकॉम	2439.97	2880.00	17.71	2544.21	15.64
गोदरेज एंड बोयस	2439.97	2800.00	17.21	1445.32	8.89
विडिओकॉन इंडस्ट्रीज	2439.97	2843.00	17.48	2734.14	16.81

बी. बैंक द्वारा अतिक्रमित समूह ऋणी सीमा : निरंक

(v) ऋण एवं अग्रिमों का विवरण जो कि अमूर्त आस्तियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन आदि द्वारा रक्षित है, जो कि अनुसूची-9 में आरक्षित किया गया है.

₹ निरंक के ऋण (गत वर्ष निरंक), जिनका प्रभार अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन इत्यादि पर है, उन्हें अरक्षित माना गया है.

अमूर्त प्रतिभूतियों का मूल्य ₹ निरंक करोड़ (गत वर्ष निरंक) है.

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश डीवीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को निरंक (पिछले वर्ष रु, 2115.52 करोड़) के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) जोखिम साझेदारी आधार पर दिनांक 30 जुलाई, 2018 के अंत तक अधिकतम 120 दिन के अवधि के लिए जारी किए गए हैं, परिणाम स्वरूप दिनांक 31 मार्च, 2018 को उतनी ही मात्रा में बैंक का कुल अग्रिम कम हो गया है.

(vii) एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण, (भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद और पूर्व-उदघोषित ओपन मार्केट ऑपरेशन नीलामी के अंतर्गत लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में भारिबैं को बेचे जाने के लिए निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ अनुमत बैंकों द्वारा अधिग्रहित एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों के एकबारगी अंतरण को छोड़कर) वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य से 5% से अधिक हो गया. दिनांक 31 मार्च, 2019 को एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों का बाजार मूल्य ₹ 75022 करोड़ था जिसका बही मूल्य ₹ 74570 करोड़ है, जिसमें अनुषंगियों / रखाव लागत पर संयुक्त उद्यमों में निवेश शामिल है. चूंकि ऐसे निवेशों का बही मूल्य उनके बाजार मूल्य से कम है. अतः कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

7. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोपित दण्डों का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके मानदंडों की अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए (1) (ए) के अंतर्गत बैंक को ₹ 1.16 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.91 करोड़) का दण्ड लगाया.

8. जमाओं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए के संकेन्द्रण से संबंधित प्रकटीकरण:

8.1 जमाओं का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(ए) बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	14654.59	18098.73
(बी) बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	4.89%	6.14%



8.2 अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	16180.76	23203.00
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम का बैंक के कुल अग्रिम में प्रतिशत	9.65%	13.07%

अग्रिम भा.रि.बैं. के मानदंडों के अनुसार ऋण एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करते हैं.

8.3 एक्सपोजर का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	30600.38	33006.00
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर का बैंक के कुल एक्सपोजर में प्रतिशत	12.00%	13.54%

अग्रिम भा.रि.बैं. के मानदंडों के अनुसार ऋण और निवेश एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करते हैं.

8.4 एनपीए का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(ए) शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	5820.88	6563.53

II. क्षेत्रवार अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	31.03.2019			31.03.2018		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	35655.42	3446.76	9.67	34191.98	2515.62	7.36
2	प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने हेतु पात्र उद्यम क्षेत्र को अग्रिम	11287.64	2288.24	20.27	13241.66	2299.01	17.36
3	सेवाएं	19780.88	2945.76	14.89	19234.93	2216.56	11.52
4	व्यक्तिगत ऋण	16477.36	1007.58	6.11	16166.06	793.55	4.91
	उप-योग्य (ए)	83201.30	9688.34	11.64	82834.63	7824.74	9.45
बी	गैर प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	48682.02	19035.17	39.10	57886.75	25775.72	44.53
4	सेवाएं	16126.42	2916.55	18.09	22677.46	4183.18	18.45
5	व्यक्तिगत ऋण	19719.17	715.98	3.63	14085.21	347.05	2.46
	उप-योग्य (बी)	84527.61	22667.70	26.82	94649.42	30305.96	32.02
	कुल (ए+बी)	167728.91	32356.04	19.29	177484.04	38130.70	21.48



III. ए. एनपीए में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019		31.03.2018	
*दिनांक 1 अप्रैल, 2017 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	38130.70		27251.33	
वर्ष के दौरान जुड़ा (नया एनपीए)	10328.64		17071.24	
उप-योग (ए)		48459.34		44322.57
घटाएं:-				
(i) अपग्रेडेशन	567.53		785.12	
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)*	5160.56		2403.34	
एनपीए की बिक्री		0.00		79.80
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	8522.52		2606.53	
(iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे-खाते	1852.69		317.08	
उप-योग (बी)		16103.30		6191.87
31 मार्च, 2018 को सकल एनपीए (इति शेष) (ए-बी)		32356.04		38130.70

बी. तकनीकी बट्टे-खाते तथा वसूली :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों का प्रारंभिक शेष	9239.32	6954.63
जुड़ा: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	8522.52	2606.53
उप-योग (ए)	17761.84	9561.16
घटा: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों में की गई वसूली (बी)	1684.04	321.84
दिनांक 31 मार्च को इति शेष (ए-बी)	16077.80	9239.32

* नियमित बट्टे-खाते में ₹ 1184.63 करोड़ (गत वर्ष ₹5.58 करोड़) के रूपांतरण सहित

IV. ओवरसीज आस्तियां, एनपीए तथा आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
कुल आस्तियां	निरंक	निरंक
कुल एनपीए	निरंक	निरंक
कुल आय	निरंक	निरंक

V. इतर तुलन-पत्र प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुरूप समेकित करना आवश्यक है.)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
निरंक	निरंक



VI. प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1.	प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की सं. *	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक
3.	तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर के अनुपालन में रोके गए एक्सपोजर की राशि	निरंक	निरंक
	ए) इतर तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए एक्सपोजर की राशि	निरंक	निरंक
	ए) इतर तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	i) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	हानि	निरंक	निरंक
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	i) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक

* बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों से संबंधित एसपीवी को ही रिपोर्ट किया जाय.

VII. अंतर्समूह एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(ए)	अंतर्समूह एक्सपोजर की कुल राशि	706.42	692.62
(बी)	टॉप 20 अंतर्समूह एक्सपोजर की कुल राशि, इस श्रेणी में केवल 6 कम्पनियां हैं	706.42	692.62
(सी)	उधारकर्ताओं/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर एवं अंतर्समूह –एक्सपोजर का प्रतिशत	0.28%	0.29%
(डी)	अंतर्समूह एक्सपोजर की सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं उस पर विनियामक कार्रवाई, कोई हो	निरंक	निरंक



VIII. जमाकर्ता शिक्षण /जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
डीईएएफ में अंतरण का प्रारम्भिक शेष	61.69	32.72
जोड़े – वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरण	23.17	29.17
घटाएं – दावों के लिए डीईएएफ द्वारा पुनर्भुगतान की राशि	01.25	00.20
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	83.61	61.69

अनाबंटित जमा के स्वरूप में निश्चित पात्र ऋण अग्रिम हैं जिसका विप्रेषण लंबित समाधान के कारण अभी नहीं किया गया.

9. तरलता कवर

एलसीआर प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019		31.03.2018	
	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां				
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	85927.25		90761.49
नकद बहिर्वाह				
2	रिटेल जमाएं एवं लघु व्यवसायी ग्राहकों से जमाएं जिनमें:			
(i)	स्थिर जमाएं	72633.00	3631.75	70192.60
(ii)	कम स्थिर जमाएं	184159.00	18415.75	175726.27
3	अरक्षित थोक निधियन जिनमें:			
(i)	परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	36819.75	15820.25	48090.22
(iii)	अरक्षित कर्ज	0.00	0.00	0.00
4	रक्षित थोक निधियन			0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिनमें			
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पार्श्विक एक्सपोजर सम्बन्धी बहिर्वाह uirements	10491.00	10491.00	8563.56
(ii)	कर्ज उत्पादों के निधियन पर हानि सम्बन्धी बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएँ	21291.25	2230.25	21344.93
6	अन्य अनुबन्धीय निधियन दायित्व	1785.00	1785.00	1316.66
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	19813.50	594.50	24491.51
8	कुल नकद बहिर्वाह		52968.50	55477.26
नकद अंतर्वाह				
9	रक्षित उधारियां (अर्थात रिवर्स रेपो)	11499.00	0.00	32815.47
10	पूर्णतः कार्यनिष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	2883.75	2883.75	2277.90
11	अन्य नकद अंतर्वाह	24501.25	19378.25	23674.46
12	कुल नकद अंतर्वाह	38884.00	22262.00	58767.84
		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए	85927.00		90761.49
14	कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह	30706.50		35830.95
15	तरलता कवरेज अनुपात (₹)	279.83		253.30



एलसीआर गुणात्मक प्रकटीकरण

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) गुणात्मक प्रकटीकरण		
एलसीआर के लिए आवश्यक प्रमुख मर्दे	व्याख्यात्मक टिप्पणियां	
ए. एलसीआर परिणामों के प्रमुख संचालक एवं एलसीआर की गणना की निविष्टियों के योगदान का मूल्यांकन	<p>एलसीआर परिणामों के मुख्य संचालक है</p> <ol style="list-style-type: none"> एलसीआर के संचालकों में उच्च गुणवत्ता तरल परिसम्पत्ति एक प्रमुख संचालक है. एचक्यूएलए का एक बड़ा घटक है- सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) एवं एलसीआर के अंतर्गत तरलता की सुविधा का उपयोग करना. एचक्यूएलए को प्रभावित करने वाले अन्य घटक है – सरकारी प्रतिभूतियों / सरकार द्वारा गारंटीकृत में निवेश करना. एलसीआर संचालक का एक अन्य प्रमुख घटक नकदी बहिर्वाह भी है. नकदी बहिर्वाह के प्रमुख घटकों में, कम स्थाई रिटेल जमा अन्य विधिक इकाईयों से निधियन एवं शुद्ध डेरिवेटिव नकद बहिर्वाह. एलसीआर संचालन का एक अन्य प्रमुख घटक नकद अंतर्वाह भी है. नकद अंतर्वाह के मुख्य घटक है – अन्य पक्ष द्वारा अंतर्वाह तथा शुद्ध डेरिवेटिव नकद अंतर्वाह. 	
बी. अंतरावधि परिवर्तन एवं समयान्तराल में परिवर्तन	लागू नहीं	
सी. एचक्यूएलए की संरचना	<p>एचक्यूएलए में निम्नलिखित होते है –</p> <ol style="list-style-type: none"> स्तर 1 परिसम्पत्तियां जिनमें एसएलआर निवेशों (रेपो, सीबीएलओ, एमएसएफ, सीआरओएमएस के विरुद्ध ऋणग्रस्त, आरटीजीएस, एसजीएफ, एमसीएक्स, एनएससीसीएल इत्यादि के लिए रेहन रखी अन्य प्रतिभूतियां) का आधिक्य, एमएसएफ के लिए लागू एनडीटीएल (एफएलएलसीआर) का 2% एवं भारिबैं के दिशानिर्देशानुसार एनडीटीएल का 13% भारिबैंक के परिपत्र सं. भारिबैंक/2018-19/98 डीबीआर.बीपी.बीसी. सं. 17/21.04.098/2018-19 दिनांक 28.12.2018 होता है. स्तर 2 ए परिसम्पत्तियां जिनमें राज्य सरकारों द्वारा जारी विशेष (डिस्कॉम) बॉण्ड्स, राज्य उर्जा संचितरण कंपनियों द्वारा जारी बॉण्ड्स, वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम. स्तर 2 ए परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर ए ए एवं उच्च श्रेणी के निजी कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी बॉण्ड भी होते है. स्तर 2 बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर बीबीबी से ए+ श्रेणी के कॉर्पोरेट्स के बॉण्ड्स होते है. स्तर 2 बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर निफ्टी /सेंसेक्स शेयर भी शामिल होते है. 	
डी. निधियन स्रोतों का संकेन्द्रीकरण	<p>बैंक द्वारा अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी के निधियन, प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद /लिखत, प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर सतत निगरानी रखकर निधियन संकेन्द्रीकरण किया जाता है (“महत्वपूर्ण” से तात्पर्य बैंक की देयताओं की 1% से अधिक राशि से है)</p>	
ई. डेरिवेटिव एक्सपोजर्स एवं सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल्स	<p>बैंक के डेरिवेटिव एक्सपोजर में निम्नलिखित होते है –</p> <ol style="list-style-type: none"> ओटीसी डेरिवेटिव्स ए- फॉरवर्ड्स बी- करेंसी स्वैप्स सी- ब्याज दर स्वैप्स 	



		<p>2. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरीवेटिव्स</p> <p>ए- करेसी फ्यूचर</p> <p>बी- ब्याज दर फ्यूचर</p> <p>सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉलस तब सक्रिय होते हैं जब लेनदेन एक्सचेंज में होता है अथवा उनका निपटान केन्द्रीय प्रतिपक्ष द्वारा किया जाता है और ये गारंटीकृत होने के साथ साथ प्रतिपक्षी पार्टियों में आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट का अनुलग्नक क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स हस्ताक्षरित किया होता है।</p> <p>करेसी फ्यूचर्स एवं ब्याज दर फ्यूचर के अंतर्गत बैंक, व्यापार के एक्सपोजर के लिए सम्पार्श्विक (जी-सेक) के रूप में मार्जिन रखते हैं जो एक्सपोजर की राशि एवं बाजार की उथलपुथल पर आधारित होता है।</p> <p>हमारे सभी अंतर बैंक यूएसडी /आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवर्ड्स का निपटान सीसीआईएल के माध्यम से किया जाता है जो एक केन्द्रीय काउंटर पार्टी (सीसीपी) है। बैंक, अंतर बैंक यूएसडी /आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवर्ड्स के गारंटीशुदा निपटान के लिए सीसीआईएल में सम्पार्श्विक (जी-सेक) के रूप में मार्जिन रखता है।</p> <p>मार्जिन की राशि, एक्सपोजर की राशि एवं बाजार की उथलपुथल पर आधारित होती है। जब भी कॉल आता है तब अतिरिक्त मार्जिन की राशि एक्सचेंज /सीसीपी में रखी जाती है। वर्तमान में किसी भी प्रतिपक्ष के साथ हमारा क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स नहीं है। अतः कोई भी सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल उत्पन्न नहीं होगा।</p>
एफ.	एलसीआर में मुद्रा का बेमेल होना	सम्भाव्य मुद्रा के बेमेल को रोकने के लिए एलसीआर में प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर नजर रखी जाती है। कोई मुद्रा “महत्वपूर्ण” तब कहलाती है जब उस मुद्रा में धारित कुल देयताएं बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक हो जाती है। बैंक में फिलहाल मुद्रा का कोई बेमेल नहीं है क्योंकि हमारा “महत्वपूर्ण” में एक्सपोजर नहीं है।
जी.	तरलता प्रबंधन केन्द्रीकरण की मात्रा एवं ग्रुप की ईकाइयों के बीच संबंध	बैंक का तरलता प्रबंधन केन्द्रीकृत है जिस पर एएलएम एवं ट्रेजरी टीम द्वारा निगरानी रखी जाती है। ट्रेजरी, सीबीएस, एएलएम टीम एवं अन्य कार्यमूलक ईकाइयों में सुचारु संबंध है।
एच.	एलसीआर की गणना में अन्य अंतर्वाह एवं बहिर्वाह जो साधारणतया एलसीआर की पकड़ में नहीं आते हैं परंतु संस्था द्वारा इन्हें अपनी तरलता प्रोफाइल के संबंध में संगत समझा जाता है।	कोई नहीं।
आई.	अन्य सूचना	बैंक ने ₹ 2115.52 करोड़ का आईबीपीसी लेनदेन (आईबीपीसी उधारी) किया है जिसे एलसीआर गणना में घटक बनाया गया है।

10. अन्य प्रकटीकरण

बीमा व्यवसाय :

वर्तमान वर्ष के दौरान बैकाश्युरैन्स व्यवसाय के सम्बंध में शुल्क/परिलब्धियां निम्नानुसार रहीं:

	31.03.2019		31.03.2018	
	पॉलिसियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पॉलिसियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
जीवन	20883	10.02	25659	11.03
गैर-जीवन बीमा	186558	10.59	201218	10.39
योग	20.61			21.42



11. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया के द्वारा जारी लेखा मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की गई है:

ए) लेखांकन मानक - 9

नई लेखांकन नीति क्र. 8 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है। तथापि, कथित आय को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

बी) लेखांकन मानक - 15 (संशोधित)

सुपरिभाषित अंशदान योजना :

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस):-

वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ एवं हानि खाते में ₹ 79.62 करोड़ (पिछले वर्ष 67.82 करोड़) एनपीएस को अंशदान के रूप में माना है।

सुपरिभाषित लाभ योजना :

बीमाकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019		31.03.2018	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
सारणी में सुपरिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन प्रदर्शित है :				
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	1741.56	13821.17	1847.13	12484.08
ब्याज लागत	136.36	1076.67	134.29	930.06
चालू सेवा लागत	66.18	83.98	69.13	87.53
गत सेवा लागत (अनिहित)	0	0	0	0
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	329.37	0
देयता अंतरण	0	0	0	0
देयता अंतरण बाह्य	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(270.50)	(1170.59)	(157.20)	(952.30)
दायित्वों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	25.47	433.87	(481.16)	1271.80
वर्ष के अंत में देयताएं	1648.13	14245.10	1741.56	13821.17
उचित मूल्य पर योजना आस्तियां की सारणी :				
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	2124.94	13515.58	1656.73	12420.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	166.38	1048.81	120.44	925.29
अंशदान	(100.00)	1324.00	490.40	859.08
अन्य कंपनी से अंतरण	0	0	0	0
कंपनी से अंतरण	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(270.50)	(1170.59)	(157.20)	(952.30)
योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(42.56)	(72.66)	14.57	263.51
समाप्त वर्ष पर उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	1878.26	14645.14	2124.94	13515.58
मान्यता प्राप्त पर कुल वास्तविक (लाभ)/हानि	(17.09)	(506.33)	495.73	(1008.29)



विवरण	31.03.2019		31.03.2018	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्यय :	66.18	83.98	69.13	87.53
चालू सेवा लागत	136.36	1076.67	134.29	930.06
ब्याज लागत	(166.38)	(1048.81)	(120.44)	(925.29)
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	0	0	0	0
स्वीकृत गत सेवा लागत (अनिहित)	0	0	0	0
स्वीकृत गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	329.37	0
स्वीकृत संक्रमित देयता	0	0	0	0
वास्तविक लाभ/हानि	17.09	506.53	(495.73)	1008.29
पी एवं एल में स्वीकृत व्यय	53.25	618.37	(83.38)	1100.59
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल				
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	166.38	1048.81	120.44	925.29
अनुभव के कारण योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(42.56)	(72.66)	14.57	263.51
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	123.82	976.15	135.01	1188.80
अनुभव समायोजन				
अनुभव के कारण सुपरिभाषित दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(29.08)	422.24	(511.99)	(1029.93)
अनुभव के कारण योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(42.56)	(72.66)	14.57	263.51

विवरण	31.03.2019		31.03.2018	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
मूल वास्तविक पूर्वधारणा का प्रयोग (%)				
चालू छूट दर	7.79	7.78	7.83	7.76
चालू योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर	7.79	7.78	7.83	7.76
वेतन वृद्धि दर	5.00	5.00	5.00	5.00
आकर्षक दर	0.50	0.50	0.50	0.50

अन्य दीर्घावधि लाभ :

वर्ष के दौरान बैंक बीमाकिक मूल्यांकन पर आधारित अवकाश नकदीकरण व्यय के समक्ष ₹ 84.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 72.94) का व्यय माना है.

सी) लेखांकन मानक 17 – खंडवार रिपोर्टिंग

- i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है



BUSINESS SEGMENTS										
(Rs. In Crore)										
Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Revenue	10,016.80	10,239.35	7,115.12	8,335.47	7,919.59	8,083.04	-	-	25,051.51	26,657.86
Result	10.77	940.90	(8,268.62)	(8,752.67)	243.93	69.77	-	-	(8,013.92)	(7,742.00)
Unallocated Expenses									156.30	153.98
Operating Profit									(8,170.22)	(7,895.98)
Income Taxes									(2,528.74)	(2,791.07)
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit									(5,641.48)	(5,104.91)
Other Information:										
Segment Assets	1,62,107.96	1,46,513.22	72,130.18	79,499.55	81,040.22	86,963.40	-	-	3,15,278.36	3,12,976.17
Unallocated Assets									15,439.30	13,249.10
Total Assets									3,30,717.66	3,26,225.27
Segment Liabilities	1,66,200.97	1,49,296.72	68,454.78	75,908.17	76,910.81	83,034.84	-	-	3,11,566.56	3,08,239.73
Unallocated Liabilities									-	-
Total Liabilities									3,11,566.56	3,08,239.73

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets, wherever direct allocation is not possible. Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

*जहां प्रत्यक्ष आवंटन सम्भव नहीं है, वहां खंडवार आस्तियों के आधार पर खंडवार राजस्व एवं खर्चों का विनियोजन किया गया है. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है.

- ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं.
- iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, प्रेनुरलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक निवेश के अधीन है.
- iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.
- v) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.
- vi) सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियों के लिए पूरक का कार्य करता है.

डी) लेखा मानक 18 के अनुसार सम्बद्ध पार्टि प्रकटीकरण - सम्बद्ध पार्टि

1. सम्बद्ध पार्टियों की सूची :

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	पदनाम
i)	श्री पल्लव महापात्र (दिनांक 21.09.2018 से)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
ii)	श्री पी. आर. मूर्ति	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री बजरंग शेखावत	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री आलोक श्रीवास्तव (दिनांक 23.01.2019 से)	कार्यपालक निदेशक



(बी) अनुषंगियां

i)	सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड.
ii)	सेन्ट बैंक फाइनेन्शियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड.

(सी) सहयोगी

(I)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -
i)	सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)
ii)	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)
iii)	उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)
(II)	इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड.

2. सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन :

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रदत्त पारिश्रमिक :

(₹ लाख में)

नाम	पदनाम	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	
		31.03.2019	31.03.2018
श्री पल्लव महापात्र (दिनांक 21.09.2019 से)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	14.68	0.00
श्री राजीव ऋषि (दिनांक 31.07.2018 तक)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	39.50	30.13
श्री बी.के. दिवाकर (दिनांक 22.01.2019 तक)	कार्यपालक निदेशक	46.55	23.70
श्री आर. सी. लोढ़ा (दिनांक 28.02.2017 तक)	कार्यपालक निदेशक	0.00	0.42
श्री पी. आर. मूर्ति	कार्यपालक निदेशक	24.98	23.54
श्री बजरंग शेखावत	कार्यपालक निदेशक	24.47	10.93
श्री आलोक श्रीवास्तव (दिनांक 23.012.2019 से)	कार्यपालक निदेशक	4.60	0.00
कुल		154.79	88.72

नोट : आईसीएआई द्वारा जारी एस-18, सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण के अनुच्छेद 9 के अनुसार अनुषंगियों एवं सहायक उद्यमों के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि यह राज्य नियंत्रित उद्यम द्वारा किसी अन्य सम्बद्ध राज्य नियंत्रित उद्यम से सम्बंधित लेनदेन के प्रकटीकरण न करने की छूट देता है.

ई) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है :

	31.03.2019	31.03.2018
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	(5641.48)	(5104.90)
भारत औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	2794601814	1937882867
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(20.19)	(26.34)
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	(20.19)	(26.34)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10	10

एफ) लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

आरबीआई द्वारा सीईटी1 की परिगणना में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2019 को ₹7894.01 करोड़ आस्थगित कर आस्तियों के रूप में अभिचिन्हित किए गए हैं. दिनांक 31 मार्च, 2019 को आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:



(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
व्यवसाय हानि	346.89	0.00	0.00	0.00
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	0.00	0.00	27.77	21.24
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	0.00	0.00	645.15	586.56
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	250.87	221.49	0.00	0.00
निवेश के लिए प्रावधान	0.00	575.91	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	8004.11	5213.37	0.00	0.00
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि	0.00	0.00	34.94	34.94
योग	8601.87	6010.77	707.86	642.74
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	7894.01	5368.03		

लाभ-हानि खाते में वर्ष 2018-19 के लिए आस्थगित कर आस्तियों में शुद्ध बढ़ोत्तरी ₹ 2525.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3014.35 करोड़) मानी गई.

जी) लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां हैं, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है. प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2019 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है. जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

एच) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर - लेखांकन मानक 29

(i) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ-हानि खाते के शीर्ष 'व्यय' के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का ब्रेक-अप	31.03.2019	31.03.2018
निवेश पर प्रावधान/हास (शुद्ध)	983.88	794.17
एनपीए हेतु प्रावधान	11029.86	10543.58
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	(114.93)	6.31
कर हेतु किए गए प्रावधान	(2528.74)	(2791.07)
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान	(425.02)	(950.62)
अन्य प्रावधान	(177.08)	235.52
कुल	8767.97	7837.89

(ii) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
ए अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	100.56	100.56
बी लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
सी लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	100.56	100.56



(iii) प्रतिचक्र्रीय प्रावधानीकरण बफर :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
ए	प्रतिचक्र्रीय प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	47.34	47.34
बी	लेखा वर्ष में किए गए प्रतिचक्र्रीय प्रावधानों की राशि	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी	प्रतिचक्र्रीय प्रावधान खाते में अंतिम शेष	47.34	47.34

12. शिकायतों का विवरण

	ग्राहकों की शिकायतें (एटीएम एवं सेन्ट्रल कार्ड को छोड़कर)	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2019	31.03.2018
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	654	681
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	11131	10558
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	11464	10585
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	321	654

	बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय	संख्या	
		31.03.2018	31.03.2017
ए)	वर्ष की शुरुआत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	निरंक	निरंक
बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की संख्या	निरंक	निरंक
सी)	वर्ष के दौरान लागू अधिनिर्णयों की संख्या	निरंक	निरंक
डी)	वर्ष के अंत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	निरंक	निरंक

प्रबंधन द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किए गए अनुसार.

	निवेशकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2019	31.03.2018
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	0	0
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	73	127
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	73	127
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	0	0

एटीएम लेनदेनों के सम्बन्ध में शिकायतें			
	ग्राहक शिकायत	31.03.2019	31.03.2018
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	2917	2806
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	310581	165747
सी)	वर्ष के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	310842	165636
डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2656ड	2917

*जिसमें से दिनांक 12.04.2019 को 738 शिकायतें लंबित हैं और सभी टर्न अराउंड टाइम में है.

सेंट्रल कार्ड लेनदेनों के सम्बन्ध में शिकायतें			
	ग्राहक शिकायत	31.03.2019	31.03.2018
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	8	0
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	8824	7962
सी)	वर्ष के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	8832	7954
डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	8

13. दिनांक 31.03., 2019 को बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र एवं बकाया राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र	0.00	1744.59
वर्ष के दौरान परिपक्व/निरस्त चुकौती आश्वासन पत्र	819.09	2199.07
समाप्त वर्ष पर बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	0.00	819.09

उपर्युक्त उल्लेखित चुकौती आश्वासन पत्र स्वीकृत व्यापार साख सीमा के तहत जारी किए गए हैं

14. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

पीसीआर (प्रावधान-सकल एनपीए अनुपात) 76.60 % (गत वर्ष 63.31%)।

15. प्रबंधन द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वे बेंडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं। इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

16. अरक्षित विदेशी मुद्रा का एक्सपोसर:

दिनांक 31.03.2019 को अरक्षित विदेशी मुद्रा का एक्सपोजर ₹5612.12 करोड़ हुआ था। (दिनांक 31.03.2018 को ₹ 4310.81 करोड़ था)

बैंक ने फॉरेक्स बाजार की अस्थिरता के कारण होने वाले विनियम जोखिम पर भी विचार किया है एवं तदनुसार जोखिम कम करने के लिए उचित प्रावधान किए हैं। बैंक ने अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से होने वाले ऋण जोखिम पर भी विचार किया है एवं तदनुसार जोखिम न्यूनीकरण उपाय किए हैं। यूएफसीई के साथ संस्थाओं को एक्सपोजर के लिए दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कुल ₹ 1.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹300 करोड़) का प्रावधान किया है।

17 धोखाधड़ी हेतु प्रावधान:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2015-16/376/डीबीआरसं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2016-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार धोखाधड़ी एवं प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की सं.	समाहित राशि	किया गया प्रावधान	अपरिशोधित प्रावधान	दिनांक 31.03.2019 को अपरिशोधित प्रावधान
2018-19	650	2895.13	2895.13	निरंक	निरंक
वर्ष	रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की सं.	समाहित राशि	किया गया प्रावधान	अपरिशोधित प्रावधान	दिनांक 31.03.2018 को अपरिशोधित प्रावधान
2017-18	209	1399.93	1399.93	निरंक	निरंक

18. ऋण चूक स्वैप

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने कॉर्पोरेट डिफॉल्ट स्वैप पर स्थिति तय नहीं की है। (पिछले वर्ष – निरंक)



19. सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं. 6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार नीतियां तैयार की हैं। इन नीतियों की प्रबंधन द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। इन नीतियों की पिछली समीक्षा दिनांक 28.03.2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई थी।

20. एनसीएलटी प्रावधानों से संबंधित प्रकटीकरण :

भारिबैं के परिपत्र सं. क्रमशः डीबीआर सं. बीपी.15199/21.04.048/ 2016-17 तथा डीबीआर सं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 दिनांक 23.06.2017 और दिनांक 28.08.2017 के अनुसार दिवाला तथा दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए खातों के लिए बैंक ने दिनांक 31.03.2019 को कुल ₹6479.59 करोड़ का प्रावधान किया है। (कुल बकाया शेष का 86.34%)

21. आस्ति गुणवत्ता में विचलन एवं एनपीए के लिए प्रावधान पर प्रकटीकरण :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान एवं आकस्मिकता के पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ की प्रारंभिक सीमा से 10% अधिक है। आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानों में विचलन के संबंध में भा.रि.बैं. के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 01.04.2019 निम्नानुसार प्रकटीकरण किया गया है :

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1.	दिनांक 31.03.2018 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए सकल एनपीए	38130.70
2.	दिनांक 31.03.2018 को भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित सकल एनपीए	38766.90
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	636.20
4.	दिनांक 31.03.2018 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए शुद्ध एनपीए	17377.87
5.	दिनांक 31.03.2018 को भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित शुद्ध एनपीए	17830.67
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (5-4)	452.80
7.	दिनांक 31.03.2018 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	19601.31
8.	दिनांक 31.03.2018 को भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित एनपीए के लिए प्रावधान	20743.31
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	1142.00
10.	दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी)	(5104.90)
11.	प्रावधान में विचलन को शामिल करते हुए दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात समायोजित (काल्पनिक) शुद्ध लाभ (पीएटी)	(6246.90)

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ने अपने कामकाजी परिणामों के ऊपर के प्रभाव को विधिवत दर्ज किया है।

22. आरबीआई ने अपने परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 दिनांक 6 जून, 2018 के माध्यम से बैंकों को एमएसएमई उधारकर्ताओं के एक्सपोजर को मानक आस्तियों में वर्गीकृत करते रहने हेतु अनुमत किया था। तदनुसार, बैंक ने दिनांक 31.03.2019 को ₹ 241.68 करोड़ के अग्रिम को मानक आस्तियों में रखा है। प्रावधानों के परिपत्र के अनुसार, बैंक ने इन खातों पर अप्राप्त ब्याज पर ध्यान नहीं दिया है एवं दिनांक 31 मार्च, 2019 को इन उधारकर्ताओं के संबंध में (241.68 करोड़ पर 5%) ₹12.08 करोड़ का मानक प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई के परिपत्र संख्या डीबीआर. नं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019 के अनुसार “एमएसएमई उधारकर्ताओं को छूट माल एवं सेवा कर के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है”। दिनांक 31 मार्च, 2019 को एमएसएमई के पुनर्चित खातों का विवरण निम्नानुसार है :-

पुनर्चित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1202	97.13

23. सामान्य श्रेणी के अंतर्गत बेचे / (खरीदे) गए प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी). विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

SECTOR →	Agri		General		Micro		S&M Farmer		Total Quantity (Rs. Cr)	Total PROFIT/(LOSS)
	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)		
Jun-18	-	-	(700.00)	1.77	1,700.00	(8.35)	(1,400.00)	15.20	(400.00)	8.62
Jul-18	(500.00)	4.20	(6,900.00)	18.61	790.00	(3.53)	(800.00)	8.52	(7,410.00)	27.81
Aug-18	-	-	(1,950.00)	4.42	3,895.00	(23.77)	(1,000.00)	9.30	945.00	(10.05)
Sep-18	-	-	(3,600.00)	4.61	500.00	(2.50)	(2,025.00)	14.72	(5,125.00)	16.83
Oct-18	-	-	(2,501.00)	0.58	(810.00)	1.44	(5,047.50)	28.53	(8,358.50)	30.55
Nov-18	-	-	-	-	(190.00)	0.16	(1,012.50)	2.05	(1,202.50)	2.21
Grand Total	(500.00)	4.20	(15,651.00)	29.99	5,885.00	(36.54)	(11,285.00)	78.32	(21,551.00)	75.97

नोट: (-) ऋण पीएसएलसी की बिक्री का संकेत तथा (+) पीएसएलसी की खरीद का संकेत देता है.

उपरोक्त श्रेणियों के पीएसएलसी का कमिशन दर 0.06% से 1.60% है.

24. एमटीएम हानियों के विस्तार के संबंध में प्रकटीकरण

भारिबैं के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के अनुसार भारिबैं, दिनांक आरबीआई ने अपने परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.113/21.04.048/2018-19 दिनांक 15 जून, 2018 के माध्यम से बैंकों को दिनांक 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए एएफएस एवं एचटीएफ श्रेणी में रखे गए निवेशों पर एमटीएम हानि को जिस तिमाही में हानि हुई है उस तिमाही से आरम्भ कर चारों तिमाहियों में उस हानि को फैलाने हेतु अनुमत किया है. 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही में ₹ 74.81 करोड़ की इस हानि को प्रावधानों के भिन्नकालिक की अनुमत का लाभ लेते हुए इसको ¼ को जून एवं सितम्बर, 2018 तिमाहियों में बांटा गया है एवं गैर परिशोधित बकाया शेष ₹ 37.40 करोड़ था. दिनांक 31.12.2018 को बॉन्ड दर अच्छी होने के कारण आस्थगित प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी. उपर्युक्त के परिणामतः पूर्ण एमटीएम हानि दिनांक 31.03.2019 को पूर्णतौर पर कवर हो गयी.

25. आरक्षित में आहरण द्वारा कमी

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आरक्षित में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई (पिछले वर्ष निरंक)

26. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई

दिनांक: 15 मई, 2019



दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की नकद प्रवाह विवरणी
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2019	31- 03- 2018
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	करों पूर्व लाभ/ (हानि)	(8,170.22)	(7,895.97)
I	समायोजन हेतु :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	277.72	260.31
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	983.88	794.17
	अशोध्य अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	10,626.30	9,564.62
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(114.93)	6.31
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	(198.54)	263.86
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ/हानि) (शुद्ध)	4.43	4.50
	अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	(5.22)	(10.10)
	उप योग	3,403.42	2,987.70
II	समायोजन हेतु :		
	जमा में वृद्धि (कमी)	5,016.58	(1,832.33)
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	(467.06)	(3,576.33)
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(1,103.64)	(1,835.07)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(609.48)	(26,708.03)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(23,650.34)	(11,330.90)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	2,635.47	(1,807.22)
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की राशि इत्यादि सहित)	187.43	(293.85)
	उप योग	(17,991.04)	(47,383.73)
	परिचालनात्मक गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	(14,587.62)	(44,396.03)
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	3.48	4.12
	अचल आस्तियों की खरीद	(254.12)	(314.25)
	सहयोगी/अनुषंगी से प्राप्त लाभांश	5.22	10.10
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	(245.42)	(300.03)
सी	वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	6,592.00	5,158.00
	शेयर आवेदन राशि	212.54	-
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर्स	-	-
	लाभांश कर	-	-
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	6,804.54	5,158.00



दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नकद प्रवाह विवरणी
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2019	31- 03- 2018
डी	नकद एवं नकद तुल्य (फ़व्वेसी) या (एफ-ई) में शुद्ध वृद्धि	(8,028.50)	(39,538.06)
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	35,999.91	75,086.76
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	3,228.53	3,679.74
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	39,228.44	78,766.50
एफ	वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	20,779.09	35,999.91
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	10,420.85	3,228.53
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	31,199.94	39,228.44

नोट्स:

- उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारण अनुसार 'अप्रत्यक्ष माध्यम' के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समोहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई

दिनांक: 15 मई, 2019



दिनांक 31.03.2019 को पिलर 3 (बासल III) प्रकटीकरण

तालिका डीएफ-1 : प्रयोज्य क्षेत्र

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण :

इस शीट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का एकल आधार में प्रकटीकरण है।

समेकित खातों (वार्षिकतः प्रकट) में बैंक की अनुषंगी/ सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार हैं:

ए. समेकन में शामिल समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है. (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	क्या निकाय समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	समेकन की विधियों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	कारण बताएं यदि समेकन के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत समेकन किया गया है.
सेन्ट्रल बैंक होम फायनेंस लि./भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारत आस्तियां
सेन्ट्रल बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारत आस्तियां
सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रा.बैं. छिंदवाड़ा /भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारत आस्तियां
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारत आस्तियां
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारत आस्तियां
इन्डो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड/ जाम्बिया	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारत आस्तियां

बी. समेकन की लेखांकन एवं नियामक दोनों ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकन हेतु स्वीकार न किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय के पूंजी साधनों में बैंक के निवेशों का नियमन	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)
ऐसा कोई निकाय नहीं					



(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी. समेकन हेतु स्वीकार की गई समूह इकाइयों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश (उक्त (₹) में दर्शाए अनुसार)	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ मिलियन में	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ मिलियन में
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	कंपनी का प्रमुख उद्देश्य आवास ऋण प्रदान करना है.	250	14001
सेन्ट बैंक फाईनेशियल सर्विसेज लि. / भारत	कॉर्पोरेट ग्राहकों को निवेश बैंकिंग उत्पाद/सेवाएं प्रदान करना है.	50	428
सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्राबैं/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2464	81453
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4545	178876
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	908	34892

*मार्च 2019 के लिए उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रा.बैं. एवं उत्तर बिहार ग्रा.बैं. का डाटा अलेखापरीक्षित है.

डी. सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

ई. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है: निरंक

एफ. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतर या नियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध या रूकावट: निरंक

तालिका -2: पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश:

पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आने वाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएँ, ऐसे जोखिम जो पिलर के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गई तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने पिलर II के अंतर्गत अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रेस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

बैंक ने पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए नवीनतम दृष्टिकोण की ओर जाने हेतु पहल की है, आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही बैंक ने एक परामर्शदाता एवं एक सिस्टम इंटीग्रेटोर वेंडर को नियुक्त किया है.



<p>परिमाणात्मक प्रकटीकरण (बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :</p> <ul style="list-style-type: none"> मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो @9% प्रतिभूति एक्सपोजर 	<p>₹ 108555 मिलियन निरंक</p>
<p>(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण: - ब्याज दर जोखिम - - विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) - - इक्विटी जोखिम - 	<p>₹ 9043 मिलियन ₹ 41 मिलियन ₹ 3679 मिलियन</p>
<p>(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> मूल संकेतक दृष्टिकोण 	<p>₹ 9222 मिलियन</p>
<p>(ई) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूंजी अनुपात -</p> <ul style="list-style-type: none"> सामान्य इक्विटी टियर 1 टियर 1 कुल पूंजी अनुपात 	<p>7.49% 7.49% 9.61%</p>

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/ कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने प्रत्येक जोखिम के समझौते के लिए शीर्ष प्रबंधन की जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक समिति निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन समिति, ऋण नीति समिति, परिचालन जोखिम समिति. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु पूरे वर्ष नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते हैं.

केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के शीर्षस्थ मुख्य जोखिम अधिकारी (महाप्रबंधक) हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा विविध समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते हैं. महाप्रबंधक को सहायक महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक एवं प्रबंधकों की टीम के साथ उप महाप्रबंधक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है.

आंचलिक कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर ये अभिनिर्धारित जोखिम प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में कार्य करेंगे.

बैंक में विविध नीतियां हैं जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, समंजित जोखिम प्रबंधन नीति, स्ट्रैस टेस्ट नीति, बाजार अनुशासन एवं प्रकटीकरण नीति, अंतर्समूह लेनदेन एवं विस्तार नीति, परिचालन जोखिम नीति, एएलएम नीति एवं बाजार जोखिम नीति.

इसके अलावा, ऋण नीति शासी ऋण कार्य-पद्धति के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं तथा ऋण पोर्टफोलियो दस्तावेजीकरण की निगरानी एवं नियंत्रण पर दिशानिर्देश भी सुव्यवस्थित हैं.

ऋण मॉनिटरिंग विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक हैं, जो ऋण पोर्टफोलियो, विशेष उल्लिखित खातों की पहचान एवं उनके सुधारक उपाय को मॉनिटर करेंगे. सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत खातों के प्रसंस्करण एवं निगरानी के अलावा ऋण प्रस्ताव की समीक्षा भी विभाग द्वारा की जाएगी.

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली के साथ उधारग्रहिताओं के विविध खंडों के लिए रेटिंग मॉडल की शुरुआत की है, जो कि काउंटर ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा ऋण एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है. बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल काउंटर ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा प्रत्येक ऐसे जोखिम का पृथक रूप से मूल्यांकन करती है तथा फिर समग्र रेटिंग, काउंटर पार्टी को प्रदान की जाती है. सुविधा रेटिंग मॉडल भी रेटिंग टूल में ही उपलब्ध है. जहां मूल संस्था से समर्थन उपलब्ध है, रेटिंग में यह भी एक घटक है, यदि उधारकर्ता को कोर्पोरेट गारंटी उपलब्ध है.



तालिका डीएफ - 3 : ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

अनर्जक :

दिनांक 20.07.2012 को अपने रिपोर्ट में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा अग्रिमों की संरचना पर विद्यमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा करने वाले कार्यरत समूह ने यह पाया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार खाते, सामान्यतया पुनर्संरचना हेतु हास के रूप में व्यवहरित होते हैं और अनुमोदन करते हैं कि यही समान प्रक्रिया भारत में भी व्यवहरित की जाए. भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय लिखतों में पहचान, गैर-पहचान, वर्गीकरण और वित्तीय लिखतों के माप के साथ-साथ हास और बचाव लेखांकन की शामिल है.

अनर्जक आस्तियां वह हैं जहां ऋण या अग्रिम-

- मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;
- 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,
- खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,
- कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में
 - अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,
 - दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो.
- दिनांक 1 फरवरी 2006 के प्रतिभूतिकरण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहेगी.
- डेरिड्वेटिव परिचालन के संबंध में अतिदेय प्राप्तियां डेरिड्वेटिव संविदा के सकारात्मक दैनिक बाजार मूल्य को व्यक्त कर रही हैं यदि ये भुगतान की निर्धारित तय तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती हैं.

दिनांक 12 फरवरी, 2018 को भारिबैं ने अपने परिपत्र में दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2018 की अधिनियम को ध्यान में रखते हुए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए संशोधित ढांचा जारी किया है.

अनियमित:

कोई खाता तब "अनियमित" दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

- ऋण जोखिम – निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूनीकरण तकनीक,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,



- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- किसी देश में किसी बैंक का ऋण एवं मुद्रा,
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,
- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- किसी देश में किसी बैंक के ऋण तथा परिचालन सम्बंधी मामले.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	(₹ मिलियन में)
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:	
• निधि आधारित*:	2799270
• गैर-निधि आधारित:	257201
*बैंक, निवेश इत्यादि में नकद शेष सहित	
बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:	
• विदेशी	70
• घरेलू	3056401

सी) उद्योग का नाम	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
	निधि	गैर-निधि	निवेश
ए. खनन एवं उत्खनन (ए.1 + ए.2)	4,889	1,135	0
ए.1 कोयला	1,629	905	0
ए.2 अन्य	3,260	230	0
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी.1 से बी.5 तक)	65,507	6,695	4,954
बी.1 चीनी	20,213	1,177	4,344
बी.2 वनस्पति तेल एवं वनस्पति	18,392	2,818	0
बी.3 चाय	1,155	15	1
बी.4 कॉफी	87	0	0
बी.5 अन्य	25,660	2,685	610
सी. पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त) एवं तम्बाकू	3,748	52	0
सी.1 तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	1,158	47	0
सी.2 अन्य	2,590	5	0
डी. टेक्सटाइल	51,763	15,081	2,108
डी.1 सूती	20,545	344	1,839
डी.2 जूट	2,150	210	0
डी.3 मानव-निर्मित, जिनमें	1,226	0	0
डी.4. अन्य	27,843	14,527	269
डी में से (अर्थात, कुल कपड़ा) कताई मिल को	11,315	609	0
ई. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	1,663	104	0
एफ. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	1,745	105	0
जी. कागज एवं कागज के उत्पाद	6,098	2,525	531
एच. पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लियर ईंधन	5,422	3,138	186



सी) उद्योग का नाम	₹ मिलियन में निधि	₹ मिलियन में गैर-निधि	₹ मिलियन में निवेश
आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि) (आई1 से आई4 तक)	24,406	4,145	115
आई.1 उर्वरक	5,276	49	0
आई.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकलस	7,424	760	94
आई.3 पेट्रो कैमीकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत)	787	73	0
आई.4 अन्य	10,919	3,262	20
जे. रबर प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	6,450	640	0
के. कांच एवं कांच के सामान	317	23	0
एल. सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	16,338	1,088	0
एम. मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1 + एम.2)	62,552	21,423	1,830
एम.1 लोहा एवं स्टील	40,776	10,049	1,089
एम.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	21,776	11,374	740
एन. सभी अभियांत्रिकी (एन.1 + एन.2)	68,655	18,237	550
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	36,846	833	202
एन.1 अन्य	31,810	17,404	347
ओ. वाहन, वाहन पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	17,851	3,193	173
पी. रत्न एवं आभूषण	23,093	4,260	0
क्यू. निर्माण	48,746	11,513	2,812
आर. बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	280,357	64,763	68,189
आर.ए. परिवहन (ए.1 से ए.6 तक)	97,059	12,476	13,811
आर. ए.1 रोड एवं ब्रिज	64,746	10,998	11,211
आर. ए.2 बंदरगाह	8,460	600	0
आर. ए.3 आंतर्देशीय जलमार्ग	1,078	0	2,600
आर. ए.4 एयरपोर्ट	6,663	0	0
आर. ए.5 रेलवे ट्रैक, टनल, सेतु, ब्रिज	12,944	800	0
आर. ए.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी रोड यातायात के मामलों में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	3,168	78	0
बी. ऊर्जा(बी1 से बी6 तक)	115,964	9,175	50,545
बी.1 विद्युत (उत्पादन)	84,205	5,760	6,943
बी.1.1 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	13,988	78	2,247
बी.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	16,824	0	0
बी.1.3 निजी क्षेत्र	53,393	5,682	4,696
बी.2 विद्युत (परिचालन)	1,986	2,700	4,908
बी.2.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	884	2,700	4,908
बी.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	0	0	0
बी.2.3 निजी क्षेत्र	1,102	0	0
बी.3 विद्युत (वितरण)	6,635	715	38,694
बी.3.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	683	0	0
बी.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	5,550	0	38,692
बी.3.3 निजी क्षेत्र	403	715	2



सी) उद्योग का नाम	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
	निधि	गैर-निधि	निवेश
आर.बी.4 तेल पाइप लाईन	0	0	0
आर.बी.5 तेल/गैस/द्रवरूप प्राकृतिक गैस (एलएनजी) संग्रहण सुविधा	23,138	0	0
आर.बी.6 गैस पाइप लाइन	0	0	0
आर.सी. जल एवं स्वच्छता (सी.1 से सी.7)	10,577	0	0
आर.सी.1 टोस अपशिष्ट प्रबंधन	114	0	0
आर.सी.2 जल आपूर्ति पाइप लाइन	0	0	0
आर.सी.3 जल शुद्धिकरण संयंत्रों	1,674	0	0
आर.सी.4 सीवेज संग्रहण, शुद्धिकरण और निपटान प्रणाली	6,290	0	0
आर.सी.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध)	2,500	0	0
आर.सी.6 तूफानी जल निकासी व्यवस्था	0	0	0
आर.सी.7 पिच्छल पाइप लाइन	0	0	0
आर.डी. सम्प्रेषण (डी.1 से डी.3)	10,263	31,732	542
आर.डी.1 दूर-संचार (फिक्सड नेटवर्क)	6,304	2,335	542
आर.डी.2 दूर-संचार टॉवर	0	0	0
आर.डी.3 दूर-संचार एवं टेलीकॉम सेवाएं	3,959	29,397	0
आर.ई. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना (ई.1 से ई.9)	24,087	100	0
आर.ई.1 शैक्षणिक संस्थान (कैपिटल स्टॉक)	3,647	55	0
आर.ई.2 हॉस्पिटल (कैपिटल स्टॉक)	1,152	0	0
आर.ई.3 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बाहर स्थित तीन-स्टार अथवा उच्च श्रेणी में वर्गीकृत होटल	2,150	0	0
आर.ई.4 औद्योगिक पार्क, सेज, पर्यटन सुविधाओं एवं कृषि बाजार के लिए समान बुनियादी संरचना	16,711	45	0
आर.ई.5 उर्वरक (पूजी निवेश)	0	0	0
आर.ई.6 कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि एवं बागवानी उत्पादों के लिए कटाई पश्चात स्टोरेज हेतु बुनियादी संरचना	426	0	0
आर.ई.7 टर्मिनल मार्केट	0	0	0
आर.ई.8 मिट्टी परिक्षण प्रयोगशाला	0	0	0
आर.ई. कोल्ड श्रृंखला	0	0	0
आर.एफ. अन्य, यदि कोई हो, कृपया उल्लेख करें	22,407	11,279	3,291
एस. अन्य उद्योग, कृपया उल्लेख करें	201,216	33,741	415
सभी उद्योग (ए से एस तक)	890,819	191,862	81,863
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	1,183,839	98,675	102,304
कुल	2,074,657	290,537	184,167
कुल एक्सपोजर के 5% से अधिक वाले एक्सपोजर			
	वित्त पोषित	गैर वित्त पोषित	निवेश
बुनियादी संरचना	280,357	64,763	68,189
ऊर्जा	115,964	9,175	50,545



(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण :	
1 दिन :	556991
02 दिनों से 07 दिनों तक:	34928
08 दिनों से 14 दिनों तक:	15470
15 दिनों से 30 दिनों तक:	75802
31 दिनों से 2 महीनों तक:	41633
2 महीनों से अधिक, परंतु 3 महीनों तक:	68264
3 महीनों से अधिक, परंतु 6 महीनों तक:	80676
6 महीनों से अधिक, परंतु 12 महीनों तक:	122890
1 वर्ष से अधिक, परंतु 3 वर्ष तक:	788570
3 वर्ष से अधिक, परंतु 5 वर्ष तक:	203718
5 वर्ष से अधिक :	600491
कुल	2589433
(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) -	
• अवमानक	59231
• संदिग्ध 1	77052
• संदिग्ध 2	99752
• संदिग्ध 3	61205
• हानि	26320
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां	173779
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात	
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	21.48%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	11.10%
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में संचलन	
• प्रारम्भिक शेष	381307
• परिवर्धन	103286
• कमियां	161033
• अनर्जक आस्तियां (सकल)	323560
(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन	
• प्रारम्भिक शेष	196013
• अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	124716
• बढ़ा खाता	----
• अवलिखत अतिरिक्त प्रावधान	121393
• इति शेष	199336
(जे) अनर्जक निवेश की राशि	15469
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि	13336



(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यहास में परिवर्तन:	
• प्रारम्भिक शेष	26631
• इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	25616
• बढ़ा खाता	निरंक
• अवलिखत अतिरिक्त प्रावधान	13035
• इति शेष	39212

तालिका डीएफ - 4 ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है।	
(बी) बैंक ने सात बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों यथा, क्रिसिल लि. केयर, इक्रा लि., इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्रा.लि. समेरा एवं ब्रिकवर्क को अपने ग्राहकों के ऋणों को रेटिंग हेतु अभिचिन्हित किया है।	
(सी) ये एजेंसियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेंसियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती है।	
(डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की निर्गम विशिष्ट रेटिंग को भारिता की गणना में लिया जाएगा..	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	₹ मिलियन में
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिये, बैंक की बकाया (श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है:	
• 100% जोखिम भारिता से कम :	2397017
• 100% जोखिम भारिता	322358
• 100% जोखिम भारिता से अधिक	337097
• घटाई गई राशि - सीआरएम	129551

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण 1 के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:	
<ul style="list-style-type: none"> संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें; <p>बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण; <p>बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं। नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है।</p> <p>भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार वित्तीय संपार्श्विक का अभिनिर्धारण करते हैं, साथ ही, ये दिशानिर्देश गारंटी को एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं इस प्रकार के तत्वों का पता लगाने के लिये बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं।</p>	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	₹ मिलियन में
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलिया के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर कवर किया गया है:	
• हेयरकट्स अनुप्रयोग के बाद; पात्र वित्तीय संपार्श्विक-	
• निधि आधारित	108956
• गैर-निधि आधारित	20595



तालिका डीएफ -6 : प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:	
	निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	₹ मिलियन में
बैंकिंग बही	
(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.	निरंक
(ई) एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादित अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिह्नित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां	निरंक
(एफ) एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की मंशा.	निरंक
(जी) उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि	निरंक
(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिह्नित लाभ या हानियां	निरंक
(आई) निम्न की समेकित राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(जे) रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा सहायक पूंजी प्रभागों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित, ऐसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.	निरंक
ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
ट्रेडिंग बही :	
(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,	निरंक
(एल) निम्न की समग्र राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एम) निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि :	
- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तथा :	निरंक
- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एन) निम्न की समग्र राशि :	
- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी	निरंक
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक



तालिका डीएफ - 7 : ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है, जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है।

बैंक, बाजार दर जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है।

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है। एकीकृत ट्रेजरी नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति ऐसी अन्य नीतियां हैं जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित हैं।

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है।

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है। बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है। बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगतवा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं। यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शेषराशि – नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवृत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है।

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता/स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। बैंक नियमित रूप से एलसीआर रिटर्न्स प्रस्तुत कर रही है एवं आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना भी मौजूद है। बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है।

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरित परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवधिक प्राक्कलन करता है।

परिमाणुत्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	पूंजी प्रभार (₹ मिलियन में)
ब्याज दर का जोखिम	₹9043
इक्विटी का स्थिति- जोखिम	₹3679
विदेशी मुद्रा का जोखिम	₹41
योग	₹12,763

तालिका डीएफ - 8 : परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है। परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते। बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थितियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है। बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम “कोरडेक्स” का सदस्य भी है।

बैंक ने एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए परामर्शदाता एवं सिस्टम इंटीग्रेटर नियुक्त किया है।

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2019 को परिचालन जोखिम के लिए ₹ 9222 मिलियन पूंजी की आवश्यकता है।



तालिका डीएफ -9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण	
ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां हैं :	
1. जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण)	
इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तियों एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है।	
2. इक्विटी का आर्थिक मूल्य:	
इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है।	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
परिवर्तन के पैरामीटर	₹ मिलियन में
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि पर आय पर प्रभाव	2601
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	7563

तालिका डीएफ-10 : प्रतिपक्षीय साख जोखिम से संबंधित ऋण के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण		
(ए) बैंक प्रतिपक्षीय ऋणों के लिए पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, आय उपार्जन, तरलता एवं प्रबंधन गुणवत्ता के आधार पर ऋणी सीमा का निर्धारण करता है।		
बैंक की बाजार जोखिम प्रबंधन नीति अच्छी तरह से परिभाषित है।		
बैंक विविध डेरिवेटिव उत्पादों एवं ब्याज दर स्वाप में व्यवहार करता है। बैंक अपनी तुलन-पत्र मदों, साथ ही व्यवसाय उद्देश्य से बचाव-व्यवस्था हेतु डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करता है।		
मात्रात्मक प्रकटीकरण	₹ मिलियन में	
विवरण	राशि	
(बी) संविदा का सकल सकारात्मक मूल्य	450	
शुद्ध लाभ	0	
शुद्ध चालू साख ऋण	450	
संपार्श्विक प्रतिभूति	0	
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्पोजर	1516	
(सी)	₹ मिलियन में	
मद	काल्पनिक राशि	वर्तमान ऋण एक्सपोजर
फारवर्ड विदेशी विनिमय संविदा	35851	1122
क्रास करेंसी ब्याज दरस्वाप सहित क्रास करेंसी स्वाप	3442	381
ब्याज दर संविदाएं	500	13



तालिका डीएफ-11: पूंजी का संयोजन
भाग II: दिनांक 31 मार्च, 2019 से उपयोग किए जाने के लिए टेम्पलेट

दिनांक 31 मार्च, 2019 से उपयोग किए जाने के लिए बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट			संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		₹ मिलियन में	
1	प्रत्यक्ष निर्गमित अर्हक सामान्य शेयर पूंजी एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	40472	ए1
2	प्रतिधारित उपार्जन	-161946	
3	संचित अन्य व्यापक उपार्जन (एवं अन्य प्रारक्षित निधि)	295825	
4	प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी जो सीईटी 1 से बाहर की गई (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों 1 हेतु लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	0	
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी	174351	
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	
9	अमूर्त (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	
10	आस्थगित कर आस्ति	0	
11	नकद-प्रवाह बचाव प्रारक्षित	0	
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी	0	
13	विक्रय पर प्रतिभूति वृद्धि	0	
14	शुद्ध मूल्यांकित देयताओं पर अधिलाभ एवं हानि स्वयं के साख जोखिम में परिवर्तन के कारण	0	
15	परिभाषित – लाभ पेंशन निधि शुद्ध आस्तियां	0	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र पर चुकता पूंजी से पहले ही कम न की गई हो)	0	
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिता	65	
18	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
19	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
20	मॉरगेज सर्विसिंग राइट्स 4 (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
21	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर देयताएं (10% की सीमा से अधिक की राशि, संबंधित शुद्ध कर देयता)	63299	
22	15% सीमा से अधिक की राशि	0	
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0	
24	जिसमें से: मॉरगेज सर्विसिंग राइट	0	
25	जिसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0	



दिनांक 31 मार्च, 2019 से उपयोग किए जाने के लिए बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट		संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टायर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		₹ मिलियन में
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुबंधियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर वित्तीय की इक्विटी पूंजी में निवेश	0
26सी	जिसमें से: बहुसंख्य मालिकाना वित्तीय निकायों की इक्विटी पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित न की गई हो.	0
26डी	जिसमें से: अमूर्तिकृत पेंशन निधि व्यय	0
27	कटौती को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टायर 1 एवं टायर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टायर 1 को लागू विनियामक समायोजन	0
28	सामान्य इक्विटी टायर 1 हेतु विनियामक समायोजन	0
29	सामान्य इक्विटी टायर 1 पूंजी (सीईटी 1)	110986
अतिरिक्त टायर 1 पूंजी : लिखत		
30	टायर 1 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखत एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	0
31	जिसमें से लागू लेखांकन मानकों के अधीन इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थाई उधार लिखत)	
33	अतिरिक्त टायर 1 से बाहर किए गए प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखत	0
34	अनुबंधियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टायर 1 लिखत (एवं सीईटी 1 लिखते जो रो 5 में शामिल नहीं हैं) (समूह एटी 1 में अनुमत राशि)	
35	जिसमें से: बाहर किए जाने के अधीन अनुबंधियों द्वारा जारी लिखते	
36	विनियामक समायोजन के पहले अतिरिक्त टायर 1 पूंजी	0
अतिरिक्त टायर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन		
37	स्वयं के अतिरिक्त टायर 1 लिखतों में निवेश	0
38	अतिरिक्त टायर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति धारिता	0
39	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0
40	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति)	0
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0
41ए	असमेकित बीमा अनुबंधियों की अतिरिक्त टायर 1 पूंजी में निवेश	
41बी	बहुलांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं हैं, की अतिरिक्त टायर 1 पूंजी में कमी	
42	कटौती कवर करने हेतु अपर्याप्त टायर 2 के कारण अतिरिक्त टायर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन	
43	अतिरिक्त टायर 1 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन	0
44	अतिरिक्त टायर 1 पूंजी (एटी1)	0



दिनांक 31 मार्च, 2019 से उपयोग किए जाने के लिए बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट		संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		₹ मिलियन में
45	टीयर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)	110986
टीयर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान		
46	टीयर 2 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखतें एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष	18000
47	टीयर 2 से बाहर किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखते	8400
48	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित टीयर 2 लिखते (एवं सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखते, जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं हैं) (टीयर 2 समूह में अनुमत राशि)	0
49	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा बाहर किए जाने के अधीन जारी लिखते	0
50	प्रावधान (मूल्यांकन प्रारक्षित, मानक आस्तियों पर प्रावधान, अनर्जक आस्तियों की बिक्री आदि)	5017
51	विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर 2 पूंजी	31417
52	स्वयं की टीयर 2 लिखतों में निवेश	
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिता	50
54	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेर्य पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	
55	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति (पात्र लघु स्थिति का शुद्ध)	
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	
56ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में निवेश	
56बी	बहुलांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं हैं, की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में कमी	
57	टीयर 2 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन	50
58ए	टीयर 2 पूंजी	31367
58बी	टीयर 2 पूंजी (टी2)विनियामक पूंजी उद्देश्यों हेतु समायोजन	31367
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)	142354
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	1480978
60ए	जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	1206167
60बी	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	159531
60सी	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	115280
पूंजी अनुपात		
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	7.49%
62	टीयर 1 (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	7.49%
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	9.61%
64	संस्था विशेष बफर आवश्यकताएं (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकताओं के साथ पूंजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं)	7.375%



दिनांक 31 मार्च, 2019 से उपयोग किए जाने के लिए बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट		संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		₹ मिलियन में
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण न बफर आवश्यकता	1.875%
66	जिसमें से: बैंक विशेष प्रतिचक्री बफर आवश्यकता	0.00%
67	जिसमें से: जी-एस.आईबी बफर आवश्यकता	0.00%
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.00%
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासल III से अलग हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	7.375%
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	8.875%
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	10.875%
कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारिता से पहले)		
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	लागू नहीं
73	वित्तीय निकायों की सामान्य पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश	लागू नहीं
74	मॉरगेज सर्विसिंग राइट (संबंधित शुद्ध कर देयता)	लागू नहीं
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित शुद्ध कर देयता)	लागू नहीं
टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि पर लागू सीमाएं		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा	लागू नहीं
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा.	लागू नहीं
फेस-आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखते (केवल दि.31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2022 के मध्य लागू)		
80	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन सीईटी लिखतों पर वर्तमान सीमा	लागू नहीं
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	लागू नहीं
82	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन एटी1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	लागू नहीं
83	सीमा के कारण एटी1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	लागू नहीं
84	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन टी2 लिखतों पर वर्तमान सीमा	28000
85	सीमा के कारण टी2 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	19600



तालिका डीएफ-12: पूंजी का संघटन- समायोजन अपेक्षाएं

(राशि मिलियन में)

	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र	संदर्भ
	दि. 31.03.2019 को	
ए पूंजी एवं देयताएं		
i चुकता पूंजी	40472	
जिसमे से: सीइटी 1 हेतु पात्र राशि	40472	ए1
जिसमे से: एटी 1 हेतु पात्र राशि	0	बी1
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	148877	
शेयर आवेदन राशि लम्बित आबंटन	2125	
अल्पसंख्यक हित	0	
कुल पूंजी	191474	
ii जमाराशियां	2998554	
जिसमे से: बैंकों से जमा	40220	
जिसमे से: ग्राहकों से जमा	2958334	
जिसमे से: अन्य जमाएं (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	
iii उधारराशियां	52391	
जिसमे से: आरबीआई से	-	
जिसमे से: बैंकों से	44	
जिसमे से: अन्य संस्थाओं एवं संस्थानों से	2955	
जिसमे से: अन्य (भारत से बाहर)	0	
जिसमे से: गौण ऋण	5000	सी1
जिसमे से:अपर टीयर 2	23000	सी2
जिसमे से: असुरक्षित मोचनीय एनसी बासल III बाण्ड्स (टीयर2)	20000	सी3
जिसमे से: नवोन्मेष स्थायी उधार लिखत	1391	
iv अन्य देयताएं एवं प्रावधान	64758	
कुल	3307177	
बी आस्तियां		
i भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी एवं शेष	207791	
बैंकों में जमा एवं मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	104208	
ii निवेश:	1252981	
iii ऋण एवं अग्रिम	1465254	
जिसमे से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	11	
जिसमे से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1465243	
iv अचल आस्तियां	43102	
v अन्य आस्तियां	233841	
जिसमे से: गुडविल एवं अमूर्त आस्तियां	0	
जिसमे से: आस्थगित कर देयताएं	78940	
vi समेकन पर गुडविल	0	
vii लाभ-हानि खाते में नामे शेष	0	
कुल आस्तियां	3307177	



तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

टीयर-1 पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

विवरण	इक्विटी
जारीकर्ता	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A01010
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
परिवर्तन पश्चात III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	सामान्य शेयर
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलियन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	₹ 40,472
लिखत की सममूल्य राशि	₹10 प्रति शेयर
लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारक की इक्विटी
जारीकरण की मूल तिथि	विविध
स्थायी या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	ला.न.
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	अस्थायी
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	ला.न.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्णतः विवेकाधिकार
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	ला.न.
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.
अवलेखन विशेषता	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ताओं एवं अन्य ऋणियों, बाण्ड एवं पीएनसीपीएस
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषताएं बताएं	नहीं



श्रृंखला वर्णन	श्रृंखला. II पीडीआई
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09252
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	अपात्र
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	स्थायी उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	0
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	28.09.2012
स्थायी या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	ला.न.
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	28.09.2022
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.40% प्र.व.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषताएं बताएं	पूर्णतः अमान्य, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं



उच्च टीयर-2 पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है

श्रृंखला विवरण	उच्च टीयर II (श्रृंखला III)	उच्च टीयर II (श्रृंखला IV)	उच्च टीयर II (श्रृंखला V)	उच्च टीयर II (श्रृंखला VI)
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया			
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09203	INE483A09211	INE483A09229	INE483A08015
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार				
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	1500	1500	3000	900
लिखत की सममूल्य राशि	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	23.06.2009	20.01.2010	11.06.2010	21.01.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	23.06.2024	20.01.2025	11.06.2025	21.01.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	23.06.2019	20.01.2020	11.06.2020	21.01.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश				
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	8.80%	8.63%	8.57%	9.20%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.



श्रृंखला विवरण	उच्च टीयर II (श्रृंखला III)	उच्च टीयर II (श्रृंखला IV)	उच्च टीयर II (श्रृंखला V)	उच्च टीयर II (श्रृंखला VI)
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया			
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
यदि हाँ, तो गैर परिवर्तनीय विशेषताएं बताएं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

गौण उधार पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

श्रृंखला विवरण	निम्न टीयर II श्रृंखला XIV
जारीकर्ता	
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09245
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	1500
लिखत की सममूल्य राशि	₹1.00 मिलियन



श्रृंखला विवरण	निम्न टीयर II श्रृंखला XIV
लेखांकन वर्गीकरण	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	21.12.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	21.12.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	21.12.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.33%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषताएं बताएं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं



बासल III अनुपालन टीयर 2 बाण्ड की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

	बासल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स		
	श्रृंखला I	श्रृंखला II	श्रृंखला III
जारीकर्ता			
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09260	INE4838A09278	INE483A09286
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार			
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	पात्र	पात्र	पात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	8000	5000	5000
लिखत की सममूल्य राशि	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	08.11.2013	07.03.2017	07.03.2019
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	08.11.2023	07.05.2027	07.05.2029
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	हां	हां
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.	07.05.2022	07.05.2024
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश			
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.90%	8.62%	10.80%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.	ला.न.



	बासल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स		
	शृंखला I	शृंखला II	शृंखला III
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	हाँ	हाँ	हाँ
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	अंशतः	अंशतः	अंशतः
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	<ol style="list-style-type: none"> 1) पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाएगा. 2) एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित है, यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. 3) एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाएगा. 2) एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित है, यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. 3) एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाएगा. 2) एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित है, यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. 3) एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	नहीं	नहीं	नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	-	-	-



तालिका डीएफ-14: विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	पूंजी का प्रकार	लिखत	पूर्ण नियम एवं शर्तें
1.	इक्विटी	इक्विटी	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
2.	अतिरिक्त टीयर 1	आईपीडीआई	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
3.	टीयर 2	उच्च टीयर 2 बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
4.	टीयर 2	गौण बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
5.	टीयर 2	बासल III कम्प्लाइंट बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है

टेबल डीएफ-16: इक्विटीज़ - बैंकिंग बही हेतु प्रकटीकरण संबंधी दिनांक 31.03.2019 की स्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण	
<p>1 निम्नलिखित सहित इक्विटी जोखिम के मामले में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकताएं (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1) :</p> <ul style="list-style-type: none"> जिन पर पूंजीगत लाभ अपेक्षित है उस धारित राशि तथा पारस्परिक संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित जिन्हें व्याप्तियों के अंतर्गत लिया गया है, उनमें भिन्नता; एवं बैंकिंग बहियों में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन एवं लेखांकन को समाहित करते हुए महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा. इनमें मूल्यांकन के साथ साथ इनकी प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों सहित प्रमुख मान्यताओं एवं प्रथाओं सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीकी एवं मूल्यांकन प्रविधि शामिल है. 	<ul style="list-style-type: none"> भारिबैं के दिशानिर्देशानुसार अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों का इक्विटी में निवेश (संयुक्त उद्यम वह होता है जिसमें बैंक अपनी अनुषंगियों के साथ 25% से अधिक इक्विटी धारण करता है) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए. यह कार्यनीतिक संबंधों को बनाये रखने अथवा कार्यनीतिक व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए कार्यनीतिक लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं. निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश की खरीद की तिथि पर ही “व्यापार हेतु रखा गया” (एचटीएफ), “बिक्री हेतु उपलब्ध” (एएफएस) और “परिपक्व होने तक रखा गया” (एचटीएम) श्रेणियों में (इसके पश्चात “श्रेणियां” कहा जायेगा) वर्गीकृत किया गया है. उन निवेशों को जिनको बैंक परिपक्वता तक रखना चाहती है, को एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखे गये इक्विटी निवेश की पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया गया है. <p>एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश उनके अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं और बाजार में चिन्हित नहीं किया जाता है. अस्थायी के अलावा, कोई भी कमी, इक्विटी निवेश के मूल्य में प्रदान की जाती है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर कोई भी हानि, लाभ और हानि विवरणी में चिन्हित किया जाता है. भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी लाभ “आरक्षित पूंजी” के लिए शुद्ध करों और सांविधिक आरक्षित निधियों के साथ विनियोजित किया जाता है.</p>

गुणात्मक प्रकटीकरण		रुपये मिलियन में	
		बही मूल्य 31.03.2019	उचित मूल्य 31.03.2019
1	तुलनपत्र में निवेश का प्रदर्शित मूल्य और उन निवेशों का उचित मूल्य.	3590	3590
	शेयर की कीमत और उसके उचित मूल्य में काफी अंतर हो तो सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों से तुलना.	-	-
2	निवेशों का प्रकार एवं प्रकृति, ऐसी राशि सहित, जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:	-	-
	सार्वजनिक रूप से व्यापारित	-	-
	निजी तौर पर धारित	3590	3590
	भारत में संयुक्त उद्यम (सेन्ट बैंक होम फाइनेंस)	219	219
	भारत के बाहर, असोसिएट (इंडो जाम्बिया बैंक लि. में संयुक्त उद्यम)	475	475



गुणात्मक प्रकटीकरण		रुपये मिलियन में	
		बही मूल्य 31.03.2019	उचित मूल्य 31.03.2019
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2771	2771
	अनुषंगियां (सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.)	50	50
	कार्यनीतिक निवेश – सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन	21	21
	कार्यनीतिक निवेश – आईएफसीआई	40	40
	कार्यनीतिक निवेश – अन्य वित्तीय संस्थान (आईएफसीआई, जीएसएफसी, जेकेएफसी, डब्ल्यूबीएफसी)	20	20
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)	-	-
4	कुल अप्रदात लाभ (हानियां)*	-	-
5	कुल अप्रदात पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियां)**	निरंक	निरंक
6	टियर I एवं/अथवा टियर II पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त की कोई राशि	-	-
7	नियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में पर्यवेक्षी संक्रमण अथवा प्रांशकादरिंग“ प्रावधानों के अधीन बैंक की क्रियाविधि के साथ साथ इक्विटी निवेशों के प्रकार एवं उनकी कुल राशि के संगत इक्विटी समूहन द्वारा विक्षत पूंजीगत आवश्यकताएं.	लागू नहीं	लागू नहीं

दिनांक 31.03.2019 को लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण

लीवरेज अनुपात

बासल III के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम जोखिम आधारित पूंजी गैर-जोखिम आधारित टियर 1 लेवरेज अनुपात द्वारा संपूरक होगी.

टेबल डीएफ 17 : लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय की संक्षिप्त तुलना

	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार, कुल समेकित आस्तियां	3318846
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेशों के लिए समायोजन, जिनका लेखांकन प्रयोजनार्थ समेकन किया जाता है, परंतु जो विनियामक समेकन के क्षेत्र के बाहर हैं	0
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र में प्रत्ययी आस्तियों के समायोजन को दर्शाया गया है, किंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय से बाहर हैं	(62944)
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	15257
5	प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेनों (अर्थात रेपो एवं इसी तरह की रक्षित उधारी) के लिए समायोजन	2706
6	तुलनपत्र इतर मदों के लिए (अर्थात तुलनपत्र इतर एक्सपोजर के ऋण समतुल्य राशि में परिवर्तन) समायोजन	158501
7	अन्य समायोजन	1479
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	3433845



डीएफ-18 : लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण टेम्पलेट

		(₹ मिलियन में)
	तुलनपत्र एक्सपोजर	
1	तुलनपत्र मदे (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर, परंतु संपार्श्विक शामिल है)	3162859
2	(बासल III टियर I पूंजी सुनिश्चित करने में आस्ति राशि को घटाया)	62944
3	कुल तुलनपत्र एक्सपोजर (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर) (मद 1 से 2 तक की राशि)	3099915
	व्युत्पन्नी एक्सपोजर	
4	सभी व्युत्पन्नी लेनदेनों (अर्थात् पात्र नकदी विचलन मार्जिन घटाकर)	4304
5	सभी व्युत्पन्नी लेनदेनों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए वर्धित राशियां	10953
6	प्रदत्त व्युत्पन्नी संपार्श्विक के लिए ग्राँस-अप	0
7	(व्युत्पन्नी लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8	(क्लाइंट-क्लियरड ट्रेड एक्सपोजर का छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न की समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि	0
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी आनुमानिक प्रतितुलन तथा वर्धित कटौतियां)	0
11	कुल व्युत्पन्नी एक्सपोजर (मद 4 से 10 तक की राशि)	15257
	प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेन एक्सपोजर	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (निवल राशि ज्ञात किए बगैर), बिक्री लेखांकन लेनदेन के लिए समायोजन के पश्चात	160172
13	(सकल एसएफटी आस्तियों का देय नकदी और प्राप्य नकदी की शुद्ध राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	0
15	एजेन्ट लेनदेन एक्सपोजर	0
16	कुल प्रतिभूतियां वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (मद 12 से 15 की राशि)	160172
	अन्य तुलनपत्र इतर एक्सपोजर	
17	सकल आनुमानिक राशि पर तुलनपत्र इतर एक्सपोजर	602168
18	(ऋण समतुल्य राशियों में परिवर्तन के लिए समायोजन)	(443667)
19	तुलनपत्र इतर मदे (मद 17 और 18 की राशि)	158501
	पूंजी एवं कुल एक्सपोजर	
20	टियर 1 पूंजी	114428
21	कुल एक्सपोजर (मद 3,11,16 एवं 19 की राशि)	3433845
	लीवरेज अनुपात	
22	बेसल III लीवरेज अनुपात (प्रतिशत)	3.33%

ए. के. चटर्जी
उप महाप्रबंधक - आरएमडी

के. के. तनेजा
महाप्रबंधक - ऋण

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

वी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



<p>एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार, 302-306, प्रगति टॉवर्स, 26 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008</p>	<p>बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, मुम्बई - 400055</p>
<p>मुकुंद एम चितले एंड कम्पनी सनदी लेखाकार, द्वितीय मंजिल, कपुर हाउस, परांजपे 'बी' स्कीम, रोड न. 1, विले पार्ले (पूर्व), मुम्बई - 400057</p>	<p>एएजेवी एंड एशोसिएट सनदी लेखाकार, एलजीएफ-सी 73, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024</p>

सेबी (दायित्व सूचीवद्धता एवं आवश्यकताओं का प्रकटन) विनियमन 2015 के नियम 33 के अनुसार
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समेकित वित्तीय परिणाम पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

प्रति,

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल

- हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (पालक बैंक) एवं उसकी अनुषंगी संस्थाओं (जिन्हें सामूहिक रूप से “समूह” कहा गया है) एवं उनके सहयोगी संस्थाओं के 31 मार्च 2019 (विवरणी) को समाप्त वर्ष में लाभ या हानि के अंश के संलग्नित समेकित वित्तीय परिणामों का अंकेक्षण किया है, जिसे “पालक बैंक” ने सेबी (दायित्व सूचीवद्धता एवं आवश्यकताओं का प्रकटन) विनियमन 2015 के नियम 33 के अनुसार जमा किया है। यह विवरणी, जो कि “पालक बैंक” की जिम्मेदारी है एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार तैयार की गई है। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक लेखा पद्धति में निहित निर्धारण एवं मापन पद्धति को मान्य किया जाता है जो कि “पालक बैंक” एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होते हैं। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की विवरणी एवं वित्तीय परिणाम की प्रस्तुति पर अपने विचार रखना हमारी जिम्मेदारी है।
- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण के मानकों के अनुरूप किया है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजनाओं का अनुपालन करें। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम सही लेखापरीक्षा की अपनी योजना, कार्यनिष्पादन एवं उचित आश्वासन, जोकि समेकित वित्तीय परिणाम किसी गलत अनुमान से परे हैं, प्राप्त करने में नैतिकता का पालन करें। किसी लेखापरीक्षा की प्रस्तुति पद्धति में विवरणी के प्रकटन एवं राशि के बारे में लेखा साक्ष्य को प्राप्त करना शामिल है। चयनित पद्धति लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें विवरणी में किसी भौतिक गलत अनुमान के जोखिम का निर्धारण भी शामिल है चाहे वह कपट से हो या किसी चूक से। इन जोखिमों के निर्धारण में लेखापरीक्षक विवरणी की तैयारी एवं उसकी साफ सुथरी प्रस्तुति के लिए उस समय की स्थिति के अनुरूप उचित लेखापरीक्षा पद्धति बनाने के लिए समूह एवं उसके सहयोगियों से सम्बन्धित आंतरिक नियंत्रक को अपने संत्राण में लेता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीति के पर्याप्त अनुपालन का मूल्यांकन एवं प्रबन्धन द्वारा बनाए प्राक्कलनों के उचित अंकेक्षण के अलावा विवरणी की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि सहायक कंपनियों की रिपोर्ट्स एवं सहयोगी प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराए गए बिना लेखापरीक्षित लेखा वित्तीय विवरणियों, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा एवं हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा साक्ष्य हमारी राय बनाने हेतु पर्याप्त एवं उचित हैं।
- ये वित्तीय परिणाम हमारे द्वारा लेखापरीक्षित की गई 20 शाखाओं, दूसरों लेखा परीक्षकों द्वारा, जो इस कार्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे, द्वारा लेखापरीक्षित की गई 2549 शाखाओं एवं “पालक बैंक” की बिना अंकेक्षित की गई 2090 शाखाओं की संबन्धित विवरणियों से लिए गए हैं।
- (i) दो सहायक कंपनियों, जिनके वित्तीय विवरणी से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2019 को उनकी कुल आस्ति ₹ 1442.88 करोड़ एवं कुल राजस्व ₹ 146.50 करोड़ एवं कुल नगद आगम ₹ 71.63 करोड़ रहा, का लेखा परीक्षण हमने नहीं किया है। ये वित्तीय विवरणियाँ अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित की गई हैं, जिनकी रिपोर्ट्स हमें प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गई है एवं हमारी राय पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट्स पर आधारित है।
(ii) समेकित वित्तीय विवरणी में “समूह” को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में कर चुकाने के बाद हुआ निवल लाभ ₹ 16.59 करोड़ शामिल है, “समूह” में शामिल चारों सहयोगियों की वित्तीय विवरणियाँ हमने लेखा परीक्षित नहीं की हैं, प्रबन्धन ने तीन सहयोगियों, यथा: उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की वित्तीय विवरणियाँ जो लेखापरीक्षित नहीं की गई हैं, की वित्तीय



विवरणियाँ हमें उपलब्ध कराई हैं। इंडो जाम्बिया बैंक लि., नाम के सहयोगी के मामले में जिनकी रिपोर्टिंग अवधि कैलेंडर वर्ष है, का लाभांश, 31 दिसम्बर 2018 यानि 9 माह तक ही लिया गया है, जो 31 दिसम्बर 2018 को समाप्त वर्ष कैलेंडर वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी पर आधारित है एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त 3 माह का जो लाभ इस हेतु लिया गया है उसका आधार बिना लेखापरीक्षा वाली वित्तीय विवरणियाँ हैं जो प्रबन्धन ने उपलब्ध कराई हैं।

समेकित वित्तीय विवरणी पर हमारी राय एवं हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक कि इन सहयोगियों द्वारा शामिल राशि एवं प्रकटन का सम्बन्ध है, पूरी तरह से गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी पर आधारित है। हमारे विचार से एवं बैंक प्रबन्धन द्वारा दी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त का “समूह” पर कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उक्त मामले के सम्बन्ध में हमारी राय आशोधित नहीं है।

5. प्रबन्ध तंत्र द्वारा पेरोग्राफ 4 में वर्णित सत्यापित वित्तीय विवरणियों एवं अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए एवं प्रबन्धन द्वारा हमें दिए स्पष्टीकरण, हमारी राय एवं अधिकतम जानकारी के अनुसार, विवरणी :

1) समेकन में निम्न संस्थाओं के परिणाम शामिल हैं

(ए) सहायक कंपनियों

- (1) सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि.
- (2) सेन्ट बैंक फायनेंसियल सर्विसेस लि.

(बी) सहयोगी

- (1) सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, छिदवाड़ा
- (2) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
- (3) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार
- (4) इंडो जाम्बिया बैंक लि., जाम्बिया
- 2) इस सम्बन्ध में सेबी (दायित्व सूचीबद्धता एवं आवश्यकताओं का प्रकटन) विनियमन 2015 के विनियमन 33 की आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया गया एवं
- 3) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु “समूह” की समेकित निवल हानि एवं अन्य वित्तीय जानकारी पर सत्य एवं निष्पक्ष विचार करें।

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए दर्शित जोशी)
भागीदार
सदस्यता सं.133755

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 मई, 2019



दिनांक 31 मार्च, 2019 को समेकित तुलन पत्र

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2019 को ₹	31 मार्च 2018 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	4,04,72,014	2,61,81,558
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	15,13,62,928	15,59,23,052
अल्पसंख्यक ब्याज	2A	4,34,572	3,98,088
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित		21,25,409	-
जमा राशियां	3	3,00,31,13,856	2,95,35,44,875
उधार राशियां	4	5,63,96,659	6,02,56,819
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	6,49,40,977	7,71,88,594
कुल		3,31,88,46,415	3,27,34,92,986
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	20,77,94,497	36,00,01,196
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	10,51,81,420	3,26,22,898
निवेश	8	1,25,45,27,365	1,02,76,94,647
ऋण एवं अग्रिम	9	1,47,42,54,768	1,57,47,95,266
अचल आस्तियां	10	4,31,09,150	4,34,39,644
अन्य आस्तियां	11	23,38,90,319	23,48,50,439
समेकन पर गुडविल		88,896	88,896
कुल		3,31,88,46,415	3,27,34,92,986
आकस्मिक देयताएं	12	86,67,30,384	1,19,40,26,626
संग्रहण हेतु बिल		16,24,73,915	14,48,60,670
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन के नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची समेकित तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई

दिनांक: 22 मई, 2019



दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज एवं लाभांश	13	22,74,86,195	24,16,31,164
अन्य आय	14	2,41,63,327	2,62,04,076
कुल		25,16,49,522	26,78,35,240
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	15,93,46,579	17,60,33,211
परिचालन व्यय	16	6,08,01,586	6,42,57,740
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		8,77,78,525	7,84,99,996
कुल		30,79,26,690	31,87,90,947
III. लाभ/(हानि)			
अल्पांश ब्याज एवं पूर्वावधि मद के पूर्व, वर्ष का मूल एवं अनुषंगियों का समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)		(5,62,77,168)	(5,09,55,707)
घटायें: अल्पांश ब्याज		(57,943)	(59,936)
अल्पांश ब्याज एवं पूर्वावधि मद को घटाने के पश्चात, वर्ष का समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)		(5,63,35,111)	(5,10,15,643)
जोड़े: एसोशिएट्स की आय में हिस्सेदारी		1,65,860	(3,80,386)
समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)		(5,61,69,251)	(5,13,96,029)
जोड़े: समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष का आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)		(10,32,87,865)	(5,08,85,164)
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		(15,94,57,116)	(10,22,81,193)
IV. विनियोजन			
को अंतरित :			
सांविधिक आरक्षित		-	-
निवेश आरक्षित		5,63,762	9,18,685
राजस्व आरक्षित		15,900	24,286
लाभांश पर कर		10,730	6,555
विशेष आरक्षित 36(1)(viii) के अंतर्गत		53,598	57,146
तुलन पत्र में लाया गया शेष		(16,01,01,106)	(10,32,87,865)
कुल		(15,94,57,116)	(10,22,81,193)
प्रति शेयर आय (₹. में)- मूल (सामान्य मूल्य ₹. 10/- प्रति शेयर)		(20.10)	(26.52)
प्रति शेयर आय (₹. में)- डाल्यूटेड (सामान्य मूल्य ₹. 10/- प्रति शेयर)		(20.10)	(26.52)
विशेष लेखांकन नीतियां	17		
लेखा की टिप्पणियां	18		

उपर्युक्त संदर्भित समेकित लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है।

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई

दिनांक: 22 मई, 2019



दिनांक 31 मार्च, 2019 को समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		5,00,00,000		5,00,00,000
प्रत्येक ₹.10/- के 500,00,00,000 शेयर				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी	4,04,72,014		2,61,81,558	
इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹.10/- के 2618155800 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1902170964 इक्विटी शेयर)(सहित केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹.10/- के 2262123970 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 154613979 इक्विटी शेयर)				
कुल		4,04,72,014		2,61,81,558
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,07,59,131		2,07,59,131	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		2,07,59,131		2,07,59,131
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	3,13,02,429		3,20,53,778	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन से वृद्धि	91,575		-	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	(6,48,045)		(7,51,349)	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		3,07,45,959		3,13,02,429
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1,10,91,383		1,01,72,698	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,63,762		9,18,685	
		1,16,55,145		1,10,91,383
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	16,99,08,791		11,86,58,639	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	5,16,29,543		5,12,50,152	
		22,15,38,334		16,99,08,791
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,49,18,268		2,43,29,723	
जोड़े: पूंजी राजस्व से अंतरण	6,48,045		7,51,349	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	22,859		24,286	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	2,283		-	
(* घटाएं: आरम्भिक शेष समायोजन	(1,10,503)		(1,87,090)	
		2,54,80,952		2,49,18,268
V धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष राजस्व		12,84,513		12,30,915
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		(16,01,01,106)		(10,32,87,865)
कुल		15,13,62,928		15,59,23,052

(* यह समायोजन मुख्यतः क्षे.ग्रा.बैं. के पिछले लेखापरीक्षित परिणामों में परिवर्तन होने के कारण किया गया. पिछले वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियां, ऐसे क्षे.ग्रा.बैं. के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर तैयार किया गया था.



(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 2 ए : अल्पसंख्यक ब्याज				
अल्पसंख्यक ब्याज उस दिनांक को जब मुख्य/अनुषंगी संबंध स्थापित हुआ	24,500		24,500	
अनुवर्ती वृद्धि/कमी	4,10,072		3,73,588	
तुलन पत्र के दिनांक को अल्पसंख्यक ब्याज		4,34,572		3,98,088

अनुसूची 3 : जमाराशियां

ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	1,32,14,516		43,03,783	
ii) अन्य से	15,08,78,553		14,24,78,002	
		16,40,93,069		14,67,81,785
II. बचत बैंक जमाराशियां		1,22,13,88,674		1,10,50,92,892
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	3,18,29,169		4,23,06,308	
ii) अन्य से	1,58,58,02,944		1,65,93,63,890	
		1,61,76,32,113		1,70,16,70,198
कुल		3,00,31,13,856		2,95,35,44,875
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		3,00,31,13,856		2,95,35,44,875
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-

अनुसूची 4 : उधार राशि

I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	-		-	
ii) अन्य बैंक	37,50,514		29,07,191	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	29,55,145		41,08,628	
iv) अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	53,00,000		80,00,000	
v) अपर टियर छ बॉन्ड्स	2,30,00,000		2,88,50,000	
vi) नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	13,91,000		13,91,000	
vi) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉण्ड्स (टीयर II)	2,00,00,000		1,50,00,000	
		5,63,96,659		6,02,56,819
II. भारत के बाहर उधारराशियां		-		-
कुल		5,63,96,659		6,02,56,819

अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान

I. देय बिल	64,54,286		69,18,635	
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-		55,26,439	
III. उपचित ब्याज	83,71,940		77,60,143	
IV. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	-		-	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	5,01,14,751	6,49,40,977	5,69,83,377	7,71,88,594
कुल		6,49,40,977		7,71,88,594



(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		1,33,78,811		1,50,56,892
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	14,04,15,686		13,59,44,304	
अन्य खातों में	5,40,00,000		20,90,00,000	
		<u>19,44,15,686</u>		<u>34,49,44,304</u>
कुल		20,77,94,497		36,00,01,196

अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि

I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	6,66,151		11,47,268	
बी) अन्य जमा खातों में	9,79,281		3,50,455	
		<u>16,45,432</u>		<u>14,97,723</u>
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	19,00,000		-	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	10,15,66,371		2,01,07,348	
		<u>10,34,66,371</u>		<u>2,01,07,348</u>
कुल. I		10,51,11,803		2,16,05,071
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	69,582		-	
बी) अन्य जमा खातों में	35		68,427	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		1,09,49,400	
		<u>69,617</u>		<u>1,10,17,827</u>
कुल. II		69,617		1,10,17,827
कुल..... (I + II)		10,51,81,420		3,26,22,898

अनुसूची 8 : निवेश

I. भारत में निवेश : *				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	96,23,57,875		81,34,68,949	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	83,42,097		1,26,11,655	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	21,46,94,317		14,22,05,198	
v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	32,78,914		32,44,310	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि	6,43,84,140		5,48,28,052	
		<u>1,25,30,57,343</u>		<u>1,02,63,58,164</u>
II. भारत के बाहर निवेश **				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-	
ii) एशोसिएट्स में निवेश	14,70,022		13,36,483	
		<u>14,70,022</u>		<u>13,36,483</u>
कुल		1,25,45,27,365		1,02,76,94,647
* भारत में निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	1,29,22,69,548		1,05,29,88,662	
घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधान	3,92,12,205		2,66,30,498	
शुद्ध निवेश		1,25,30,57,343		1,02,63,58,164
** भारत के बाहर निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	14,70,237		13,36,698	
घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधान	215		215	
शुद्ध निवेश		14,70,022		13,36,483
कुल		1,25,45,27,365		1,02,76,94,647



(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 9 : ऋण एवं अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	1,11,08,722		1,21,08,770	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	70,62,78,283		70,67,85,403	
iii) मीयादी ऋण	75,68,67,763	1,47,42,54,768	85,59,01,093	1,57,47,95,266
कुल		1,47,42,54,768		1,57,47,95,266
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,38,05,44,844		1,47,39,79,953	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	71,60,273		41,63,297	
iii) अरक्षित	8,65,49,651	1,47,42,54,768	9,66,52,016	1,57,47,95,266
कुल		1,47,42,54,768		1,57,47,95,266
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	78,08,25,482		79,61,05,458	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	4,18,77,509		4,39,19,258	
iii) बैंक	11,452		1,643	
iv) अन्य	65,15,40,325	1,47,42,54,768	73,47,68,907	1,57,47,95,266
कुल		1,47,42,54,768		1,57,47,95,266
(II) भारत के बाहर अग्रिम				
		-		-

अनुसूची 10 : अचल आस्तियां

I. परिसर

(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)

पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि

4,03,28,001

4,01,28,537

वर्ष के दौरान परिवर्धन (पुनर्मूल्यांक सहित)

14,580

1,99,464

कुल

4,03,42,581

4,03,28,001

वर्ष के दौरान कमी / समायोजन

1,13,186

-

कुल

4,02,29,395

4,03,28,001

इस दिनांक को मूल्यहास

73,27,018

67,85,203

कुल I

3,29,02,377

3,35,42,798

II. अन्य अचल आस्तियां

(फर्नीचर एव जुडनार सहित)

पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि

2,90,91,778

2,63,73,484

वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन

27,59,755

34,89,485

कुल

3,18,51,533

2,98,62,969

वर्ष के दौरान कमी / समायोजन

(6,07,444)

(7,71,191)

कुल

3,12,44,089

2,90,91,778

इस दिनांक को मूल्यहास

2,10,37,316

1,91,94,932

कुल II

1,02,06,773

98,96,846

कुल.... (I + II)

4,31,09,150

4,34,39,644



(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	1,85,19,612		1,68,33,027	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	5,16,70,499		5,35,02,038	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	2,01,811		1,99,846	
IV. आस्थगित कर आस्तियां	7,88,21,035		5,35,75,850	
V. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध).	12,55,927		-	
VI. अन्य	8,34,21,435		11,07,39,678	
		23,38,90,319		23,48,50,439
कुल		23,38,90,319		23,48,50,439

अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं

I. (ए) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है	10,54,991		11,06,450	
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग	2,57,34,915		2,98,42,036	
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	52,498		76,140	
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता	64,44,32,269		92,83,13,329	
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	11,56,86,575		10,44,10,635	
बी) भारत के बाहर	71,56,062		28,39,496	
		12,28,42,637		10,72,50,131
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	6,61,57,213		12,30,09,267	
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	64,55,861		44,29,273	
कुल		86,67,30,384		1,19,40,26,626



दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

विवरण	(000 को छोड़कर)	
	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	13,05,38,318	14,60,09,458
II. निवेशों पर आय	8,46,02,032	7,14,27,065
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	87,28,057	2,05,85,442
IV. अन्य	36,17,788	36,09,199
कुल	22,74,86,195	24,16,31,164
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	1,20,69,533	1,26,57,307
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	21,51,879	57,66,755
III. विनिमय लेनदेनों पर लाभ / (हानि) (शुद्ध)	14,04,372	14,09,054
IV. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि)	(44,269)	(44,917)
V. भारत/विदेशों में स्थित अनुषंगियों एवं सहयोगियों से लाभांश के रूप में अर्जित आय	-	-
VI. विविध आय	85,81,812	64,15,877
कुल	2,41,63,327	2,62,04,076
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाओं पर ब्याज	15,27,48,176	16,22,07,541
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज	7,43,715	9,11,046
III. अन्य	58,54,688	1,29,14,624
कुल	15,93,46,579	17,60,33,211
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	3,57,44,821	3,99,00,472
II. किराया, कर एवं बिजली	47,40,970	47,66,150
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	2,89,078	3,63,888
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	1,06,284	2,41,820
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	27,79,348	26,04,989
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	18,525	13,930
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	3,05,825	2,01,056
VIII. विधि प्रभार	1,81,712	1,86,076
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	9,01,393	6,65,475
X. मरम्मत एवं रखरखाव	9,90,100	11,33,762
XI. बट्टाकृत अशोध्य ऋण	3,757	731
XII. बीमा	30,01,136	35,72,072
XIII. अन्य व्यय	1,17,38,637	1,06,07,319
कुल	6,08,01,586	6,42,57,740

अनुसूची 17 – समेकित खातों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. ए) तैयार करने का आधार :

संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए, परिसरों के पूनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं। एवं सभी तात्त्विक पहलुओं के संबंध में वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान (जहां लागू हों) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987, आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) अनुदेश 2010, कंपनी अधिनियम 2013, के प्रावधानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उद्घोषणाएं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं समाविष्ट हैं।

बी) प्राक्कलनों का उपयोग :

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सूचित आय एवं व्यय पर विचार करते हुए प्रबंधन के प्राक्कलनों और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को यह विश्वास होता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं। आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जब किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो।

2. समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह (2 अनुषंगियों एवं 4 असोशिएट्स के साथ [3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित]) के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है:

ए. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां

बी. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-21 “समेकित वित्तीय विवरणों” के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण अंतःसमूह शेषों/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानियों को समाप्त करने के पश्चात एवं इन अनुषंगियों से उनके सम्बंधित लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर मूल बैंक की समरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक रहा है, का समायोजन करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की संगत मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।

सी. असोशिएट्स में निवेश, जहां समूह के पास 20% अथवा उससे अधिक का मतदान अधिकार प्राप्त है और इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-23 “समेकित वित्तीय विवरणों में असोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन” के अनुसार इक्विटी प्रणाली का उपयोग करने के लिए निकाला गया है तथा जहां समायोजन करना आवश्यक हुआ है, समायोजन करने के पश्चात मूल बैंक की एकरूप लेखांकन नीतियों के समरूप. इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक असोशिएट्स, की वित्तीय विवरणियां स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप तैयार की गई हैं। इन असोशिएट्स से प्राप्त वित्तीय विवरणियां ही उनके इन समेकित वित्तीय विवरणियों में समावेशन का संपूर्ण आधार तैयार करती हैं

डी. असोशिएट्स अर्थात् इंडो जाम्बिया बैंक का लेखांकन वर्ष कैलेंडर वर्ष है। यदि असोशिएट्स का लेखांकन वर्ष अगर मूल बैंक से भिन्न होने के मामलों में, लेखापरीक्षित अवधि के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लाभ का आनुपातिक हिस्सा लिया जाय एवं गैर लेखापरीक्षित अवधि के लिए, गैर लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लाभ का हिस्सा लिया जाय।

ई. यह समेकित वित्तीय विवरण, लेनदेन एवं समान तथ्यों के अन्य मामलों के लिए उपयोग की जा रही एकल लेखांकन नीतियों पर तैयार किया गया है तथा अन्य विवरणों को छोड़कर कम्पनी के अलग वित्तीय विवरणों के अनुसार समान रीति में यथासम्भव प्रस्तुत किया गया है।

2.2 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में माइनॉरिटी हितों में निम्न शामिल है

- अनुषंगी में किए गए निवेश की तिथि को माइनॉरिटी को आरोप्य इक्विटी की राशि, एवं
- मूल बैंक एवं अनुषंगी के सम्बंध अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी में माइनॉरिटी के हिस्से में संचलन।

3. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

3.1 लेनदेनों को प्रारम्भ में पिछली तिथि की समाप्ति दर पर दर्ज किया जाता है।



- 3.2 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (फिबिल) द्वारा तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।
- 3.3 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।
- 3.4 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फिबिल द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं।
- 3.5 बकाया बायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फिबिल द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

4. निवेश :

(ए) मूल बैंक :

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को “परिपक्वता तक धारित”, “व्यापार हेतु धारित” तथा “विक्रय के लिए उपलब्ध” श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

- i. सरकारी प्रतिभूतियां
- ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii. शेयर्स
- iv. डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
- v. अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
- vi. अन्य (वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स इत्यादि)।

4.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

i) परिपक्वता तक धारित

इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है। अनुषंगी एवं सहयोगीमें निवेश को भी “परिपक्वता तक धारित” के अंतर्गत श्रेणीकृत किया जाता है।

ii) व्यापार के लिए धारित

प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं।

iii) विक्रय के लिए उपलब्ध

वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

4.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण

इस श्रेणी में वर्गीकृत प्रतिभूतियों का तीन श्रेणियों के बीच अंतरण / परिवर्तन को अंतरण दिनांक को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य में से जो भी कम हो, पर लेखागत किया जाता है ऐसे अंतर में यदि कोई मूल्यहास हो तो उसका पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

4.4 मूल्यनिर्धारण :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश का मूल्यांकन, अलग-अलग प्रत्येक निवेश के लिए, अस्थायी प्रकृति के अलावा, हास के कम कर रखाव लागत पर किया जाता है।



बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार बाजार के लिए निम्नवत चिन्हित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	स्टॉक एक्सचेंज/ फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (फिबिल) द्वारा घोषित कोटेशन के अनुसार बाजार मूल्य पर
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड	परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर
iv)	इक्विटी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) तुलनपत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो.
v)	अधिमानी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	ए) उद्धृत : (पिछले 15 दिनों में व्यापार किए गए) बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्युच्युअल फंड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्धआस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	वेंचर पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के ब्रेक-अप आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीए) के लिए ₹1/-
ix)	प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर)	एसबी /एआरसी द्वारा सूचित आस्ति मूल्य पर

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि को गणना में नहीं लिया गया है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (फिबिल) द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि है, को गणना में नहीं लिया गया है.

4.5 लागत निर्धारण :

- निवेश की लागत का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है.
- प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त ब्रोकरेज, प्रोत्साहन, प्रारम्भिक शुल्क इत्यादि को निवेश की लागत में से घटाया जाता है.
- प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च यथा ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन अथवा करों को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है.

4.6 आय निर्धारण :

- निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि “परिपक्वता के लिए धारित” श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि “पूंजी प्रारक्षित निधि” में विनियोजित की गयी है.



- ii. निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है। अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं।
- iii. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण को अवमानक/संदिग्ध/हानि, जैसा भी मामला हो, के साथ में वर्गीकृत किया जाता है यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हों अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हों।
- iv. प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है।

4.7 रेपो/रिवर्स रेपो के लिए लेखांकन और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ):

भारिबैं के साथ एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अंतर्गत सहमत शर्तों पर बेची/खरीदी गई प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद/पुनर्विक्रय के अनुबंध को उधार/ऋण के रूप में मान्य किया जाता है।

(बी) अनुषंगियां

- 4.8 अनुषंगियों के मामलों में, निवेशों को चालू एवं गैर चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेश निम्न लागत अथवा बाजार मूल्य पर किए जाते हैं एवं गैर चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं। यदि मूल्य में हास स्थायी प्रकृति की है तो हास के लिए प्रावधान, यदि है तो गैर चालू निवेश के मूल्य पर ही किया जाता है।

5. डेरिवेटिव्स :

5.1 वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स को निम्नानुसार लेखांकन किया गया है।

- i. ऐसे मामलों में, जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।
- ii. जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखांकन किया गया है।
- iii. स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

5.2 व्यापार के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है:

- i) एमसीएक्स – एसएक्स, एनएसई और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनिमय दिशानिर्देशानुसार करेसी फ्यूचर और ब्याज दर फ्यूचर को दैनिक आधार पर बजार हेतु चिन्हित किया जाता है।
- ii) एमटीएम लाभ/हानि मार्जिन खाते में दैनिक आधार पर जमा/नामे द्वारा लेखांकित किया जाता है और वही अंतिम निपटान के समय बैंक के लाभ और हानि खाते में लेखांकित होना चाहिए।
- iii) बाजार के लिए ट्रेडिंग स्वैप नियमित अंतराल पर चिन्हित किए जाते हैं। किसी भी तरह की एमटीएम हानि दर्ज की जाती है और किसी प्रकार के लाभ, यदि हो तो उनकी उपेक्षा की जाती है।
- iv) स्वैप की समाप्ति पर प्राप्ति अथवा हानि को उपरोक्त हेड के अंतर्गत तत्काल आय/व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

6. अग्रिम :

- 6.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हो।
- 6.2 गैर-निष्पादक आस्तियों में आंशिक वसूली, सर्वप्रथम मूल राशि के साथ और उसके पश्चात ब्याज राशि में विनियोजित की जाती है। तथापि, किसी भी उधार खाते को पूर्व की तारीख से गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है तो, उस समय खाते में की गई कोई भी वसूली को सर्वप्रथम ऋण एवं अग्रिम के ब्याज [अर्थात् दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना (एस4ए), कर्ज की रणनीतिक संरचना, दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली संरचना (5/25), उधार ईकाइयों के स्वामित्व का परिवर्तन (बाह्य रणनीतिक कर्ज पुनर्संरचना योजना)] में जमा किया जायेगा जब तक खाता मानक के रूप में वर्गीकृत था।

6.3 अग्रिम प्रावधानों, (एनपीए के मामलों में) अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) / निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं.

6.4 मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान – अन्य में शामिल हैं.

6.5 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

- यदि प्रतिभूतिकरण कम्पनी (एससी) / आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) को की गयी बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी या तो लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है अथवा दिनांक 26.02.2014 को अथवा उसके पश्चात की गयी आस्तियों की बिक्री पर इस प्रकार की कमी को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो / एक वर्ष की अवधि में समय विस्तारित किया गया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन है.
- यदि नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर बिक्री हुई हो तो उस आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है.
- यदि एसी/आरसी को एनबीवी के मूल्य से अधिक पर बिक्री हुई हो तो नकद वसूली के समान प्रावधान आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है एवं शेष बचे प्रावधान आधिक्य को एसी/आरसी को बेचे जाने वाली वित्तीय आस्तियों की कमी/हानि के लिए उपयोग करने हेतु रखा जाता है.

6.6 सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, ऋणों एवं अगिमों पर प्रावधान, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है.

6.7 सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) जहां ब्याज की गणना वसूली होने पर की जाती है, ऐसे मामले को छोड़कर ब्याज आय उपचय आधार पर मानी जाती है. ऋणों में, मूलधन एवं ब्याज सहित चुकौती समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के माध्यम से प्राप्त की जाती है. ब्याज की गणना माह के आरम्भ में बकाया शेष के आधार पर की जाती है. संपूर्ण ऋण संवितरित होने के पश्चात ईएमआई शुरू होती है. ईएमआई का आरम्भ होना लम्बित रहने पर, प्री-ईएमआई मासिक ब्याज वसूल किया जाता है. एनपीए के मामले में वसूली होने पर पहले बकाया ईएमआई के ब्याज अंश को वसूल किया जाता है एवं इसके पश्चात बकाया ईएमआई के मूलधन अंश को वसूल किया जाता है.

7. अचल आस्तियां/मूल्यहास :

(ए) मूल बैंक

7.1 अचल आस्तियों का मूल्यहास “मूल्यहासित मूल्य प्रणाली” के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है):

i. परिसर	अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii. फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii. वाहन	20%
iv. वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v. सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%

(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है)

7.2 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है तथा 99 वर्ष या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है. पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

7.3 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां मूल्यहास सम्मिश्र लागत पर किया गया है.

7.4 ये आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनका मूल्यहास / परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है, जिसे लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि को निरूपण योग्य वृद्धिशील मूल्यहास / परिशोधन को “पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि” से अंतरित कर “राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां” में जमा किया गया है.

7.5 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों पर अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है.



(बी) अनुषंगियां

- 7.6 अचल आस्तियों के संचित ह्रास को कम कर अधिग्रहण की लागत दी गई है. अचल आस्तियों के अधिग्रहण व्यय की लागत में सभी आनुषंगिक व्ययों को शामिल किया गया.
- 7.7 सेन्ट्रल बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले को छोड़ कर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी, 2013 के अनुसूची II में निर्धारित दरों के आधार पर सरल रेखा पद्धति पर किया जाता है, अमूर्त आस्तियों पर प्रबंधन एवं परिशोधन के अनुसार निर्धारित 5 वर्ष की आस्तियों की उपयोगिता काल परिशोधित है.

8. कर्मचारी लाभ :

- 8.1 कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान दी गयी सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों को उपचित किया गया है. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, वे होते हैं जो उस वर्ष प्रदान की गयी सेवाओं के लिए संबंधित वर्ष के लाभ हानि के खाते में व्यय के रूप में माना गया है.
- 8.2 परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेजुएटि में अंशदान, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयताओं का निर्धारण बीमाकृत मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से प्राप्त वर्तमान मूल्य के आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है. बीमाकृत लाभ / हानि की गणना उनके उत्पन्न होने वाले वर्ष में ही की जाती है.
- 8.3 भविष्य निधि एक निर्धारित योगदान है जिसके तहत बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर एक निर्धारित योगदान का भुगतान करता है. बैंक का कर्तव्य इस निर्धारित योगदान तक सीमित है. यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित की जाती है.
- 8.4 राष्ट्रीय पेंशन योजना, जो उन कर्मचारियों पर लागू है जिन्होंने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके बाद बैंक में नियुक्ति पाई है, एक निर्धारित योगदान योजना है. बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है. बैंक का कर्तव्य इस निर्धारित योगदान तक सीमित है. यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित की जाती है.
- 8.5 सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लि., एक अनुषंगी के मामले में ग्रेजुएटि राशि का प्रावधान बीमाकृत मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह परिपक्वता योजना में निवेश किया गया है. कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में कम्पनी का योगदान सरकारी भविष्य निधि द्वारा किया जाता है एवं लाभ-हानि के विवरणियों में प्रभारित किया जाता है. अवकाश नकदीकरण देयता का प्रावधान वर्ष के अंत में कर्मचारियों के शेष अर्जित अवकाश के आधार पर गणना की जाती है.

9. आय एवं व्यय की पहचान :

- 9.1 विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/ व्यय की मदों को सामान्यतः उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.
- 9.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई मद कुल आय / कुल व्यय के 1% से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया गया है.
- 9.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किया जाता है.
- 9.4 सेन्ट्रल बैंक होम फायनेंस लि. के मामले में, ऋणों एवं अग्रियों पर आय का निर्धारण राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है.
- 9.5 सेन्ट्रल बैंक होम फायनेंस लि. के मामले में, फीस एवं अन्य प्रभारों जैसे लॉगिन फीस, अतिदेय पर दंडस्वरूप ब्याज, पूर्वभुगतान प्रभार, आयकर वापसी पर ब्याज एवं अन्य आय इत्यादि से प्राप्त आय को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है.
- 9.6 सेन्ट्रल बैंक फ़ैनांसियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले में, निर्वाहक ट्रस्टी व्यवसाय के संबंधों में आय, ट्रस्ट खाते से संबंधित लेनदेन होने पर प्राप्त की जाती है. डिवेंचर एवं प्रतिभूति ट्रस्टीशिप सेवाओं से प्राप्त राजस्व आवधिक आधार पर निर्धारित की जाती है एवं वाद दखिल और/अथवा बीआईएफ़आर कम्पनियों के डिवेंचर एवं प्रतिभूति ट्रस्टीशिप व्यवसाय से होने वाले आय जिसमें प्राप्य आधार पर गणना की जाती है, को छोड़कर उपचय आधार पर गणना की जाती है.

10. आयकर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, एक समय में उत्पन्न होने वाली कर योग्य आय तथा लेखा आय को पञ्चवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तित करने में सक्षम समय अंतराल को भी ध्यान में रखते हैं. आस्थगित कर आस्तियों को उतना ही माना जाएगा जितने के लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के समक्ष पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होने की तर्कसंगत



सुनिश्चितता हो. आगे लाए गए अनवशोषित अनवशोषित मूल्यह्रास एवं कर हानि के मामलों में, आस्थगित कर आस्तियों को तभी माना जाएगा जब ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के भावी कर योग्य आय से हासिल किया जा सकेगा. आस्थगित कर आस्तियों की धारित राशि की वसूली के पुनर्आकलन के कारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. विवादित कर देयताओं का लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें कर निर्धारण/अपील कार्रवाई पूर्ण होती है, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है.

11. प्रति शेयर आय:

बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति शेयर की गणना ईक्विटी शेयरधारक को पात्र अवधि के लिए आरोप्य शुद्ध लाभ/हानि को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बकाया शेष शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है.

12. विविध अनाबंटित आय एवं प्राप्त राशियां

सेन्ट्रल बैंक वित्तीय सेवाएं लि., एक अनुषंगी के मामले में, जिन लाभार्थियों का विवरण प्राप्त न किया जा सके उन लाभार्थियों की प्राप्त राशियों को सांकेतिक खाते के "विक्रिय लेनदार अदावाकृत लाभांश/ब्याज एवं अनाबंटित मोचन पर अदावाकृत प्राप्त राशि" में जमा की जाती है. भुगतानकर्ता से जैसे ही लाभार्थी के बारे में विवरण प्राप्त होते हैं उस राशि को लाभार्थी के संबंधित खाते में अंतरित कर दिया जाता है.

13. प्रावधान, आकस्मिकता एवं अनुषंगी आस्तियां

पिछले कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चित समय अथवा राशि के ऐसे वर्तमान दायित्वों जिनका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो एवं उन दायित्वों के समाधान के लिए आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों का बहिर्गमन संभव हो, के वर्तमान दायित्वों के लिए प्रावधान मान्य किए जाते हैं जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता संभावित न हो अथवा राशि का विश्वस्त आकलन नहीं किया जा सकता हो तो आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के अत्यन्त क्षीण रहने तक ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है.

अंतिम वित्तीय विवरणियों में अनुषंगी आस्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई

दिनांक: 22 मई, 2019



अनुसूची 18 : समेकित लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल अनुषंगियाँ एवं एसोशिएट्स

1.1 समेकित वित्तीय विवरणियों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो अनुषंगियाँ (जिन्हें सम्मिलित रूप से “दि ग्रुप” के संदर्भित किया गया है) एवं 4 एसोशिएट, जिनमें मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड शामिल है, के लाभ/हानि शेयर का विवरण निम्नानुसार है :

अनुषंगी/एसोशिएट का नाम	निगमन-देश	दिनांक 31 मार्च, 2019 को स्वामित्व हित	दिनांक 31 मार्च 2018 को स्वामित्व हित
सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	64.40%	64.40%
सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	100.00%	100.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिदवाड़ा (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (एसोशिएट)	जाम्बिया	20.00%	20.00%

1.2 अनुषंगियां तथा एसोसिएट में जिन वित्तीय विवरणियों का समेकन के लिए उपयोग किया गया है, उनको उसी तारीख को तैयार किया गया है, जिस तारीख को मूल बैंक की तैयार की गई है अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2019 को सिवाय इंडो जाम्बिया बैंक लि. के, जिसकी रिपोर्टिंग अवधि कैलेन्डर वर्ष है. तदपि लाभ की राशि दिनांक 31.12.018 को समाप्त 9 माह के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर ली गई है एवं दिनांक 31.03.2019 को समाप्त 3 माह के लिए लाभ की राशि अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर ली गई है. इंडो जाम्बिया बैंक की वित्तीय विवरणी स्थानीय नियमों के अंतर्गत अपनाए गए लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार की गई है. प्रबंधन के अभिमत में प्रभाव कोई खास नहीं है.

1.3 एसोशिएट्स में मूल बैंक के लाभ / हानि का संचित शेयर, समूह के संचित आरक्षित निधियों में सदृश समायोजन के साथ निवेश के रखाव लागत सहित जोड़ा/ घटाया गया है.

1.4 अनुषंगी, अन्य आवास वित्त संस्थानों की तरह सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है, जबकि प्राप्त जमाएं/ देयताएं लघु अवधि के लिए प्राप्त की जाती है, जिससे असंगतता उत्पन्न होती है. इसे पर्याप्त ऋण सुविधा की उपलब्धता कराई जा रही है.

1.5 अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा अनुषंगियों और एसोशिएट की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की जा चुकी है, सिवाय तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (एसोशिएट) जिनके नाम सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के, जो कि अलेखापरीक्षित है, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित की गई है.

2. समेकित वित्तीय विवरणी बनाने में, जहाँ कहीं अनुषंगियों तथा एसोशिएट द्वारा एक ही प्रकार के लेन देन के लिए अलग लेखांकन नीतियां अपनाई गयी हैं, जैसे कि, प्रबंधन के विचार से यह कोई बड़ी बात नहीं है, समायोजन नहीं किए गए.

3. मूल बैंक

3.1 पूंजी

दिनांक 31.03.2019 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी बढ़कर ₹4047.20 करोड़ हो गयी जो पिछले वर्ष ₹ 2618.16 करोड़ थी. यह वृद्धि तीन आबंटनों में ₹ 10/- प्रत्येक के 1429045682 नए इक्विटी शेयर्स जारी करने से हुई है.

ए. दिनांक 31.11.2018 को भारत सरकार को ₹56.43 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 354357970 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

बी. दिनांक 28.02.2019 को भारत सरकार को ₹ 33.31 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 387439390 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

सी. दिनांक 28.03.2019 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹ 27.25 के प्रीमियम पर प्रति ₹ 10/- के प्रत्येक के 687248322 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

3.2 बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन नियमित रूप से किया जा रहा है. हालाँकि कुछ प्रविष्टियाँ प्रगति पर है :

- अंतर शाखा कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- उचंत खाते
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- सेन्दल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए दर्पण खाते
- कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का डाटा/सिस्टम अध्ययन

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा.

3.3 आय कर:

3.3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.

3.3.2 अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii)] में ₹ 2569.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2979.91 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए या आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया.

3.4 परिसर :

बैंक द्वारा लीज पर प्राप्त परिसरों की परिसम्पत्तियों की लागत ₹ 0.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.75 करोड़) है, जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी भी प्रक्रियाधीन है.

ऐसी आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनमें मूल्यहास का प्रावधान पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है एवं लाभ/हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 64.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 75.13 करोड़) पर आरोप्य वृद्धिशील मूल्यहास की राशि को "पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि" से अंतरित कर "राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि" में जमा किया गया है.

3.5 अग्रिम / प्रावधान :

3.5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों / आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.

3.5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए सकल एनपीए में से फ्लोटिंग प्रावधान ₹100.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 100.56 करोड़) एवं प्रतिक्रम्य प्रावधान की राशि ₹47.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 47.34 करोड़) की शुद्धि की गई है.

3.5.3 अनारक्षित आस्तियों के लिए अस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानों में विचलन का प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भारिबै द्वारा अनुमानित अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताएं प्रावधानों एवं आकस्मिक व्यय के पूर्व दर्ज लाभ के 10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक है, यह निम्नलिखित प्रकटीकरण आस्ति वर्गीकरण एवं एनपीए हेतु प्रावधान में विचलन से संबंधी भारिबै की परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.63/21.04.018/2018-19 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार बनाई गई है.



क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को सकल एनपीए	38130.70
2.	भारिबैं के निर्धारण अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को सकल एनपीए	38766.90
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	636.20
4.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को शुद्ध एनपीए	17377.87
5.	भारिबैं के निर्धारण अनुसार 31 मार्च, 2018 को शुद्ध एनपीए	17830.67
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (2-1)	452.80
7.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को एनपीए हेतु प्रावधान	19601.31
8.	भारिबैंक के निर्धारण के अनुसार 31 मार्च, 2018 को एनपीए हेतु प्रावधान	20743.31
9.	प्रावधानों में विचलन (8-7)	1142.00
10.	दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट की गई कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी)	(5104.90)
11.	प्रावधानों में विचलन की गणना करने के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी) समायोजित (काल्पनिक)	(6246.90)

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक, उपरोक्त को इसके कार्यशील परिणामों के प्रभावों को विधिवत अभिलेखित करती है..

3.6 आरबीआई द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके मानदंडों की अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत बैंक को ₹ 1.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.91 करोड़) से दण्डित किया है.

4. लेखांकन मानकों का अनुपालन

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाता है :

4.1 लेखांकन मानक - 9 राजस्व पहचान

मूल लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के क्रम 9 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है. तथापि, कथित आय को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है.

4.2 लेखांकन मानक - 15 (संशोधित)- कर्मचारी लाभ

4.2.1 कर्मचारी लाभ :

i) सुपरिभाषित अंशदान योजना

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) :

वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ एवं हानि खाते में ₹ 79.62 करोड़ (पिछले वर्ष 67.82 करोड़) एनपीएस को अंशदान के रूप में माना है.

ii) सुपरिभाषित लाभ योजना :

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेज्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है.

(₹ करोड़ में)



विवरण	31.03.2019		31.03.2018	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
सारणी में सुपरिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन प्रदर्शित है :				
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	1741.56	13,821.17	1847.13	12484.08
ब्याज लागत	136.36	1,076.67	134.29	930.06
चालू सेवा लागत	66.18	83.98	69.13	87.53
गत सेवा लागत (अनिहित)	0	0	0	0
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	329.37	0
देयता अंतरण	0	0	0	0
देयता अंतरण बाह्य	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(270.50)	(1,170.59)	(157.20)	(952.30)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	25.47	433.87	(481.16)	1271.80
वर्ष के अंत में देयताएं	1648.13	14,245.10	1741.56	13821.17
उचित मूल्य पर योजना आस्तियां की सारणी :				
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	2124.94	13,515.58	1656.73	12420.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	120.44	925.29	129.55	958.12
अंशदान	166.38	1,048.81	120.44	925.29
अन्य कंपनी से अंतरण	(100.00)	1,324.00	490.40	859.08
कंपनी से अंतरण	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	0	0	0	0
योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(270.50)	(1,170.59)	(157.20)	(952.30)
समाप्त वर्ष पर उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	(42.56)	(72.66)	14.57	263.51
मान्यता प्राप्त पर कुल वास्तविक (लाभ)/हानि	1878.26	14,645.14	2124.94	13515.58

विवरण	31.03.2019		31.03.2018	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्यय :	66.18	83.98	69.13	87.53
चालू सेवा लागत	136.36	1076.67	134.29	930.06
ब्याज लागत	(166.38)	(1048.81)	(120.44)	(925.29)
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	0	0	0	0
स्वीकृत गत सेवा लागत (अनिहित)	0	0	0	0
स्वीकृत गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	329.37	0
स्वीकृत संक्रमित देयता	17.09	506.53	(495.73)	1008.29
वास्तविक लाभ/हानि	53.25	618.37	(83.38)	1100.59
पी एण्ड एल में स्वीकृत व्यय	66.18	83.98	69.13	87.53
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल				
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	166.38	1048.81	120.44	925.29
अनुभव के कारण योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(42.56)	(72.66)	14.57	263.51
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	123.82	976.15	135.01	1188.80
अनुभव समायोजन				
अनुभव के कारण सुपरिभाषित दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(29.08)	422.24	(511.99)	1029.93
अनुभव के कारण योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(42.56)	(72.66)	14.57	263.51



विवरण	31.03.2019		31.03.2018	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
मूल वास्तविक पूर्वधारणा का प्रयोग (%)				
चालू छूट दर	7.79	7.78	7.83	7.76
चालू योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर	7.79	7.78	7.83	7.76
वेतन वृद्धि दर	5.00	5.00	5.00	5.00
आकर्षक दर	0.50	0.50	0.50	0.50

अन्य दीर्घावधि लाभ :

वर्ष के दौरान बैंक वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित अवकाश नकदीकरण व्यय के समक्ष ₹ 84.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 72.94) का व्यय माना है।

4.2.2 सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लि., अनुषंगी, पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युइटी कवर प्रदान करती है। अपने देयता की निधियों के लिए, कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से एक पॉलिसी ले रखी है, अपने कर्मचारियों की संचित ग्रेच्युइटी देयता का कवर एवं इस पॉलिसी की प्रीमियम का भुगतान लाभ एवं हानि खाते से किया जाता है। अवकाश नकदीकरण देयता हेतु प्रावधान की गणना, दिनांक 31 मार्च, 2019 को कर्मचारियों की सावधि अवकाश के शेष पर की जाती है। दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए यही दिया गया है।

4.3 लेखांकन मानक 17 – समूह का खंडवार रिपोर्ट

CONSOLIDATED SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019										
Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Particulars										
Revenue	10,016.80	10,239.35	7,115.12	8,335.47	8,028.82	8,204.57	4.20	4.14	25,164.95	26,783.52
Result	10.77	940.90	-8,268.62	-8,752.66	280.27	50.00	2.75	1.85	-7,974.83	-7,759.91
Unallocated Expenses									162.09	159.98
Operating Profit									-8,136.92	-7,919.89
Income Taxes									-2,520.00	-2,780.29
Extraordinary profit/loss										
Net Profit									-5,616.92	-5,139.60
Other Information:										
Segment Assets	1,62,107.96	1,46,513.22	72,130.18	79,499.55	82,189.87	88,069.90	17.33	17.53	3,16,445.34	3,14,100.20
Unallocated Assets									15,439.30	13,249.10
Total Assets									3,31,884.64	3,27,349.30
Segment Liabilities	1,66,200.97	1,49,296.72	68,454.78	75,908.17	77,827.81	83,927.32	5.05	6.63	3,12,488.61	3,09,138.84
Unallocated Liabilities										
Total Liabilities									3,12,488.61	3,09,138.84

i) जहाँ प्रत्यक्ष आबंटन सम्भव नहीं है, वहाँ खंडवार आस्तियों के आधार पर खंडवार राजस्व एवं खर्चों का विनियोजन किया गया है।

- ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है। द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
- iii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं।
- iv) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी एक्सपोजर शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक एक्सपोजर के अधीन है।
- v) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं।
- vi) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।
- vii) रिटेल बैंकिंग खंड प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, इनके द्वारा लिए गए निधियों हेतु रिटेल बैंकिंग खंड की क्षतिपूर्ति करती है, जिसे इनके द्वारा अर्जित जमाओं की औसत लागत माना गया है।
- viii) लागत का आबंटन :
 - ए एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्चे सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं।
 - बी किसी विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न किए जा सकने वाले खर्चों को विवेकपूर्ण आधार आबंटित किया गया है।

4.4 लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबद्ध पार्टि प्रकटीकरण - संबद्ध पार्टि

1 संबद्ध पार्टियों की सूची

(ए) दिनांक 31.03.2019 को प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	पदनाम
i)	श्री पल्लव महापात्र (दिनांक 21.09.2018 से)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
ii)	श्री पी. आर. मूर्ति	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री बी.एस. शेखावत	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री आलोक श्रीवास्तव (दिनांक 23.01.2019 से)	कार्यपालक निदेशक

2. संबद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन:

प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी को भुगतान किया गया पारिश्रमिक :

(₹ लाख में)

नाम	पदनाम	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	
		31.03.2019	31.03.2018
श्री पल्लव महापात्र (दिनांक 21.09.2018 से)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	14.68	0.00
श्री राजीव ऋषि (दिनांक 31.07.2018 तक)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	39.50	30.13
श्री बी.के. दिवाकर(दिनांक 22.01.2019 तक)	कार्यपालक निदेशक	46.55	23.70
श्री आर.सी. लोढा (दिनांक 28.02.2017 तक)	कार्यपालक निदेशक	0.00	0.42
श्री पी. आर. मूर्ति	कार्यपालक निदेशक	24.98	23.54
श्री बजरंग सिंह शेखावत	कार्यपालक निदेशक	24.47	10.93
श्री आलोक श्रीवास्तव (दिनांक 23.01.2019 से)	कार्यपालक निदेशक	4.60	0.00
कुल		154.79	88.72

नोट: आईसीएआई द्वारा जारी एएस-18, सम्बद्ध पार्टि प्रकटीकरण के अनुच्छेद 9 के अनुसार अनुषंगियों एवं सहायक उद्यमों के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि यह राज्य नियंत्रित उद्यम द्वारा किसी अन्य सम्बद्ध राज्य नियंत्रित उद्यम से सम्बंधित लेनदेन के प्रकटीकरण न करने की छूट देता है।



4.5 लेखांकन मानक 20 - समूह का प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक एस 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की गई है :

	31.3.2019	31.3.2018
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में)	(5616.92)	(5139.60)
भारत औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	2794601814	1937882867
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(20.10)	(26.52)
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	(20.10)	(26.52)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10.00	10.00

4.6 लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

आरबीआई द्वारा सीईटी1 की परिगणना में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2019 को ₹7882.11 करोड़ आस्थगित कर आस्तियों के रूप में अभिचिन्हित किए गए हैं.

दिनांक 31 मार्च, 2019 को आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
मूल बैंक				
व्यावसायिक हानि	346.89	0.00	0.00	0.00
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	0.00	0.00	27.77	21.24
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	0.00	0.00	645.15	586.56
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	250.87	221.49	0.00	0.00
निवेश के लिए प्रावधान	0.00	575.91	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	8004.11	5213.37	0.00	0.00
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि	0.00	0.00	34.94	34.94
सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि.				
अग्रिमों पर प्रावधान	4.29	4.71		0.00
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास		0.03	0.01	0.00
अन्य		0.00	1.60	2.13
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि		0.00	15.18	13.62
सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (शुद्ध)	0.60	0.57		0.00
योग	8606.76	6016.08	724.65	658.49
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	7882.11	5357.59		

लाभ-हानि खाते में वर्ष 2018-19 के लिए आस्थगित कर आस्तियों में शुद्ध बढ़ोत्तरी ₹ 2524.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3013.23 करोड़) मानी गई.



4.7 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां हैं, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है। प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2019 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है। जिसे मान्य करने की आवश्यकता है।

4.8 प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर - लेखांकन मानक 29

(i) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ-हानि खाते के शीर्ष 'व्यय' के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का ब्रेक-अप	31.03.2019	31.03.2018
निवेश पर प्रावधान/हास (शुद्ध)	983.88	794.17
एनपीए हेतु प्रावधान	11029.86	10543.58
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	(114.93)	6.31
कर हेतु किए गए प्रावधान	(2528.74)	(2791.07)
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान	(425.02)	(950.62)
अन्य प्रावधान	(177.08)	235.52
कुल	8767.97	7837.89

(ii) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	100.56	100.56
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	100.56	100.56

(iii) प्रतिचक्रिय प्रावधानीकरण बफर :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
ए	प्रतिचक्रिय प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	47.34	47.34
बी	लेखा वर्ष में किए गए प्रतिचक्रिय प्रावधानों की राशि	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी	प्रतिचक्रिय प्रावधान खाते में अंतिम शेष	47.34	47.34

5. अन्य प्रकटीकरण

5.1 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व :

वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक होम फायनेन्स, अनुषंगी ने कंपनी अधिनियम 2013 एवं इसके नियमों के अंतर्गत धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए ₹ 0.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.33 करोड़) खर्च किए।

5.2 पीसीआर (प्रावधान-सकल एनपीए अनुपात) 76.60% (गत वर्ष 63.31%)- मूल बैंक.



- 5.3 सेंट्रल बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस लि., अनुषंगी, शेयर्स, प्रतिभूतियों एवं अचल संपत्तियों की प्रकृति में अपने ग्राहक के पक्ष में न्यासी लाभार्थी संबंध में प्रत्ययी के रूप में निवेश करता है, जोकि निदेशक मंडल की दृष्टि में पर्याप्त सुरक्षित है एवं उचित अभिलेखित है एवं इस प्रत्ययी संबंध से संबंधित सभी उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन किया जाता है.
- 5.4 एक समयावधि में विभिन्न कंपनियों / उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, ब्याज एवं अन्य कॉर्पोरेट लाभ ₹ 1.51 करोड़ की राशि सेंट्रल बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस लि., अनुषंगी ने न्यास / लाभार्थियों को अंतरित / आबंटित नहीं की है, जिनके निवेश पोर्टफोलियो न्यासधारिता सेवाओं के अंतर्गत उनके पक्ष में है. उक्त राशि दिनांक 31.03.2018 को ₹ 1.43 करोड़ थी एवं दिनांक 31 मार्च 2019 को यह बढ़कर ₹ 1.51 करोड़ हो गयी. इसी प्रकार, ₹ 0.16 करोड़ की बिक्री / शेयर्स के मोचन की आगम राशि / लाभांश की राशि संबंधित न्यास / लाभार्थी को अंतरित / आबंटित नहीं की गयी है. यह वर्ष 2005-06 से बकाया शेष है. इसने यह राशि अपने बैंक के चालू खाता में रखी है.
- 5.5 भारिबैं के दिशानिर्देश डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 के अनुसार, दिनांक 30 जुलाई, 2018 को समाप्त अधिकतम 120 दिनों के लिए जोखिम साझेदारी आधार पर दिनांक 31.03.2019 को ₹ निरंक करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2115.52 करोड़) के अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) जारी की थी, जिस कारण दिनांक 31.03.2018 को बैंक के कुल अग्रिमों में इतनी मात्रा कम हो गई.
- 5.6 प्रबंधन के द्वारा एकत्र की गयी जानकारी के अनुसार, वेन्डर्स, जिनकी सेवाएं ली गयी हैं एवं जिनसे मूल बैंक द्वारा खरीदी की गयी है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं. यह लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.
- 5.7 सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन.
मूल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं. 6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की प्रबंधन द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है. इन नीतियों की पिछली समीक्षा दिनांक 28.03.2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई थी.
- 5.8 मूल एवं अनुषंगियों की एकल वित्तीय विवरणियों में प्रकट के गई अतिरिक्त सांविधिक जानकारी समेकित वित्तीय विवरणियों के सत्य एवं उचित अभिमत को प्रभावित नहीं करती है एवं आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के परिपेक्ष्य में उन मदों जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, से संबंधी समेकित वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

5.9 एनसीएलटी प्रावधानों से संबंधित प्रकटीकरण :

भारिबैं के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.15199/21.04.048/ 2016-17 तथा डीबीआर सं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 दिनांक 23.06.2017 और दिनांक 28.08.2017 के अनुसार दिवाला तथा दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए खातों के संबंध में मूल बैंक ने दिनांक 31.03.2019 को ₹ 6,479.59 करोड़ का कुल प्रावधान (कुल बकाया का 86.34%) रखा है.

- 5.10 आरबीआई ने अपने परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 दिनांक 6 जून, 2018 के माध्यम से बैंकों को एमएसएमई उधारकर्ताओं के एक्सपोजर को मानक आस्तियों में वर्गीकृत करते रहने हेतु अनुमत किया था. तदनुसार, बैंक ने दिनांक 31.03.2019 को ₹ 241.68 करोड़ के अग्रिम को मानक आस्तियों में रखा है. प्रावधानों के परिपत्र के अनुसार, बैंक ने इन खातों पर अप्राप्त ब्याज पर ध्यान नहीं दिया है एवं दिनांक 31 मार्च, 2019 को इन उधारकर्ताओं के संबंध में (241.68 करोड़ पर @ 5%) ₹12.08 करोड़ का मानक प्रावधान किया है. इसके अतिरिक्त, आरबीआई के परिपत्र संख्या डीबीआर. नं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019 के अनुसार "एमएसएमई उधारकर्ताओं को छूट माल एवं सेवा कर के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है". दिनांक 31 मार्च, 2019 को एमएसएमई के पुनर्चित खातों का विवरण निम्नानुसार है :-

पुनर्चित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1202	97.13

5.11 एमटीएम हानियों के विस्तार के संबंधी प्रकटीकरण

भारिबैं के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के अनुसार भारिबैं, दिनांक आरबीआई ने अपने परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.113/21.04.048/2018-19 दिनांक 15 जून, 2018 के माध्यम से बैंकों को दिनांक 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए एफएएस एवं एचटीएफ श्रेणी में रखे गये निवेशों पर एमटीएम हानि को जिस तिमाही में हानि हुई है उस तिमाही से आरम्भ कर चारों तिमाहियों में उस हानि को फैलाने हेतु अनुमत किया है. 30 जून, 2018को समाप्त तिमाही में ₹74.81 करोड़ की इस हानि को प्रावधानों



के भिन्नकालिक की अनुमति का लाभ लेते हुए इसके ¼ को जून एवं सितम्बर, 2018 तिमाहियों में बांटा गया है एवं गैर परिशोधित बकाया शेष ₹ 37.40 करोड़ था. दिनांक 31.12.2018 को बॉन्ड दर अच्छी होने के कारण आस्थगित प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी. उपर्युक्त के परिणामतः पूर्ण एमटीएम हानि दिनांक 31.03.2019 को पूर्णतौर पर कवर हो गयी.

5.12 जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई

दिनांक: 22 मई, 2019



दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2019	31- 03- 2018
ए	एपरिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	करों पूर्व लाभ/(हानि)	(8,131.13)	(7,913.90)
I	समायोजन हेतु:		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	277.93	260.50
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	983.88	794.17
	गैर अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	10,628.26	9,566.65
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(115.75)	5.51
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	(198.54)	263.96
	अचल आस्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर (लाभ)/हानि	4.43	4.49
	उप योग	3,449.08	2,981.38
II	समायोजन हेतु:		
	जमा में वृद्धि (कमी)	4,956.90	(1,954.74)
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	(386.02)	(3,597.62)
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(1,103.14)	(1,826.94)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(574.21)	(26,582.21)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(23,667.15)	(11,287.07)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	2,635.91	(1,808.19)
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की शुद्ध राशि आदि)	178.64	(301.02)
	उप योग	(17,959.07)	(47,357.80)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	(14,509.98)	(44,376.42)
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	3.48	4.13
	अचल आस्तियों की खरीद	(254.42)	(314.36)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	(250.94)	(310.23)
सी	वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	6,592.00	5,158.00
	शेयर आवेदन राशि	212.54	-
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	(7.00)	(3.25)
	लाभांश कर	(1.43)	(0.66)
	वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	6,796.11	5,154.09



दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2019	31- 03- 2018
डी	नकद एवं नकद तुल्य (ए + बी + सी) या (एफ - ई) में शुद्ध वृद्धि	(7,964.81)	(39,532.56)
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	36,000.12	75,087.18
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	3,262.29	3,707.79
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	39,262.41	78,794.97
एफ	वर्ष की समाप्ति पर नकद तथा नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	20,779.45	36,000.12
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	10,518.14	3,262.29
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	31,297.59	39,262.41

नोट्स:

- उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारण अनुसार 'अप्रत्यक्ष माध्यम' के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समोहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई

दिनांक: 22 मई, 2019



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

फॉर्म 'बी'

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

12वीं वार्षिक सामान्य बैठक

पत्रा सं. या डीपी आईडी # /ग्राहक आईडी #	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से
श्री/सुश्री _____

निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को अथवा उसकी अनुपस्थिति
में श्री/सुश्री. _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____

को शुक्रवार, 28 जून, 2019 दोपहर 12.00 बजे, चंद्रमुखी नरीमन पॉइंट, मुंबई -400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालयके 9वें माले सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

तारीख _____ माह _____ वर्ष 2019 को यह हस्ताक्षरित किया गया.

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

कृपया
रेवेन्यू स्टैप
चिपकाएं

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम _____

(स्पष्ट अक्षरों में)

पता _____



प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
 - (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत किया गया हो.
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टेम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, 21 जून, 2019 को सायं: 5.00 बजे से पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए जो कि रविवार, 23 जून, 2019 अवकाश दिवस से एकदम पहले का कार्यालयीन दिवस है. मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.
4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
8. प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
9. प्रॉक्सी का प्रपत्र "फॉर्म 'बी'" में न होने पर वैध माना नहीं जाएगा.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची

12वीं वार्षिक सामान्य बैठक - शुक्रवार 28 जून, 2019 को 12.00 बजे

पंजीकृत पत्रा / डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) संयुक्त धारक	
उपस्थित प्राक्सीधारका / प्रतिनिधि का नाम स्पष्ट अक्षरों में (यदि कोई हो)	

उपस्थित सदस्य/प्राक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिन और दिनांक	शुक्रवार, 28 जून, 2019
स्थान	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय 9वां माला, चंद्रमुखी नरीमन पॉइन्ट मुम्बई - 400021



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

12वीं वार्षिक सामान्य बैठक - शुक्रवार, 28 जून, 2019 को 12.00 बजे

स्थान : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वां माला, चंद्रमुखी नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई -400021

पंजीकृत पत्रा क्रमांक या डीपी आईडी /ग्राहक आईडी / शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम	
शेयरों की संख्या	

उपस्थित सदस्य/प्राक्सी/ प्रतिनिधि/
का नाम एवं हस्ताक्षर

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/ प्राक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें। प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/ प्राक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे। तदपि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा। किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा।



CHAIRMAN'S MESSAGE

Dear Stakeholders,

The banking industry has gone through a tough phase over the past few years with multiple challenges confronting those associated with it. However, going forward, there appears to be a glimmer of hope at the end of tunnel with the turbulence of the recent past tending to attenuate. The thorny issue of impaired assets is in the process of being tackled. With the quickening pace of corporate stressed asset resolution, and tapering off of fresh bad loan generation, the year 2019-20 in all likelihood should be optimistic for the banking industry. The reduction of impaired assets should release the much needed capital of public sector banks thus augmenting their lending capacity. Further, regulatory oversight of the sector, will no doubt, ensure the requisite discipline for an orderly growth in the market.

The world economy exhibited sluggishness in 2018 in advanced and emerging economies owing to several factors. Principally, increasing trade protectionism and other uncertainties prevailing in the global economy have led to lowering of growth projections by major international agencies for 2019. On the domestic front, the economy has shown signs of moderation in the recent quarters. The Indian economy advanced 6.6 percent year-on-year in the last three months of 2018, below a downwardly revised 7 percent expansion in the previous period and market expectations of 6.9 percent, and as compared to a 7.3 percent growth in Q3 of 2017-18, being the lowest growth rate in five quarters on the back of weak consumer demand. The Brent oil price touched \$80/barrel in October 2018 due to supply concerns, impacting India's current account balance. The Reserve Bank of India in its April 2019 Monetary Policy Statement projected India's GDP to grow by 7.2% in 2019-20.

While the Indian banking sector has undergone significant reforms over the last few years, there has been a significant increase in competition in the banking industry from the emergence of FinTech companies, payment banks due to technological advancement and tech-savvy human resources. Digitalisation is all around the banking spectrum with the leveraging of big data, increased use of analytics, artificial intelligence, etc. being the order of the day. Our Bank has embraced the technological challenge in the right spirit to enhance operational efficiency and to reduce operating costs while minimizing risk. The objective is to eventually benefit the customers with better services. Our bank is fully conscious of the ever rising customer expectations as technology driven sophistication in the banking environment continues to accelerate.

The issue of Non-performing Assets (NPAs) is a key challenge in the Indian Banking Industry. Banking reforms, particularly the introduction of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) has created a new hope for resolution of the vexed NPA issue. Initial outcomes from the IBC process are encouraging and we expect resolution of significant NPA accounts through NCLT under IBC during the current financial year 2019-20. We have adopted a multi-pronged strategy to tackle the NPA challenge, and we are confident to make noticeable gains in the same.

We have addressed the issues of due diligence, enhancing knowledge and skills in areas such as Credit, Treasury, Risk Management, IT and Analytics. With Government of India promoting and incentivizing digitalization in a big way, our Bank



is also in alignment with the same strategy. Human resource being a sine-qua-non for any vibrant organization, our bank continues to lay the desired emphasis on its development. I am confident that by focusing our efforts in the key areas, we shall emerge from the difficult times at the earliest and come out of red during the year 2019-20.

With regard to corporate governance, the Board of Directors continuously guides the senior management team of the Bank to help them form business goals and objectives that should help the Bank to move towards a robust and sustainable growth path. The thrust of the corporate governance has always been to maximize stakeholder value by pursuing ethical practices in the conduct of business and maintaining high standards of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices and standards of governance that are monitored by various Committees of the Board.

Finally, I thank customers for choosing us as their preferred service provider notwithstanding other options available to them, and also our stakeholders for their continued support in all our endeavors

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-

Tapan Ray

Place: Mumbai

Date: May 22, 2019.



MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER'S MESSAGE

Dear Shareholder,

The world economy has been navigating through challenging environment in recent times. After having a growth of 3.8% in 2017, the global growth moderated to 3.6% in 2018. As per IMF's April 2019 projections, the global growth is expected to moderate to 3.3% in 2019 before it jumps back to 3.6% in 2020. The second half of 2018 has exhibited growth moderation globally. Chinese economy had witnessed slowdown due to measures taken to arrest shadow banking and rising trade tensions with the US. The US Fed has indicated to follow a more accommodative monetary policy.

On the domestic front, the Indian economy had slowed down in the 3rd quarter of 2018-19. There was a moderation in growth in private and government consumption expenditure in Q3 2018-19 compared to Q2 2018-19. Nonetheless, the gross fixed capital formation continued to grow in double digit. The retail inflation stayed low and kept below 4% in all months from August 2018 to March 2019 primarily due to benign food inflation. The fuel inflation was also relatively low in the later part of 2018-19. On the Monetary Policy front, the Reserve Bank of India in February 2019 cut the repo rate by 25 basis points to 6.25% and also changed the stance to "neutral". Subsequently in April 2019 the Reserve Bank of India again cut the repo rate by 25 basis points to 6%.

From the banking industry's perspective, the credit growth picked up in 2018-19 and remained above 10% year-on-year for almost every month in 2018-19, as per Reserve Bank of India data. The credit to deposit ratio of the scheduled commercial banks stood at about 78% in February 2019. On sectoral basis, the credit growth in the personal loan and services sector registered double digit growth on year-on-year basis in March 2019.

Let me elucidate the highlights of your Bank's performance in the year. During the Financial Year 2018-19, Business of the Bank stood at ₹4,67,584 crore as compared to ₹4,72,323 crore in the Financial Year 2017-18. The Deposit of the Bank stood at ₹2,99,855 crore as against ₹2,94,839 crore in March 31, 2018. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 46.21% as against 42.46% in Financial Year ended March 31, 2018. High Cost Deposits substantially reduced by ₹793 crore and stood at ₹57 crore from ₹850 crore in the financial year ended March 31, 2018. Total Advances stood at ₹1,67,729 crore in March 31, 2019 as against ₹1,77,484 crore in March 31, 2018, which was mainly due to reducing our exposure in high risk weighted assets.

Asset Quality continued to be the major concern of the Banking Industry in general and particularly in the Bank for last 3-4 years. By putting concerted efforts, we were able to make Cash Recovery and upgradation of ₹5,656 crore in FY 2019 as against ₹3,122 crore in FY 2018. Gross NPAs of the Bank reduced to ₹32,356 crore from ₹38,131 crore as on March 31, 2018. Similarly, Gross NPA percentage reduced to 19.29% as of March 31, 2019 compared to 21.48% as of March 31, 2018. Net NPA percentage was brought down to 7.73% as on March 31, 2019 from 11.10% as of March 31, 2018. We expect resolution of certain big NPA accounts through NCLT under IBC during 2019-20. We shall continue to have focused efforts to maximize NPA recovery, improve asset quality and earn net profit during the year 2019-20.



The Bank's Cost of Deposits reduced to 5.21% during the financial year 2018-19 as against 5.53% during the financial year 2017-18. Net Interest Income of the Bank increased to ₹6,773 crore from ₹6,517 during 2017-18 whereas Non Interest Income reduced to ₹2,413 crore from ₹2,623 crore during 2017-18, which was mainly due to shifting loss of ₹325 crore in the trading book. However, recovery in written off accounts improved by 35.85% over the previous year. Net Interest Margin (NIM) was almost flat at 2.54% vis-à-vis 2.47% during financial year 2017-18. This was mainly on account of reversal of interest in NPA accounts.

The Operating Profit of the Bank stood at ₹3,127 crore as against ₹2,733 crore in financial year 2017-18. However, Bank has incurred Net Loss of ₹5,641 crore as compared to Net Loss of ₹5,105 crore during previous financial year, primarily, due to higher NPA provisions, slippages/ ageing and additional provision in NCLT accounts, decline in Trading Profit on Investments, etc. The Bank's Provision Coverage Ratio improved from 63.31% as on 31.03.2018 to 76.60% as on 31.03.2019 which has strengthened the Balance Sheet. The Cost to Income ratio also improved significantly from 70.10% as on 31.03.2018 to 65.96% as on 31.03.2019. The Capital to Risky Asset Ratio CRAR (Basel-III) improved from 9.04% in FY 2018 to 9.61% in FY 2019. All these financial indicators show change in the right direction.

As on 31st March, 2019, Bank has a network of 4,659 branches, 3,966 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter. The pan India presence covering all 29 States, 5 out of 6 Union Territories and NCT Delhi, 574 District Head Quarters and 635 Districts out of 707 districts in the country, which is a source of strength to the Bank.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the year ended March 31, 2019.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-

Pallav Mohapatra

Place: Mumbai

Date: May 22, 2019



NOTICE

Notice is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Friday, 28th June, 2019 at 12.00 Noon on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 to transact the following business :

- 1) To discuss, approve and adopt the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2019, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2) To raise Capital through FPO/Rights Issue/QIP etc.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “Board”) which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares upto the value of Rs. 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore Only) (including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies - private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”), Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“SEBI ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”



“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations:

- A) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution.”
- B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all



such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

Anand Kumar Das

Deputy General Manager

Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 22.05.2019

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday 21st June, 2019 being the immediate preceding working day to Sunday, 23rd June, 2019 which is holiday.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday 21st June, 2019 being the immediate preceding working day to Sunday, 23rd June, 2019 which is holiday.

4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.



5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is enclosed with this notice. Shareholders/proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / Authorised Representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "Proxy or Authorised Representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

6. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 25th June, 2019 (Tuesday) to 28th June, 2019 (Friday) (both days inclusive).

7. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

8. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

9. Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the Meeting.

10 Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

However, if you are still interested in holding the shares in physical form and not opting for demat, please provide us with the following Bank details to enable us to credit your Account with the dividend (as and when declared) directly.

- Name of the Bank
- Address of the Branch
- Bank Account Number
- 9 digit MICR code of the branch
- IFSC code of the Branch

(preferably, send us a cancelled cheque/ copy of a cheque leaf).

Please note that the Bank Account should be in the name of the 1st holder of shares.

11 Intimation to shareholders holding shares in dematerialised form:

It is our constant endeavor to provide the best services to our valued shareholders. We observe that there are some shareholders who are holding shares in demat form but have not registered/updated their Bank account details with their Depository Participants (DPs) for getting Dividend amount directly credited to their Bank accounts. Accordingly, Dividend declared earlier, was paid to them by sending Dividend Warrant (DW) to the addresses maintained by them with Depositories.



It is worth noting that if such shareholders had registered / updated their Bank Account particulars with their DPs, the Dividend Amount would have been credited directly to their bank account thus, ensuring faster receipt of Dividend right on due date, saving time spent on receiving dividend warrant by post, no requirement for visiting bank for depositing the Dividend Warrant, non-apprehension of loss / theft of dividend warrant in transit or the likelihood of fraudulent encashment thereof.

We accordingly suggest these shareholders to register/ update their Bank Account details i.e. Bank Name, Branch Address, Account No., Account Type, Nine Digit MICR Code Number as appearing on cheque issued by their banks, with their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat Account, to facilitate credit of dividend amount (as and when declared) directly to their Bank accounts right on due date. In addition to this, they may also send directly to the Bank or its RTA namely, Link Intime India Pvt. Limited abovesaid bank details with mandate to credit all future dividend amounts, refund amounts or other remittances, if any, to their bank accounts instead of sending any Dividend warrant, cheque, Demand Draft , etc.

12. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend for any of the previous years are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank for arranging payment thereof directly to their Bank A/c or for issue of duplicate dividend warrant/Demand Draft.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

13. Voting through electronic means

- I. In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate remote e-voting.

The process and instructions for remote e-voting are as under :

- (i) The remote e-voting period begins on Tuesday, 25th June 2019 at 10.00 AM and ends on Thursday, 27th June 2019 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, 21st June 2019, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders/Members.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Address Sticker pasted on the EGM Notice, indicated in the PAN field.



Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.
OR Date of Birth (DOB)	If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- (viii) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN of CENTRAL BANK OF INDIA on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the changed login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xx) In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

- II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. Friday, 21st June, 2019. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of



the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

- III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Friday, 21st June, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting/poll at AGM.
- IV. Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 21st June 2019, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.
- V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.
- VI. Shri Ankur Kumar of EZY Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
- VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.



EXPLANATORY STATEMENT

To raise Capital through FPO/Rights Issue/QIP etc.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 9.50% and overall CRAR of 11.50% by March 31, 2020. The Bank will be requiring capital to meet the prescribed capital adequacy ratio (CRAR) on ongoing basis. Therefore, your Directors have decided to raise equity capital upto Rs. 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore Only) through various modes such as- Follow-on-Public Issue, Rights Issue, Private Placement including Qualified Institutions Placements, etc. subject to approval of Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities and in accordance with all applicable regulations including the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

- i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
- iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;
- iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.
- v. The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;
- vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/ sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.
- vii. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

Anand Kumar Das

Deputy General Manager

Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 22.05.2019



TOTAL BUSINESS

(₹ in Crores)

PARAMETERS	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16	MAR. 17	MAR. 18	MAR. 19
Total Business	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323	4,67,584
YoY Growth	35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)
Total Deposits	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839	2,99,855
YoY Growth	33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%
Total Loans & Advances	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729
YoY Growth	38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)
Investments	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295	1,29,219
YoY Growth	12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%
CD Ratio	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29	71.44	51.57%	60.20%	55.94%
Return on Assets	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)

PROFITABILITY

(₹ in Crores)

PARAMETERS	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16	MAR. 17	MAR. 18	MAR. 19
Gross Income	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052
YoY Growth	30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)
Gross Expenses	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926	21,925
YoY Growth	38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)
Operating Profit	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733	3,127
YoY Growth	0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%
Net Profit/Loss	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)	(5,641)
YoY Growth	10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	----	----	----	----
NIM (%)	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.78	2.51	2.47	2.54
Net Interest Income	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517	6,773
YoY Growth	(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%
Non Interest Income	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623	2,413
YoY Growth	66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)



DIRECTORS' REPORT 2018-19

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited Statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2019.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- ❖ Total Business of the Bank stood at ₹4,67,584 crore as at March 31, 2019 compared to ₹4,72,323 crore as at March 31, 2018.
- ❖ Total Deposits stood at ₹299855 crore in March 31, 2019 as against ₹294839 crore in March 31, 2018.
- ❖ Total Advances of the Bank stood at ₹1,67,729 crore in March 31, 2019 as against ₹1,77,484 crore in March 31, 2018.
- ❖ Total Income for the financial year ended March 31, 2019 was ₹25,052 crore as compared to ₹26,659 crore for the financial year ended March 31, 2018.
- ❖ Non-Interest Income of the Bank stood at ₹2,413 crore for the financial year ended March 31, 2019 compared to ₹2,623 crore for the financial year ended March 31, 2018.
- ❖ Operating Profit of the Bank increased to ₹3,127 crore for the financial year ended March 31, 2019 as compared to ₹2,733 crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2018 showing increase of 14.42%.
- ❖ The Bank has incurred Net Loss of ₹5,641 crore for the financial year ended March 31, 2019 as compared to Net Loss of ₹5,105 crore during previous financial year ended March 31, 2018 primarily due to higher NPA provisions, higher slippages/ ageing and additional provision in NCLT accounts, significant decline in Trading Profit on Investments etc.
- ❖ Expenses on employees decreased by ₹471 crore during the financial year ended March 31, 2019 to ₹3,566 crore from ₹4,037 crore in the previous financial year ended March 31, 2018.
- ❖ Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) stood at 10.13% with Tier I at 5.70% and Tier II 4.43% for the financial year ended March 31, 2019. Capital Adequacy Ratio (as per Basel-III) stood at 9.61% with Tier I at 7.49% and Tier II 2.12% for the financial year ended March 31, 2019.
- ❖ Net worth stood at ₹16,062.89 crore.
- ❖ Cash Recovery increased to ₹5,161 crore in the financial year ended March 31, 2019 as compared to ₹2403 crore in the previous financial year ended March 31, 2018.
- ❖ Gross NPA to Gross Advances improved to 19.29% as on March 31, 2019 from 21.48% as on March 31, 2018.
- ❖ Net NPA to Net Advances reduced to 7.73% as on March 31, 2019 as against 11.10% as on March 31, 2018.
- ❖ Provision Coverage Ratio improved to 76.60% as on March 31, 2019 from 63.31% as on March 31, 2018.
- ❖ Net Interest Margin (NIM) improved to 2.54% in the financial year ended March 31, 2019 from 2.47% in the Financial Year ended March 31, 2018.
- ❖ Business per Employee stood at ₹12.78 crore in the financial year ended March 31, 2019.
- ❖ Return on Assets (ROA) is (1.70)% for the Financial Year ended March 31, 2019.
- ❖ The credit deployment under priority sector increased to ₹83,201 crore in the financial year ended March 31, 2019, with a growth of ₹366 crore over financial year ended March 31, 2018. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PSLCs worth ₹27,436 crore under PS Advances and purchased PSLCs worth ₹5,885 crore under MSME portfolio. Thus, net Sale as at the close of FY was ₹21,551 crore. There is outstanding of RIDF to the tune of ₹4,907.27 crore under Priority Sector of which ₹3,075.97 crore under Agriculture as on 31.03.2019.
- ❖ Agriculture Advance of the Bank stood at ₹35,655 crore for the financial year ended March 31, 2019 as against ₹30,776 crore for the previous financial year ended March 31, 2018, registering y-o-y growth of 15.85%.
- ❖ MSME Advances for the Financial Year ended March 31, 2019 stood at Rs32,090 crore without PSLC and Investment in SIDBI and Mudra Ltd. consisting 19.13% of the total Loans & Advances.



- ❖ Retail Loans increased to ₹48,666 crore in financial year ended March 31, 2019 from ₹48,123 crore in financial year ended March 31, 2018.
- ❖ Housing Loan portfolio of the Bank stood at ₹23,301 crore for the financial year ended March 31, 2019 as against ₹21,392 crore for financial year ended March 31, 2018, registering y-o-y growth of 8.92%. Housing Loan Portfolio constitutes 47.88 % of the total Retail Portfolio as on March 31, 2019.
- ❖ Bank has established 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1). During the year 2018-19, the RSETIs conducted 1098 training programmes and imparted training to 31,274 candidates. Out of this, 23,142 (i.e.74%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance. Credit linkage of settled candidates achieved is 13,227 i.e. 43%.
- ❖ Bank has 3 RRBs as on 31st March 2019 in 3 states covering 48 districts with a network of 1,629 branches.
- ❖ Under Financial Inclusion, Bank has covered 4,330 villages with population above 2,000 and 18,376 villages with population below 2,000. Bank has covered all these villages through 6,387 BC Agents. Bank has opened 177 Urban Financial Inclusion centres. Bank has further opened 202 lakh Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is ₹3,307.16 crore as on 31st March, 2019.
- ❖ Total earning from Bancassurance business is ₹22 crore for the financial year ended March 31, 2019.
- ❖ As on 31st March 2019, Bank has network of 4,659 branches, spanning 63.32% branches in rural & semi-urban areas, 3,966 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter across the country.

2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the financial year 2018-19 are given hereunder:

(₹ in Crores)

	31.03.2019	31.03.2018	Variation	%
1 INTEREST INCOME	22639	24036	(1397)	(5.81)
– Advances	12950	14478	(1528)	(10.55)
– Investments	8454	7138	1316	18.44
– Others	1235	2420	(1185)	(48.97)
2 NON INTEREST INCOME	2413	2623	(210)	(8.01)
3 TOTAL INCOME (1+2)	25052	26659	(1607)	(6.03)
4 INTEREST EXPENDED	15866	17519	(1653)	(9.44)
– Deposits	15276	16222	(946)	(5.83)
– Others	590	1297	(707)	(54.51)
5 OPERATING EXPENSES	6059	6407	(348)	(5.43)
– Establishment	3565	4037	(472)	(11.69)
– others	2494	2370	124	5.23
6 TOTAL EXPENSES (4+5)	21925	23926	(2001)	(8.36)
7 SPREAD (1-4)	6773	6517	256	3.93
8 OPERATING PROFIT (3-6)	3127	2733	394	14.42
9 PROVISIONS	8768	7838	930	11.87
10 PROVISIONS FOR TAX	(2529)	(2791)	262	(9.39)
11 NET PROFIT/(LOSS)	(5641)	(5105)	(536)	-----



3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of ₹8,768 crore charged to the Profit and Loss Account during the financial year 2018-19 vis-a-vis previous financial year are detailed as under:

(₹ in Crores)

	31.03.2019	31.03.2018	Variation
Provisions for Standard Assets	(115)	7	(122)
Provisions for NPAs	11030	10543	487
Provisions for Restructured Accounts	(425)	(951)	526
Provision on Investments	984	799	185
Provisions for Taxes	(2529)	(2791)	262
Others	(177)	231	(408)
TOTAL	8768	7838	930

4. PROFITABILITY RATIOS

(In percentage)

	31.03.2019	31.03.2018
Cost of Deposits	5.21	5.53
Cost of Funds	5.28	5.79
Yield on Advances	7.28	8.31
Yield on Investments	7.15	7.14
Net Interest Margin	2.54	2.47
Cost to Income Ratio	65.96	70.10

5. BUSINESS RATIOS

(In percentage)

	31.03.2019	31.03.2018
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	6.81	7.59
Non-Interest Income to AWF	0.73	0.83
Operating Profit to AWF	0.94	0.86
Return on Average Assets	(1.70)	(1.61)
Business Per Employee (₹ In crore)	12.78	12.71
Net Profit per Employee (₹ In lakh)	(15.55)	(13.86)

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2019	31.03.2018
	Basel-III	Basel-III
CET 1 / Tier-1	7.49	7.01
Tier-2	2.12	2.03
Capital Adequacy Ratio	9.61	9.04

7. NET LOSS

The Bank has incurred net loss amounting to ₹5,641 crore during the financial year ended March 31, 2019. Accordingly, Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares for the Financial Year 2018-19.



8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- ❖ Shri Tapan Ray was appointed as Part-time Non-official as well as Non-executive Chairman of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 23rd May, 2018.
- ❖ Shri Rajeev Rishi, Managing Director & Chief Executive Officer ceased to be the Director of the Bank w.e.f. 1st August, 2018.
- ❖ Shri Pallav Mohapatra was appointed as Managing Director & Chief Executive Director of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 21st September, 2018.
- ❖ Shri Govind Mohan ceased to be Government of India Nominee Director of the Bank w.e.f. 14th May, 2018.
- ❖ Dr. Bhushan Kumar Sinha was appointed as Government of India Nominee Director of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 14th May, 2018.
- ❖ Shri B.K. Divakara, Executive Director ceased to be the Director of the Bank w.e.f. 23rd January, 2019.
- ❖ Shri Alok Srivastava was appointed as Executive Director of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 23rd January, 2019 for a period of 3 years.
- ❖ Shri K.R. Patel, Shareholder Director ceased to be the Director of the Bank w.e.f. 1st July, 2018.
- ❖ Smt. Mini Ipe was elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 1st July, 2018.

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri Rajeev Rishi, Shri Govind Mohan, Shri B.K. Divakara and Shri K.R. Patel who ceased to be the Directors of the Bank during the Financial Year 2018-19.

- 8.1 Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Notification dated 26th April, 2019 nominated Shri Thomas Mathew, Regional Director Reserve Bank of India, Jammu as RBI Nominee Director in place of existing RBI Nominee Director Shri Shekhar Bhatnagar, on the Board of our Bank with immediate effect (i.e. w.e.f. 26th April, 2019) and until further orders. The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri Shekhar Bhatnagar during his tenure as RBI Nominee Director of the Bank.

9. RAISING OF CAPITAL THROUGH EMPLOYEE STOCK PURCHASE SCHEME (ESPS)

During the financial year 2019-20, the Bank raised ₹212.53 crore Capital from the eligible employees under Employee Stock Purchase Scheme (ESPS). The issue under ESPS was opened for subscription on 19th March, 2019 and closed on 29th March, 2019. The Capital funds of ₹212.53 crore was kept in Share Application Money Account as on March 31, 2019. The Bank allotted requisite 7,87,16,224 equity shares to 26,071 eligible employees on 15th May 2019.

10. WHISTLE BLOWER POLICY

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees and directors without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee on need basis. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

11. PROMPT CORRECTIVE ACTION

Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Bank under Prompt Corrective Action (PCA) in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank believes that corrective measures arising out of the PCA will help in improving overall performance of the Bank.

12. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

Business Responsibility Report as stipulated under Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been hosted on the website of the Bank (www.centralbankofindia.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary at the Head Office of the Bank.



13. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

- ❖ The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2019:
- ❖ The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- ❖ The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- ❖ Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit/ loss of the Bank for the financial year ended March 31, 2019;
- ❖ Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India;
- ❖ The accounts have been prepared on a going concern basis;
- ❖ Internal Financial Control are adequate and were operating effectively; and
- ❖ Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems were adequate and operating effectively.

14. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

15. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai
Date : May 22, 2019

Sd/-
Tapan Ray
Chairman



SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH 2019.

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 read alongwith SEBI circular No. IR/CFD/CMD1/27/2019 DATED 08.02.2019]

To,

The Members of Central Bank of India,

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Central Bank of India**, (hereinafter called the Bank). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Central Bank of India** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank officials during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31/03/2019 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31/03/2019 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder to the extent applicable to the Bank
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not Applicable to the Bank for the period under review)**
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; (Not Applicable during the year under review as there were no Buybacks)
 - (e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 - (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - (g) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non - Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013; **(Not Applicable to the Bank for the year under review)**
 - (h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- (vi) The Following other Laws as applicable to the Bank:
 - (a) Banking Regulation Act 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time
 - (b) Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof
 - (c) Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
 - (d) Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998



We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above

We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors including Independent Directors and Women Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking laws in consonance with SEBI (LODR).

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items in the meeting for meaningful participation at the meeting.

Decisions at the Meetings of the Board of Directors of the Bank, including the resolutions approved through circulations, were resolved unanimously. There were no dissenting views by any member of the Board of Directors during the period under review.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

- (i) A Special Resolution was passed at the Annual General Meeting of the Bank held on 30th June 2018 for approving Raising of Capital of the Bank by way of Issuance of fresh Equity shares and / or by issuance of Additional Tier – I or Tier II capital as per Basel III Guidelines.

Accordingly, the Capital Raising Committee of the Board of the Bank has on 29th March 2019 allotted 5000 bonds of Rs. 10 lacs each aggregating to Rs. 500 crores To Life Insurance Corporation of India, on Private Placement basis, through the closed bidding process on NSE / BSE Electronic Bidding Platform, in compliance with SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008

- (ii) Special Resolution was passed at the Extra Ordinary General Meeting of the Bank held on 13th November 2018 to
 - a. Create, issue and allot 35,43,57,970 Equity shares of Face value Rs. 10 each for cash at a premium of Rs. 56.43 per equity share i.e. the issue price of Rs. 66.43 aggregating upto Rs. 2354 crores to Government of India, on preferential basis.

Accordingly, the Capital Raising Committee of the Board of the Bank has allotted the said shares in its meeting held on 13th November 2018 in compliance with SEBI ICDR Regulations 2018

- (iii) Special Resolutions were passed at the Extra Ordinary General Meeting of the Bank on 28th February 2019 to
 - a. Create, issue and allot 38,74,39,390 Equity shares of Face value Rs. 10 each for cash at a premium of Rs. 33.31 per equity share i.e. the issue price of Rs. 43.31 aggregating upto Rs. 1678 crores to Government of India, on preferential basis.

Accordingly, the Capital Raising Committee of the Board of the Bank has allotted the said shares in its meeting held on 28th February, 2019 in compliance with the SEBI ICDR Regulations 2018.

- b. Create, grant, offer, issue and allot upto 10 Crore new equity shares of face value of Rs. 10/- each under the Central Bank of India Employee Stock Purchase Scheme, 2019 (Central Bank of India - ESPPS, 2019) in one or more tranches, at such price and on such terms and conditions as may be decided by the Board / Committee in its absolute discretion.

The Shares shall be allotted in current Financial Year.



- (iv) Special Resolution was passed at the Extra Ordinary General Meeting of the Bank held on 28th March 2019 to
- a. Create, issue and allot 68,72,48,322 Equity shares of Face value Rs. 10 each for cash at a premium of Rs. 27.25 per equity share i.e. the issue price of Rs. 37.25 aggregating upto Rs. 2560 crores to Government of India, on preferential basis.
- Accordingly, the Capital Raising Committee of the Board of the Bank has allotted the said shares in its meeting held on 28th March, 2019 in compliance with SEBI ICDR Regulations 2018
- (v) Reserve Bank of India (RBI) in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with the Section 46(4) (i) of the Banking Regulation Act, 1949 has imposed an aggregate penalty of Rs.10 million on the Bank for some reconciliation lapses. The said incident has been intimated to Stock Exchanges.
- (vi) Bank has redeemed following debt instruments in terms of Information Memorandum and approval granted by Reserve Bank of India :

Date of Redemption	Nature of instrument	Amount of redemption (in Rs)	Purpose
10.04.2018	Lower Tier II Series XIII	274,08,06,988	Redemption on Maturity
14.11.2018	Upper Tier II Series I	334,35,00,000	Redemption on exercise of call option
17.02.2019	Upper Tier II Series II	311,86,35,486	Redemption on exercise of call option

For **R.S. Padia & Associates**
 Company Secretaries

Sd/-

Rajshree Padia
 FCS: 6804; CP: 7488

Date :13/05/2019
 Place: Mumbai



Annexure-I to the Secretarial Audit Report

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

To,

The Members of Central Bank of India,

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The Compliances of provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Central Bank of India (The Bank) is the responsibility of the Management of the Bank. Our Examination was limited to the verification of records and procedures on test check basis for the purpose of the issue of the Secretarial Audit report.
2. Maintenance of the secretarial and other records of the applicable laws is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to issue Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant records maintained and furnished to us by the Bank, along with the explanations where so required.
3. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts as reflected in secretarial and other records produced to us. We believe that the process and practices we followed, provides reasonable basis for our opinion for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
4. We have not verified the correctness and appropriateness of Financial Records and Books of Accounts of the Company.
5. Wherever required, We have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events during the Audit period.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Sd/-

Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488

Date :13/05/2019

Place: Mumbai



**Secretarial Compliance Report of Central Bank of India
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019**

[Pursuant to SEBI circular No. IR/CFD/CMD1/27/2019 Dated 08.02.2019]

To,

The Members of Central Bank of India,

1. We have examined:

- (a) All the documents and records made available to us and explanation provided by Central Bank of India (“the listed entity”), arising from the compliances of Specific Regulations listed under para 2 infra
- (b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchanges in connection with the above
- (c) website of the listed entity,
- (d) any other document/ filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification, for the year ended 31st March 2019 (“Review Period”) in respect of compliance with the provisions of :
 - (a) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (“SEBI Act”) and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and
 - (b) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (“SCRA”), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”);

2. The specific Regulations, whose provisions and the circulars/ guidelines issued thereunder, have been examined, include:-

- (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;
- (e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
- (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- (g) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non - Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013;
- (h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

and based on the above examination, We hereby report that, during the Review Period:

- (a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder, However, in absence of any transaction relating to Buyback of Securities and issue on Non Convertible and Redeemable Preference Shares during the period under review, the compliance of relevant provisions mentioned herein does not arise.
- (b) The listed entity has maintained proper records under the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder insofar as it appears from our examination of those records.
- (c) No action was required to be taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ material subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under the aforesaid Acts/ Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder;
- (d) This being the first reporting since the notification of the requirement to submit this report, reporting on actions taken to comply with observations made in the previous reports does not arise.

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries

Sd/-

Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488

Date :13/05/2019
Place: Mumbai



MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

PART A: ECONOMIC SCENARIO

The economic growth in India might have moderated a little in 2018-19 but the country still retains the position of “one of the fastest growing large economies” in the world. As per the second advance estimate of Central Statistics Office, (released in February 2019) the GDP growth of 2018-19 came in at 7% compared to 7.2% growth in 2017-18. On the other hand, the global output has dwindled due to various factors like Brexit uncertainties, rise in trade tariffs, Chinese rebalancing, sluggish growth in Eurozone, volatility in crude prices, etc. As per the IMF’s April 2019 projections, the economic growth of the advance economies is forecast to moderate to 1.8% in 2019 from 2.2% in 2018 and projected to soften further to 1.7% in 2020.

The US economy having grown by an impressive 2.9% in 2018 is projected to moderate to 2.3% in 2019 and 1.9% in 2020 (IMF, April 2019). The government shutdown had its impact on growth. The US Fed had increased the interest rate a few times in 2018; however the growth moderation is expected to see a relatively dovish monetary policy stance. The US GDP in March 2019 grew by 3.1% as per the second estimate of the Bureau of Economic Analysis from 2.2% growth in real GDP in December 2018 quarter. The inflation in the US had remained below 2% level since December 2018 till March 2019. The unemployment rate came below 4% in March 2019 indicating continuous improvement in the labour market conditions. The industrial production grew by 2.8% in March 2019. The personal consumption expenditure exhibited moderate growth and exports increased at a sluggish rate in the last few months due to trade tensions.

Growth in the Eurozone is projected at 1.3% in 2019 (IMF, April 2019) from 1.8% in 2018. Growth in Germany moderated to 1.5% in 2018 from 2.5% in 2017 due to factors like sluggish industrial growth and softening in private consumption. Growth in other major Eurozone economies viz. France, Spain and Italy are also expected to moderate in 2019.

After growing by a healthy rate of 1.9% in 2017; the Japanese economy slowed down to grow by 0.8% in 2018 and is projected to grow by 1% in 2019 (IMF, April 2019) primarily due to fiscal stimulus.

Among the emerging economies, the Chinese economy grew by 6.4% in March 2019 unchanged from December 2018. Economic activities in China remained muted as indicated by the manufacturing PMI which contracted for three consecutive months from December 2018 to February 2019 and marginally increased in March 2019. The GDP is forecast to grow by 6.3% in 2019 (IMF, April 2019) from 6.6% in 2018.

As per the 2nd advance estimate; India’s industrial value added grew by 7.7% in 2018-19 from 5.9% in 2017-18. The growth rate eased in agriculture sector to 2.7% in 2018-19 (2nd advance estimate) from 5% in 2017-18. The service sector had registered a growth of 7.4% in 2018-19 (2nd advance estimate) from 8.1% in 2017-18.

The overall growth in core industry came in at 4.3% in 2018-19 unchanged from 2017-18. On the other hand, growth rate of index of industrial production stood at 4% during April-February 2018-19 vis-à-vis 4.3% during April-February 2017-18.

The retail inflation measured by consumer price index increased to 5-months high of 2.86% in March 2019. For the full year of 2018-19, the inflation increased by 3.4% as compared to 3.6% in 2017-18.

The interim Union Budget 2019-20 presented in February 2019 pegged the total expenditure for 2019-20 at Rs.27,84,200 crore vis-à-vis Rs.24,57,235 crore (RE) in 2018-19. The fiscal deficit as percentage of GDP is kept at 3.4% for 2019-20 same as in 2018-19 (RE).

Banking industry

The banking industry has shown improvement in the asset quality with gross NPA ratio of the scheduled commercial banks declined from March 2018 to September 2018 as per RBI’s Financial Stability Report (December 2018). The credit growth of scheduled commercial banks also improved from March 2018 levels. The government has taken various initiatives to support the banking industry. The recapitalization bonds issued by the government will boost the banking industry.

Part- B- PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As on March 31, 2019, the Total Business of the Bank was Rs.4,67,584 crore compared to Rs.4,72,323 crore as on March 31, 2018. High Cost Deposits have been reduced to Rs.57 crore as on March 31, 2019 from Rs.850 crore as on March 31, 2018.

Operating Profit of the Bank stood at Rs.3,127 crore for the financial year ended March 31, 2019 as compared to Rs.2,733 crore for financial year ended March 31, 2018. The Bank posted a Net loss of Rs.5641 crore in financial year ended March 31, 2019 as against Net loss of Rs.5,105 crore in financial year ended March 31, 2018, on account of increased provisions.



RESOURCE MOBILISATION

The Total Deposits as on March 31, 2019 stood at Rs.2,99,855 crore, after reduction of High Cost Deposits to the extent of Rs.793 crore. Saving Bank Deposits increased to Rs.1,22,139 crore with a growth of 10.52% in financial year ended March 31, 2019 from Rs.1,10,509 crore in financial year ended March 31, 2018. Similarly, Current Deposits increased to Rs.16,416 crore in financial year ended March 31, 2019 from Rs.14,687 crore in financial year ended March 31, 2018, registering a growth of 11.77%. The share of CASA Deposits to Total Deposits increased to 46.21% as of March 31, 2019 as against 42.46% as of March 31, 2018. Core Term Deposits reduced by 4.77% and reached to the level of Rs.1,61,243 crore as of March 31, 2018-19 from Rs.1,69,343 crore as of March 31, 2018.

STRATEGY AND PROGRESS OF IND AS IMPLEMENTATION IN THE BANK

As per the original Roadmap announced by the Ministry of Corporate Affairs, all Banks (except RRBs) are required to prepare their Financial Statements according to Ind AS for accounting period beginning from April 1, 2018 onwards with comparatives for the period ending March 31, 2018 or thereafter. The Bank had engaged services of an Ind AS Consultant and constituted a Core Ind AS Team and commenced the process of Ind AS implementation. Steering Committee headed by an Executive Director was formed to monitor the progress of implementation. The Board of Directors and Audit Committee of the Board periodically has been reviewing the progress of the same.

On April 5, 2018, the RBI in their Statement on Development and Regulatory Policies stated that necessary legislative amendments to make the format of financial statements, prescribed in the Third Schedule to Banking Regulation Act, 1949, are under consideration of the Government. In view of this and also level of preparedness of many Banks, implementation of Ind AS in Banks has been deferred by RBI for one year by when the necessary legislative changes were expected. In view of this, Ind AS were to be implemented from April 1, 2019. However, RBI vide notification dated 22.03.2019, stated that the legislative amendments recommended by the RBI are under consideration of the Government of India. Accordingly, it has been decided by RBI to defer the implementation of Ind AS till further notice. As instructed by RBI, the Bank is regularly submitting quarterly Proforma Ind AS Financials to RBI from June 2018.

CREDIT

Gross Advances decreased to Rs.1,67,729 crore as on March 31, 2019 from Rs.1,77,484 crore as on March 31, 2018 with a negative growth of 5.50% on y-o-y basis.

CREDIT MONITORING DEPARTMENT

- ❖ A well-defined Monitoring Policy, containing detailed guidelines on SMA (Special Mention Accounts) Management which encompasses all areas of SMA management, Early Warning Signals, Monitoring & Follow-up, Mitigating Measures and Reporting System is in place
- ❖ Modifications to the policy are being carried out from time to time and reviewed annually with the approval of the Board.
- ❖ As per Monitoring Policy guidelines, Credit Monitoring Committee (CMC) has been formed at various levels viz CO/ZO/RO/CFB to review entire aspects of Credit Monitoring, monthly, based on Structured Agenda Items. A dedicated portal has been devised to report and deliberate the position on all agenda items in the CMC meeting.
- ❖ Workshops and training sessions have been conducted for nodal officers at RO/ZO with a view to update / refresh matters relating to credit monitoring.
- ❖ The Bank has also implemented Centralized Loan Appraisal System & Supervision (CLASS) Monitoring Module software for monitoring Corporate, SME, Retail and Priority Sector advances on real-time basis.
- ❖ Bank is in the process of engaging external agencies for end to end process of loan proposals including identification of Early Warning Signals in the borrowal account as envisaged in EASE II guidelines. This will further improve monitoring of the loan accounts.
- ❖ In order to broaden the ambit of Credit Audit to more accounts, the cut off limit of Credit Audit has been reduced from Rs 1 crore to Rs 50 lacs and the cut off limit of Pre-release audit has been reduced from Rs 5 crore to Rs 1 Crore.
- ❖ Two new Credit Information Companies, M/s Experian and M/s CRIF Highmark have been on-boarded to extract Credit Information Reports(CIR), to reduce the cost.
- ❖ Credit Monitoring Department is being further strengthened. All policy related to credit are to be formulated by the department and to conduct various credit committees at corporate office and various Management Information System (MIS) have also been assigned to the department.



- As per Govt. 'EASE' guidelines, a separate 'Stressed Asset Management Vertical' (SAMV) has been established and all SMA 1 & SMA 2 and NPA accounts of Rs 25 crore and above are handled by this Vertical for resolution/ recovery.
- For clean and effective post sanction follow-up in large credit exposures and exposures of a specialised nature, Bank is in the process of availing the services of Agencies for Specialised Monitoring (ASM) on common engagement basis, as per the action points under EASE.

PRIORITY SECTOR CREDIT

As per RBI directives, 40% of Adjusted Net Bank Credit or Credit equivalent amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher, is to be lent to priority sector. Lending under this sector is therefore, the thrust area of the Bank. We have focused on the growth in lending to Agriculture, MSME, Affordable Housing, Education and others which are the major constituents of Priority Sector.

The performance of the Bank under various segments of priority sector as on 31.03.2019 (audited) is as under:-


(₹ In crore)

S No.	Particulars	March 2018	March 2019	Growth (%)
1	Priority Sector Advance	82835	83201	0.44
	(Percentage achievement of ANBC)	49.74%	47.22%	
2	Total Agriculture Advance	34192	35655	4.28
	(Percentage achievement of ANBC)	20.53%	20.24%	
3	MSME	32346	31036	-4.05
4	Education Loan	2773	2522	-9.05
5	Housing Loan (up to Rs.25.00 lacs)	13392	13956	4.21
6	Other Priority Sector	107	20	-81.31
7	Renewal Energy	6	0	-100.00
8	Social Infrastructure	9	8	-11.11
9	Export Credit	8	5	-37.50

- The credit deployment under priority sector increased to Rs.83,201 crore during 2018-19, recording a growth of Rs.366 crore over previous year. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PSLCs worth Rs.27,436 crore under PS Advances and purchased PSLCs worth Rs.5,885 crore under MSME portfolio. Thus, net Sale as at the close of FY was Rs.21,551 crore. There is outstanding of RIDF to the tune of Rs.4,907.27 crore under Priority Sector of which Rs.3,075.97 crore under Agriculture as on 31.03.2019.

Priority sector

(Amt. in Rupee crore)




AGRICULTURE

During the year under review, total Agricultural credit increased by Rs.1,463 crore from the level of Rs.34,192 crore as on March 31, 2018 to Rs.35,655 crore as on March 31, 2019. The net percent of agricultural credit to adjusted net bank credit (ANBC) is 20.24% against the stipulated target of 18% achieved.

Agriculture

(Amt. in Rupee crore)



INITIATIVES TAKEN TO ACCELERATE FLOW OF CREDIT TO AGRICULTURAL SECTOR:


Special Credit Campaigns:

- ❖ All Rural and Semi-urban branches have organised minimum one Mega Credit Camp in each month to canvass and sanction new agricultural loans.
- ❖ All Rural and Semi-urban branches have organized special Credit Camps for SHGs bank linkage
- ❖ Bank ensured 100% Crop Insurance coverage to eligible Loanee farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and canvassed non-loanee farmers for coverage of crop insurance.
- ❖ During the financial year Bank have given thrust on investment credit under Agriculture.
- ❖ Bank has focused on extending credit to small & marginal farmers.

FINANCIAL INCLUSION (FI)


❖ Bank has covered 4,330 villages with population above 2,000 and 18,376 villages with population below 2,000. Bank has covered all these villages through 6,387 BC Agents.

1. We have opened 177 Urban Financial Inclusion centers.
2. No. Of Transactions:






- Transactions in FI Accounts opened through BCs have increased from 318.00 lakh in FY 2017-18 to 437.00 lakh in FY 2018-19, registering y-o-y growth of 37.42%.
- Business through BC



Business through BCs increased from Rs.1,003.94 crore as on 31 March, 2018 to Rs.1,573.47 crore on 31 March, 2019 registering y-o-y growth of 56.73%.

- Account Opening through BCs:



Number of accounts opened through BCs increased from 99.89 lakh as on 31 March, 2018 to 117.00 lakh as on 31 March, 2019, registering y-o-y growth of 17.13 %.

- Bank has opened 202.00 lakh Basic Saving Bank Deposit Account (BSBDA) accounts through its BCs and Branches as on 31.03.2019. Total balance in these accounts is Rs.3,307.16 crore.

Major Achievements under FI-PMJDY during F.Y.2018-19

- Business through BC Outlets increased by 56.73%, from Rs.1,003.94 crore to Rs.1,573.47 crore.
- FI Business increased by 28.84%, from Rs.2,566.90 crore to Rs.3,307.16 crore.
- Number of PMJDY accounts increased to 1.33 crore as on March 31, 2019 from 1.12 crore in March 31, 2018.
- Total deposits under PMJDY increased to Rs.3,048 crore as on March 31, 2019 from Rs.2,264 crore in March 31, 2018.



- ❖ No. of Transactions through BC-Outlets increased by 37.42% i.e. from 318.00 lakh to 437.00 lakh.
- ❖ No. of BSBD Accounts increased by 9.67 %; from 184.19 lakh to 202.00 lakh.
- ❖ No. of BCs with business more than Rs.10 lakh increased by 16.23 % i.e. from 2,317 to 2,693. Similarly, number of BCs with business more than Rs.1.00 crore increased by 121.65% i.e. from 97 to 215.
- ❖ Total enrollment under Social Security Schemes as on 31.03.2019 is-
- ❖ PMJJBY-13,66,176, PMSBY—39,65,922 and APY—6,08,031.
- ❖ Out of 6090 death claims under PMJJBY, 5,903 claims were settled and out of 1806 death claims under PMSBY, 1699 claims were settled.

Performance under Lead Bank

- ❖ We have the Lead Bank responsibility in 51 districts spread over in seven States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(7), Uttar Pradesh(5), West Bengal(4), Rajasthan(3) and Chhattisgarh(4). More than 50% and about 25% of our total branches are located in these States and the Lead Districts respectively.
- ❖ For effective implementation of Lead Bank Scheme, the office of Lead District Managers has been sufficiently equipped and empowered with right kind of staffing supplement and infrastructure like separate/good premises, vehicles, computers/laptops (with skype installed) & printers, telephones, internet connections, e-mail id, mobile, fax, etc.
- ❖ To improve the public awareness about various products of bank, we have displayed some products relating to Kisan Credit Card, Central Artisan Credit Card, Swabhiman/Aadhar etc. relevant to the rural masses on the vehicles provided to LDMs.
- ❖ We have selected one village in each Lead District for inclusive growth through empowerment, skill development of youth and credit linkages. All developmental activities like complete implementation of Financial Literacy/Financial Inclusion Programmes, training unemployed rural youth in RSETIs, formation of SHG/Farmers Club/JLG, lending activities have been implemented to bring complete socio-economic change. This is being replicated in other selected villages also in lead districts.

State Level Bankers Committee:

- ❖ Our Bank is the Convenor of (State Level Bankers' Committee) SLBC in the State of Madhya Pradesh. During the year 2018-19, only two regular SLBC meetings were held to review and monitor the progress made in the State under various parameters including Government sponsored programmes by different agencies. Due to application of model code of conduct for Assembly and Lok Sabha Elections, the remaining two mandated meetings in the State could not be held in second half of the FY 2018-19.
- ❖ Due to our constant follow ups with the Banks, the state could achieve 100% targets of "Gram Swaraj Abhiyan" of the Government of India under PMJDY, PMSBY & PMJJBY organized from 14th April 2018 to 5th May 2018.
- ❖ Due to our constant follow ups, target under various government sponsored schemes viz. Chief Minister Self Employment Generation Schemes, Mudra, PMEGP, NRLM have been achieved by banks to the level of more than 100%.
- ❖ SLBC has been continuously monitoring the performance of banks under Annual Credit Plan. This resulted in achievement of 94% of target of State Credit Plan during FY 2018-19.
- ❖ The CD Ratio of the State substantially improved from 74.69% as on March 31, 2018 to 80.90% as on March 31, 2019 after including credit of Rs.10,718 crore as per "place of utilisation Norm" of RBI.
- ❖ The Ministry of Social Justice and Disability Welfare, Govt. of M.P. has been providing social security pension to around 38 lakh old age destitute people of the state @ Rs.600 per month through DBT. With the aim to provide easy access of banking facility, 'Pension Apke Dwar' scheme has been implemented in the State. Under this scheme, pension is paid on 7th day of every month through Banking Correspondents/Bank Branch so that beneficiaries do not have to move more than 5 km from their respective village. SLBC has been constantly monitoring progress of the banks in this respect.
- ❖ Our vision for the State is "An all-round and all-inclusive development of the State" through which the life of citizens can become prosperous and they should have opportunities for putting in their best efforts according to their potential and contributing to the nation's development.



- ❖ We are the pioneer to hold Review Conference/Workshop of all Lead District Managers of the State to discuss various strategies to achieve the target of ACP, action plan relating to implementation of Financial Inclusion and integrating their roles & responsibilities in achieving the objectives.
- ❖ During the Financial Year 2018-19, the MSME Department, Govt. of Madhya Pradesh has launched a new Scheme named "Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana" for financing Son/daughter of Agriculturists by banks for setting up units in industry (manufacturing)/service/ trade sectors. The financial assistance will be available for projects of maximum Rs.2 crore. The Scheme envisages benefits in the form of Margin Money, Interest Subsidy, Guarantee Fee, Entrepreneur Development Training etc.

Financial Literacy and Credit Counseling Centre (FLCC)

- ❖ We have opened 48 FLCCs in 7 States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(7), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Rajasthan(3) and Chhattisgarh (2).
- ❖ All these centres have conducted 41480 outdoor visits to the villages extending literacy/counselling to 435250 persons. Both mass campaigning and individual counselling are being done.
- ❖ Bank has provided them vehicles fitted with Public Address System and LCDs for displaying various products/schemes being launched by banks for bringing awareness among the masses and opportunities to them for availing benefits to uplift their economic status and standard of living. Besides, we provide literacy materials, kits, books etc. while extending counselling as also visiting villages.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

- ❖ Bank has established 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1).
- ❖ During the year 2018-19, the RSETIs conducted 1,098 training programmes and imparted training to 31,274 candidates. Out of this, 23,142 (i.e.74%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance.
- ❖ Credit linkage of settled candidates achieved 13,227 i.e. 43% of total trained candidates.

Other Initiatives

- ❖ Our bank has established one Society/Trust in the name of "Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan (CBI-SUAPS)" to control & supervise the operations and functioning of RSETIs and FLCCs.
- ❖ We have formed Governing Council at Apex Level with Managing Director and Chief Executive Officer as Patron, Executive Director as President and General Managers as members for overall control and supervision of the affairs & functions of RSETIs and FLCCs.
- ❖ We have started engaging retired senior bank officials with requisite competency to act as Director, RSETI and Counsellor, FLCC with adequate manpower support.
- ❖ Local Advisory Committee and Training Committee have been formed at District level with the representatives from all local development bodies.
- ❖ We have developed a model plan common to all 46 RSETI for constructions of building, 33 RSETI Building constructions have been completed out of 46 RSETI Buildings and rest are in progress.

MSME DEPARTMENT

Performance under MICRO Enterprises:

- ❖ Bank achieved growth of 20.24% in number of accounts under Micro Enterprises.
- ❖ Percentage of Micro credit to MSE is 37.96% without Priority Sector Lending Certificate (PSLC) & 48.65% with PSLC.
- ❖ During the Financial Year 2018-19, settlement of claims under CGTMSE is Rs.35.62 crore in 483 accounts. Claims approved as percentage of claims lodged in terms of accounts is 46.79%. Claims approved as percentage of claims lodged in terms of amount is 32.12%.
- ❖ Under PMMY Bank's achievement is 58.28% of target given by DFS, M.O.F, Govt. of India. As against target of Rs.3,550 crore, the Bank achieved Rs.2,069 crore under fresh disbursements as of March 31, 2019.

**Initiatives :**

- ❖ Updated Master Circular on classification of MSME advances was made available for the field functionaries in the bank's intranet site for ready reference.
- ❖ Bank has on boarded on psbloansin59minutes portal. During the FY 2019, 2,200 accounts with total amount of Rs.485 crore were sanctioned under psbloansin59minutes.


Way Forward:

Thrust is on Micro Enterprises for achieving target set by Reserve Bank of India and Prime Minister's Task Force (PMTF). To achieve this target, our thrust is on extending finance under MUDRA Scheme, Stand Up India Scheme, loans under KVIC/ PMEGP Scheme and Cent Weaver Mudra Scheme.

RETAIL CREDIT

Total outstanding under Retail Lending Schemes was Rs.48,666 crore as on 31.03.2019. The Retail portfolio of the Bank is 29.01 % of its total advances. Retail grew by 1.13% over previous year.

	31-03-2015	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019
RETAIL CREDIT	34939	38505	32008	48123	48666
TOTAL CREDIT	194967	190152	153008	177484	167729
RETAIL TO TOTAL CREDIT (%)	17.92%	20.25%	20.92%	27.11%	29.01%

**PRODUCTS and SERVICES:**

1. The Bank has a number of schematic products on offer to general public catering to the distinctive requirements of the potential customers with clear differentiation. Bank offer all these schemes for general public catering to the distinctive requirements of the potential customers with clear differentiation. These products are directed towards different groups and for specified niche segments.
2. In order to enhance the asset quality of Retail products, certain changes were made in the schemes like Housing, Vehicle, Mortgage, Trade and Personal loan during the FY 2018-19.
3. For Risk mitigation the Bank revisited Retail loan products and made necessary changes during the FY 2018-2019.
 - Discontinuation of Cent Mortgage (OD) Scheme -Due to spurt increase in NPA however in respect of the existing OD accounts review/renewal/enhancement will continue based on Merit.
 - Education loan Upto Rs.7.50 lakh to be compulsorily opened under NCGTC scheme.
4. Centralised Credit Processing Centres (CCPCs) achieved performance Index of 40.05 % during the FY 2018-19. Total 12476 accounts were sanctioned amounting to Rs.3,342.67 crore. Total 9,079 Housing loan accounts were sanctioned amounting to Rs.2,373.15 crore. More than 58% of all Housing Loans and more than 40% of Mortgage / Cent Trade / Education Loans were processed at CCPCs. All Retail products are processed through CLASS Module only.



5. New Retail Loans sanctioned during the year were 1.54 lakh accounts amounting to Rs.9689 crore. In FY 2018-19, average number of accounts opened per month by Retail branches is 2.78 with average Ticket Size of Rs.6.28 lakh.

6. Way Forward-

We are targeting 13.04% growth in our Retail asset portfolio for FY 2019-2020. Retail credit to total advance is targeted at around 30% by the end of FY 2019-20. To give boost to Retail credit, the Bank has planned scheme specific strategies with focus on Mortgaged based loans with low Risk Weight, i.e. Housing Loans with LTV ratio < 80 % especially under PMAY segment, Gold Loan, and personal loan to salary & pension account holder. The Bank envisages Housing Loans to constitute more than 50% of the Retail Portfolio.

For Growth of Retail Banking, the Bank has framed many strategies which include-

- ❖ Product Portfolio Rationalized: We have rationalized our retail product portfolio by reducing total retail loan products to 12 from extant 33 products. The products having overlapping features were consolidated. The products having low volume, low demand and obsolete were closed. The product rationalization was geared to bring them in line with current market demands, with a view to increase customer responsiveness, better standardization and enhance product knowledge of field functionaries.
- ❖ Change in focus from Asset Coverage to Cash Flow particularly in Cent Trade, Cent Mortgage schemes etc.
- ❖ Revamping of CCPC: end to end ownership from inspection to documentations & disbursal at CCPC.
- ❖ Marketing Vertical at ROs to Support Loan Origination.
- ❖ Revamping of CLASS: New platform with mobility & added features of digital verification of KYC, credit score, GSTN, ITR, online tracking of customer's loan applications etc.
- ❖ Reduction in Turn Around Time.
- ❖ Reduction in customer complaints.

INTERNATIONAL DIVISION

- ❖ Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 71 Authorized Dealer ("B" category) Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational efficiency.
- ❖ As on 31.03.2019, the Export Credit portfolio of the Bank reduced to Rs.5,314 crore from Rs.5,694 crore as on 31.03.2018.
- ❖ Merchant trade foreign exchange turnover was Rs.42,995 crore in FY 2018-19 as against Rs.42,332 crore in FY 2017-18.
- ❖ NRE Deposits increased from Rs.4,764 crore as on 31.03.2018 to Rs.4,941 crore as on 31.3.2019; an increase of 3.72% over the previous year.
- ❖ FCNR Deposits increased from USD 220.83 million as on 31.3.2018 to USD 226.73 million as on 31.03.2019; an increase of 2.67% over the previous year.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

- ❖ The investment portfolio of the Bank has increased to Rs.1,29,219 crore (including Non-SLR, Non-Transferable Govt of India Recapitalisation Bond Rs.11,427 crore) as on 31st March, 2019 as against Rs.1,05,295 crore as on 31st March, 2018 thereby recording an increase of 22.72% over the previous year. The ten year benchmark yield closed at 7.35% as on 31st March 2019 vis-à-vis 7.40% as on 31.03.2018
- ❖ During the year RBI increased the Repo rates by 0.25 % twice in June and August 2018 and reduced by 0.25% in February 2019 effectively bringing the rate to 6.25% and also narrowed the policy rate corridor from 0.50% to 0.25%. Thus the Bank rate stood raised to 6.50%.
- ❖ The Repo borrowing limit remained unchanged at 0.25% of NDTL and term repo to 0.75 % of NDTL, along with discretionary variable term repo and reverse repo over and above the 1% NDTL, aiming to keep the rates closer to repo rate. Banks are required to bid in the auction to borrow in term LAF.



- ❖ In the volatile market and critical liquidity management situations, treasury recorded trading profit of Rs.215 crore as compared to previous year trading profit of Rs.576 crore. The yield on investment (excluding trading profit) increased from 7.07% during 2017-18 to 7.15% during 2018-19.
- ❖ In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on shifting of securities, the Bank has transferred Central and State Govt. securities amounting to Rs.11950 crore from AFS to HTM and Rs.14541 crore from HTM to AFS during 2018-19.
- ❖ The composition of investment portfolio of the Bank as on 31st March 2019 is as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Composition	31.03.2019	31.03.2018
1.	SLR	96206.03	81613.25
2.	Non-SLR	33013.28	23681.44
	TOTAL	129219.31	105294.69

RISK MANAGEMENT

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

Risk Management Structure

- ❖ At operational level, various Committees like Asset Liability Management Committee (ALCO) for Market Risk, Credit Risk Management Committee (CRMC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORCO) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team.
- ❖ These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the levels of risks under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.
- ❖ The Bank has identified officers in the rank of Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Zonal/Regional Offices. The Risk Managers act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Zonal/Regional Level. The Bank has also identified officers at the senior levels in various functional departments of Central Office to act as 'Nodal Officers' to look into various aspects of control & management of risk in the Bank.

Market Risk Management

- ❖ The Mid Office reviews the market position, funding patterns and ensures compliance in terms of exposure, duration, counter party limits and various sensitive parameters and the reports are presented at regular intervals to the top management.
- ❖ The tools such as VaR and Duration analysis are used on an ongoing basis to measure and manage the risk to Bank's Profit in the short run and equity value in the long run.
- ❖ A model to estimate Capital charge on trading portfolio on ongoing basis is developed and being implemented as per the Basel III guidelines on the Market Risk.
- ❖ The Bank has Board approved Market Risk Management Policy to monitor the market risk in the portfolio. Counter party limits for Treasury operation have been fixed / reviewed as per the latest standing of the counterparties.

Credit Risk Management

- ❖ Bank has a well-documented Integrated Risk Management Policy, which was last reviewed by the Board on 25/02/2019.
- ❖ The Bank has procured the Rating Module from CRISIL Ltd.
- ❖ The Bank has also developed Rating Models (score card) for grading retail loans, and same is in use.



- ❖ The developments in credit risk management are being reported and monitored by the Credit Risk Management Committee headed by the MD & CEO.
- ❖ As preparedness for moving to advanced approaches, bank is in the process of developing models for calculating PD, EAD & LGD for both Corporate & Retail portfolio.

Operational Risk Management

- ❖ The Operational Risk Management in the Bank is guided by a well laid down Operational Risk Management Policy.
- ❖ Operational Risk Management Committee (ORCO) reviews the risk profile of the Bank on quarterly intervals and the oversight by the Board of Directors strengthens the qualitative aspects related to Operational Risk.
- ❖ Bank is developing models and building up qualitative and quantitative information for applying to RBI towards graduating to Advanced Measurement Approach. New Product Approval Policy Framework guides the Bank in mitigating the risks associated with new products or activities.
- ❖ The fraud risk management in the Bank is guided by Fraud Risk Management Policy. The Bank mitigates its fraud risk through fraud sensitization programmes conducted at field level and training centers.
- ❖ Bank is in the process of implementation of Enterprise Wide Fraud Detection, Monitoring and Prevention solution (EFRMS) which will monitor suspicious pattern across transactions, events, users, accounts and systems in real time/near real time.

Capital Planning

Bank has a robust ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in place. Bank has framed its risk appetite framework and intends to maintain capital ratios over and above the minimum requirements as per Basel III norms. Review of the capital vis a vis the estimates are undertaken on a quarterly basis.

Asset & Liability Management Systems

- ❖ ALM mainly deals with measuring and managing the liquidity and Interest rate risk of the bank with an objective of profit maximization. ALCO (Asset & Liability Committee) met 20 times during the year to review the position of the bank with regard to liquidity and other related matters.
- ❖ Besides regulatory reporting, ALM is also engaged in Interest determination on Deposits as well as Base rate and MCLR fixation. During the year 2018-19, revision was made three (03) times in deposit interest rates, Base rate was reviewed four (04) times and MCLR was reviewed Twelve (12) times.
- ❖ In terms of new RBI guidelines Bank has started calculating LCR (Liquidity Coverage Ratio) effective from 1st Jan'2015 on a monthly basis & the ratio is well above the threshold limit (i.e. 100% for 2019) fixed by RBI. The average LCR for FY 2018-19 is 279.83 (Audted).

Implementation of Basel III Guidelines

- ❖ Reserve Bank of India has issued updated master circular on implementation of the New Capital Adequacy Framework in July 2015. As per the guidelines, the Bank has adopted Basel III norms and provided capital as per Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration method for Market Risk.
- ❖ Bank is in the process of implementation of IRMS (Integrated Risk Management Solution) for moving to Advanced Approaches.
- ❖ All necessary policies such as Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Market Discipline and Disclosures Policy, ICAAP etc are in place duly approved by the Board.
- ❖ Bank is undertaking the necessary steps to graduate to IRB (Internal Rating Based) Approach.

STRATEGY TO IMPROVE CAPITAL ADEQUACY

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 9.50% and overall CRAR of 11.50% by March 31, 2020. The Bank will be requiring capital to meet the prescribed capital adequacy ratio (CRAR) on ongoing basis. Following steps are being taken by the Bank to improve Capital Adequacy norms:



- I. The Bank has intends to raise equity capital upto Rs. 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore Only) through various modes such as Follow-on-Public Issue, Rights Issue, Private Placement including Qualified Institutions Placements, etc. subject to approval of Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities and in accordance with all applicable regulations including the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.
- II. Bank has consciously brought down the Credit Risk RWA/Total Advances Ratio from 80.34% in March 2018 to 71.91% in March 2019. Bank is making efforts to reduce the RWA by undertaking a number of capital optimization measures.
 - i. Bank has shifted its focus from corporate lending to RAM (Retail, Agriculture and MSME). Our corporate loan portfolio has reduced from 37% in March 2018 to 31% in March 2019.
 - ii. With regards to corporate loan book, bank is taking necessary steps to reduce the exposure to BB and below rated borrowers as these attract higher risk weights. As a result of this, bank's exposure to BB and below rate accounts has reduced from 44% of total corporate advances in March 2018 to 34% in March 2019.
 - iii. In the retail segment, the Bank is focusing on low RWA by increasing its exposure in housing loan, gold loan, education loan, CGTMSE guaranteed loans etc.
 - iv. Through focused approach towards resolution of NPA accounts, the Bank shall be ensuring substantial recovery and upgradation of NPAs to Performing Assets which will entail in write back of provisions thereby improving the Tier 1 Capital.
 - v. The focus in the Financial Year 2019-20 will be to book quality advances and investments to increase the earnings thereby improving the Tier 1 Capital.

RECOVERY DEPARTMENT

The Bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, Staff Accountability, SARFAESI Act, Appointment of Recovery/Enforcement Agencies, Sale of Assets to ARCs, Wilful Defaulters, One Time Settlement (OTS) Schemes. The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in economy and trends in NPA Resolution/Management. The Bank launched Non Discretionary and Non Discriminatory (NDND) OTS Scheme in Q4.

1. During the year 2018-19, though there was Cash Recovery of Rs.5,718 crore (inclusive of Recovery in written off accounts Rs.557 crore) and Up-gradation of Rs.567 crore aggregating to Rs.6,285 crore, the performance was impacted by fresh accretion of some high value NPA accounts. (27 accounts of Rs.50 crore and above amounting to Rs.3,180 crore).
 - ❖ Gross NPA level has decreased from Rs.38,131 crore as on 31.03.2018 to Rs.32,356 crore as on 31.03.2019 i.e. by Rs.5,775 crore.
 - ❖ Net NPA has decreased from Rs.17,378 crore as on 31.03.2018 to Rs.11,333 crore as on 31.03.2019 i.e. by Rs.6,045 crore.
 - ❖ Gross NPA percentage and Net NPA percentage have decreased from 21.48% to 19.29% and from 11.10% to 7.73% respectively.
 - ❖ Cash Recovery has increased substantially from Rs.2,403 crore in FY 2018 to Rs.5,161 crore in FY 2019 (114.77%).
 - ❖ Cash Recovery in Written off accounts has increased from Rs.410 crore in FY 2018 to Rs.557 crore in FY 2019 (35.85%).
2. 4 One Time Settlement (OTS) schemes were introduced in the FY 2018-19. The schemes had got good response and sizeable number of NPA accounts were settled under the schemes. Total Cash Recovery through OTS in FY 2018-19 was Rs.1,425.66 crore.
3. During the year, Bank sold 6 NPA Accounts to Asset Recovery Companies (ARCs) under Swiss Challenge Method on 100% Cash basis thereby recovering Rs.1,405.55 crore resulting in reduction in NPA to the extent of Rs.3,618 crore and write back of provisions of Rs.540.66 crore.
4. Recovery in NPA accounts was major thrust area for the year 2018-19. The movement of NPA is being monitored closely by our executives on daily basis. The recovery in NPA accounts through legal actions and action under



SARFAESI are being reviewed during review meetings on regular basis and video conferences are being held with RMs and ZMs on monthly basis.

5. All NPA accounts above Rs.5.00 crore are discussed with the field functionaries. Necessary guidelines are issued accordingly. Recovery action is initiated by Regional Managers, Zonal Managers in the accounts. Progress made in the NPA accounts were reviewed in video conferences held on monthly basis. The Accounts are assigned to Zonal Coordinators at Central Office for regular follow up.
6. Recovery Camps are being organized every day. In such camps, recovery in written off accounts is also a part of this Recovery Drive.
7. Asset Recovery Branches (ARBs) are being closely monitored to improve the Recovery performance.
8. National Lok Adalat at District level being organized on quarterly basis with active participation of ROs/ZOs and Law Officer.

Strategy for NPA Management

NPA management is the core focus area of the Bank. Our thrust will be on reduction of NPAs through Cash Recovery, Upgradation, Compromise Settlement and other recovery measures as under:

- ❖ To reduce NPA level, Bank has introduced, New Non-Discretionary/Non-Discriminatory (NDND) Special OTS Scheme 2019-20 for DA1, DA2, DA3, Loss accounts & PWO/TWO A/Cs with outstanding up to Rs.10 Crore.
- ❖ Focus shall also be on Net Present Value (NPV) based OTS Approach covering all NPA Accounts.
- ❖ Sale of NPA accounts to ARCs under Swiss Challenge Method
- ❖ Resolution through NCLT/ IBC 2016.
- ❖ Restructuring of debts where the units are commercially viable.
- ❖ Targeting 50% reduction in NPA A/cs during this Financial Year.
- ❖ Emphasis on Recovery in Written off Accounts.
- ❖ Suitable Action against the Wilful Defaulters/ Non Co-operative Borrowers
- ❖ Speeding up recovery process through DRTs in time-bound manner
- ❖ NPA Sectoral/Portfolio review at regular intervals.

BANCASSURANCE

Insurance services are provided by our Bank under Corporate Agency of Life Insurance Corporation of India (LIC) for life insurance and Chola MS General Insurance Company for non-life insurance products.

The performance highlights for the year ended on 31.03.2019:

- ❖ Bank canvassed 20883 policies with premium of Rs.176 crore in Life Insurance Business.
- ❖ Under General Insurance business, Bank mobilized 1,86,065 policies with premium collection of Rs.74 crore.
- ❖ Total earning from Bancassurance business was Rs.20.61 crore.
- ❖ With increase in number of Specified Persons (SP) by 140 during the year, the Bank now has 1,561 Specified Persons to carry Bancassurance Business.
- ❖ The Bank added 4 new Insurance Partners under Open Architecture Scheme of IRDAI this year. Now, Bank has tie up arrangements with following Insurance Partners for Bancassurance Business:

Sr. No.	Name of the Insurance Company	Category
1	Life Insurance Corporation of India Ltd.	Life Insurance
2	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	Life Insurance
3	The New India Assurance Co. Ltd.	General Insurance
4	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	General Insurance
5	Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd.	Standalone Health Insurance



DEPOSITORY SERVICES

Bank is a Depository Participant with arrangement with Central Depository Services Limited (CDSL). All the operations are centralized and the services are offered through the nodal branch, Capital Market Services Branch located at Fort, Mumbai. The branches in major centres facilitate opening of the accounts, pledge of shares and dematerialization of physical securities. Bank is having around 28585 Demat account holders.

Capital Market Services Branch in Mumbai offers capital market facilities such as ASBA, Demat, Clearing Bank, Payment of Dividend Warrants and Credit/Guarantee facilities to Brokers etc. and is the controlling branch for Demat and ASBA.

INFORMATION TECHNOLOGY

1. CORE BANKING SOLUTION

- ❖ The Bank achieved 100% coverage of branches under Core Banking Solution (CBS) in December'2010.
- ❖ The Bank has put in place a state-of-the-art IT infrastructure and has automated the business processes to ensure operational efficiency and promptness of the services to the customers.
- ❖ Updation/ augmentation of existing computing resources viz. hardware, networking, software, security and other associated requirements are in process in tune with future business projections and other statutory and security obligations.
- ❖ Bank has setup a Disaster Recovery Centre and is conducting regular DR Drills as per regulatory guidelines in line with Bank's policy.
- ❖ Policies and Procedures have been put in place and adhered to safeguard the interest of the Bank and the customers.
- ❖ Bank has implemented Near Site to ensure Business continuity with Zero Data loss.
- ❖ New functionalities are being implemented in CBS as per requirements on an on-going basis.
- ❖ Bank is in the process to implement Data Archival of CBS for storage and performance optimization.

2. NETWORK & CONNECTIVITY

- ❖ Bank's Corporate Network covers 4732 locations consisting of branches, extension counters, ARBs and administrative offices.
- ❖ Bank has also tied up with multiple service providers for procurement of 2 Mbps Wired/ Wireless/ RF/ VSAT links either as primary or as backup depending upon the feasibility and requirements.
- ❖ Bank has upgraded almost all the primary links to 2Mbps and above. The backup links at 78% of the total locations have been upgraded to 512 kbps and above, which includes 500+ BSNL VSATs, 500+ Airtel VSATs and 300+ Hughes VSATs.
- ❖ Bank is in the process to procure BSNL LL/ 2 Mbps RF/ 3G/ 4G to provide higher bandwidth backup link at the remaining 22% locations and replace the existing backup VSATs,
- ❖ Constant monitoring and controls are introduced for maintaining almost 100% uptime during branch working hours.
- ❖ Bank has procured and installed/ commissioned new generation firewall, Web Application firewall at DC & DR to enhance the security. Bank has also procured firewall for third party locations and is in the process to install/ commission the same.
- ❖ To enhance the state of art network infrastructure Bank has procured Top of Rack (ToR) switches, Server load balancer, Network Behaviour Analysis tool at DC & DR.

ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

3. INTERNET BANKING

- ❖ The Internet Banking (INB) facility of the bank provides various online services to our Corporate and Retail customers. The website uses SSL certificate with extended validation (EV) and TLS 1.2 protocol for enhanced security.



❖ New facilities added during 2018-19:

1. INB is now available in 7 languages including: English, Hindi, Marathi, Punjabi, Gujarati, Bengali and Kannada.
2. Using INB, customers can now register for NPCI E-Mandate and set automatic regular payments.
3. Customers were required to use their CIF number as their user ID for INB previously. A new facility has been provided to the customers to set their preferred User ID for INB instead of CIF number.
4. Second factor of authentication has been introduced for online password generation for enhanced customer security.

❖ Internet Banking facility offers a wide range of products and facilities which include online password generation for Retail & Corporate customers, Introduction of multiple 2FA (OTP, GRID, & Digital Signature) options for customers to make transactions using their choice and convenience. Funds transfer, online Tax credit view, Utility bill payments, Online Tax payment for various Govt., Airlines/ Movie ticketing, shopping, temple donations, Prime Minister's National Relief fund donations, Fees collection for various Institutions/ Universities, Govt. e-payments/ receipts, customized account statements in addition to regular statement of account, Online time deposits including NRE/ NRO deposit creation. Online sovereign Gold Bond request through INB, Facility of Card management through INB to enable, disable and control limits for cards,

❖ Separate group has been created for corporate users to enjoy facility of tax payment. Additional facility of view only Admin launched for enquiry and support purpose, CBTD module has been revamped to facilitate high volume Tax collection through INB, Integration with Rajasthan Payment portal for online tax collection. Integration with Bihar State Treasury Portal (CTMIS) for collection of taxes through INB

❖ Revamping of IMPS setup with extension of facility to Branches.

❖ IRCTC ticket booking, e-Freight for on-line Railway Freight booking by corporate customers etc. RTGS/ NEFT facility is also available through Internet Banking and NEFT functionality is currently available 24*7 through INB including Bulk upload for Corporate (Non personal) INB customers. The facility of a light weight payment page has been introduced to facilitate faster online transaction processing. Additional facility of customized statement of account for corporate customers is available. Corporate customers can choose various options while availing Internet Banking as per the requirement of customers

❖ Bank has deployed entirely new module through Payment aggregator, for tax collection for Odisha State Government, Bihar State Government and Prime Minister National Relief Fund where customers of more than 40 banks can pay taxes. Bank has also implemented payment systems for Ministry of Civil Services, Food and other e-PAO's.

❖ Corporate customers can now be offered INB with view only, INB with tax & Utility Bill payment only facility in line with the facility already available for personal INB customers.

4. INTERFACES

❖ Our Bank is integrated with PFMS (Public fund management system) for processing of the Government Payments. This system is used to process MGNREGA DBT payments for two States of Madhya Pradesh and Maharashtra, where our Bank is the sponsor Bank for the scheme.

❖ New interfaces have been developed for the following projects:

- PM KISAN Yojna has been implemented through PFMS where our Bank is acting as the Sponsor Bank for 2 States of Madhya Pradesh (MP) and Maharashtra.
- Customisable module for Fee collection using web services for real-time fetching of fee details and updation after successful collection at Branches. This module can be configured to add new institutions at short notice by providing generic APIs for institutions to consume and start fee collection.
- Department of Social Justice (DoSJ), Madhya Pradesh pension processing on single click - this is project of MP Government provides pension in one go to 40 Lakh beneficiaries.
- Dept. of Social Justice Haryana pension processing - This project is aimed at crediting beneficiaries of our Bank through a single file upload.



- Dept. of Gram Panchayat (DoGP) Madhya Pradesh - A facility to upload digitally signed files in Bank's system for straight through processing has been provided to DoGP. Additionally the functionality also generates account statements daily and updates the DoGP setup.
- Rajasthan Payment Portal (RPP) - A facility to upload digitally signed files in Bank's system for straight through processing has been provided to RPP.
- Sharing of account statements for FCRA accounts held with our Bank is being provided to Ministry of external affairs.
- EVC using Bank account - The facility of Electronic verification (EVC) of Income Tax return filing using account number of the customer has been developed.

5. E-STATEMENT THROUGH E-MAIL

- ❖ A setup to send digitally signed account statement through e-mail to our Bank customers has been implemented. The facility also provides for signing and dispatching documents automatically to customer e-mail IDs.

6. M-PASSBOOK

- ❖ Mobile based M-Passbook for customers has been highly rated by our customers in Google play store.

7. SMA-NPA TRACKER

- ❖ SMA-NPA Tracker solution has been implemented in our Bank facilitating the field functionaries to ensure better monitoring of loan portfolio and tracking their conduct of account on regular basis. The solution is deployed on centralized server and can be accessed from Mobile Apps, browser of desktop/ laptop/ tablets and phones. This product has been awarded as innovative product by Finnoviti-2019 and IBA Awards- 2019.

8. BHARAT BILL PAYMENT SYSTEM (BBPS)

This is a new initiative by NPCI to address the concerns of Bill payment business. Our Bank has got regulatory licence to participate as an operating Unit under this initiative and same is under implementation. The BBPS website has been launched successfully and the product shall be offered through INB and Mobile Banking shortly.

9. SMS BANKING/ ALERTS

SMS banking setup provides account information to the customers with real-time alerts on business transactions carried out by them. Informational SMS alerts are also sent for maintaining control and monitoring by Branch Managers and higher officials to enable them to monitor critical activities of branches for better housekeeping and maintenance of accounts including monitoring of NPA.

10. MISSED CALL ALERTS

- ❖ This facility is available to our CASA customers, whereby customers receive SMS regarding balance and last three transactions free of cost by giving missed call to 9555244442 and 9555144441 respectively. Bank has received appreciation from Indian Banks' Association for this customer initiative.
- ❖ The facility has been upgraded to provide account balances and mini-statement for multiple accounts of the same customer.

11. APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA)

- ❖ Securities and Exchange Board of India has streamlined the existing process of Initial Public offer of shares by companies and introduced a supplementary process called as Application supported by Blocked amount (ASBA). We offer ASBA facility to all our customers by which an investor can subscribe to public issues (IPO) through the Bank by authorizing the Bank to block the application from his/her Bank account and thereafter remit the allotment amount. The facility is also extended to syndicate ASBA and e-IPO.

12. MOBILE BANKING

- ❖ Cent Mobile is a Mobile Banking Application of the Bank. Users can access most of the banking services anywhere anytime through mobile device. Cent Mobile is available for Android, Apple (iOS), and Blackberry platforms. It can be downloaded from respective Play Store/ App Store. Pre login options are accessible to all. Post login options can be accessed by customers of Central Bank of India after completing one time registration process.



✦ The functionalities available through Cent Mobile application are as follows:-

Pre Login Options

- Contact details of Central Office/ Zonal/ Regional Offices/ Branches including- office address, phone number, email address, MICR Code, Pin Code, IFSC Code.
- Branch and ATM Locations - mobile handset GPS based list of nearby ATMs or Branches. State, District, Centre or Pin code based pan India search option is also available.
- Map showing distance/ driving directions for ATM/ Branch/ Admin Offices.
- Touch dial to display phone numbers of Branches/ Admin Offices/ Call Centre.
- Link for Corporate website, Official social media pages (Facebook, Twitter), email address.
- Information banners related to products and services of Bank with zoom option.
- Interest rates on Savings and Time Deposit for different maturity periods.
- Interest rates on selected Retail Loan Schemes.
- Touch dial to Missed Call service of Bank for getting Account Balance or last few transactions over SMS (available to Customers registered for this service).
- Real time Notifications/ Alerts regarding new launch/ offers/ modification in schemes etc.
- Search FAQ content based on key words.

Post Login Options

- **Account Related Features:** Account Balance Enquiry, Account Details, Mini Statement, Fund transfer to accounts with Central Bank of India, Fund transfer to other bank accounts through NEFT, Fund transfer to other banks through IMPS, Donation to selected Institutions and Open New Time Deposit Account (RDS, FDR and MMDC Accounts).
- **Requests:** Card Blocking, Request for Cheque Book, Request for Stop Payment, Request to Revoke Stop Payment, Cheque Status Enquiry, Registration for getting Account Statement over Email and NEFT / IMPS Status Enquiry.
- Option to submit feedback/ suggestion/rating for Cent Mobile Application.
- **Bill Payment services:** Utility Bill payment, Mobile/ DTH Recharge.
- **Credit Card Services :** Central Bank Card related information such as Available Limit, Billed Amount, Unbilled Amount, Last bill summary, Card Statement, Reward Points, Central Card contact details and Central Card Bill payment and Request for Credit Card Blocking.

Card Control Features

Card Control features has been introduced in Internet Banking, Mobile Banking and CBS for enabling customers to perform the following functions related to Debit card:

i) Debit Card Control

- Debit Card Control module introduced in Mobile Banking app enabling customers to perform the following functions through mobile banking related to Debit card:
- Temporary suspension of Debit cards.
- Re-activation of suspended Debit cards
- Setting of ATM Cash withdrawal and E-Com/POS purchase per day limits of Debit Card for Domestic and International transactions.

ii) Credit card Control

- Credit card Control module incorporated in Cent Mobile application containing the following features:-
- Viewing of credit cards
- Temporary suspension of domestic and International credit cards
- Re-activation of suspended domestic & international credit cards
- Setting the E-com and POS monthly transaction limit for Domestic and International credit cards



New features introduced in Mobile Banking application

- Sending OTP through email in addition to SMS on mobile for fund transfer.
- New application design with enhanced User interface and look and feel
 - ❖ Multi lingual option provided
 - ❖ UPI option provided through Mobile Banking
 - ❖ launching of new light weight application with limited functionality
 - ❖ Cent BOT- On line conversational chat assistant
 - ❖ Bharat Bill Payment System (BBPS)

13. KIOSK BANKING:

Bank has installed 254 self-service kiosk machines with facilities viz. cash deposit, balance enquiry and 407 Multi-function Kiosks with facilities viz. cash deposit, balance enquiry, mini statement, passbook printing, Cheque deposit and Internet Banking.

14. UNIFIED PAYMENT INTERFACE (UPI)

BHIM Cent UPI, the Unified Payment application (UPI) of the Bank is available on Play Store for Android and iOS with the following features:-

1. Send Money using
 - a. Virtual Payment Address(VPA),
 - b. Account Number and IFSC
 - c. Mobile number and MMID
 - d. Aadhaar Number
 - e. QR Code
2. Collect Money by sending collect request
3. Creation of Payment address for Bank Accounts
4. Manage Payee
5. Balance enquiry
6. Transaction history
7. Know Transaction status
8. Raise Complaints
9. Generate / Change MPIN
10. Notification for collect request
11. Approval Of collect Request
12. Auto detection of OTP
13. Resending of OTP
14. Hindi Language option for UPI application
15. BHARAT QR to scan and Pay through UPI
16. VPA block option to users for specified period

New features introduced in Unified Payment Interface

- UPI 1.5 - ATM PIN as an additional factor of authentication
- Integration of Bharat QR for merchant Payment using UPI
- UPI 2.0 Issuer certification completed. Which enable following features to customer.



- ❖ One time mandate creation, Revoke and execution with ASBA functionality.
- ❖ Foreign Inward Remittance.
- ❖ Access Over-Draft (OD) account as an underline account in UPI
- Implemented mandatory security controls recommended by NPCI
- Restricting Aadhaar based transactions through UPI
- Restricting UPI transactions with in the same account

15. BHIM Incentive Scheme

Government of India launched incentive schemes i.e. a) Referral Bonus schemes for Individuals b) Cash back scheme for merchants for promoting the usage of digital payments through BHIM UPI is implemented in the bank.

OTHER PROJECTS

16. WEB SITE:

- ❖ Sensing the need of customers, look and feel of the website is undergoing constant change. Website provides apply online facility for Deposit Accounts and availability of Lockers at Branches etc.
- ❖ Online submission of application for MSME loan through the website.
- ❖ Grievance can be logged by the customer and can check the status.
- ❖ Bank has taken all measures to ensure security on Internet Banking and Bank's official website. Security Audit is done on quarterly basis.
- ❖ Utility bill Payment link on the website through Cent Smart pay.
- ❖ Various central/ State tax payment links available on the website for convenience of the customer.
- ❖ Security tips for the customers (a video presentation)
- ❖ Various discount offers advertisements for the customers
- ❖ Link is provided for National Pension Scheme
- ❖ Various videos are uploaded to update the customers for the procedure for e-transactions.

17. RBI PAYMENT GATEWAY SYSTEMS

- ❖ NEFT & RTGS are under Straight through Processing (STP) in our Bank.
- ❖ Bulk NEFT facility is available to branches to remit funds to multiple beneficiaries at a time.
- ❖ NEFT bulk upload through Cheque mode is also provided to Arera Hill Branch (3312) Bhopal for their customer viz. Government treasury A/C.
- ❖ RTGS/ NEFT facility is also available through Internet Banking System for Retail and Corporate Customers. 3 RRBs have also been provided NEFT facility through our Bank's Payment Gateway. Additionally, bank has extended NEFT facility to 40 District Co-operative Banks of Madhya Pradesh under Sub-membership arrangement.
- ❖ Next Generation RTGS (NG-RTGS) is functional in our Bank since its launch by RBI.
- ❖ Next Generation RTGS (NG-RTGS) facility had been extended to 39 sub-members Co-operative banks of Madhya Pradesh.
- ❖ Facility of Collection of funds on basis of Virtual account number has been provided to DDA, Allen Career institute, India Trade Promotion Organization (ITPO), Sai Baba Central School and North Maharashtra University (NMU).

18. CHEQUE TRUNCATION SYSTEM (CTS)

As per RBI guidelines, Cheque Truncation System (CTS) has been successfully implemented at:

- ❖ 211 identified Centers for CTS in Southern Grid
- ❖ 155 identified Centers for CTS in Northern Grid
- ❖ 161 identified Centres in Western Grid



19. CALL CENTRE

- ❖ Bank has established a Call Centre since July 6, 2011 and is functioning smoothly.
- ❖ Presently the Call Centre is offering various services like Information on Bank's products and services, Information on Branch/ ATM Location, Information on Interest Rates and Services Charges, Balance Enquiry, Transaction Enquiry, Enquiry on Cheque Number, Debit Card Hot-listing, Stop Payment of Cheque, Enquiry on Interest Earned / Interest Paid, TDS Enquiry, Transaction Details, Status of Cheque issued or deposited, CD/CC/OD limit and Interest enquiry, Recording of grievances and feeding it in Bank's Customer Grievances system for its redressal at an appropriate level. Bank has implemented CRM at Call Centre.
- ❖ For convenience of the customers IVR system has been implemented at Call Centre.
- ❖ Taking into account the increased expectation of the customers and to reach out to them in a most effective way, a new Call Centre is established. Bank is making outbound calls to create awareness of products offered and making soft recovery calls to SMA borrowers.
- ❖ For redundancy of lines for outbound calls to customers for feedback/guidance, product awareness etc., two links of different service providers have been installed.
- ❖ Periodical Trainings to Call Centre executives are being provided by various technical / operational teams for instant resolution of various queries raised by the customers.
- ❖ Bank has upgraded to an advanced call centre with more seats and covering more functional areas with New Toll Free Number- 1800221911 with 90 channels.

20. SINGLE DATA REPOSITORY (SDR)

Bank has set up a Single Data Repository which is source to provide information/ reports across the Bank. This will ensure consistency in reporting maintaining single version of truth providing various Dashboards to Top Management thus enhancing the Decision Support System. Static ALM, Dynamic ALM, Fund Transfer pricing, Analytical CRM and Corporate Performance Management (Planning & Budgeting) modules are implemented under SDR Project.

21. ENTERPRISE SERVICE BUS (PAYMENT INTEGRATOR SOLUTION)

Capacity building exercise has been done to avoid delays in payment processes due to queue up and introduced multi thread processing to meet timelines. Bank implemented a payment integrator solution viz. IBM Integration Bus (IIB) for effective functioning of various batch processing functionalities like Electronic Clearing System (NECS), Govt. Payments (GEPG), Pension Processing, and EFMS –Account No. Based, Lien Lifting and Transaction processing (source app ASBA), HRMS Integration for payment of salary and other claims of employees, Integration of Inward SWIFT Message (MT103), Co-operative Bank NEFT, Speed Remittance, NGRTGS, CPSMS – Digital signature validation, PAN validation (at the time of CIF creation in CBS), E- Remittance (Flash Remittance), Integration of Treasury, RTGS for DDA, Aadhar Based EFMS, MNREGA Aadhar Seeding, CTS, CMS with core banking System, IMPS, Unified Payment Interface, Khazana, PMJBY, Welfare scheme of various State Governments etc.

22. HRMS

- ❖ Bank has implemented a State of the Art HRMS solution (CENT SWADARPAN) using Peoplesoft solution of Oracle, covering various functionalities such as Payroll Management, Tour Approval and Claim Processing, Management of LFC, Leave and attendance administration, Employee Information System, Staff Loan Processing, Management of Medical Aid, HRD / Legal Department, Disciplinary Action Division (DAD), Gratuity Management/ Payment, Provident Fund Data Management and Payment, NRW Payment Processing, Allotment of Residential Quarters, Brief case/Newspaper/ Conveyance reimbursement, Reports (Staff Strength, Payroll, Form 16, Leave, Union, Increment Report), Training Management and Manpower Training (MPT), Investment, Promotion Process Request Form, Annual Performance Appraisal Management and related reports, Silver Jubilee Award Reimbursement, Furniture & Fixtures, Transfer of officers, Rent reimbursement facility, VRS, Grievance Management etc. in addition to Manager Self Service, using which approving authorities sanction various claims/ requests of the staff.
- ❖ Bilingual facility is made available in HRMS.
- ❖ Bank has also established a DR set up for HRMS.



23. IN-HOUSE DEVELOPMENT

❖ Bank has a robust in-house Software Development Team which effectively handles software requirements of the Bank thus avoiding outsourcing of software development activities, wherever possible. More than 40 portals have been developed and made live. Many of portals are used for data collection from branches. Major portals which are developed by in-house development team are:

- For staff only—this portal displays the circulars of various departments, manual of instructions, major Policies of the Bank including HR, IT, Information Security, Audit etc.
- MOC Online Reporting—Portal for reporting MOCs issued by auditors in branches.
- Performatrix—Mobile App developed by in-house development team which displays figures of various Business parameters of Branches – Current, last quarter, last FY and previous year. Also shows the growth of digital transactions, Notification regarding accounts which is NPA, SMA etc. which shows the mobile number of the customer so that branch manager can easily contact the customer.
- Portal for BC Commission Calculation - This portal calculates the Business correspondent commission (Financial Inclusion).

❖ Following In-house developments completed:

- Web portal for CMC reporting
- Portal for Fraud Reporting & Monitoring (Closing Returns)
- Portal for BC Commission Calculation
- Performatrix - IOS Version
- Portal for DRC file generation
- RAROC Calculator
- Web portal for CR Request
- Portal for reporting Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) by the Branches

❖ Projects under Development:-

- AEPS Reconciliation
- Portal for SIBC data collection
- Web portal for PMAY
- Portal for Reporting of Surprise visit of Branches by Senior Officials from ZO/ ROs
- Portal for reporting of Branch security details

24. RRBs SPONSORED BY THE BANK:

Bank was sponsoring 3 RRBs with 1632 branches. As per Govt. Notification, one of the RRBs, CMPGB is being merged with another RRB sponsored by Bank of India. Administrative merger has been completed as of April 2019 and technical migration will happen phase by phase taking care of the network challenges. All the branches are under Core Banking solution and efforts have been made to bring up the technology initiatives of RRBs at par with the initiatives undertaken in the Bank. The entire system is revamped to take on the requirement of the bank till August 2020. Renewal has been done envisaging expansion of branches and business growth of the RRBs. At present RRB branch network is primarily on BSNL wherever feasibility is there and remaining branches are functioning with VSAT as primary.

Efforts have been made to implement all technical initiatives of the sponsor Bank and major initiatives are as under:-

- EMV chip based ATM card facility for RRB customers
- SMS alert introduced at RRBs
- Renewal of Biometric Authentication solution for branch CBS users.
- POS facility through Rupay Debit Card
- Comprehensive IS Audit of RRB is completed
- DBTL/ ACH is implemented in all 3 RRBs



- Implementation of Rupay Card transactions through MicroATMs.
- BC OD mapping at BC point
- Implementation of IMPS
- Implementation of Ckyc
- Implementation of E-Commerce
- Renewal of RRBCBS – Appointing of Consultant
- Merger of CMPGB with BOI
- Aadhar Data Vault
- FI integration subsequent to change of Vendor from M/s.Integra to M/s.Atytati Technologies.
- MMS renewal with M/s.Wipro/Zimbra

25. FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES:

- ❖ DBT (Direct Benefit Transfer)- Credits to the accounts of customers who get the subsidy from gas agencies and credits like MNREGA from government to beneficiary accounts were successfully done and our bank stood 1st among all PSBs during March, 2019 in reduction of DBTL returns.
- ❖ FI Terminal ID validation for identification of BC through which transaction happened
- ❖ Aadhaar Authentication menu in CBS with Amend, Delete, Enquiry options
- ❖ Account validation revised format as per the CBDT
- ❖ Front end nomination amend screen requirement in PMJJBY and PMSBY schemes enabled
- ❖ BC supplementary report and storing failed transaction with reason in CBS customized
- ❖ Aadhaar Seeding History for knowing the Aadhaar seeding/linking by maker n checker details with customer accounts was customized in CBS UIDH table
- ❖ Reports for payment of commission to BCs for revised commercial from 01.01. 2019
- ❖ SSA Names with Addition/Deletion/Enquiry option in CBS (Parameter Screen)
- ❖ GIS (Geographical Information System) Data Updation
- ❖ SHG Dual Authentication at BC point implemented
- ❖ Business conversion from old BC to new BC done
- ❖ Enrollment of PMJJBY & PMSBY @ BC point enabled
- ❖ Failure Transactions storing in CBS enabled
- ❖ APY Pension amount upgrade n downgrade facility in branches enabled
- ❖ Enrollment of APY, PMJJBY & PMSBY facility under SSS (Social Security Schemes) in PMJDY OD ACCTS allowed
- ❖ Blocking of Financial transactions in NRE Accounts was done.

26. IT GOVERNANCE

The necessary structure for IT Governance has been set up with the formation of IT Strategy and Risk Management Committees in the Bank.

- ❖ IT Policy Version 1.5 was approved and adopted by the Board. The IT organizational structure commensurate with the size, scale and nature of business activities carried out by the Bank and the underlying support provided by information systems for the business functions. The broad areas or functions considered for IT organizational structure include 'Technology and Development', 'IT operations', 'IT assurance', and 'Supplier and Resource Management'. IT Department is headed by a Top Executive in the Rank of Dy. General Manager supported by Asstt. General Managers. Each functional vertical of IT department is headed by suitably experienced and trained senior officials.



- ❖ The Bank has also adopted Patch Management Policy, Acceptable Use Policy, Anti-Piracy Policy, Electronic Gadget & IT H/W Policy, H/W Disposal Policy, Data Migration Policy for better Management.
- ❖ Preparation and submission of Balance Scorecard is carried out on regular basis and Performance rating under various parameters of IT projects is being done as per the advice of IT Strategy committee.

27. INFORMATION SECURITY.

- ❖ Bank's Data Centre (DC) and Disaster Recovery Centre (DRC) are certified for ISO 27001:2013 ISMS standards and ISO 22301:2012 BCMS standards.
- ❖ Measuring the effectiveness of various information security controls/ activities on quarterly basis through the concept of Information Security Balanced Score Card.
- ❖ Regular participation in Cyber Drills conducted by IDRBT.
- ❖ Privilege Identity Management (PIM) solution has been implemented to manage the activities of privileged users of various systems in the Bank.
- ❖ Security awareness initiatives for customers as well as staff on regular basis.
- ❖ Ensured necessary steps for strengthening the cyber security posture of the bank in line with industry best practices and RBI guidelines on "Cyber Security Framework for Banks".
- ❖ Cyber Security Operation Centre (C-SOC) on captive basis established.
- ❖ Started implementation of various advanced security solutions.
- ❖ Steps initiated for procuring Cyber insurance policy for Bank.
- ❖ Regular security audit of critical IT infrastructure/applications through third party.

28. BIOMETRIC AUTHENTICATION FOR CBS USERS (STAFF):

- ❖ Bank has enabled 2 Factor Authentication through Biometric Authentication System (BAS) as part of implementation of an additional security measure while login to CBS.
- ❖ All the branches and offices enabled for biometric authentication and all the users with transaction capability have been made mandatory to login on CBS through Biometric Authentication

29. JEEVAN PRAMAAN

Jeevan Pramaan application for Digital Life Certificate Generation for Pensioners has been installed at all the RO/ ZO/ branches of our Bank. Central Govt/ Defense/ State Govt pensioners can be enrolled for Digital Life Certificate from any ZO/ RO/ Branch Location.

30. CENTRALIZED LOAN APPRAISAL SYSTEM AND SUPERVISION (CLASS)

CLASS has been implemented with Monitoring Module for Retail, Agriculture, MSME and Corporate Loans.

- ❖ After the introduction of this system, the enforcement of credit rules for sanctioning of loans has become easy and the procedures have become uniform across the branches.
- ❖ At present, the software is used by all the branches for Loan origination of Retail Loans & CKCC (Agriculture Crop Loan) exclusively from CLASS and not in CBS. A facility for online submission of retail Loan applications under this software is available.
- ❖ Both online and offline loan applications tracking facility is also available through this software over the internet.
- ❖ Newly Launched NSDL Vidyalakshmi Portal for education Loans is already linked with CLASS and Phase II implementation for automation of NSDL Portal is implemented and in use by the branches.
- ❖ This software is capable of displaying RBI defaulters list. NPA module is under testing phase.
- ❖ Consolidated 5 Years renewal of AMC/ ATS of Application, Middleware, Hardware of Licenses is executed with vendors through negotiation & RFP.
- ❖ Many new functionalities are being developed and being implemented as per requirements from the user departments on an ongoing basis.
- ❖ Migrated CLASS Database to Oracle for better performance.



31. SARAL TDS WEB APPLICATION

Centralised e-TDS Management Solution implemented on 06/10/2015, which facilitates monthly IT challan generation for remittance of TDS and filing IT returns.

32. CASH MANAGEMENT SERVICES (CMS)

Cash Management system implemented on 01/01/2015, which facilitates corporate customers to manage liquidity, account balances, payments and other Cash Management functions. The application has two main modules viz. Payments and Collections.

33. ANTI MONEY LAUNDERING (AML)

AMLOCK application implemented on 15/06/2015, which facilitates generation of the mandatory reports (daily/ monthly) like STR, CTR, NTR, CCR and CBWTR, which are being filed with FIU.(Financial Intelligence Unit).

34. MISCELLANEOUS PROJECTS

- ❖ Implementation of Integrated Risk Management System
- ❖ Implementation of Fraud Risk Management System
- ❖ Digitalisation of documents with implementation of Document Management System (DMS).
- ❖ Mail Messaging System & Video Conferencing
- ❖ Review of existing IT related policies
- ❖ Implementation of Digital signature for Corporate INB customers
- ❖ Regularization of usage of licensed products like Microsoft Office
- ❖ Implementation of OTP as a second factor of Authentication for Debit Cards.
- ❖ Wide usage of Video Conferencing facility, which is made available on Bank's corporate network, Internet & iPads
- ❖ All regulatory compliance requirements that came up during the period.
- ❖ Off-site Monitoring - 90 alerts have already been provided to Audit department for Off-site monitoring.

35. SWIFT

- ❖ SWIFT is used for cross-border Transactions only. Forex Branches transact in SWIFT whenever a cross-currency transaction comes. Standard Messaging system where message is sent/ received through SWIFT platform and settlement happens at NOSTRO/ VOSTRO account level. Various Type of SWIFT Messages each for Different purpose.
- ❖ SWIFT is enabled in 72 branches in our Bank as on 31/03/2019 for cross border remittances. SWIFT system can be accessed only from Whitelisted PCs at these 72 branches.
- ❖ Access of SWIFT application can only be taken from whitelisted IPs using 2 factor authentication by Identified Whitelisted Users only.
- ❖ Interface with Trade Finance application established for outgoing messages using IBM Message Queuing.
- ❖ 6 eye principle is implemented for all SWIFT transactions. In addition 8-eye principle is implemented for transaction more than 500000 USD and equivalent currency.
- ❖ SWIFT Alliance version upgraded to mandatory patch SAA7.2 as per SR2018.

36. NEW TRADE FINANCE MODULE (FX-24) WAS IMPLEMENTED ON 03/04/2018 IN PLACE OF EXIM BILLS MODULE.

Salient Features

- Web based solution and hence available to all branches of our bank.
- Complete integration with Export Data Processing Management System (EDPMS) of Reserve Bank of India. Due to this, bank could achieve 76% compliance in EDPMS reporting against the RBI stipulated compliance of 70%.



- Complete integration with Import Data Processing Management System (IDPMS) of Reserve Bank of India.
- Compliance with Master Directions of Reserve Bank of India with regard to Imports and Exports
- Compliance with Customer Information Facility Number (CIF) de-duplication.
- Facility to part discount export bills/part payment of import bills
- Using Cross currency forward contracts in all the modules (Outward remittance, inward remittance, Export and Import transactions).
- All Important reports available in PDF/ Excel format to all users.
- Utilization of combination of ready, forward and card rates in a single transaction.
- Double authorization for financial transactions of Rupee equivalent of 10,00,000 and above.
- Foreign Inward Remittance certificate (FIRC) printing.
- Interest equalization based on 416 permitted HS codes of DGFT/ RBI (both for Preshipment and post shipment),
- Offsite monitoring alerts (16 alerts) are generated and provided to Audit department for monitoring.
- Functionality for advance payment against exports/imports
- Amortization of LC/BG commission was automated. Previously Branch used to calculate and vouch LC/BG commission manually on quarterly basis.
- SWIFT integration completed as per SR 2018 changes.
- LC/BG periodical commission recovery enabled.

Along with the Trade finance module, Bank has also implemented Supply Chain Finance module in Corporate Finance Branch, Chennai for corporate customers.

37. COMPREHENSIVE PENSION PROCESSING SYSTEM (CPPC)

New Pension System has been implemented w. e. f. 27/03/2018. Centralized processing of payments of all types of pension is enabled in the system. Scanning and storage of PPOs has been made available in the system. Benefits for pensioners are as under-

- ❖ Easy capturing of life certificates for the pensioners who can visit any of the branch for the purpose.
- ❖ Integration with Jeevan Praman for smooth submission of life certificates.
- ❖ SMS to pensioners on pension/arrear/DA arrear/commutation/gratuity and other payments.
- ❖ Storage and retrieval of scanned images of PPOs for easy access and safe keeping.
- ❖ Easy and accurate calculation of pension amounts. Facility of processing and payment of family and split pensions.
- ❖ Pension pay slip generation for payments made to pensioners.
- ❖ Pension Payslip by Email implemented.

AUDIT AND INSPECTION

Branches of the Bank are subjected to Risk Based Internal Audit (RBIA) through Internal Auditors and Risk Rating is awarded to each branch as per Composite Risk Matrix. Accordingly out of total 4,659 branches, 4,449 Branches were subjected to RBIA & Branches were rated in FY 2018-19. Overall there were 3106 branches placed under Medium Risk Rating, 1,449 branches with Low Risk Rating, 90 branches with High Risk Rating and 3 branches under Very High Risk as on 31.03.2019. No branch of the Bank is rated under Extremely High Risk category.

During FY 2018-19, 33 Regional Offices, 12 Zonal Offices and 9 Central Office Departments were subjected to Management Audit.

As on 31.03.2019, 819 General Branches/ 23 SSBs/ 9 CCPCs/ 4 CO Departments totaling 855 branches/ departments were covered under Concurrent Audit by the firms of Chartered Accountants/ Bank officials. All 7 Corporate Finance

branches and 5 Exceptionally Large branches are under concurrent audit by Bank's own official of Senior Management Grade. Around 54.57% of total business of the Bank and 64.38% of aggregate advances as of 31.03.2019 are covered under Concurrent Audit. Concurrent Audit assignment was awarded to 843 Chartered Accountant Firms, out of which 412 firms are RBI Category I, 290 are category II, 110 are category III and 31 are RBI Category IV firms.

Bank conducts annual revenue checking exercise from 1st March to 10th March every year through firms of Chartered Accountants, Internal Auditors and other officials to ensure booking of legitimate income in the books of Bank.

In compliance to RBI directives, Legal Audit in 374 eligible accounts has been carried out during 01.04.2018 to 31.12.2018 and re-verification of title deeds was done with relevant authorities.

Bank ensures strict compliance culture at branches through periodic inspections and audits. Bank also conducts Compliance Audit on random basis to ensure correctness of audit compliance submitted by auditee branches. During FY 2018-19, 361 branches were subjected to compliance audit.

Bank is also under Offsite Monitoring system to monitor the transactions at branches, above the threshold limits fixed under various scenarios. Presently alerts are generated on 89 scenarios.


Bank had also conducted special audit of swift messages sent by its AD branches and no irregularity was observed.

Bank also conducts KYC compliance audits in addition to coverage in regular audits.

BRANCH EXPANSION

As on 31st March 2019, Bank has network of 4,659 branches, 3,966 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter. Bank is having pan India presence covering all 29 States, 5 out of 6 Union Territories and NCT Delhi, 574 District Head Quarters and 635 Districts out of 707 districts in the country.

DISTRIBUTION OF BRANCHES



OPERATIONS

- ❖ Bank's expanded modernized Call Center is providing out bound call Facility for promotion of products / reminders to customers regarding overdues in their loan accounts etc. in addition to inbound call facility to resolve the enquiries / complaints of the customers.
- ❖ Online subscription facility for Sovereign Gold Bonds is made available to the customers.
- ❖ New pension software -GBM-Pension Module has been introduced to improve speed, accuracy and security in pension processing system; it will provide SMS to pensioners regarding details of payment and prompt revisionary benefits.
- ❖ As per Road Map for Banking Reforms of GOI, the revised simplified Account opening forms (CIF and AOF - Personal / Individual) have been introduced for the ease of customers.



- ❖ SMSs are being sent to customers prior to debit of clearing Cheques. In case of disputed Cheques, customer to contact Home- Branch or Call Centre on 1800221911.
- ❖ Banking Facility for Senior Citizens and Differently Abled Persons:-
We have walked an extra mile by introducing Door Step Banking Services for physically challenged and Senior Citizens customers. To begin with we are extending following Services at reasonable service charges:-
Pick up of Cash and instrument against receipt for credit to account, Delivery of Cash against withdrawal from the account, Delivery of Demand Drafts, Submission of Know Your Customer (KYC) documents and life certificate at the premises/ residence of such customers, form no 15 H, other Basic Bank Service e.g. delivery of cheque Book. These services will be rendered within the radius from 3 KM area of the Home Branch. Service charges are Rs.50/- per Occasion (plus cash handling charges/ DD Charges and Service Charges/ Taxes applicable).
- ❖ Now Customers can open accounts under Small Saving Schemes like PPF/Senior Citizen Saving Scheme /Sukanya Samriddhi Accounts /KVP in any of the branch of their choice.
- ❖ Complaints of the customers are resolved promptly; disposal time has been reduced to ten days.
- ❖ Task of CKYCR will be done on priority; and we plan to complete in FY 2019-20.

RAJBHASHA

Achievement of Rajbhasha Vibhag during Financial year 2018-19

All India Conference : -

- ❖ A grand “Akhil Bhartiya Rajbhasha Sammelan” was organized by Rajbhasha Vibhag in Bhopal on 24-25 January, 2019.

Inter Bank All India Kavy Path Pratiyogita :-

- ❖ “Inter Bank All India Kavy Path Pratiyogita” was organized by our SPBT College. Around 200 participants of different Banks have participated in this competition.

Inter Bank Hindi Essay Competition :-

- ❖ Rajbhasha Vibhag organized Second Inter Bank Hindi Essay Writing Competition for the first time. Number of Staff of different Banks have participated in this competition.

Our Bank was awarded by various prizes during the financial year 2018-19 :-

State level Prize : -

- ❖ Our Zonal Office Hyderabad was awarded with “First Prize” by Telangana State Level Bankers’ Committee for the best implementation of Official Language Policy of Government of India.

Ministry of Home Affairs prize :-

- ❖ On the occasion of Hindi Diwas on 14th September, 2018 Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Department awarded “Second Prize” of prestigious “Rajbhasha Kirti Puraskar” to Town Official Language Implementation Committee (Bank), Bhopal convened by our Bank.
- ❖ Our Mumbai Zonal Office was awarded “First Prize” under linguistic area “B” and our Panaji Regional Office was awarded “First Prize” under linguistic area “C” by the Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag for the best implementation of Official Language Policy of Government of India.
- ❖ Town Official Language Implementation Committee, Panji, convened by our Bank was awarded “First Prize” by the Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag for the implementation of Official Language Policy of Government of India.

Award given by “Ashirwad Organization” to our Bank :-

Mumbai based well established “Ashirwad Organization” awarded our Bank “Third Prize” for the best implementation of Official Language Policy and our House journal “Centralite” was also awarded with “Second Prize”.

Awards by Town Official Language Implementation Committee:-

- ❖ First Prize to Zonal Office, Kolkata.
- ❖ First Prize to Zonal Office, Patna.



- ❖ First Prize to Zonal Office, Hyderabad.
- ❖ First Prize to Regional Office, Gwalior.
- ❖ First Prize to Regional Office, Aurangabad.
- ❖ First Prize to Regional Office, Surat.
- ❖ First Prize to Regional Office, Kochhi.
- ❖ First Prize to Regional Office, Indore.
- ❖ First Prize to Madgaon Branch,
- ❖ First Prize to Allahabad Main Branch.
- ❖ Second Prize to Regional Office, Sagar.
- ❖ Second Prize to Regional Office, Meerut.
- ❖ Second Prize to Regional Office, Siliguri.
- ❖ Second Prize to Amravati Main Branch.
- ❖ Second Prize to Belgaum Branch.
- ❖ Second Prize to Kurnul Branch.
- ❖ Second Prize to Revpura Branch.
- ❖ Second Prize to Jarganhalli Branch.
- ❖ Third Prize to Regional Office, Bhubaneswar.
- ❖ Special Prize to Zonal Office, Mumbai.
- ❖ Special Prize to Regional Office, Bengaluru.
- ❖ Special Prize to Regional Office, Jaipur.
- ❖ Consolation Prize to Zonal Office, Delhi.
- ❖ Consolation Prize to Regional Office, Vijayawada.
- ❖ Memento and appraisal letter to Regional Office, Jalandhar.

CORPORATE COMMUNICATIONS

It continued to be our endeavor this year to make consistent efforts with thrust on low cost advertising to generate public awareness about our products & services through print, electronics, outdoor and other mass communication vehicles, to sustain and enhance our brand image while adopting go green measures and to augment the business of our Bank with active engagement of field staff. For enhancement of visibility on pan India basis, various publicity activities such as branding on Traffic Barricades, No Parking Boards, Police Booth, Utility Kiosks, Wall Painting, Auto Rickshaw, Bus, Train, Shikaras branding etc. were done in addition to the sponsorship of Local Sports/Yatras/Events/Kisan Camps/ Conferences at the field level. To support these activities Local Cable, FM Radio, Mobile App, Ads in Cinemas were also used.

- ❖ 137th Birth anniversary of our Founder Sir Sorabji Pochkhanawala was celebrated by all Centralites through all Zones on 9th August 2018. "Extended Mission Recovery" was launched on this auspicious occasion.
- ❖ "Swachhata Abhiyan" was organized by all zones as per guidelines of Govt. of India.
- ❖ TMT & BEST buses branding & Glow Sign board at Mumbai CST main Concourse was done by MMZO.
- ❖ Raincoats branded with Bank's name & logo were given to GOA Police.
- ❖ Branding on Pedal boats floating in Naini Jheel was done by Delhi Zone.
- ❖ Backlit pole kiosk branding for advertisement by Rajkot Region in Ahmedabad Zone.
- ❖ Wide publicity was given to our Bank's Product and Services through Zones of which – Subroto Cup Sponsorship and Govt. Achievement Expo, IITF sponsorship through Delhi Zone, IIM Indore Sponsorship through Bhopal Zone, Sponsorship of Music Festival, IIM Ecoches- Cochin, Sponsorship for Melmavaruvathur Adhi Parashakti, Coimbatore Airport Publicity through Chennai Zone, Sponsorship for FKCCI through Hyderabad Zone. Glow Sign, Mobile Charging, Hoarding Publicities at Railway Stations in Mumbai, Bus Branding at Thane and New Mumbai and sponsorship of various Musical shows and Navy Day sponsorship through Mumbai Zone.



- ❖ Foundation Day celebrated in befitting manner through our Zones and Print Ad Publicities were given through National, Regional Newspapers to gratitude our esteemed clients and respect our beloved Founder.
- ❖ Advertisement/Publicity has been given through Social Media.
- ❖ Vigilance awareness week, National Integration day, Yoga Day, International Women's Day was celebrated and publicities were given to enhance our Bank's visibility.
- ❖ Sponsorships were given for Dr. Babasaheb Ambedkar's Birth and Death Anniversaries.

VIGILANCE

1] Systemic Improvement:

During the year the following systemic improvements were undertaken:

- a) SWIFT messaging system has been integrated with the CBS system and all entries in SWIFT are now routed through the CBS/FX24 Platform.
- b) Improvements in the existing CLASS module for processing Retail loans are under implementation.
- c) For effective monitoring and as a preventive tool, incoming RTGS / NEFT Reports are made available on same day.

2] Vigilance Awareness Week 2018:

As per the directives received from CVC, "Vigilance Awareness Week 2018" was observed by bank from 29.10.2018 to 03.11.2018 in the right spirit and in line with this years' theme "Eradicate Corruption to Build a New India". On 29.10.2018, pledge was administered to the staff working at various departments of Central office. Similar functions were also arranged at all the 13 Zonal Offices, 59 Regional Offices and the Branches of the bank and Regional Rural Banks sponsored by our Bank.

Our Bank provided hyperlink to CVC's website to enable customers and staff to take e-pledge.

Bank has sent 24.20 million SMS to customers thereby providing hyperlink to CVC site to take Integrity Pledge during the Vigilance Awareness Week.

Mass pledge was administered to customers, as well as general public in the Rural and Semi Urban areas where technical issues were faced for taking e-pledge. Bank was successful in uploading a total of 7,42,000 Mass Pledges in the CVC site.

An all India online Quiz Competition covering issues relating to Preventive Vigilance was organized exclusively for the staff of our bank wherein the participation was overwhelming and 20 candidates were awarded prizes in this competition.

About 22.35 lakhs pamphlets on preventive vigilance activities were distributed all over India by our Bank as well as through RRB's.

Bank has conducted 627 workshops/sensitization programmes, for the employees, relatives and other stake holders on policies/procedures of the organization and preventive vigilance measures.

As per directives of CVC Bank has also conducted debates, elocution competitions, slogan writing, poster making, lectures etc. which were organized at in 215 schools and 138 colleges at 9 specified centres viz. Patna, Siliguri, Jabalpur, Ahmedabad, Nasik, Pimpri, Chinchwad, Greater Mumbai, Thane & Navi Mumbai to create awareness for promoting integrity and eradicating corruption.

The town hall meetings for public/Customers/staff were arranged at various places and Special Invitees from Judiciary, CVC, CBI, Police dept, Colleges etc have attended our programmes and addressed the gathering.

Bank has conducted 8,304 Gram Sabhas throughout the country at Rural and Semi Urban centers to create awareness among general public about need for promoting integrity and eradicating corruption from our Society.

About 15000 banners/posters were displayed at various places at branches, petrol pumps, Railway Stations etc. across the country. 5,938 Customer Grievance Redressal Camps were organized by various branches all over India. Radio Jingles on FM Channels at 29 centers across were relayed throughout the Vigilance Awareness Week. The message of Vigilance Awareness was also spread through Facebook, Twitter as well as YouTube. The message of CVC was displayed on our Visual Display Units in our branches, Facebook and Twitter pages of our Bank. The message of CVC was also displayed through 15,000 [approx.] hoardings/banners throughout the country.



Various events like Human Chain, Walkathon, Road show, Nukkad Natak were organized at various places.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

1. MANPOWER:

At the end of financial year on March 31, 2019, the staff strength of the Bank stood at 35,675 as against 36,843 at the end of financial year on March 31, 2018. The category-wise break-up of staff is given below:

Category	March 2017	March 2018	March 2019
Officers	16247	17166	16868
Clerks	13001	12300	11766
Sub-staff	7796	7377	7041
Grand Total	37044	36843	35675

2. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT:

(i) Donation to Chief Minister's Relief Fund- Kerala

In a way of expressing our concern and solidarity with the affected people of Kerala, due to floods in August 2018, the Bank, consisting of a large workforce, appealed to our Staff members to donate by encashment of 1 day's Privilege Leave. In response to the appeal, our staff members contributed to the extent of Rs.5.35 crore and the same was remitted to the Chief Minister's Relief Fund-Kerala.

(ii) Payment of Bonus for the Financial Year 2017-18.

Bonus for the year 2017-18 i.e. for the period from 1st April, 2017 to 31st March, 2018 @ 8.33% of the 'Salary/Wage' to all the eligible employees with the maximum of Rs.7,000 was paid.

(iii) Group Medical Insurance Coverage For Employees:

Renewal of Group Medical Insurance for employees for the period from 1.10.2018 to 30.09.2019 has been done.

(iv) Group Health Insurance Policy For Retirees' For The Period from 01.11.2018 to 31.10.2019.

The Retirees' Group Health Insurance Policy was renewed for the period from 1st November, 2018 to 31st October, 2019.

(v) Staff Welfare Schemes Prevalent In The Bank - Major Decisions Of Staff Welfare Committee In Its Meeting Held On 21.07.2018 In Respect Of Staff Welfare Activity For The Financial Year 2018-19

The Staff Welfare Committee met on 21.07.2018 to decide on Staff Welfare Schemes for the Financial Year 2018-19. As per the decision of the committee only the following three schemes were operative for the Financial Year 2018-19;

- Scheme for Relief to the family of employees who die in harness.
- Holiday Homes and Transit Homes -At present there are 7 functional Holiday Homes.
- Provision of Medical facilities to staff – Salary to existing part-time doctor and Cost of Medicine.

(vi) Central Bank of India – Employees Stock Purchase Scheme

With a view to raise capital and also to enhance the sense of belongingness / ownership amongst our employees, our Bank considered it desirable to raise capital by issuance of shares to employees through with Employee Stock Purchase Scheme (ESPS). The issue opened on 19.03.2019 and closed on 29.03.2019. Apart from raising of long term resources, ESPS will help the Bank to recognize and reward contributions made by employees of the Bank and align their interests with the long term interests of the Bank.

3. TRAINING

As per the approved Training Plan, Training Calendar was prepared for the year 2018-19 and priority has been given to training on Credit (Retail, MSME and Agriculture), Recovery, Forex, Risk Management and Behavioral aspects.



All Training Colleges and ZSTCs have conducted Training Programme as per the Training calendar. During the year, 33,152 employees were trained with a coverage ratio of 93%.

Special Training initiatives taken during the year 2018-19 are as under:-

- ❖ 59 Executives (DGMs & Regional Managers in Scale V) have attended “Customised Management Development Training Program” at Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad.
- ❖ 43 Branch Managers attended the customised Training program on “Effective Branch Banking” in the month of Dec 2018 at IIBM Guwahati.
- ❖ The Induction Training Programme for newly recruited POs & AFOs held at our Training Colleges in the Financial Year 2018-19.
- ❖ The Induction Training programme for newly recruited Clerks held at Zonal Staff Training Centres for the financial year 2018-19.
- ❖ 26 courses on E-learning were made available in E-learning portal managed by Bank.

During the year 2018-19, 1845 Programs including Class Room, Locational, Special Training were conducted covering all staff members for attending one or two training programmes each i.e. 33152 participants and 91921 man days by three training colleges and 15 Zonal Staff Training Centers. Apart from these 333 Officers in various scales were nominated for specialized training programme conducted by external training agencies like NIBM, CAB, IDBP, BIRD, IIBF, ASCI, and IDRBT etc. Further 7 Officers have been sent for foreign training programme/ workshop/ summits/ exposure visit in the year 2018-19.

4. RECRUITMENT & PROMOTIONS:

- ❖ In the year 2018-19, recruitment process was held for 1067 posts encompassing Probationary Officers, Agriculture Finance Officers, Security Officers, Clerical Staff and Sub-staff.
- ❖ The promotional exercise has been made more motivating and as a corporate goal, it has been resolved to hold the promotion processes as far as possible for all scales/categories. Accordingly, during the year 2018-19 inter-scale and inter-cadre promotion processes were conducted and employees/officers were elevated to higher cadre/ scale, out of which 50 sub-staff were promoted to clerical cadre, 307 clerks were promoted to Scale-I officers and 1108 officers were elevated to higher grade/scale.

5. IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY:

- The Bank has implemented guidelines/ instructions received from Govt. of India/ Indian Bank's Association on Reservation Policy and concessions and relaxations are extended to SCs/STs/OBCs/PWDs and EXSM as admissible in the Reservation policy.
- Smt. Manju Diler, Hon'ble Member, National Commission for Safai Karmacharis visited Bhubaneswar on 06.06.2018 and discussed the Regional level issues of Safai Karmacharis with representatives of Safai Karmacharis of the Bank and the Bank Management.
- Study visit of Parliamentary Committee on the welfare of SCs/STs on 11.06.2018 at Manali, discussed the issues of SCs/STs with the Union/ Association representatives of SC/ST and with the Bank Management on implementation of reservation policy on the welfare of SCs/STs.
- Shri A. Sathyanarayana, Asstt. Director, National Commission for Scheduled Castes, Bangalore, State-Karnataka visited Bangalore for checking of Roster, complaint register etc. and discussed with the Union/ Association representatives of SCs and the Bank Management from 15, 18 and 19 June, 2018.
- Shri Manhar Valji Bhai Zala, Chairman, National Commission for Safai Karmacharis visited Jamnager on 21.07.2018 and discussed the issues of Safai Karmacharis with Union/ Association representatives of Safai Karmacharis and the Bank Management on implementation of reservation policy on the welfare of Safai Karmacharis.
- Shri Yogendra Paswan, Hon'ble Member of National Commission for Scheduled Castes visited Patna on 24.07.2018 and discussed the issues of SCs with Union/ Association representatives and the Bank Management.

6. INDUSTRIAL RELATIONS:

The Industrial Relations during the year remained cordial.


CREDIT/ PREPAID CARD OPERATIONS:

- ❖ The Bank has Credit Card base of 92838 & Prepaid Card base of 398624 as on 31st March, 2019.
- ❖ The bank issues Credit Cards with major Card Association's viz. MasterCard, Visa and RuPay. Prepaid Cards are issued in association with MasterCard.
- ❖ Bank issues only EMV Chip based Credit Cards for customers.
- ❖ Bank has launched dedicated Web Portal for Credit Cards.
- ❖ Credit Card functionality is also developed on Mobile Banking.
- ❖ EMI option for on line purchases by Credit Card is developed and implemented.
- ❖ RuPay Credit Card with two variants (RuPay Platinum, RuPay Select) launched in July 2017.
- ❖ Bank issues reloadable (open loop system) RuPay prepaid card on RuPay platform.

ATM /DEBIT CARD OPERATIONS:

- ❖ Total number of ATMs as on 31st March 2019 is 3966.
- ❖ Cash Replenishment by Bank staff is being done for 1061 ATMs.
- ❖ 3603 Branches have been linked with ATM as on 31st March 2019.
- ❖ 66% of the Bank's ATMs are located in Rural & Semi-Urban areas.
- ❖ Average ATM Uptime during the year is 91%.
- ❖ Daily average hits per ATM is 129.

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES
i. CENT BANK HOME FINANCE LIMITED:

- ❖ Net Owned funds stood at Rs.111.57 crore as on March 31, 2019.
- ❖ During the year the total advances of the company stood at Rs.1270.79 crore as on March 31, 2019 as against Rs.1266.09 crore as on March 31, 2018.
- ❖ The retail deposits and institutional deposits stood at Rs.482.33 crore as on March 31, 2019 as against Rs.542.84 crore as on March 31, 2018.
- ❖ The Net Profit of the Company stood at Rs.16.28 crore for the financial year 2018-19 as against Rs.16.84 crore for financial year 2017-18.
- ❖ Earnings per Share are Rs.6.51 (Rs.10 per share) [Previous Year Rs.6.73].
- ❖ NPA stood at Rs.27.97 crore for the year ended March 31, 2019 as against Rs.26.90 crore for the year ended March 31, 2018.
- ❖ Net NPA to Net Advances is at 1.26% as on March 31, 2019.
- ❖ Return on Assets is 1.26%. [Previous year 1.26%].
- ❖ CAR works out at 17.88% as on 31st March 2019.

ii. CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

- ❖ Centbank Financial Services Limited is essentially providing Trusteeship Services including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc.
- ❖ The Company is registered with SEBI to undertake Debenture Trusteeship activities.

Financial Update:

- ❖ The company earned a Net Profit after Tax of Rs.2.70 crore for the year ended 31st March 2019 against Net Profit of Rs.2.58 crore for the previous year ended 31st March, 2018.
- ❖ Segment-wise earnings:



(Amounts in Rupees)

Particulars	FY 2018-19	FY 2017-18
Fees from Executor Trusteeship	43,24,805	34,85,414
Fees from Debenture & Security Trusteeship	2,70,82,673	2,90,70,143
Other income (Interest, Dividend, etc)	2,51,22,941	2,81,65,842
Total	5,65,30,419	6,07,21,398

❖ EPS is Rs.541.00 for FY 2018-19 as against Rs.517.60 for the FY 2017-18.

iii. INDO-ZAMBIA BANK LTD

- ❖ The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three India Banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian Banks hold 20% equity, Govt. of Republic of Zambia holds the balance 40% equity.
- ❖ Bank's financial year is the calendar year.
- ❖ The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth largest bank in Zambia.
- ❖ As at the end of December 2018, our Bank is holding total 8,32,00,000 shares of Kwacha 1 each value.
- ❖ Deposits of the Bank have increased by 24.21% and advances have increased by 34.00% over the previous year.
- ❖ Bank has made net profit of Kwacha 139.76 Mio. (Rs. 80.65 Crore) for the calendar year 2018.

iv. Regional Rural Banks :

We have sponsored 3 RRBs as on 31st March, 2019 in 3 states covering 48 districts with a network of 1,629 branches.

(Amount in crore)

Unaudited

Name of RRBs with its HO & State	No. of Dist. & Branches	Total Deposits	Total Advance	Gross NPA	Net Profit
Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara (MP)#	25/455	–	–	–	–
Uttar Bihar GB. Muzaffarpur (Bihar)	18/1032	15499.85	8101.59	2282.47	16.78
Uttarbanga Kshetriya GB. Coochbehar (WB)	5/142	3014.96	1713.47	158.40	10.98
Total	48/1629	18514.81	9815.06	2440.87	27.76

#As per Govt. Notification, Central Madhya Pradesh Gramin Bank (CMPGB) is being merged with another RRB sponsored by Bank of India.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- ❖ CSR is a continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.
- ❖ It is our continuing commitment to donate under CSR through the organization/Trust working for poor, downtrodden people of society for their upliftment for education, health, natural calamities and overall social welfare of the society
- ❖ CSR Budget for the financial year 2018-19 was NIL as Bank had incurred loss during the financial year 2017-18.

AWARDS & ACCOLADES

- ❖ The Bank received the Atal Pension Yojana Award from Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi for Leadership Capital to recognize the performance of Banks and their leadership in promoting the scheme in various geographical locations of the country.
- ❖ The Bank was awarded by Indian Bank's Association (IBA) for Most innovative Product Category



CORPORATE GOVERNANCE

1) BANK'S PHILOSOPHY OF CORPORATE GOVERNANCE

- ❖ Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standards of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices and standards of governance that are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.
- ❖ The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

2) BOARD OF DIRECTORS

A) COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman.

The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

During the year under review i.e. 2018-19, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2019	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2019		Directorship of other Companies as on 31.03.2019	Whether attended last AGM held on 30.06.2018
						Member	Chairman		
1	Shri Tapan Ray	Non-Executive Chairman	From 23.05.2018	NIL	Finance, Economics, Technology, Law, Capital Markets, Management, Foreign Trade, Public Policy and Administration	RMC, LVFC, SRC, RC, HR, NC	RMC, LVFC, SRC, RC, HR, NC	NIL	Yes
2.	Shri Rajeev Rishi	Chairman and Managing Director	From 01.08.2013 to 22.05.2018	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	MCB, RMC, LVFC, CSC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	(1) Indo Zambia Bank Ltd. (2) Exim Bank (3) Export Credit Guarantee Corporation (4) Indian Institute of Banking & Finance	Yes



Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2019	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2019		Directorship of other Companies as on 31.03.2019	Whether attended last AGM held on 30.06.2018
						Member	Chairman		
		Managing Director and Chief Executive Officer	From 23.05.2018 to 31.07.2018			MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	MCB, CSC, VIG, CAC, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD		
3	Shri Pallav Mohapatra	Managing Director and Chief Executive Officer	From 21.09.2018		Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	MCB, CSC, VIG, CAC, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	(1) Member of the Governing Board of NIBM (2) Member of the Governing Board of IIBF (3) Member of the Governing Board of IIBM, Guwahati	Not a Director on the date of AGM
4.	Shri B.K. Divakara	Executive Director	From 23.01.2014 To 22.01.2019	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	Not Applicable	Yes
5.	Shri P Ramana Murthy	Executive Director	From 17.02.2017	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	(1) Cent Bank Home Finance Ltd. (2) New India Assurance Co. Ltd.	Not Attended
6.	Shri B S Shekhawat	Executive Director	From 09.10.2017	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes



Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2019	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2019		Directorship of other Companies as on 31.03.2019	Whether attended last AGM held on 30.06.2018
						Member	Chairman		
7	Shri Alok Srivastava	Executive Director	From 23.01.2019	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM
8	Shri Govind Mohan	Government of India Nominee Director	From 17.08.2017 to 14.05.2018	NIL	Finance and Economics	ACB, RMC, LVFC, RC, VC, MRC, HR, NC	RC, NC	Not Applicable	Not a Director on the date of AGM
9	Dr. Bhushan Kumar Sinha	Government of India Nominee Director	From 14.05.2018	NIL	Finance and Economics	ACB, RMC, LVFC, RC, VC, MRC, HR, NC, ITS	NIL	IFCI	No
10	Shri Shekhar Bhatnagar	RBI Nominee Director	From 13.03.2014	NIL	Banking and Finance	MCB, ACB, RC, VC	NIL	NIL	No
11	Shri K.R. Patel	Shareholders' Nominee Director	From 01.07.2015 to 30.06.2018	163	Chartered Accountant	MCB, ITS, SRC, RMC, CSC, HR, RCNCB, CRIWD	ITS SRC	Not Applicable	No
12	Shri N Nityananda	Part Time Non-official Director	From 21.06.2016	NIL	Chartered Accountant	ACB, RMC, LVFC, SRC, CSC, NC, RCNCB, CRIWD CC	ACB ITS CC	NIL	Yes



Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2019	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2019		Directorship of other Companies as on 31.03.2019	Whether attended last AGM held on 30.06.2018
						Member	Chairman		
13	Dr. Atmanand	Part Time Non-official Director	From 27.12.2017	NIL	Economics	MC CSC ITS SRC MRC NC CC	NIL	PTC India Ltd.	No
14	Smt. Mini Ipe	Shareholder Director	From 01.07.2018	100	Finance	MC RMC SRC MRC CC	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM

The Managing Director and Chief Executive Officer and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

MCB	-	Management Committee of the Board
ACB	-	Audit Committee of the Board
RMC	-	Risk Management Committee
LVFC	-	Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds
CSC	-	Customer Service Committee
ITS	-	Information Technology Strategy Committee
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee
RC	-	Remuneration Committee
VIG	-	Vigilance Committee
CAC	-	Credit Approval Committee
HR	-	Human Resources Committee
MRC	-	Committee of the Board for Monitoring of Recovery
CRC	-	Capital Raising Committee
NC	-	Nomination Committee
RCNCB	-	Review Committee for Declaring Non Co-operative Borrower
CRIWD	-	Committee to review the Identification of Wilful Defaulter
CC	-	Compensation Committee

Brief Profile of the New Directors

1. Shri Tapan Ray, Non-Executive Chairman – (D.O.B. 09.09.1957)

Shri Tapan Ray was appointed as Non-Executive Chairman in Central Bank of India by Government of India with effect from 23.05.2018. Shri Tapan Ray, IAS (Retd.) is enriched with extensive knowledge and experience in the field of Finance, Economics, Technology, Law, Capital Markets, Management, Foreign Trade, Public Policy and Administration. Before joining Central Bank of India as Non-Executive Chairman, Shri Tapan Ray acted as Secretary to Government of India, Ministry of Corporate Affairs after having served 35 years in the Gujarat cadre of the Indian Administrative Service (IAS). He has a Degree in Mechanical Engineering from the Indian Institute of Technology, Delhi. He is also a Post Graduate in Public Policy from the Woodrow Wilson School, Princeton University, USA and a Master of Public Administration from the Maxwell School, Syracuse University, USA. Shri Ray also has Executive Masters in Foreign Trade from Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi. He also holds degrees in Law and International Trade. He has served in the Ministries of Defence, Textiles, Power, Science & Technology, Information Technology and Planning in the Government of India. He has been Principal Secretary in the Finance Department in Gujarat. Shri Ray was also the Managing Director of Gujarat State Petroleum Corporation Ltd. (GSPC) & Gujarat State Petronet Ltd. (GSPL). He was also on the Board of other GSPC/GSPL Group of Companies. As Secretary (Ministry of



Corporate Affairs), he has served on the Board of Securities and Exchange Board of India. Shri Ray is also the Member of Dispute Resolution Panel constituted by PSU Oil Distribution Companies.

2. Shri Pallav Mohapatra, Managing Director and Chief Executive Officer (D.O.B. 25.02.1961)

Shri Pallav Mohapatra was appointed as Managing Director and Chief Executive Officer in Central Bank of India by Government of India with effect from 21.09.2018. Shri Mohapatra is M.A. & CAIIB. He started his career with State Bank of India as a Probationary Officer in 1983. He has handled many important assignments over three and a half decades in State Bank of India which include Chief Executive Officer, SBI Cards, Dy. General Manager, Project Management, New Business Corporate Centre, Managing Director SBI Custodial Services Pvt. Ltd. and Vice President (Credit & Forex), SBI (California) Los Angeles. Before joining as Dy. Managing Director (Stressed Assets Management Group), he was Chief General Manager, SBI New Delhi Circle.

3. Shri Alok Srivastava (D.O.B. 22.11.1962)

Shri Alok Srivastava holds Masters degree in Economics & MBA (Finance). He started his career as Management Trainee in Punjab National Bank in the year 1985. He has more than 33 years of experience in banking having worked in almost all key segments of banking, in various capacities at Branches, Administrative Offices, etc.

4. Dr. Bhushan Kumar Sinha, Government of India Nominee Director (D.O.B. 20.07.1964)

Dr. Bhushan Kumar Sinha was appointed as Government of India Nominee Director in Central Bank of India with effect from 14.05.2018. Dr. Sinha is Ph.D. in Financial Economics from the Department of Financial Studies, University of Delhi, MBA from the National Graduate School of Management (NGSM), Australian National University (ANU), Canberra, Australia. Dr. Sinha belongs to the 1993 batch of the Indian Economic Service and is presently working as Joint Secretary in Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India. Prior to his present assignment as Joint Secretary, he was Economic Adviser in DFS. Before joining DFS in May 2018, Dr. Sinha had a three years stint as Economic Adviser in the Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM).

5. Smt. Mini Ipe (D.O.B. 19.08.1963)

Smt. Mini Ipe has varied experience in the field of Finance, Marketing and Human Resources and is presently posted as Zonal Manager, South Central Zonal Office, Life Insurance Corporation of India (LIC), Hyderabad. She has also held the post of Executive Director (SBU-International operations) in LIC. She was also Director & CEO – LIC HFL Housing Financial Services Ltd. Smt. Mini Ipe has also worked as Regional Manager, Estates and P & IR and Secretary, ER & Marketing in LIC.

6. Shri Thomas Mathew (D.O.B. 13.11.1965)

Shri Thomas Mathew was nominated as RBI Nominee Director w.e.f. 26.04.2019 in place of Shri Shekhar Bhatnagar. Shri Mathew is presently Regional Director, Reserve Bank of India, Jammu.

Details of other Directors

1. Shri P. Ramana Murthy, Executive Director (D.O.B. 16.05.1964)

Shri P Ramana Murthy is a science graduate in Agriculture and CAIIB. He joined Allahabad Bank on 16.01.1989 as Agriculture Field Officer. He got elevated to the post of General Manager on 10.05.2014 and was functioning as Field General Manager since 19.05.2014 before joining Central Bank of India as Executive Director w.e.f 17.02.2017. Shri Murthy has undergone many prestigious training programs like Leadership for Corporate Excellence at Kelloggs School of Management, Chicago, USA and Leadership Excellence at IIM, Kolkata.

2. Shri B. S. Shekhawat, Executive Director – (D.O.B. 27.06.1962)

Inclusion Department of the Bank. Shri B.S. Shekhawat was appointed as Executive Director in Central Bank of India by Government of India with effect from 09.10.2017. Shri Shekhawat is an Agriculture Science graduate with Hons., CAIIB and have completed post graduate certificate course in Management from IIM Bangalore. He started his career with Central Bank of India in the year 1986 as an Agriculture Finance Officer. During his long career of 32 years, he has worked in different geographies and locations in branches, as Regional Head at Jaipur and Ranchi Regions, Zonal Heads at Pune and Delhi Zones. He also headed



Human Resources Department of the Bank for two years at its Head Office. Immediately prior to his elevation, he was heading Priority Sector and Financial

3. Shri Shekhar Bhatnagar, RBI Nominee Director (D.O.B. 17.07.1958)

Shri Bhatnagar is B.Sc., M.A. (Lucknow University) and MBA (Finance) from FMS, New Delhi. He joined Reserve Bank of India (RBI) in 1984 as Officer (Grade - "B") and worked in different capacities, in different departments of RBI like Currency Management, Banking, Department of Banking Supervision and Department of Non-Banking Supervision. He also worked as Regional Director, Reserve Bank of India in Kanpur, Uttar Pradesh. He also worked as Chief General Manager-Foreign Exchange Department, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai. Shri Shekhar Bhatnagar ceased to be the Director of the Bank w.e.f. 26.04.2019.

4. Shri N Nityananda, Non-Official Part Time Director (D.O.B. 20.05.1955)

Shri N Nityananda is a Commerce Graduate, D.B.A., LLB, FCA and Gold Medalist in Post Graduate Diploma in Business Administration. Shri Nityananda is a professional Chartered Accountant with more than 3 decades value addition services to clients, Government and Economy. He represented Karnataka at the Southern India level and National level for nearly 16 years (longest by any Kannadiga). He also represented India at the International Federation of Accountants (IFAC), New York, USA which is the apex body of Accounting and Auditing in the world and in the South Asian Federation of Accountants (a member body of SAARC) at Karachi, Pakistan and chaired the mega international conference on 'Corporate Governance'. He has served the Trade, Commerce and Industry at State and National Level including as Advisor of Economic Affairs Committee, Chairman and Co-advisor of Central Taxes Committee of Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry (FICCI). He has also served on several important committees of Government of Karnataka, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) and Bureau of Indian Standards (BIS).

5. Dr. Atmanand, Non-Official Part Time Director (D.O.B. 30.06.1959)

Prof (Dr.) Atmanand is the Director (Additional charge) of Management Development Institute, Gurgaon & Director, Management Development Institute, Murshidabad. He is also a Director on the Board of PTC India Ltd. He was the Dean and Professor of Economics at MDI, Gurugram. In MDI, he also worked as Dean of the prestigious MDI School of Energy Management School of Public Policy and Governance and Executive Post Graduate Programs. He is the founder Dean of MDI Murshidabad. He has been teaching, doing research and consultancy in the area of economics for more than 30 years. During a brief span of 5 years when the School of Energy Management was launched with the help of USAID and the Ministry of Power, Government of India, he has turned the School into a country wide popular place of higher learning. Appreciating his devotion and involvement, Ministry of Power, Government of India has issued a letter of appreciation putting on record his efficient and dedicated services. Besides playing a key and decisive role in MDI's intellectual and administrative functioning, he has worked as Independent Director on the Board of Steel Authority of India Limited (SAIL) functioning under the Ministry of Steel, Government of India. Appreciating his contribution in policy making, the Board of SAIL issued the letter of appreciation in the functioning of Audit Committee (Chairman), Risk Management Committee (Chairman) and others. He has held various national responsibilities including his association with Ministry of Ayush (Member), Government of India, Ministry of Power, Government of India, ATF, Cabinet Secretariat, Government of India and State Finance Commission, Bihar. Besides doing extensive research, teaching and training he has authored 16 books and many research papers. His interest in banking sector made him do research and training in this area with emphasis on project finance, social development and economic environment of business.

B) CONDUCT OF BOARD MEETINGS

During the year, 16 Board Meetings were held on the following dates:

05.05.2018	30.07.2018	13.11.2018	02.02.2019
17.05.2018	10.08.2018	14.11.2018	02.02.2019
25.05.2018	06.09.2018	28.12.2018	25.02.2019
29.06.2018	28.09.2018	18.01.2019	28.03.2019



Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	13	14	23.05.2018-31.03.2019
Shri Rajeev Rishi	5	5	01.04.2018-31.07.2018
Shri Pallav Mohapatra	9	9	21.09.2018-31.03.2019
Shri B. K. Divakara	11	12	01.04.2018-22.01.2019
Shri P. R. Murthy	14	16	01.04.2018-31.03.2019
Shri B. S. Shekhawat	16	16	01.04.2018-31.03.2019
Shri Alok Srivastava	4	4	23.01.2019-31.03.2019
Shri Govind Mohan	1	1	01.04.2018-14.05.2018
Dr. B.K. Sinha	10	15	14.05.2018-31.03.2019
Shri Shekhar Bhatnagar	16	16	01.04.2018-31.03.2019
Shri K. R. Patel	4	4	01.04.2018-30.06.2018
Shri N. Nityananda	15	16	01.04.2018-31.03.2019
Prof. (Dr.) Atmanand	16	16	01.04.2018-31.03.2019
Smt. Mini Ipe	9	12	01.07.2018-31.03.2019

3) DETAILS OF SOME OF THE COMMITTEES OF THE BOARD

i) Management Committee of the Board:

✦ The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2019, it comprised 7 members consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer, 3 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 other Directors which include 1 Shareholders' Nominee Director and one Part Time Non-Official Director, one position is vacant. The Part-Time Directors are rotated every six months.

✦ The Management Committee of the Board met 20 times during the year on the following dates:

05.05.2018	27.08.2018	14.11.2018	14.01.2019	27.02.2019
24.05.2018	06.09.2018	30.11.2018	18.01.2019	06.03.2019
29.06.2018	28.09.2018	15.12.2018	02.02.2019	18.03.2019
30.07.2018	01.11.2018	28.12.2018	18.02.2019	27.03.2019

Attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Rajeev Rishi	3	4	01.04.2018-31.07.2018
Shri Pallav Mohapatra	13	14	21.09.2018-31.03.2019
Shri B. K. Divakara	13	14	01.04.2018-22.01.2019
Shri P. R. Murthy	16	20	01.04.2018-31.03.2019
Shri B. S. Shekhawat	19	20	01.04.2018-31.03.2019
Shri Alok Srivastava	5	6	23.01.2019-31.03.2019
Shri Shekhar Bhatnagar	20	20	01.04.2018-31.03.2019
Shri K. R. Patel	1	2	01.04.2018-30.06.2018
Prof. (Dr.) Atmanand	20	20	01.04.2018-31.03.2019
Smt. Mini Ipe	11	17	01.07.2018-31.03.2019



ii) Credit Approval Committee:

❖ Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercises the powers of the Board with regards to credit proposals upto Rs.400.00 crore, compromise / write off proposals upto Rs.10.00 crore etc. The Present Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and General Managers in charge of Risk Management, Credit, Accounts/Finance and Recovery.

❖ The Credit Approval Committee met 21 times during the year on the following dates:

24.04.2018	20.06.2018	15.11.2018	12.02.2019	29.03.2019
05.05.2018	30.06.2018	30.11.2018	22.02.2019	
21.05.2018	16.07.2018	21.12.2018	05.03.2019	
06.06.2018	29.09.2018	08.01.2019	14.03.2019	
14.06.2018	19.10.2018	30.01.2019	25.03.2019	

iii) Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections conducted by RBI. The terms of reference to the Audit Committee are:

- ❖ Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;
- ❖ Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI;
- ❖ Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- ❖ Following up in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacting with the External Auditors before finalization of the quarterly/half yearly/annual financial accounts and reports;
- ❖ Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;
- ❖ Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit;
- ❖ Qualifications in the Draft Audit Report;
- ❖ To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern;
- ❖ Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- ❖ Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- ❖ Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to, by the Audit Committee.

The Audit Committee of the Board comprise of Executive Director in charge of Central Audit and Inspection, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB. As on 31.03.2019, one position remains vacant in the ACB as there is no eligible member to be nominated in the Committee.



Composition of the Audit committee as on 31.03.2019 is as under:

1	Shri N. Nityananda	Chairman
2	Shri P.R. Murthy	Member
3	Dr. Bhushan Kumar Sinha	Member
4	Shri Shekhar Bhatnagar	Member

During the year, the Audit Committee met 11 times on the following dates:

17.05.2018	13.07.2018	28.09.2018	14.11.2018	02.02.2019	11.03.2019
25.05.2018	30.07.2018	13.11.2018	18.01.2019	06.03.2019	

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From – To)
Shri N. Nityananda	11	11	01.04.2018–31.03.2019
Shri B.K. Divakara	08	08	01.04.2018–22.01.2019
Shri P. R. Murthy	03	03	01.04.2018–31.03.2019
Dr. B.K. Sinha	05	11	14.05.2018-31.03.2019
Shri Shekhar Bhatnagar	10	11	01.04.2018–31.03.2019

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board and placed before the Board of Directors for approval.

iv) Risk Management Committee

Risk Management Committee was constituted by the Board vide Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC)BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda N.BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and based on the suggestions of Dr. Ganguly Group report set up by the Reserve Bank of India. The committee comprises of Chairman, Managing Director and Chief Executive Director, Executive Directors, Government of India Nominee Director and Two Non Official Part Time Directors. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year.

The objective of Risk Management Committee of the Board is to evaluate overall risks faced by the Bank and determining the level of risks which will be in the best interest of the Bank and to coordinate with the other risk managing entities to identify, monitor and measure the risk arising out of the Bank's operations.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

29.06.2018	28.09.2018	28.12.2018	27.03.2019
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	4	4	23.05.2018-31.03.2019
Shri Rajeev Rishi	0	1	01.04.2018–31.07.2018
Shri Pallav Mohapatra	2	3	21.09.2018–31.03.2019
Shri B. K. Divakara	2	3	01.04.2018–22.01.2019
Shri P. R. Murthy	3	4	01.04.2018–31.03.2019
Shri B. S. Shekhawat	4	4	01.04.2018–31.03.2019
Shri Alok Srivastava	1	1	23.01.2019-31.03.2019
Dr. B.K. Sinha	1	4	14.05.2018-31.03.2019
Shri K. R. Patel	1	1	01.04.2018–30.06.2018
Shri N. Nityananda	2	3	01.04.2018–31.03.2019
Prof. (Dr.) Atmanand	3	3	01.04.2018–31.03.2019
Smt. Mini Ipe	1	2	01.07.2018-31.03.2019



v) Remuneration Committee and Remuneration of Directors:

- ❖ The Remuneration Committee of the Board was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20/1/2005-B0-I dated 09.03.2007 read with communication No. 16/65/2011-BO.I dated 21.02.2012 for payment of performance-linked incentive to Whole-time Directors. The Committee consists of Non-Executive Chairman, Government of India, Reserve Bank of India Nominee Director and two other Directors. During the Financial Year 2018-19, no meeting of the Remuneration Committee was held to consider performance linked incentive to Whole-time Directors.
- ❖ The Non Official Independent Directors / Non- Executive Directors were paid sitting fees of Rs.20,000 up to 17.01.2019 and thereafter Rs.40,000 for attending every meeting of the Board of Directors and similarly, Rs.10,000 up to 17.01.2019 and thereafter Rs.20,000 for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board. Sitting fees is not being paid to the Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India / Reserve Bank of India. Reserve Bank of India Nominee Director was paid sitting fees with effect from 1st August 2018 as he was superannuated from Reserve Bank of India on 31.07.2018. For Chairing the meetings of Board of Directors and Committees thereof, an additional sitting fee of Rs.10,000 and Rs.5,000 respectively were paid.
- ❖ During the financial year 2018-19, the following amounts have been paid to the Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors as total salary, allowances and perks as under:

Sr.	Name	Rupees in lacs
1	Shri Pallav Mohapatra (MD & CEO)	14.68
2	Shri Rajeev Rishi (CMD / MD & CEO)	39.50
3	Shri B. K. Divakara (ED)	46.55
4	Shri P. R. Murthy (ED)	24.98
5	Shri B. S. Shekhawat (ED)	24.47
6	Shri Alok Srivastava (ED)	4.60

- ❖ During the year under review, the Bank has paid Rs.19,10,000/- (Rupees Nineteen Lakh Ten Thousand only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and Rs.19,95,000/- (Rupees Nineteen Lakh Ninety Five Thousand only) towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

vi) Nomination Committee:

In terms of the RBI Circulars nos. DBOD.No.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011, Nomination Committee of the Bank has been constituted to undertake the process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected director(s)/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act (i.e. Shareholder Director) based on the broad criteria i.e. (i) Educational qualification, (ii) Experience and field of expertise & (iii) Track record and integrity.

During the financial year 2018-19, meeting of the Nomination Committee was held on 17.05.2018 to determine the fit & proper criteria of Shareholder Director Shri Ketul R. Patel and the committee accorded 'fit and proper status' to Shri Ketul R. Patel who had been elected as a Shareholder Director under Sec 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years w.e.f. 1st July, 2015 to 30th June, 2018. Another meeting of the Committee was held on 18th June, 2018 whereby 'Fit and Proper' status was accorded to Smt. Mini Ipe for her election as Shareholder Director on the Board of the Bank.

vii) Stakeholders' Relationship Committee

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreements entered into with stock exchanges, the Bank is having Stakeholders' Relationship Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman, Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and two Independent Directors. Shri Ketul Patel was Chairperson of Stakeholders Relationship



Committee (SRC) till 5th May 2018. However, pursuant to the appointment of Non-Executive Chairman, Chairman of the Committee is the Non-Executive Chairman. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

05.05.2018	30.07.2018	13.11.2018	18.01.2019
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri Ketul Patel	1	1	01.04.2018–30.06.2018
Shri Tapan Ray	3	3	23.05.2018-31.03.2019
Shri Rajeev Rishi	1	2	01.04.2018–31.07.2018
Shri B.K. Divakara	4	4	01.04.2018–22.01.2019
Shri P.R. Murthy	4	4	01.04.2018–31.03.2019
Shri B.S. Shekhawat	4	4	01.04.2018–31.03.2019
Shri N. Nityananda	3	3	01.04.2018–31.03.2019
Prof. (Dr.) Atmanand	4	4	05.05.2018–31.03.2019
Smt. Mini Ipe	1	1	28.12.2018-31.03.2019

The details of Investor Grievances for the year 2018-19 (from 01.04.2018 to 31.03.2019) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	Nil
2	Letters for Non Receipt of Share Certificate(s)/Non receipt of shares	01
3	Non Receipt of Dividend Warrants	25
4	Non Receipt of Annual Report/EGM Notice	40
5	Non Receipt of Refund Order	01
6	Non Receipt of Rejected DRF's	01
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	05
8	Total Grievances received	73
9	Total Grievances attended/resolved	73
10	Total complaints pending at the end of the year	Nil

We confirm that no investors' complaints remained un-attended/pending for more than 30 days.

4) Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Deputy General Manager-MBD/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges besides acting as the Compliance Officer for activities pertaining to Bankers to issue and Debenture Trustee Activities.

5) Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the financial year 2018-19, Bank has raised Rs.6592.00 crore equity capital (including Rs.2354 crore received by the Bank on 19-09-2018, Rs.1678 crore received by the Bank on 31-12-2018 and Rs.2560 crore received by the Bank on 21-02-2019) by issuance and allotment of 142,90,45,682 equity shares (comprising of 35,43,57,970 equity shares at an issue price of Rs.66.43 per equity share including premium of Rs.56.43 per equity share aggregating to Rs.2354 crore, 38,74,39,390 equity shares at an issue price of Rs.43.31 per equity share including premium of Rs.33.31 per equity share aggregating to Rs.1678 crore and 68,72,48,322 equity shares at an issue price of Rs.37.25 per equity share including premium of Rs.27.25 per equity share aggregating to Rs.2560 crore of the face value of Rs.10 each aggregating to Rs.6592 crore to President of India (Government of India) on preferential basis.



Bank has also raised Equity Capital from eligible employees under the Employee Stock Purchase Scheme (ESPS) aggregating to Rs.212,53,38,048 at an issue price of Rs.27 per equity share including premium of Rs.17 per equity share. The money is kept in the Share Application Money account, Allotment for which is pending.

Bank has raised Rs.500.00 Crore by issuance and allotment of Non-Convertible Redeemable Unsecured Basel III compliant Tier 2 Bonds (Series-III) in the nature of promissory notes of the face value of Rs.10.00 Lakh each on private placement basis and have allotted 5000 bonds of Rs.10.00 Lakh each.

The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

6) Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi, Marathi and many regional languages in various leading newspapers, such as, Economic Times, Financial Express, Business Standard, Pudhari (Marathi), etc. The results were also uploaded on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

7) Code of Conduct

- ❖ The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management has been approved by the Board of Directors. Text of the same is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations". All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.
- ❖ The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prevention of insider trading in Bank's security, copy of the same is also available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations".

8) Other Disclosures

- ❖ Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.
- ❖ It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed. During the year, there was no materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- ❖ The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any statutory Authority on any matter relating to capital markets during the year under review.
- ❖ Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees. "Cent Vigil" is also available for Directors. Further, Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee subject to his/her prior approval on need basis. During the year 2018-19, no personnel has approached the Audit Committee on the subject-matter. This is further to affirm that no personnel has been denied access to the Audit Committee.
- ❖ The Bank has complied with the stipulated requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015 read with Listing Agreement to the extent that the requirements of these regulations and agreements do not violate the provision of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.



- ❖ Policy for determining 'material' subsidiaries is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations"
- ❖ Policy on dealing with related party transactions is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations".

9) Discretionary Requirements (Part E of Schedule II of SEBI Listing Regulations)

Sr. No.	Non-mandatory	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at entity's expense.	Yes, implemented
2.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	The Bank has sent financial results for the half year ended 30.09.2018 and the financial year ended 31.03.2019 to Stock Exchanges & published in Newspapers. Besides this, the financial results were also posted on Bank's website i.e. www.centralbankofindia.co.in
3.	Company may move towards regime of unqualified financial statements	The Bank is having unqualified financial statements
4.	Separate posts of Chairman and CEO	The Bank is having separate posts of Chairman and MD & CEO. Composition of the Board of the Bank is governed under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) read with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.
5.	Reporting of Internal Auditor	Internal Auditor is accountable to the Audit Committee of the Board.

10) General Shareholder Information

12th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Friday, 28th June, 2019 at 12:00 Noon at 9th Floor at the Head Office of the Bank situated at 'Chandermukhi', Nariman Point, Mumbai- 400 021.

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2018-19
2. Date of Book Closure: 25th June, 2019 to 28th June, 2019 (Both days inclusive)
3. No dividend was recommended for the financial year 2018-19.

11) Details of General Body Meetings held during the last three years are given herein below:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1.	Eleventh Annual General Meeting	30th June, 2018 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021
2.	Tenth Annual General Meeting	30th June, 2017 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021
3.	Ninth Annual General Meeting	30th June, 2016 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

12) Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2019-20 has been paid to both the stock exchanges.



The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Tier-II Bonds - Capital position as on 31.03.2019

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Basel III Complaint Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Basel III Complaint Sr II	07.03.2017	500.00	INE483A09278
Basel III Complaint Sr III	29.03.2019	500.00	INE483A09286
Total		4800.00	

All these bonds are listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2019-20 to the Exchange.

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

NSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	NSE Nifty	
				High	Low
April 2018	71.35	69.30	1936941	10739.35	10128.40
May 2018	73.55	66.25	8235596	10806.60	10430.35
June 2018	83.35	68.15	11675618	10856.70	10589.10
July 2018	72.55	67.45	24813680	11356.50	10657.30
August 2018	69.45	67.80	4446766	11738.50	11244.70
September 2018	68.60	41.15	28949290	11589.10	10930.45
October 2018	40.70	27.45	28444637	11008.30	10030.00
November 2018	32.25	29.00	10127303	10876.45	10380.45
December 2018	36.65	28.10	22751703	10967.30	10488.45
January 2019	37.25	31.05	18742691	10961.85	10651.80
February 2019	31.85	28.40	8992800	11069.40	10604.35
March 2019	35.65	31.05	21910030	11623.90	10863.50

The monthly high and low quotation and the no. of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

BSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	SENSEX	
				High	Low
April 2018	71.80	69.15	4030663	35213.3	32972.56
May 2018	73.20	65.90	1112879	35993.53	34302.89
June 2018	83.10	68.35	844000	35877.41	34784.68
July 2018	72.20	67.30	4053427	37644.59	35106.57



Month	BSE				SENSEX	
	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	High	Low	
	August 2018	69.25	67.80	453083	38989.65	37128.99
September 2018	68.65	41.10	2297225	38934.35	35985.63	
October 2018	40.70	27.50	4547268	36616.64	33291.58	
November 2018	32.40	28.95	1316306	36389.22	34303.38	
December 2018	36.70	28.15	3897812	36554.99	34426.29	
January 2019	37.20	30.90	1863304	36701.03	35375.51	
February 2019	31.75	28.45	2055325	37172.18	35287.16	
March 2019	36.50	31.25	2900534	38748.54	35926.94	

13) Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/ grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.
 C-101, 247 Park,
 LBS Marg, Vikhroli (West),
 Mumbai – 400 083
 Tel: 022-49186270
 Fax: 022-49186060
 Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:

DGM / Company Secretary and Compliance officer
 Central Bank of India,
 9th Floor, Chandermukhi,
 Nariman Point, Mumbai 400 021
 Contact No. 022- 6638 7818
 Fax No.: 022- 2283 5198
 Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

14) DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

i) Distribution of shareholdings as on 31.03.2019

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	Number of shareholders	Percentage of Total	Shares	Percentage of Total
1-500	130082	91.4595	152722270.00	0.3774
501-1000	6754	4.7487	53312310.00	0.1317
1001-2000	2848	2.0024	42953020.00	0.1061
2001-3000	942	0.6623	24121620.00	0.0596
3001-4000	404	0.2840	14500590.00	0.0358
4001-5000	291	0.2046	13730720.00	0.0339
5001-10000	461	0.3241	33829510.00	0.0836
10001 and above	447	0.3143	40136844330.00	99.1718
Total	142229	100.00	40472014370.00	100.00



- ii) Share Holding of persons belonging to the category “Public” and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY “PUBLIC” AND HOLDING MORE THAN 1% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	262883360	6.4954

- iii) Share Holding of persons belonging to the category “Public” and holding more than 5% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY “PUBLIC” AND HOLDING MORE THAN 5% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	262883360	6.4954

- iv) Shareholding pattern as on 31.03.2019

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2019						
Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Central Government *	3691169652	0	1	0	3691169652	91.2030
Clearing Member	5968134	0	396	0	5968134	0.1475
Other Bodies Corporate	21623101	90	712	1	21623191	0.5343
Directors	163	0	1	0	163	0.0000
Financial Institutions	262883360	0	14	0	262883360	6.4954
Government Companies	700	0	1	0	700	0.0000
Hindu Undivided Family	1641660	0	3761	0	1641660	0.0406
Mutual Funds	793649	0	4	0	793649	0.0196
Nationalized Banks	244876	0	4	0	244876	0.0061
Non Nationalized Banks	240860	0	4	0	240860	0.0060
Non Resident Indians	627834	121600	693	1	749434	0.0185
Non Resident (Non Repatriable)	282259	0	432	0	282259	0.0070
Public	44988097	6050	136048	98	44994147	1.1117
Trusts	101658	0	11	0	101658	0.0025
G I C & Its Subsidiaries	6531875	0	4	0	6531875	0.1614
Foreign Portfolio Investor (Corporate)	9930524	0	34	0	9930524	0.2454
NBFCs registered with RBI	45295	0	9	0	45295	0.0011
Total	4047073697	127740	142129	100	4047201437	100

*As on 28.03.2019, the Bank allotted 68,72,48,322 equity shares in dematerialized mode to President of India (Government of India) on preferential basis which got listed and admitted to dealings on BSE & NSE w.e.f. 11.04.2019.

- v) Statement showing details of locked-in shares

Sr. No.	Name of the Shareholder	Number of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
1	PRESIDENT OF INDIA	3691169652	91.2030
	TOTAL	3691169652	91.2030



vi) Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

Sr. No.	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

vii) Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Sr. No.	Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

viii) Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2019 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	100	127740	0.003
NSDL	85468	321741261	7.950
CDSL*	56661	3725332436	92.047
Total	142229	4047201437	100.00

*As on 28.03.2019, the Bank allotted 68,72,48,322 equity shares in dematerialized mode to President of India (Government of India) on preferential basis which got listed and admitted to dealings on BSE & NSE w.e.f. 11.04.2019. There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.

ix) Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "Unclaimed Suspense Account" as on 31st March, 2019 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	233	32,853
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	233	32,853



Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

ANNEXURE I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members and Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2018 -19.

Place : Mumbai

Date : May 22, 2019

Sd/-

[Pallav Mohapatra]

Managing Director and Chief Executive Officer



CERTIFICATE UNDER REGULATION 17(8) OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

**The Board of Directors
Central Bank of India**

This is to certify that:

- a. We have reviewed Financial Statements and the Cash Flow Statement of Central Bank of India for the year 2018-19 and to the best of our knowledge and belief:
 - I. These Statements do not contain any material untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading
 - II. These Statements together, present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the financial year 2018-19, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee:
 - I. Significant changes in internal control over financial reporting during the financial year 2018-19.
 - II. There are no significant changes in accounting policies during the financial year 2018-19 and the same have been disclosed in the notes to the financial statements and,
 - III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the Management or any employee having a significant role in the Bank's Internal Control System over financial reporting.

(B.K.SINGAL)
General Manager & CFO

(PALLAV MOHAPATRA)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : May 15, 2019



C E R T I F I C A T E

To the Members of Central Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2019 as stipulated in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulation 2015.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Central Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Central Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that Central Bank of India has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Central Bank of India.

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

For MUKUND M CHITALE & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.106655W

(CA A.V.KAMAT)
PARTNER
M.No.039585

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
PARTNER
M.No.133755

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
PARTNER
M.No.093348

Place : Mumbai

Date : 15th May 2019



S.K.MEHTA & CO Chartered Accountants 302-306, Pragati Towers, 26, Rajendra place, NEW DELHI-110008	BORKAR & MUZUMDAR Chartered Accountants 21/168, Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Vakola, MUMBAI-400055
MUKUND M CHITALE & CO Chartered Accountants II Floor, Kapur House, Paranjape 'B' Scheme, Road No. 1, Vile Parle East, Mumbai-400057	AAJV AND ASSOCIATES Chartered Accountants LGF-C-73, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Central Bank of India

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Central Bank of India** ('the Bank') which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2019, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Standalone Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the Returns for the year ended on that date of 20 branches audited by us and 2549 branches audited by other statutory auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the bank in accordance with the guidelines issued to the bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance sheet and Profit and Loss Account are the returns from 2090 branches which have not been subjected to audit. These Unaudited branches account for 9.75 percent of advances, 27.61 per cent of deposit, 5.90 per cent of interest income and 25.17 per cent of Interest expenses.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give:
 - a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2019;
 - b. true balance of loss, in case of Profit and Loss account for year ended on that date; and
 - c. true and fair view of cash flows in case of the Cash Flow Statement for the year ended as on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2019. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.



Key Audit Matters	Auditors' Response
<p>1. Loans & Advances</p> <p>Identification and provisioning of Non performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances. (refer Schedule 9 read with Note 5 of Schedule 17 to the financial statements)</p> <p>Advances comprise a substantial portion of the Bank's total assets. The management exercises significant judgment in the asset classification and provisioning, and valuation of the security involves high degree of estimation and judgment, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the materiality of advances to the total assets, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered by us as a key audit matter. Identification of such non-performing advances is carried out in the Bank, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein.</p> <p>The management also exercises significant judgment in adherence to the IRAC norms and adequate provisioning in required cases.</p>	<p>Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • we have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances; • we have analyzed and understood key IT systems/ applications used operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances ; <p>In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI in this regards, we have verified whether both CBS system and the management have,</p> <p>(a) timely recognised the depletion in the value of available security;</p> <p>(b) made adequate provisioning based on such time to time monitoring and identification of asset classification.</p> <p>We placed reliance upon the Independent Auditors' Report of the Statutory Branch Auditors' as well as all MOCs both at branches as well as at H.O.level.</p> <p>Reliance also placed on the Audit Reports of the Statutory Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning.</p> <p>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory, considering the materiality.</p>
<p>2. Investments</p> <p>Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade. Investment also comprise, a substantial portion of the Bank's total assets.</p> <p>Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 17 to the financial statements)</p>	<p>Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. In particular,</p> <ul style="list-style-type: none"> - We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments.

<p>The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc.</p> <p>As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments.</p> <p>Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - For selected sample of investments, tested accuracy and compliance with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines. - We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. - We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided. <p>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.</p>
<p>3. Information technology (IT) systems used in financial reporting process</p> <p>The Bank's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions.</p> <p>The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use.</p> <p>Bank has an in house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services.</p> <p>Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive impact on the financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<p>We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • we obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. • we tested the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner. • we also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements. Information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon. <p>The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory.</p>



Information other than the financial statements and Auditors' report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors' Report including annexure, the Corporate Governance Report and Management Discussion and Analysis, but does not include the Standalone Financial Statements and our Auditors' Report thereon. The other information is expected to be made available to us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and the Basel III disclosure, we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations

Responsibilities of Management and those charged with governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of section 29 of the banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, Management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditors' Responsibility for the Audit of the Standalone Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than that for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentation, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty



exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosure in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charge with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charge with governance with the statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguard.

From the matters communicated with those charge with governance, we determine those matters that were of most significance in audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that matters should not be communicated in our report because of the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit of such communication.

Other Matter

8. We did not audit the financial statements/ information of 2549 branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements/financial information reflect total advances of Rs. 96,589.14 crore as at March 31, 2019 and the total interest income of Rs. 17,577.07 crore for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 6 to 8 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosures required therein, we report that:
 - a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.
11. We further report that:
 - a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.



- b. The Balance Sheet, the Profit and Loss Account, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
- c. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d. In our opinion, the Balance sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards; to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

For MUKUND M CHITALE & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.106655W

(CA A.V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place : Mumbai

Date : 15th May 2019



STANDALONE STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

(Rs. in Lacs)

PARTICULARS	As at 31-Mar-19	As at 31-Mar-18
	₹	₹
	Audited	Audited
CAPITAL & LIABILITIES		
Capital	4,04,720.14	2,61,815.58
Reserves and Surplus	14,88,765.52	15,36,737.78
Share application Money pending allotment	21,254.09	-
Deposits	2,99,85,543.68	2,94,83,885.73
Borrowings	5,23,906.16	5,70,611.62
Other Liabilities and Provisions	6,47,576.80	7,69,476.83
TOTAL	3,30,71,766.39	3,26,22,527.54
ASSETS		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	20,77,908.50	35,99,990.88
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	10,42,084.58	3,22,852.65
Investments	1,25,29,806.97	1,02,63,161.22
Advances	1,46,52,536.06	1,56,54,217.71
Fixed Assets	4,31,024.38	4,34,338.11
Other Assets	23,38,405.90	23,47,966.97
TOTAL	3,30,71,766.39	3,26,22,527.54

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

PRAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For **S. K. MEHTA & CO.**
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For **BORKAR & MUZUMDAR**
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For **MUKUND M CHITALE & CO**
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For **AAJV AND ASSOCIATES**
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 15, 2019



BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2019

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	As at 31-Mar-19 ₹	As at 31-Mar-18 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	4,04,72,014	2,61,81,558
Reserves and Surplus	2	14,88,76,552	15,36,73,778
Share application Money pending allotment		21,25,409	-
Deposits	3	2,99,85,54,368	2,94,83,88,573
Borrowings	4	5,23,90,616	5,70,61,162
Other Liabilities and Provisions	5	6,47,57,680	7,69,47,683
TOTAL		3,30,71,76,639	3,26,22,52,754
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	20,77,90,850	35,99,99,088
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	10,42,08,458	3,22,85,265
Investments	8	1,25,29,80,697	1,02,63,16,122
Advances	9	1,46,52,53,606	1,56,54,21,771
Fixed Assets	10	4,31,02,438	4,34,33,811
Other Assets	11	23,38,40,590	23,47,96,697
TOTAL		3,30,71,76,639	3,26,22,52,754
Contingent Liabilities	12	86,66,82,022	1,19,39,78,648
Bills for Collection	-	16,24,73,915	14,48,60,670
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 15, 2019


PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	Year Ended 31-Mar-19 ₹	Year Ended 31-Mar-18 ₹
I. INCOME			
Interest Earned	13	22,63,85,707	24,03,55,171
Other Income	14	2,41,29,368	2,62,23,513
TOTAL		25,05,15,075	26,65,78,684
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	15,86,63,898	17,51,85,079
Operating Expenses	16	6,05,86,250	6,40,63,689
Provisions and Contingencies		8,76,79,726	7,83,78,890
TOTAL		30,69,29,874	31,76,27,658
III. PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR BEFORE PRIOR PERIOD ITEM		(5,64,14,799)	(5,10,48,974)
Less: Prior period Item		-	-
Net Profit /(Loss) for the year after Prior period item		(5,64,14,799)	(5,10,48,974)
Profit / (loss) brought forward		(10,55,31,577)	(5,35,63,918)
TOTAL		(16,19,46,376)	(10,46,12,892)
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		-	-
Investment Reserve		5,63,762	9,18,685
Special Reserve u/s 36(1)(viii)		-	-
Staff Welfare Fund		-	-
Revenue Reserve		-	-
Fund in lieu of Insurance		-	-
Proposed Dividend - Preference Capital		-	-
Proposed Dividend - Equity Capital		-	-
Dividend Tax		-	-
Balance Carried Over to Balance Sheet		(16,25,10,138)	(10,55,31,577)
TOTAL		(16,19,46,376)	(10,46,12,892)
EPS (Basic & Diluted) in Rs. (nominal value Rs. 10/- per share)		(20.19)	(26.34)
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 15, 2019



SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2019

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2019		AS AT 31-Mar-2018	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		5,00,00,000		5,00,00,000
500,00,00,000 shares of Rs. 10/- each (previous year 500,00,00,000 shares) of Rs. 10/- each				
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares	4,04,72,014		2,61,81,558	
4047201437 Equity Shares (previous year 2618155755 Equity shares) of Rs. 10/- each (includes 3691169652 Equity shares (previous year 2262123970 Equity shares) of Rs. 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		4,04,72,014		2,61,81,558
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet		2,06,35,979		2,06,35,979
Additions during the year		-		-
		2,06,35,979		2,06,35,979
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet		3,13,02,428		3,20,53,777
Additions - Adjustments during the year		91,575		-
Less : Transfer to Revenue and Other Reserves		6,48,045		7,51,349
Deductions during the year		-		-
		3,07,45,958		3,13,02,428
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet		1,10,91,385		1,01,72,700
Additions during the year		5,63,762		9,18,685
		1,16,55,147		1,10,91,385
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet		16,99,08,791		11,86,58,639
Additions/ Adjustments during the year		5,16,29,543		5,12,50,152
		22,15,38,334		16,99,08,791
IV. Revenue and Other Reserves				
i) Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet		2,52,66,772		2,47,02,513
Add : Transfer from Capital Reserves		6,48,045		7,51,349
Additions during the year		6,959		-
Less: Deductions during the year		1,10,503		1,87,090
		2,58,11,273		2,52,66,772
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act				
		10,00,000		10,00,000
VI. Balance in Profit and Loss Account				
		(16,25,10,139)		(10,55,31,577)
TOTAL		14,88,76,552		15,36,73,778



(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2019		AS AT 31-Mar-2018	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	1,32,14,516		43,03,783	
ii) From Others	15,09,51,022		14,25,61,085	
		16,41,65,538		14,68,64,868
II. Savings Bank Deposits		1,22,13,88,674		1,10,50,92,892
III. Term Deposits				
i) From Banks	2,70,05,949		4,01,77,032	
ii) From Others	1,58,59,94,207		1,65,62,53,781	
		1,61,30,00,156		1,69,64,30,813
TOTAL		2,99,85,54,368		2,94,83,88,573
B. i) Deposits of Branches in India		2,99,85,54,368		2,94,83,88,573
ii) Deposits of Branches outside India		–		–

SCHEDULE 4 : BORROWINGS

I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	–		–	
ii) Other Banks	44,471		11,534	
iii) Other Institutions & Agencies	29,55,145		41,08,628	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	50,00,000		77,00,000	
v) Upper Tier II bonds	2,30,00,000		2,88,50,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	13,91,000		13,91,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	2,00,00,000		1,50,00,000	
		5,23,90,616		5,70,61,162
II. Borrowings outside India		–		–
TOTAL		5,23,90,616		5,70,61,162
Secured Borrowings included in I & II above		Nil		Nil

SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. Bills Payable	64,54,286		69,18,635	
II. Inter Office Adjustments (Net)	–		55,26,439	
III. Interest Accrued	83,71,940		77,60,143	
IV. Deferred Tax Liability			–	
V. Others (including provisions)	4,99,31,454		5,67,42,466	
TOTAL		6,47,57,680		7,69,47,683



(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2019		AS AT 31-Mar-2018	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		1,33,75,164		1,50,54,784
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	14,04,15,686		13,59,44,304	
In Other Accounts	5,40,00,000		20,90,00,000	
		19,44,15,686		34,49,44,304
TOTAL		20,77,90,850		35,99,99,088

SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	6,65,590		11,47,045	
b) In Other Deposit Accounts	6,880		13,045	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	19,00,000		–	
b) With Other Institutions	10,15,66,371		2,01,07,348	
		10,41,38,841		2,12,67,438
II. Outside India				
a) In Current Accounts	69,582		68,427	
b) In Other Deposit Accounts	35		1,09,49,400	
c) Money at Call & Short Notice	–		–	
		69,617		1,10,17,827
TOTAL		10,42,08,458		3,22,85,265

SCHEDULE 8 : INVESTMENTS

I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	96,20,60,271		81,31,71,345	
ii) Other approved Securities	–		–	
iii) Shares	83,42,097		1,26,11,655	
iv) Debentures and Bonds	21,46,94,317		14,22,05,198	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	30,39,987		30,39,987	
vi) Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	6,43,69,140		5,48,13,052	
		1,25,25,05,812		1,02,58,41,237
II. Investments outside India in **				
Subsidiaries and / or Associates abroad		4,74,885		4,74,885
TOTAL		1,25,29,80,697		1,02,63,16,122

* Investments in India

Gross Value	1,29,17,18,017		1,05,24,71,735	
Less: Provision for Depreciation	3,92,12,205		2,66,30,498	
Net Value		1,25,25,05,812		1,02,58,41,237

** Investments outside India

Gross Value	4,75,100		4,75,100	
Less: Provision for Depreciation	215		215	
Net Value		4,74,885		4,74,885



(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2019		AS AT 31-Mar-2018	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	1,11,08,722		1,21,08,770	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	70,50,21,260		70,53,09,854	
iii) Term Loans	74,91,23,624		84,80,03,147	
TOTAL		1,46,52,53,606		1,56,54,21,771
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	1,37,15,43,682		1,46,46,06,458	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	71,60,273		41,63,297	
iii) Unsecured	8,65,49,651		9,66,52,016	
TOTAL		1,46,52,53,606		1,56,54,21,771
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	77,46,50,563		78,35,46,358	
ii) Public Sector	4,18,77,509		4,39,19,258	
iii) Banks	11,452		1,643	
iv) Others	64,87,14,082		73,79,54,512	
TOTAL		1,46,52,53,606		1,56,54,21,771
(II) Advances outside India		-		-
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	4,03,28,001		4,01,28,537	
Additions during the year	14,580		1,99,464	
Total	4,03,42,581		4,03,28,001	
Deductions / Adjustments during the year	1,13,186		-	
Depreciation to date	73,27,018		67,85,203	
Total		3,29,02,377		3,35,42,798
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at 31st March of the preceding year	2,90,61,087		2,63,41,855	
Additions / Adjustments during the year	27,56,744		34,88,370	
Total	3,18,17,831		2,98,30,225	
Deductions / Adjustments during the year	6,07,292		7,69,138	
Total	3,12,10,539		2,90,61,087	
Depreciation to Date	2,10,10,478		1,91,70,074	
Total		1,02,00,061		98,91,013
TOTAL (I & II)		4,31,02,438		4,34,33,811



(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2019		AS AT 31-Mar-2018	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	1,84,62,354		1,67,85,595	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	5,16,34,457		5,34,81,235	
III. Stationery and Stamps	2,01,811		1,99,846	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-		-	
V. Deferred Tax Assets	7,89,40,100		5,36,80,300	
VI. Inter Office Adjustments (Net)	12,55,928		-	
VII. Others	8,33,45,940		11,06,49,721	
TOTAL		23,38,40,590		23,47,96,697
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		10,52,491		11,03,950
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc		2,56,91,553		2,97,99,058
II. Liability for partly paid Investments		52,498		76,140
III. Liability on account of outstanding forward Exchange Contracts		64,44,32,269		92,83,13,329
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	11,56,86,575		10,44,10,635	
b) Outside India	71,56,062		28,39,496	
		12,28,42,637		10,72,50,131
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		6,61,57,213		12,30,09,267
VI. Other item for which the bank is contingently liable		64,53,361		44,26,773
TOTAL		86,66,82,022		1,19,39,78,648



SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-19 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-18 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest / Discount on Advances / Bills	12,94,97,463	14,47,87,536
II. Income on Investments	8,45,42,399	7,13,73,632
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Funds	87,28,057	2,05,85,442
IV. Others	36,17,788	36,08,561
TOTAL	22,63,85,707	24,03,55,171
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	1,20,38,126	1,26,24,751
II. Profit on Sale of Investments (Net)	21,51,879	57,66,755
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	-	-
IV. Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	(44,269)	(44,982)
V. Profit on Exchange Transactions (Net)	14,04,372	14,09,054
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	52,200	1,00,972
VII. Miscellaneous Income	85,27,060	63,66,963
TOTAL	2,41,29,368	2,62,23,513
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	15,27,63,230	16,22,26,890
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	47,690	45,704
III. Others	58,52,978	1,29,12,485
TOTAL	15,86,63,898	17,51,85,079
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	3,56,52,216	3,98,33,703
II. Rent, Taxes and Lighting	47,24,267	47,46,738
III. Printing and Stationery	2,87,739	3,62,698
IV. Advertisement and Publicity	1,05,710	2,41,456
V. Depreciation on Bank's property	27,77,242	26,03,090
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	14,557	10,622
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	3,03,412	1,98,592
VIII. Law Charges	1,67,276	1,71,272
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	8,99,275	6,63,447
X. Repairs and Maintenance	9,88,942	11,32,748
XI. Insurance	30,00,804	35,71,763
XII. Other Expenditure	1,16,64,810	1,05,27,560
TOTAL	6,05,86,250	6,40,63,689



SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. a) Basis of Preparation:

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting year. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/materialised.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

- 2.1 The transactions are initially recorded on previous day's closing rate.
- 2.2 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the quarter end as notified by FIBIL and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.
- 2.3 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.
- 2.4 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the quarter end rates notified by FIBIL.
- 2.5 Outstanding Forward Contracts are translated at the quarter end rates notified by FIBIL and the resultant profit/ loss is recognized in Profit and Loss Account.

3. Investments:

3.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are categorised into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Subsidiaries and sponsored institutions and
- vi) Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

3.2 Basis of Classification:

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

- i) Held to Maturity:
These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity. Investments in subsidiaries and associates are also categorised under Held to Maturity.
- ii) Held for Trading
Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.
- iii) Available for Sale
Investments that cannot be classified in the above categories.



3.3 Transfer of Securities between categories:

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.4 Valuation:

a) Held to Maturity:

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.

Investments in subsidiaries and associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.

b) Available for sale:

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i)	Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIBIL.
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government	On appropriate yield to maturity basis.
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper	At carrying cost.
iv)	Equity Shares	a) Quoted : At market price. b) Unquoted: At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1/- per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Shares	a) Quoted : At market price. b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a) Quoted : (Traded in last 15 days) at last Trade Price. b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	a) Quoted : At market price. b) Unquoted: At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital Fund (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.
ix)	Security Receipts (SR)	At Net Asset Value (NAV) advised by SC/ARC.

The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading:

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIBIL. The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

3.5 Determination of Cost:

- Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.
- Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.



3.6 Income Recognition:

- i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.
- ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and classified as Substandard/Doubtful/Loss as the case may be and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances or otherwise required as per RBI directives issued from time to time. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.
- iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms or as otherwise required as per the RBI directions issued from time to time.
- iv) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

3.7 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing/Lending

4. Derivatives:

4.1 Derivatives used for hedging are accounted as under :

- i) In cases where the underlying Assets/Liabilities are marked to market, resultant gain/loss is recognised in the Profit & Loss Account.
- ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Assets/Liabilities are not marked to market.
- iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/liabilities.

4.2 Derivatives used for Trading are accounted as under:

- i) Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
- ii) MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit & loss account on final settlement.
- iii) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.
- iv) Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head

5. Advances:

5.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or otherwise required in terms of RBI directions issued from time to time.

5.2 Partial Recovery in Non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest. However, where any borrowal account is required to be classified as Non-Performing from back date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances [viz. Scheme for sustainable Structuring of Stressed assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loan (5/25), Change of Ownership of Borrowing Entities (outside Strategic Debt Restructuring Scheme)].

5.3 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.



5.4 Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

5.5 Financial Assets sold are recognized as under:

5.5.1 In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is either charged to the Profit and Loss Account or such shortfall on assets sold on or after 26.02.2014 is spread over a period of two/one year in line with RBI guidelines subject to necessary disclosures.

5.5.2 In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

5.5.3 In case of sale to SC/ARC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

6. Fixed Assets/Depreciation:

6.1 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

i) Premises	At varying rates based on estimated life
ii) Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii) Vehicles	20%
iv) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v) Computers including Systems Software	33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

6.2 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over a period of lease.

6.3 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

6.4 In case of assets, which have been revalued, the depreciation / amortization is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account. Amount of incremental depreciation / amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

6.5 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.

7. Employee Benefits:

Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees. Short term employee benefits are recognised as an expense in the profit and loss account for the year in which the related service is rendered.

Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique. Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss account.

National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

8. Recognition of Income and Expenditure:

8.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.

8.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.



8.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guideline

9 Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future taxable profits. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment / appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

10 Provisions, Contingencies and Contingent assets:

Provisions are recognized for present obligations, of uncertain timing or amount, arising as a result of a past event where a reliable estimate can be made and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required or the amount cannot be estimated reliably, the obligation is disclosed as a contingent liability unless the possibility of outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 15, 2019


SCHEDULE-18 : NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
1. Capital:

Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2019 is ₹ 4047.20 crore increased from ₹ 2618.16 crore of previous year by issue of fresh 1429045682 equity shares of ₹ 10 each in three allotments.

- a. 354357970 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 56.43 on 13.11.2018
- b. 387439390 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 33.31 on 28.02.2019.
- c. 687248322 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 27.25 on 28.03.2019.

2. Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items are in progress :

- Inter Branch Office Balance
- Inter Bank Accounts
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Balances related to ATM
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department
- Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3. Income Tax:

- 3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.
- 3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 2569.16 crore (previous year ₹ 2979.91 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

4. Premises:

- 4.1 Premises obtained on Lease by the Bank includes properties costing ₹ 0.75 Crore (previous year ₹ 0.75 Crore) for which registration formalities are still under progress.
- 4.2 In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 64.80 Crore (previous year ₹ 75.13 Crore) is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

5. Advances / Provisions

- 5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.
- 5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crores (previous year ₹ 100.56 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹ 47.34 Crore (previous year. ₹ 47.34 Crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.



6. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India :

a. (i) Capital

(₹ in crore)

Sl.No	Items	31.03.2019	31.03.2018
1	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	7.49%	7.01%
2	Tier 1 capital ratio (%)	7.49%	7.01%
3	Tier 2 capital ratio (%)	2.12%	2.03%
4	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	9.61%	9.04%
5	Percentage of the shareholding of the Government of India	91.20%	86.40%
6	Amount of equity capital raised	6804.54*	5158.00
7	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which <i>Perpetual Non Cumulative Preference Share (PNCPS):</i> <i>Perpetual Debt Instruments (PDI):</i>	NIL	NIL
8	Amount of Tier 2 capital raised; Of which		
	- Debt capital instruments:	NIL	NIL
	- Preference Share Capital Instruments: [<i>Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non Cumulative Preference Share (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Share (RCPS)</i>]	NIL	NIL
	- Amount of Sub-ordinate debts raised during the year	500.00	NIL

*Includes capital funds of ₹ 2354.00 crore received from Government of India on 19.09.2018 and the same was kept in the "Central Bank of India Share Application Money Account". Bank allotted (35,43,57,970) equity shares of ₹ 10 each at premium ₹ 56.43 to President of India (Government of India) on 13.11.2018.

Further, capital funds of ₹ 1678.00 crore received from Government of India on 31.12.2018 and the same was kept in the "Central Bank of India Share Application Money Account". Bank allotted (38,74,39,390) equity shares to President of India (Government of India) on 28.02.2019.

Further, capital funds of ₹ 2560.00 crore received from Government of India on 21.02.2019 and the same was kept in the "Central Bank of India Share Application Money Account". Bank allotted (68,72,48,322) equity shares of ₹ 10 each at premium ₹ 27.25 to President of India (Government of India) on 28.03.2019.

Capital funds of ₹ 212.54 crore received against valid applications from eligible employees under Central Bank of India Employee Stock Purchase Scheme, 2019 on 30.03.2019 and the same was kept in the "Central Bank of India Share Application Money Account". Allotment of Equity shares is in process.

b. (i) Investments

(₹ in crore)

Items		31.03.2019	31.03.2018
1)	Value of Investments		
i)	Gross Value of Investments	129219.31	105294.68
	a) In India	129171.80	105247.17
	b) Outside India	47.51	47.51
ii)	Provisions for Depreciation	3921.24	2663.07
	a) In India	3921.22	2663.05
	Excess provision for depreciation (held at shifting) over current valuation	0.00	0.00
	b) Outside India	0.02	0.02
iii)	Net Value of Investments	125298.07	102631.61
	a) In India	125250.58	102584.12
	b) Outside India	47.49	47.49



(₹ in crore)

Items		31.03.2019	31.03.2018
2)	Movement of Provisions held towards depreciation on Investments		
i)	Opening Balance	2663.07	1696.68
ii)	Add: Provisions made during the year	2561.64	1781.21
iii)	Less: Write Back/Utilized during the year	1303.47	814.82
iv)	Closing Balance	3921.24	2663.07

(ii) Repo Transactions (in face value terms)

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2019
Securities sold under Repo				
I. Government Securities	0.00	750.00	38.09	0.00
II. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under Reverse Repo				
I. Government Securities	0.00	34878.98	10797.67	11059.84
II. Corporate debt securities	0	0	0	0

(iii) Non SLR Investment Portfolio

Issuer wise composition of Non SLR Investments

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	Central Govt Recap Bonds	11427	0	0	11427	11427
ii)	State Govt Special Bond	3170	0	0	3170	0
iii)	PSUs	5123	18	0	3869	1777
iv)	FIs	372	127	0	44	44
v)	Banks	150	0	0	0	0
vi)	Private Corporates	1868	120	227	500	692
vii)	Subsidiaries/ Joint Ventures/RRB/ Indo-Zambia	421	421		421	421
viii)	Others	10483	0	438	5132	6508
	TOTAL	33013	686	665	24562	20869
	Less: Provision held towards depreciation	3921	0	0	0	0
	NET	29092	686	665	24562	20869

Note: Amounts reported under Columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive



(iv) Non Performing Non-SLR Investments (including Matured Investments)

(₹ in crore)

PARTICULARS	31.03.2019	31.03.2018
Opening Balance	2084.48	560.14
Additions during the year	653.74	1643.39
Reductions during the year	1191.36	119.05
Closing balance	1546.86	2084.48
Total provisions held	1333.64	1648.11

c. Derivatives

(i) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in crore)

	Items	31.03.2019	31.03.2018
i)	The Notional Principal of Swap agreements	50.00	25.00
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	0.00	0.00
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps		
	– Foreign Bank	NIL	NIL
	– Domestic Bank	NIL	NIL
v)	The fair value of the swap book	(0.42)	0.00*

* Figure is less than ₹ 1 lakh.

(ii) Forward Rate Agreement / Currency Rate Swap

(₹ in crore)

	Items	31.03.2019	31.03.2018
i)	The Notional Principal of Swap agreements	344.19	334.07
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	3.65	4.97
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps		
	– Foreign Bank	NIL	NIL
	– Domestic Bank	NIL	NIL
v)	The fair value of the swap book	NIL	0.99

(iii) Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
	Interest Rate Futures		
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	NIL	NIL
iv)	Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	NIL	NIL

**(iv) Exchange Traded Currency Derivatives:**

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives undertaken during the year		
	a) Currency Futures	3211.51	11545.10
	b) Currency Options	0.00	0.00
ii)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives outstanding		
	a) Currency Futures	0.00	0.00
	b) Currency Options	0.00	0.00
iii)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives outstanding and not "highly effective"		
	a) Currency Futures	0.00	0.00
	b) Currency Options	0.00	0.00
iv)	Mark-to market value of exchange traded currency derivatives outstanding and not "highly effective"		
	a) Currency Futures	0.00	0.00
	b) Currency Options	0.00	0.00

Disclosures on risk exposure in Derivatives

(v) Qualitative Disclosures

- Risk Management Policy approved by the Board of Directors for the use of derivative instruments to hedge/trade is in place.
- Policy for Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Currency Futures and Interest Rate Futures for Hedging the Interest Rate Risk in the Investment Portfolio and also for Market Making is in place.
- The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counter party exposure limits etc. as approved by the Board of Directors are in place.

Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/income on the IRS are accounted and recognized as income/expense.
- If the swap is terminated before maturity, the Mark to Market (MTM) loss/gain and accrual till such date are accounted as expense/income under interest paid/received on IRS.

Trading positions

- Currency Future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
- MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit & loss account on final settlement.
- Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head

Outstanding Forward Contract Merchant & Interbank as on 31.03.2019

(₹ in crore)

Outstanding as on 31.03.2019	65214.97
Hedging Position	4936.31
Trading Position	60278.66



(vi) Quantitative Disclosures

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2019		31.03.2018	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
a)	For hedging	4936.31	0.00	5463.05	0.00
b)	For trading	60278.66	50.00	84383.91	25.00
ii)	Marked to Market Positions				
a)	Asset (+)	1178.39	0.40	435.84	0.40
b)	Liability (-)	1149.84	0.00	454.35	0.15
iii)	Credit Exposure [1]				
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	-	0.01	-	0.01
a)	On hedging derivatives	-	0.00	-	0.00
b)	On trading derivatives-	-	0.01	-	0.01
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
a)	On hedging	-	Max-0.00 Min-0.00	-	Max-0.00 Min-0.00
b)	On trading	-	Max - 0.04 Min - 0.01	-	Max-0.04 Min-0.01

d. Asset Quality

(a) Non Performing Assets

(₹ in crore)

	Items	31.03.2019	31.03.2018
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	7.73	11.10
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
a)	Opening balance	38130.70	27251.33
b)	Additions during the year	10328.64	17071.24
c)	Reduction during the year	(16103.30)	(6191.87)
d)	Closing balance	32356.04	38130.70
iii)	Movement of Net NPAs		
a)	Opening balance	17377.87	14217.83
b)	Additions during the year	7087.01	6246.83
c)	Reduction during the year	(13131.64)	(3086.79)
d)	Closing balance	11333.24	17377.87
iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on Standard Assets)		
a)	Opening balance	19601.31	11862.53
b)	Provisions made during the year	12471.57	10824.41
c)	Write off/ write back / Transfer	(12139.30)	(3085.63)
d)	Closing balance	19933.58	19601.31



(b) Particulars of Accounts Restructured :

(₹ in crore)

Sr No	Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓	Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total					
		Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	No. of borrowers	4	1	28	0	33	70	27	120	0	217	2193	1498	1616	0	5307	2267	1526	1764	0	5557
		Amount outstanding	391.11	507.67	2772.51	0.00	3671.29	34.94	18.06	112.11	0.00	165.10	1192.22	727.26	2480.99	0.00	4399.87	1616.27	1252.98	5365.03	0.00	8236.26
		Provision thereon	63.03	30.17	357.67	0.00	451.47	0.51	0.74	1.42	0.00	2.67	124.89	9.66	34.33	0.00	169.08	189.09	40.57	391.62	0.00	623.22
2	Fresh restructuring during the year#	No. of borrowers	0	0	0	0	0	2573	33	0	1	2607	7802	68	32	0	7902	10375	101	32	1	10509
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.04	1.85	0.00	0.04	192.93	543.12	5.10	16.66	0	564.88	734.16	6.95	16.66	0.04	757.81
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87	0.09	0.00	0.00	5.96	26.63	0.25	0.03	0	26.91	32.50	0.34	0.03	0.00	32.87
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	3	-2	-1	0	0	20	-15	-5	0	0	23	-17	-6	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	-0.11	-0.56	0.00	0.00	18.94	-12.86	-0.08	0.00	0.00	19.61	-18.97	-0.64	0.00	0.00
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.07	-0.04	-0.03	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY*	No. of borrowers	1				1	5				5	61			61	67					67
		Amount outstanding	-166.20				-166.20	-1.18				-1.18	-303.32			-303.32	-470.70					-470.70
		Provision thereon							-0.06			-0.06	-7.09			-7.09	-21.83					-21.83
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-2	2	0	0	0	-5	4	0	1	0	-433	-1234	1334	333	0	-440	-1228	1334	334	0
		Amount outstanding	-45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	-2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	-177.94	-430.43	538.89	49.48	0.00	-225.60	-382.77	538.89	49.48	0.00
		Provision thereon	-3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	-10.32	-3.16	9.38	4.10	0.00	-13.40	-0.08	9.38	4.10	0.00
6	Write offs of restructured accounts during the FY\$	No. of borrowers	0	-1	-12	0	-13	-21	-24	-9	-1	-55	-195	-26	-698	-333	-1252	-216	-51	-719	-334	-1320
		Amount outstanding	-8.76	-507.67	-1473.24	0.00	-1989.67	-3.72	-15.21	-24.38	0.00	-43.31	-3.88	-122.82	-1283.35	-49.48	-1439.53	-16.36	-645.70	-2780.97	-49.48	-3492.51
		Provision thereon**	41.04	3.06	88.43	0.00	132.53	6.12	0.11	0.95	0.00	7.22	133.58	6.80	31.85	0.00	172.23	180.74	9.97	121.27	0.00	311.98
7	Restructured Accounts as on 31.03.2019 (closing figures)	No. of borrowers	1	2	16	0	19	2615	38	110	1	2764	9326	291	2279	0	11866	11942	331	2405	1	14679
		Amount outstanding	171.06	45.09	1299.27	0.00	1515.42	219.18	7.15	87.17	0.04	313.54	1269.14	160.25	1772.51	0.00	3201.50	1659.38	212.49	3158.95	0.04	3030.66
		Provision thereon**	41.04	3.06	88.43	0.00	132.53	6.12	0.11	0.95	0.00	7.22	133.58	6.80	31.85	0.00	172.23	180.74	9.97	121.27	0.00	311.98

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

** provision held is figure of sacrifice provision

Includes account restructured in earlier years however identified during current financial Year.

\$ Includes recovery during current Financial Year restructured accounts .

(c) Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

A. Details of Sales

(₹ in crore)

	Items	31.03.2019	31.03.2018
i)	No. of accounts	6	2
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	864.89	105.33
iii)	Aggregate consideration	1405.55	114.00
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	37.73	1.47
v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	578.39	10.14

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

The details of the book value of investments in security receipts is as under:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	2715.38	3116.96
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	2.77	6.85
	Total	2718.15	3123.81



C. Details of Investment in Security Receipts

(₹ in crore)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	2584.51	130.87	0.00
	Provision held against (i)	1246.75	100.76	0.00
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying	0.08	2.69	0.00
	Provision held against (ii)	0.00	2.04	0.00
	Total Book Value (i) + (ii)	2584.59	133.56	0.00

(d) Details of Non Performing Financial Assets purchased/ sold from/to other Banks

a. Details of Non Performing Financial Assets purchased:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1	a No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	b Aggregate outstanding	NIL	NIL
2	a Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	b Aggregate outstanding	NIL	NIL

b. Details of Non Performing Financial Assets sold:

(₹ in crore)

	Items	31.03.2019	31.03.2018
1	No. of accounts	NIL	NIL
2	Aggregate outstanding	NIL	NIL
3	Aggregate consideration received	NIL	NIL

(e) Provision on Standard Assets

(₹ in crore)

	Items	31.03.2019	31.03.2018
	Provisions towards Standard Assets held	478.83	496.71

(f) Business Ratios

Sr. No.	Items	31.03.2019	31.03.2018
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds *	6.81	7.59
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds*	0.73	0.83
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds *	0.94	0.86
(iv)	Return on Assets **	(1.70)	(1.61)
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee*** (₹ in lacs)	1278.03	1270.64
(vi)	Profit/(Loss) per employee (₹ in lacs)	(15.55)	(13.86)

* Working Funds comprise average of Total Assets (excluding Revaluation Reserve) during the 12 months of the Financial Year.

** Working Funds comprise average Total Assets (excluding Revaluation Reserve)

*** Based on aggregate Deposits (other than Inter Bank Deposits) plus Advances.


g. Asset Liability Management

The maturity pattern of Total Deposits, Borrowings, Advances, & Total Investments under various maturity buckets prescribed by Reserve Bank of India as of 31st March ' 2019 are as follows: -

(₹ in crore)

Period	Total Deposit	Total Advances	Total Investment	Total Domestic Borrowings *	Foreign Currency	
					Assets	Liabilities
Day 1	1515.25	3264.27	52434.82	4.45	276.98	423.65
2 days to 7 days	2085.70	1372.61	2120.17	32.32	162.03	236.37
8 days to 14 days	1862.05	168.64	1378.39	0.00	19.36	13.05
15 days to 30 days	5047.08	5864.02	1716.17	0.00	10.65	14.00
31 days to 2 months	7959.36	1368.86	2794.40	0.00	4.43	45.74
Above 2 months to 3 months	8056.37	2106.14	4720.28	32.62	194.84	23.95
Above 3 months to 6 months	11470.00	3956.50	4111.07	0.01	253.36	125.18
Above 6 months to 12 months	25306.80	7025.16	5263.85	65.08	372.45	600.96
Above 1 years to 3 years	135241.85	72141.86	6715.13	159.30	122.37	382.15
Above 3 years to 5 years	51835.10	15942.58	9306.65	5.87	9.34	159.47
Over 5 years	49475.87	33314.72	34737.14	0.31	0.28	0.00
Total	299855.43	146525.36	125298.07	299.96	1426.07	2024.51

Note : -

* Excluding those considered under Tier II Capital.

The above data has been compiled on the basis of the Guidelines of RBI and certain assumptions made by the Management and has been relied upon by the Auditors.

h. Exposures
(i) Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Category		31.03.2019	31.03.2018
a)	Direct Exposure		
	(i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented: (individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances included above)	27083.50	22094.61
	(ii) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings retail space multi-purpose commercial premises multi-family residential buildings multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space hotels land acquisition development and construction etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limit:	(13955.55)	(13595.91)
	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – - Residential - Commercial Real Estate.	4180.29	3803.25
		0.00	0.00
		66.23	73.20
b)	Indirect Exposure		
	(i) Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2001.99	1365.03
	TOTAL EXPOSURE TO REAL ESTATE SECTOR	19376.46	13740.18



(ii) Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Items	31.03.2019	31.03.2018
i) Direct Investment in equity shares convertible bonds convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	521.84	557.92
ii) Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs) convertible bonds convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	2.95	0.00
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equities-oriented mutual funds are taken as primary security.	144.60	205.85
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	0.00	0.00
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	327.30	333.15
vi) Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
vii) Bridge Loans to the companies against expected equity flows/ issues.	0.00	0.00
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	0.00	0.00
ix) Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.00
x) All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered)	0.00	0.00
Total Exposure to Capital Market	926.79	1096.92

(iii) Risk Category-wise Country Exposure :

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2019	Provision held as at 31.03.2019	Exposure (net) as at 31.03.2018	Provision held as at 31.03.2018
Insignificant	745.22	Nil	1236.57	Nil
Low	437.08	Nil	444.44	Nil
Moderate	49.26	Nil	53.37	Nil
High	46.42	Nil	33.79	Nil
Very High	0.57	Nil	28.49	Nil
Restricted	0.00	Nil	0.00	Nil
Off-credit	0.00	Nil	0.00	Nil
Total	1278.55	Nil	1796.66	Nil

As the Bank's exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1% of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.



(iv) **Details of Single borrower limit/Group Borrowers Limit exceeded by the Bank for which necessary Board approval has been obtained.**

a. Single Borrower Limit exceeded by Bank (₹ in crore)

Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Total Exposure	Exposure as % of Capital Fund	Amount Outstanding as on 31.03.2019	Outstanding as % of Capital Fund
Food Corporation of India	2439.97	2546.85	15.66	1338.58	8.23
Reliance Jio Infocom	2439.97	2880.00	17.71	2544.21	15.64
Godrej & Boyce	2439.97	2800.00	17.21	1445.32	8.89
Videocon Industries	2439.97	2843.00	17.48	2734.14	16.81

b. Group Borrower Limit exceeded by Bank : NIL

(v) **Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz. Rights Licenses Authorizations etc. which is shown as unsecured in Schedule-9.**

Advances amounting to ₹ Nil (previous year ₹ Nil) against charge over intangible security such as Rights Licences Authorization etc. are considered as unsecured.

The value of intangible security is ₹ Nil (previous year ₹ Nil)

(vi) **In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) of ₹ Nil as on March 31, 2019 (Previous year ₹ 2,115.52 crore were issued on risk sharing basis for a maximum period of 120 days ending July 30, 2018, thereby reducing the Bank's Total Advances as on March 31, 2018 to same extent.)**

(vii) **Sale and transfer to / from HTM category**

During the year ended Mar 31, 2019 the value of sales and transfers of securities to/from HTM category (excluding one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year sale to RBI under pre-announced Open Market Operation auctions and repurchase of Government securities by the government of India) had exceeded 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year. The market value of investments held in the HTM category was ₹ 75022 crore whose book value is ₹ 74570 crore as on March 31, 2019 which includes investments in subsidiaries/joint ventures carried at cost. The book value of such investments being lower than market value, no provision is required to be made.

7. Disclosure of penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 1.16 crore (previous year ₹ 0.91 crore) in terms of Section 47A(1)(a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms.

8. I. Disclosure regarding concentration of Deposits Advances Exposures and NPAs:

8.1 Concentration of Deposits (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(a) Total Deposits of twenty largest depositors	14654.59	18098.73
(b) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	4.89%	6.14%

8.2 Concentration of Advances (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(a) Total Advances to twenty largest borrowers	16180.76	23203.00
(b) Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	9.65%	13.07%

Advances represents credit exposure as per RBI norms



8.3 Concentration of Exposures

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(a) Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	30600.38	33006.00
(b) Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	12.00%	13.54%

Advances represents credit and investment exposure as per RBI norms

8.4 Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(a) Total Exposure to top four NPA accounts	5820.88	6563.53

II. Sectorwise advances:

(₹ in Crore)

S.No	Sector	31.03.2019			31.03.2018		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	35655.42	3446.76	9.67	34191.98	2515.62	7.36
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	11287.64	2288.24	20.27	13241.66	2299.01	17.36
3	Services	19780.88	2945.76	14.89	19234.93	2216.56	11.52
4	Personal loans	16477.36	1007.58	6.11	16166.06	793.55	4.91
	Sub-total (A)	83201.30	9688.34	11.64	82834.63	7824.74	9.45
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Industry	48682.02	19035.17	39.10	57886.75	25775.72	44.53
3	Services	16126.42	2916.55	18.09	22677.46	4183.18	18.45
4	Personal loans	19719.17	715.98	3.63	14085.21	347.05	2.46
	Sub-total (B)	84527.61	22667.70	26.82	94649.42	30305.96	32.02
	Total (A+B)	167728.91	32356.04	19.29	177484.04	38130.70	21.48

III. A. Movement of NPAs

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Gross NPAs *as on 1st April (opening Balance)	38130.70	27251.33
Additions (Fresh NPAs) during the year	10328.64	17071.24
Sub Total (A)	48459.34	44322.57
Less:-		
(i) Upgradation	567.53	785.12
(ii) Recovery (excluding recoveries made from upgraded accounts)*	5160.56	2403.34
Sale of NPA	0.00	79.80
(iii) Technical/Prudential Write-Offs	8522.52	2606.53
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	1852.69	317.08
Sub-total (B)	16103.30	6191.87
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	32356.04	38130.70

**B. Technical write-off and the recoveries:**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts as at April 1	9239.32	6954.63
Add: Technical/Prudential write-offs during the year	8522.52	2606.53
Sub-total (A)	17761.84	9561.16
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B) *	1684.04	321.84
Closing balance as at March 31 (A-B)	16077.80	9239.32

*includes conversion to Regular write off of ₹ 1184.63 crores (Previous year ₹ 5.58 crore)

IV. Overseas Assets NPAs and Revenue

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Assets	NIL	NIL
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	NIL	NIL

V. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

VI. Disclosures relating to Securitisation:

(₹ in crore)

S. No.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions*	NIL	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	NIL	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitizations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Loss	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitisations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitisations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitisations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL

*Only the SPVs relating to outstanding securitisation transactions may be reported here



VII. Intra-Group Exposures:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(a)	Total amount of intra-group exposures	706.42	692.62
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures(there are only 6 companies in this category)	706.42	692.62
(c)	Percentage of intra-group- exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.28%	0.29%
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon if any	Nil	Nil

VIII. Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF):

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Opening balance of amounts transferred to DEAF	83.61	61.69
Add: Amount transferred to DEAF during the year	168.69	23.17
Less: Amount reimbursement by DEAF towards claims	1.15	1.25
Closing balance of amounts transferred to DEAF	251.15	83.61

There are certain eligible credit balances in the nature of unlocated deposit which are not yet remitted pending reconciliation.

9. Liquidity Cover

LCR Disclosure

(₹ in crore)

	31.03.2019		31.03.2018	
	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets				
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	85927.25		90761.49
Cash Outflows				
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:			
(i)	Stable deposits	72633.00	3631.75	70192.60
(ii)	Less stable deposits	184159.00	18415.75	175726.27
3	Unsecured wholesale funding of which:			
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	36819.75	15820.25	48090.22
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding			0.00
5	Additional requirements of which			
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	10491.00	10491.00	8563.56
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	21291.25	2230.25	21344.93
6	Other contractual funding obligations	1785.00	1785.00	1316.66
7	Other contingent funding obligations	19813.50	594.50	24491.51
8	Total Cash Outflows		52968.50	55477.26



		31.03.2019		31.03.2018	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
Cash Inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	11499.00	0.00	32815.47	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	2883.75	2883.75	2277.90	2277.90
11	Other cash inflows	24501.25	19378.25	23674.46	17368.41
12	Total Cash Inflows	38884.00	22262.00	58767.84	19646.31
		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value	
13	TOTAL HQLA	85927.00		90761.49	
14	Total Net Cash Outflows	30706.50		35830.95	
15	Liquidity Coverage Ratio (%)	279.83		253.30	

LCR Qualitative Disclosures:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) Qualitative Disclosures		
Line items significant to LCR	Explanatory Notes	
a	The main drivers of the LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation	<p>The main drivers of LCR results are :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) High Quality Liquid Asset (HQLA) is one of the major drivers of LCR, the major portion of HQLA consists of facility to avail liquidity under Marginal Standing Facility (MSF) & LCR. Other major heads impacting HQLA are investment in government securities/ guaranteed by government. 2) Cash Outflow is another major driver of LCR. The main components of cash outflows are less stable retail deposit, funding from other legal entity and net derivative cash outflow. 3) Yet another major driver of LCR is Cash Inflow. The main components of cash inflows are inflows by counterparty and net derivative cash inflow.
b	Intra-period changes as well as changes over time	Not Applicable
c	The composition of HQLA	<p>The HQLA comprises of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Level 1 assets comprises of surplus SLR investments (net of encumbered against REPO, CBLO, MSF, CROMS, other securities pledged for RTGS, SGF, MCX, NSCCL etc) and 2% of NDTL applicable for MSF and 13% of NDTL (FALLCR) as per RBI circular no. RBI/2018-19/98 DBR.BP.BC.No.17/21.04.098/2018-19 dated 28.12.2018. 2. Level 2A assets comprises of Special (Discom) Bonds issued by State Government, Bonds issued by State Power Distribution Companies, Central Government PSUs excluding the finance companies. 3. Level 2A assets also comprises of bonds of private corporates having rating of AA- and above excluding the finance companies. 4. Level 2B assets comprises of bonds of corporates having rating of BBB- to A+ excluding the finance companies. 5. Level 2B assets also comprises of NIFTY/SENSEX shares excluding the finance companies.



d	Concentration of funding sources	Bank addresses the funding concentration by monitoring their funding from each significant counterparty, each significant product / instrument and each significant currency ('significant' is defined as aggregate amount is more than 1% of the bank's liabilities).
e	Derivative exposures and potential collateral calls	Derivative exposure of the bank consists of the following: 1. OTC Derivatives a) Forwards b) Currency Swaps c) Interest Rate Swap 2. Exchange Traded Derivatives a) Currency Futures b) Interest Rate Futures
		<p>Potential collateral call comes into question if the trades take place on the Exchange or the settlement takes place through Central Counterparty and is guaranteed and also if the Credit Support Annex(CSA) which is an attachment to the ISDA Master Agreement , is signed with the counterparties.</p> <p>For exposure of trades under Currency Futures and Interest Rate Futures bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) and the same is being maintained depending on the amount of exposure and the volatility in the market.</p> <p>All Interbank USD/INR Swaps and forwards are being settled through CCIL which is a Central Counterparty (CCP). Bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) with CCIL for guaranteed settlement of Interbank USD/INR Swaps and Forwards.</p> <p>The amount of margin depends on the amount of exposure and the volatility in the respective markets. The additional margin is being maintained with the Exchange/ CCP as and when the call is made for the same.</p> <p>At present, bank does not have in place the Credit Support Annex with any counterparty. As such, no potential collateral call will arise.</p>
f	Currency mismatch in the LCR	To capture potential currency mismatches, the LCR in each significant currency is monitored. A currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. Bank doesn't have currency mismatch in LCR as bank does not have exposure in 'significant' currency.
g	Degree of centralisation of liquidity management and interaction between the group's units	Liquidity management in the bank is centralized and monitored by ALM & Treasury team. Interaction between treasury, CBS, ALM team & other functional units are seamless.
h	Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.	None
i	Other Information	None


10. Other Disclosures
Insurance Business :

Fees/ remunerations received in respect of the Bancassurance Business during the current year is as under :

Particulars	31.03.2019		31.03.2018	
	No. of policies	Amount (₹ in crore)	No. of policies	Amount (₹ in crore)
Life	20883	10.02	25659	11.03
Non Life	186558	10.59	201218	10.39
Total		20.61		21.42

11. The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

a) Accounting Standard - 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy No. 8. However the said income is not considered to be material.

b) Accounting Standard - 15 (Revised)
Defined Contribution Plan:
National Pension Scheme (NPS):-

During the year Bank has recognized ₹ 79.62 crore (Previous year ₹ 67.82 crore) as contribution to NPS in profit & loss account.

Defined Benefit Plan:

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below: (₹ in crore)

Particulars	31.03.2019		31.03.2018	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Table showing change in Defined Benefit Obligation:				
Liability at the beginning of the year	1741.56	13,821.17	1847.13	12484.08
Interest Cost	136.36	1,076.67	134.29	930.06
Current Service Cost	66.18	83.98	69.13	87.53
Past Service Cost(Non Vested Benefit)	0	0	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit)	0	0	329.37	0
Liability Transfer in	0	0	0	0
Liability Transfer out	0	0	0	0
Benefit Paid	(270.50)	(1,170.59)	(157.20)	(952.30)
Actuarial (gain)/loss on obligations	25.47	433.87	(481.16)	1271.80
Liability at the end of the year	1648.13	14,245.10	1741.56	13821.17
Table of Fair Value of Plan Assets:				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	2124.94	13,515.58	1656.73	12420.00
Expected return on Plan Assets	166.38	1,048.81	120.44	925.29
Contributions	(100.00)	1,324.00	490.40	859.08
Transfer from Other Company	0	0	0	0
Transfer from / to Company	0	0	0	0
Benefit paid	(270.50)	(1,170.59)	(157.20)	(952.30)
Actuarial Gain/(loss)on Plan Assets	(42.56)	(72.66)	14.57	263.51
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1878.26	14,645.14	2124.94	13515.58
Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(17.09)	(506.33)	495.73	(1008.29)



Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Expenses recognized in the Profit & Loss Account:				
Current Service Cost	66.18	83.98	69.13	87.53
Interest Cost	136.36	1076.67	134.29	930.06
Expected Return on Plan Assets	(166.38)	(1048.81)	(120.44)	(925.29)
Past Service Cost(Non Vested Benefit) recognized	0	0	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit) recognized	0	0	329.37	0
Recognition of Transition Liability	0	0	0	0
Actuarial (Gain) or Loss	17.09	506.53	(495.73)	1008.29
Expenses Recognized in P & L	53.25	618.37	(83.38)	1100.59
Actual Return on plan assets:				
Expected return on plan assets	166.38	1048.81	120.44	925.29
Actuarial gains/(losses) on plan assets – Due to Experience	(42.56)	(72.66)	14.57	263.51
Actual return on plan assets	123.82	976.15	135.01	1188.80
Experience adjustments:				
Actuarial (gains)/losses on obligation – Due to experience	(29.08)	422.24	(511.99)	1029.93
Actuarial (gains)/losses on plan assets – Due to experience	(42.56)	(72.66)	14.57	263.51

Particulars	31.03.2019		31.03.2018	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Principal actuarial assumption used (%)				
Discount Rate Current	7.79	7.78	7.83	7.76
Rate of return on Plan Assets Current	7.79	7.78	7.83	7.76
Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Current	0.50	0.50	0.50	0.50

Other long term benefits:

During the year bank has recognized expenses of ₹ 84.09 crore (Pervious year ₹ 72.94) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

c) Accounting Standard 17 – Segment Reporting

As per the revised guidelines of Reserve Bank of India the Bank has recognised Treasury Operations Corporate/ Wholesale Banking Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

BUSINESS SEGMENTS										
Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Particulars										
Revenue	10,016.80	10,239.35	7,115.12	8,335.47	7,919.59	8,083.04	-	-	25,051.51	26,657.86
Result	10.77	940.90	(8,268.62)	(8,752.67)	243.93	69.77	-	-	(8,013.92)	(7,742.00)
Unallocated Expenses									156.30	153.98
Operating Profit									(8,170.22)	(7,895.98)
Income Taxes									(2,528.74)	(2,791.07)
Extraordinary profit/loss										
Net Profit									(5,641.48)	(5,104.91)
Other Information:										
Segment Assets	1,62,107.96	1,46,513.22	72,130.18	79,499.55	81,040.22	86,963.40	-	-	3,15,278.36	3,12,976.17
Unallocated Assets									15,439.30	13,249.10
Total Assets									3,30,717.66	3,26,225.27
Segment Liabilities	1,66,200.97	1,49,296.72	68,454.78	75,908.17	76,910.81	83,034.84	-	-	3,11,566.56	3,08,239.73
Unallocated Liabilities										
Total Liabilities									3,11,566.56	3,08,239.73

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets; wherever direct allocation is not possible, Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.



* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets wherever direct allocation is not possible. Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

- ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities Money Market operations and Forex operations.
- iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation product granularity criteria and individual exposures.
- iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms Companies and statutory bodies which are not included under Retail Banking.
- v) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
- vi) Retail Banking Segment is the Primary resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the Retail Banking Segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

d) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

1 List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personal–

	Name	Designation
i)	Mr. Pallav Mohapatra (w.e.f. 21.09.2018)	Managing Director & CEO
ii)	Mr. P.R. Murthy	Executive Director
iii)	Mr. Bajrang Shekhawat	Executive Director
iv)	Mr. Alok Srivastava (w.e.f. 23.01.2019)	Executive Director

(b) Subsidiaries –

i)	Cent Bank Home Finance Ltd.
ii)	Cent Bank Financial & Custodial Services Ltd.

(c) Associates

i)	Regional Rural Banks
i)	Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara (Madhya Pradesh)
ii)	Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Bihar)
iii)	Uttarbanga Kshetriya Gramin, Bank, Cooch Behar (West Bengal)
ii)	Indo – Zambia Bank Ltd., Zambia

2. Transactions with Related Parties:

Remuneration paid to key managerial persons:

(₹ In Lakhs)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2019	31.03.2018
Mr. Pallav Mohapatra (w.e.f. 21.09.2018)	Managing Director & CEO	14.68	0.00
Mr. Rajeev Rishi (upto 31.07.2018)	Managing Director & CEO	39.50	30.13
Mr. B.K. Divakara (upto 22.01.2019)	Executive Director	46.55	23.70
Mr. R. C. Lodha (upto 28.02.2017)	Executive Director	0.00	0.42
Mr. P.R. Murthy	Executive Director	24.98	23.54
Mr. Bajrang Shekhawat	Executive Director	24.47	10.93
Mr. Alok Srivastava (w.e.f. 23.01.2019)	Executive Director	4.60	0.00
TOTAL		154.79	88.72



Note: Keeping in line with para 9 of the AS – 18 – “Related Party Disclosure” issued by ICAI, the transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

e) Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Net Loss after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	(5641.48)	(5104.90)
Weighted Average number of Equity Share (No.)	2794601814	1937882867
Basic Earnings per Share (₹)	(20.19)	(26.34)
Diluted Earnings per Share (₹)	(20.19)	(26.34)
Nominal Value per Share (₹)	10	10

f) Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management’s estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 7894.01 Crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2019. Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2019 are as under:

(₹ in crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
Business Loss	346.89	0.00	0.00	0.00
Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00	27.77	21.24
Interest accrued but not due on investments	0.00	0.00	645.15	586.56
Provision for Leave Encashment	250.87	221.49	0.00	0.00
Provision for Investments	0.00	575.91	0.00	0.00
Provision for Loans and Advances	8004.11	5213.37	0.00	0.00
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	34.94	34.94
TOTAL	8601.87	6010.77	707.86	642.74
Net Deferred Tax Asset/Liability	7894.01	5368.03		

Net increase in Deferred Tax Assets for the year 2018-19 is ₹ 2525.98 crore (Previous year ₹ 3014.35 crore) has been recognized in profit & loss account.

g) Accounting Standard – 28 – Impairment of Assets

A substantial portion of Bank’s assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the Management there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2019 requiring recognition in terms of the Standard.

h) Accounting Standard – 29 on Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets

(i) Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2019	31.03.2018
Provisions/Depreciation on Investment(Net)	983.88	794.17
Provision towards NPA	11029.86	10543.58
Provision towards Standard Asset	(114.93)	6.31
Provision made for Taxes	(2528.74)	(2791.07)
Provision for Restructured Advances	(425.02)	(950.62)
Other Provisions	(177.08)	235.52
TOTAL	8767.97	7837.89

**(ii) Floating Provisions**

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
A	Opening balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56
B	The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year—	—	—
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.—	—	—
D	Closing balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56

(iii) Countercyclical Provisioning Buffer:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
A	Opening balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34
B	The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year—	—	—
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.—	—	—
D	Closing balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34

12. Details of Complaints

	Customer Complaints(excluding ATM & Central Card)	No. of complaints	
		31.03.2019	31.03.2018
a)	Pending at the beginning of the year	654	681
b)	Received during the year	11131	10558
c)	Redressed during the year	11464	10585
d)	Pending at the end of the year	321	654

	Awards Passed by Banking Ombudsman	Numbers	
		31.03.2019	31.03.2018
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	NIL
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	NIL	NIL
c)	No. of Awards implemented during the year	NIL	NIL
d)	No. of unimplemented awards at the end of the year	NIL	NIL

As compiled by the Management and relied upon by the auditors.

	Investors' complaints	No. of complaints	
		31.03.2019	31.03.2018
a)	Pending at the beginning of the year	0	0
b)	Received during the year	73	127
c)	Redressed during the year	73	127
d)	Pending at the end of the year	0	0

Complaints pertaining to ATM Transactions			
	Customer Complaints	31.03.2019	31.03.2018
a)	No. of complaints Pending at the beginning of the year	2917	2806
b)	No. of complaints Received during the year	310581	165747
c)	No. of complaints Redressed during the year	310842	165636
d)	No. of complaints Pending at the end of the year	2656*	2917

*Out of which, as on 12.04.2019, 738 complaints are pending and all are within turn around time.



Complaints pertaining to Central Card Transactions			
	Customer Complaints	31.03.2019	31.03.2018
a)	No. of complaints Pending at the beginning of the year	8	0
b)	No. of complaints Received during the year	8824	7962
c)	No. of complaints Redressed during the year	8832	7954
d)	No. of complaints Pending at the end of the year	0	8

13. Details of Letter of Comfort issued by banks and outstanding as on 31.03.2019

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Letter of Comforts issued during the year	0.00	1744.59
Letter of Comforts matured/cancelled during the year	819.09	2199.07
Letter of Comforts outstanding as at the end of year	0.00	819.09

The above mentioned Letters of Comfort are issued within the sanctioned Trade Credit Limits.

14. Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The PCR (ratio of Provisioning to Gross NPA) stood at 76.60 % (Previous Year 63.31%)

15. As per the information complied by the Management the Vendors whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank are not registered under Micro Small and Medium Enterprises Development Act 2006. This is relied upon by the Auditors.

16. Unhedged Foreign Currency exposure:

Unhedged Foreign Currency exposure as on 31.03.2019: ₹ 5612.12 Crores (As on 31.03.2018 ₹ 4310.81 crore)

Bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of unhedged Foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures. Total Provision made for exposures to entities with UFCE for the year ended March 31, 2019 is Rs. 1.62 crores (Previous Year: Rs. 3.00 Crore)

17. Provision for Frauds :

In terms of RBI circular RBI/2015-16/376/DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2016-16 dated 18.04.2016 details of Fraud and Provision are as below:-

(₹ in crore)

YEAR	No. of Frauds Reported	Amount Involved	Provision Made	Un-Amortised Provision	Un-Amortised Provision as on Date 31.03.2019
2018-19	650	2895.13	2895.13	NIL	NIL

(₹ in crore)

YEAR	No. of Frauds Reported	Amount Involved	Provision Made	Un-Amortised Provision	Un-Amortised Provision as on Date 31.03.2018
2017-18	209	1399.93	1399.93	NIL	NIL



18. Credit Default Swaps

Bank has not taken any position in Credit Default Swap in the financial year 2018-19(Previous Year-Nil).

19. Implementation of the Guidelines on Information Security Electronic Banking Technology Risk Management and Cyber Frauds

The bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS. CO. ITC. BC. No. 6/31. 02.008/2010-11 dated April 29 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 28.03.2019.

20. Disclosure with respect to NCLT provisions:-

As per RBI circular No. DBR No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No.BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 6,479.59 crores (86.34% of total outstanding) as on March 31, 2019.

21. Disclosure of Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

As the additional provisioning requirements assessed by RBI for FY 2017-18 exceeded threshold limit of 10% of the reported profit before provisions and contingencies, the following disclosure is made pursuant to RBI circular no. DBR. BP.BC.No. 32/21.04.018/2018-19 dated 01.04.2019 regarding Divergence in Asset Classification and Provisioning:

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in crore)
1.	Gross NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	38130.70
2.	Gross NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	38766.90
3.	Divergence in Gross NPAs (2 – 1)	636.20
4.	Net NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	17377.87
5.	Net NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	17830.67
6.	Divergence in Net NPAs (5 – 4)	452.80
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	19601.31
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	20743.31
9.	Divergence in provisioning (8 – 7)	1142.00
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018	(5104.90)
11.	Adjusted (Notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018 after taking into account the divergence in provisioning	(6246.90)

The Bank had duly recorded the impact of the above in its working results for the year ended March 31, 2019.

22. The RBI had permitted Banks vide its Circular DBR.No.BP.BC.108/21.04.048/2017-18 dated 6th June 2018 to continue the exposures to MSME borrowers to be classified as standard assets. Accordingly, the bank has retained advances of Rs.241.68 crores as standard assets as on 31.03.2019. In accordance with the provisions of the circular, the bank has not recognized un-realized interest on these accounts and maintained a standard assets provision of Rs.12.08 crores (@ 5% on Rs.241.68 crores) as on March 31, 2019 in respect of such borrowers. Further, in accordance with RBI vide circular no. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January 2019, on "Relief for MSME borrowers registered under Goods and Service Tax (GST)" the details of MSME restructured accounts as on 31.03.2019 as under:-

No. of Accounts Restructured	Amount (₹ in crore)
1202	97.13



23. Priority Sector Lending Certificate (PSLC) sold / (purchased) under General Category. The details are as under:-

(₹ in crore)

SECTOR →	Agri		General		Micro		S&M Farmer		Total Quantity (Rs. Cr)	Total PROFIT/(LOSS)
	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)		
Jun-18	-	-	(700.00)	1.77	1,700.00	(8.35)	(1,400.00)	15.20	(400.00)	8.62
Jul-18	(500.00)	4.20	(6,900.00)	18.61	790.00	(3.53)	(800.00)	8.52	(7,410.00)	27.81
Aug-18	-	-	(1,950.00)	4.42	3,895.00	(23.77)	(1,000.00)	9.30	945.00	(10.05)
Sep-18	-	-	(3,600.00)	4.61	500.00	(2.50)	(2,025.00)	14.72	(5,125.00)	16.83
Oct-18	-	-	(2,501.00)	0.58	(810.00)	1.44	(5,047.50)	28.53	(8,358.50)	30.55
Nov-18	-	-	-	-	(190.00)	0.16	(1,012.50)	2.05	(1,202.50)	2.21
Grand Total	(500.00)	4.20	(15,651.00)	29.99	5,885.00	(36.54)	(11,285.00)	78.32	(21,551.00)	75.97

Note : -ve indicates sale of PSLC and +ve indicates purchase of PSLC.
Commission Rate for the above PSLC's ranges from 0.01% to 1.48%.

24. Disclosure with respect to spreading of MTM Losses

The RBI had permitted Banks vide its Circular DBR.No.BP.BC.113/21.04.048/2018-19 dated 15th June 2018, to spread MTM losses on investments held in AFS and HFT category for the quarter ended 30th June 2018, over four quarters commencing from that quarter, in which loss has been incurred such loss amounting to ₹ 74.81Crore during the quarter ended 30th June, 2018 and provided ¼ of such loss each in June and September 2018 quarters by availing the benefit permitted for staggering of provision and un-amortised balance was ₹ 37.40 Crore. Since Bond rate has eased as on 31.12.2018 deferred provision was not required. Consequent to the above, entire MTM Losses stands fully covered as on 31.03.2019.

25. Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2018-19, there has been no draw down from the reserves (Previous Year – NIL).

26. Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm to current year's classification.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 15, 2019



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2019	31- 03- 2018
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit/(Loss) before taxes	(8,170.22)	(7,895.97)
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	277.72	260.31
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	983.88	794.17
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	10,626.30	9,564.62
	Provision for Standard Assets	(114.93)	6.31
	Provision for Other items (Net)	(198.54)	263.86
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	4.43	4.50
	Dividend Received from Subsidiaries	(5.22)	(10.10)
	Sub total	3,403.42	2,987.70
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	5,016.58	(1,832.33)
	Increase / (Decrease) in Borrowings	(467.06)	(3,576.33)
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(1,103.64)	(1,835.07)
	(Increase) / Decrease in Advances	(609.48)	(26,708.03)
	(Increase) / Decrease in Investments	(23,650.34)	(11,330.90)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	2,635.47	(1,807.22)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	187.43	(293.85)
	Sub total	(17,991.04)	(47,383.73)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(14,587.62)	(44,396.03)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	3.48	4.12
	Purchase of Fixed Assets	(254.12)	(314.25)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	5.22	10.10
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(245.42)	(300.03)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital (Including Share Premium)	6,592.00	5,158.00
	Share Application Money	212.54	-
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	-	-
	Dividend Tax]	-	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	6,804.54	5,158.00
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	(8,028.50)	(39,538.06)



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2019	31- 03- 2018
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	35,999.91	75,086.76
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	3,228.53	3,679.74
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	39,228.44	78,766.50
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	20,779.09	35,999.91
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	10,420.85	3,228.53
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	31,199.94	39,228.44

Notes:

- 1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- 2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 15, 2019



PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES AS ON 31.03.2019

Table DF-1: Scope of Application

(i) Qualitative Disclosures:

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

In the consolidated accounts (disclosed annually), bank's subsidiaries/associates are treated as under

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21.	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Cent Bank Financial Services Ltd./India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Central Madhya Pradesh GraminBank, Chhindwara/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Bihar/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Indo-Zambia Bank Ltd. /Zambia.	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NO SUCH ENTITY					



(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i) a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs. in Mn	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs. in Mn
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	The main objective of the Company is to provide housing finance	250	14001
Cent Financial Services Ltd./ India	Providing investment banking products / services to corporate clients	50	428
Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara/ India	Regional Rural Bank	2464	81453
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Regional Rural Bank	4545	178876
UttarBangaKshetriyaGramin Bank, Cooch Bihar/ India	Regional Rural Bank	908	34892

*Uttar BangakshetriyaGramin Bank and Uttar Bihar Gramin Bank data is unaudited for March 2019.

- d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted: NIL
- e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted: NIL
- f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: NIL

Table DF-2: Capital Adequacy

Qualitative disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assess the adequacy of its capital to support current and future activities

The bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the capital to Risk Weight Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.

The bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk.

The bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio prescribed under Pillar I; the risks that are not at all taken into account by the pillar I; and the factors external to the bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital as per the risk appetite. The bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario on its CRAR.

The bank reviews the ICAAP on quarterly basis.

Bank has taken initiatives to migrate to advanced approaches for Capital Adequacy

Computation, Bank has already appointed a consultant & a system integrator vendor for moving to advanced approach.



Quantitative disclosures	
(b) Capital requirements for credit risk:	
• Portfolios subject to standardized approach @9%	Rs. 108555mn
• Securitization exposures :	NIL
(c) Capital requirements for market risk:	
• Standardized duration approach;	
– Interest rate risk	Rs. 9043mn
– Foreign exchange risk (including gold)	Rs.41mn
– Equity risk	Rs.3679mn
(d) Capital requirements for operational risk:	
• Basic Indicator Approach	Rs. 9222mn
(e) Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:	
• Common Equity Tier 1	7.49%
• Tier 1	7.49%
• Total Capital ratio	9.61%

General qualitative disclosure requirement

A committee of board of Directors regularly oversee the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market etc. The bank also has separate committees for each risk comprising of top executives of bank headed by Managing Director & CEO and Executive Directors such as Asset Liability Management committee, Credit Risk Management Committee, Operational Risk committee. These committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at central office level which is headed by Chief Risk Officer (General Manager); measures, control and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by various committees. The General Manager is assisted by Deputy General Manager and a team of Assistant General Managers, Chief Managers, Senior Managers and Managers.

At all Zonal offices and Regional office, Risk Managers are posted who act as an extended arm of the Risk Management Department of Central Office.

The bank has in place various policies such as Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, ICAAP and Stress testing policy, Market Discipline & Disclosure policy, Operational risk policy, ALM policy, Market risk management Policy etc.

Besides these, the Loan Policy prescribing broad parameters governing loan functions, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authorities' exposure norms, prudential limits and measures, monitoring and controlling the credit portfolio is also in place.

The Credit Monitoring Department headed by General Manager monitors the loan portfolio, identify special mention accounts and take corrective measures. Loan review mechanism is also carried out by the department apart from processing and monitoring of accounts under CDR mechanism.

The bank has introduced rating models for various segments of borrowers including retail lending schemes which measures the risk associated with counterparties and helps in credit and pricing decisions. In case of large borrowers, credit risk assessment models evaluate financial risk, Industry risk, Management risk and business risk of the counter party and each of these risks are scored separately then overall rating is accorded to the counter party. Facility rating module is also available in the rating tool. Where parental support is available the same is also factored in rating, if corporate guarantee is available to the borrower.



Table DF-3 : Credit Risk: General Disclosures for all Banks

Qualitative Disclosures

Credit risk

Impaired :

The Working Group to review the existing prudential guidelines on restructuring of advances by banks/financial institutions in its report dated 20.07.2012 has observed that as per international accounting standards, accounts are generally treated as impaired on restructuring and recommended that similar practice should be followed in India. Ind AS 109 Financial Instruments contains guidance on the recognition, derecognition, classification and measurement of financial instruments including impairment and hedge accounting

A Non-Performing Asset shall be a loan or an advance where-

- (i) Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90days in respect of a Term Loan;
- (ii) The account remains out of order for 90 days
- (iii) The bill remains overdue for a period of more than 90days in the case of bills Purchased and Discounted
- (iv) In case of advances granted for Agricultural purposes
 - a) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
 - b) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops
- (v) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- (vi) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark to- market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

RBI vide its circular dated February 12, 2018 has issued revised framework for the resolution of stressed assets on in view of enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Out of Order:

An account should be treated as "out of Order" if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating accounts less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credit are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in inter Bank Exposure,
- Country risk and other operational matters



Quantitative Disclosures:	₹ in Mn
(a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based*:	2799270
Non-fund based:	257201
*includes cash ,balances with banks , investments etc	
(b) Geographic distribution of exposures:	
• Overseas	70
• Domestic	3056401

	₹ in Mn	₹ in Mn	₹ in Mn
(c) Industry Name	Funded	Non-Funded	Investment
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	4,889	1,135	0
A.1 Coal	1,629	905	0
A.2 Others	3,260	230	0
B. Food Processing (B.1 to B.5)	65,507	6,695	4,954
B.1 Sugar	20,213	1,177	4,344
B.2 Edible Oils and Vanaspati	18,392	2,818	0
B.3 Tea	1,155	15	1
B.4 Coffee	87	0	0
B.5 Others	25,660	2,685	610
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	3,748	52	0
C.1 Tobacco and tobacco products	1,158	47	0
C.2 Others	2,590	5	0
D. Textiles	51,763	15,081	2,108
D.1 Cotton	20,545	344	1,839
D.2 Jute	2,150	210	0
D.3 Man-made, of which	1,226	0	0
D.4 Others	27,843	14,527	269
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	11,315	609	0
E. Leather and Leather products	1,663	104	0
F. Wood and Wood Products	1,745	105	0
G. Paper and Paper Products	6,098	2,525	531
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	5,422	3,138	186
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	24,406	4,145	115
I.1 Fertilizers	5,276	49	0
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	7,424	760	94
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	787	73	0
I.4 Others	10,919	3,262	20
J. Rubber, Plastic and their Products	6,450	640	0



	₹ in Mn	₹ in Mn	₹ in Mn
(c) Industry Name	Funded	Non-Funded	Investment
K. Glass & Glassware	317	23	0
L. Cement and Cement Products	16,338	1,088	0
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	62,552	21,423	1,830
M.1 Iron and Steel	40,776	10,049	1,089
M.2 Other Metal and Metal Products	21,776	11,374	740
N. All Engineering (N.1 + N.2)	68,655	18,237	550
N.1 Electronics	36,846	833	202
N.2 Others	31,810	17,404	347
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	17,851	3,193	173
P. Gems and Jewellery	23,093	4,260	0
Q. Construction	48,746	11,513	2,812
R. Infrastructure (a to d)	280,357	64,763	68,189
R.a Transport (a.1 to a.6)	97,059	12,476	13,811
R.a.1 Roads and Bridges	64,746	10,998	11,211
R.a.2 Ports	8,460	600	0
R.a.3 Inland Waterways	1,078	0	2,600
R.a.4 Airport	6,663	0	0
R.a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	12,944	800	0
R.a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	3,168	78	0
b. Energy (b.1 to b.6)	115,964	9,175	50,545
b.1 Electricity (Generation)	84,205	5,760	6,943
b.1.1 Central Govt PSUs	13,988	78	2,247
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	16,824	0	0
b.1.3 Private Sector	53,393	5,682	4,696
b.2 Electricity (Transmission)	1,986	2,700	4,908
b.2.1 Central Govt PSUs	884	2,700	4,908
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	0	0	0
b.2.3 Private Sector	1,102	0	0
b.3 Electricity (Distribution)	6,635	715	38,694
b.3.1 Central Govt PSUs	683	0	0
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	5,550	0	38,692
b.3.3 Private Sector	403	715	2
R.b.4 Oil Pipelines	0	0	0
R.b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	23,138	0	0
R.b.6 Gas Pipelines	0	0	0



	₹ in Mn	₹ in Mn	₹ in Mn
(c) Industry Name	Funded	Non-Funded	Investment
R.c. Water and Sanitation (c.1 to c.7)	10,577	0	0
R.c.1 Solid Waste Management	114	0	0
R.c.2 Water supply pipelines	0	0	0
R.c.3 Water treatment plants	1,674	0	0
R.c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	6,290	0	0
R.c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	2,500	0	0
R.c.6 Storm Water Drainage System	0	0	0
R.c.7 Slurry Pipelines	0	0	0
R.d. Communication (d.1 to d.3)	10,263	31,732	542
R.d.1 Telecommunication (Fixed network)	6,304	2,335	542
R.d.2 Telecommunication towers	0	0	0
R.d.3 Telecommunication and Telecom Services	3,959	29,397	0
R.e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	24,087	100	0
R.e.1 Education Institutions (capital stock)	3,647	55	0
R.e.2 Hospitals (capital stock)	1,152	0	0
R.e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	2,150	0	0
R.e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	16,711	45	0
R.e.5 Fertilizer (Capital investment)	0	0	0
R.e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	426	0	0
R.e.7 Terminal markets	0	0	0
R.e.8 Soil-testing laboratories	0	0	0
R.e.9 Cold Chain	0	0	0
R.f. Others, if any, please specify	22,407	11,279	3,291
S. Other Industries, pl. specify	201,216	33,741	415
All Industries (A to S)	890,819	191,862	81,863
Residuary other advances (to tally with gross advances)	1,183,839	98,675	102,304
Total	2,074,657	290,537	184,167
Industry exposure is more than 5% gross exposure			
	Funded	Non-Funded	Investment
Infrastructure	280,357	64,763	68,189
Energy (also included in Infrastructure)	115,964	9,175	50,545



(d) Residual maturity breakdown of Performing Assets:	
Day 1	556991
02days to 07days:	34928
08days to 14days:	15470
15days to 30days:	75802
31days to 3months:	41633
Above 2 months to 3months:	68264
Above 3 months to 6 months	80676
Above 6 months to 12 months:	122890
Above 1 year to 3year	788570
Above 3 years to 5 years	203718
Over 5 Years	600491
Total	2589433
(e) Amount of NPAs (Gross) –	
• Substandard	59231
• Doubtful 1	77052
• Doubtful 2	99752
• Doubtful 3	61205
• Loss	26320
(f) Net NPAs	113332
(g) NPA Ratios	
• Gross NPAs to gross advances	19.29%
• Net NPAs to net advances	7.73%
(h) Movement of NPAs (Gross)	
• Opening balance	381307
• Additions	103286
• Reductions	161033
• NPA (Gross)	323560
(I) Movement of provisions/depreciation on investments:	
• Opening balance	26631
• Provisions made during the period	25616
• Write-off	NIL
• Write back of excess provision	13035
• Closing balance	39212



**Table DF-4 : Credit Risk:
Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach**

Qualitative Disclosures	
a.	The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.
b.	The Bank has recognized the ratings issued by seven External Credit Rating Agencies identified by RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., India ratings and research Pvt. Ltd, SMERA rating Ltd, BRICKWORK and INFOMERICS to rate the exposures of its clients.
c.	These agencies rate all fund and non-fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the bank's clients are adopted for assigning risk-weights.
d.	In case of bank's investment in particular issues of Corporate, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight.
Quantitative Disclosures:	
	₹ in Mn
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	
• Below 100 % risk weight:	2397017
• 100 % risk weight	322358
• More than 100 % risk weight	337097
• Amount Deducted-CRM	129551

Table DF-5 : Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

Qualitative Disclosures	
• Policies and processes for collateral valuation and management;	Bank has well defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by bank are cash and near cash securities, land and building, plant and machinery etc.
• A description of the main types of collateral taken by the bank;	Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines. RBI guidelines recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements..
Quantitative Disclosures:	
	₹ in Mn
(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:	
• eligible financial collateral;	
• Fund based	108956
Non fund based	20595



Table DF-6 : Securitization: Disclosure for Standardized Approach

Qualitative Disclosures	
NIL	
Quantitative Disclosures:	₹ in Mn
Banking Book	
(d) The total amount of exposures securitized by the bank	
(e) For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken down by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f) Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g) Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i) Aggregate amount of :	
– On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	NIL
– Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(j) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	NIL
Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL
Quantitative Disclosures	
Trading Book:	
(k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	NIL
(l) Aggregate amount of :	
– On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	NIL
– Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	
– securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure risk measure for specific risk: and	NIL
– securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	NIL
(n) Aggregate amount of :	
– The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	NIL
– Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL



Table DF-7 : Market Risk in Trading Book

Qualitative disclosures	
<p>The bank has well defined Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.</p> <p>Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market rates, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.</p> <p>The bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.</p>	
Policies for management of Market Risk:	
<p>The bank has put in place board approved Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policies which also deal with Market Risk Management are integrated treasury policy and Asset Liability Management Policy.</p> <p>The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with bank's expectations of return through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.</p>	
Asset-Liability Management	
<p>The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels of financial risk. The goal of bank is to maximize its profitability, but do so in a manner that does not expose the bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate a bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.</p>	
Liquidity Risk	
<p>Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Bank is regularly submitting LCR returns and has also put in place contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management. Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.</p>	
Interest rate risk	
<p>Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and economic Value of Equity.</p>	
Quantitative disclosures	
Capital Requirement for Market Risk	Capital Charge (₹ in Mn)
Interest Rate Risk	Rs.9043
Equity Position Risk	Rs.3679
Foreign Exchange Risk	Rs. 41
TOTAL	Rs. 12,763

Table DF-8 : Operational Risk

Qualitative Disclosures
<p>Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk Management in the Bank is guided by a well-defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and has started collation of data pertaining to Operational Risk loss events through Loss Data Management, Risk & control Self-Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI) & Scenario Analysis. Bank is also a member of loss data consortium 'CORDEX' for external loss data base.</p> <p>The Bank has appointed consultant and system integrator for moving to Advance Measurement Approach.</p> <p>The bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2019 is Rs. 9222 mn.</p>



Table DF-9 : Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures	
The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:	
1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)	
The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.	
2) Economic Value of Equity:	
Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.	
Qualitative Disclosures	
Parameter of Change	₹ in Mn
1. Impact on Earnings at 100 bps increase in interest rate across assets and liability	2601
2. Market value of Equity: 200 bps change	7563

Table DF-10 : General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures		
(a) The bank assigns credit limits for counterparty exposure on the basis of capital adequacy, asset quality, earnings, liquidity and management quality.		
The bank has well defined market risk management policy.		
The Bank deals in various derivative products and interest Rate Swaps. The bank used derivative products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes.		
Quantitative Disclosures:		₹ in Mn
Particulars		Amount
b) Gross positive value of contracts		450
Netting Benefits		0
Netted current credit exposure		450
Collateral held		0
Net Derivative Credit Exposure		1516
(c)		₹ in Mn
Item	Notional Amount	Current credit Exposure
Forward Forex contracts	35851	1122
Cross Currency Swaps including cross currency interest rate swaps	3442	381
Interest rate Contracts	500	13



Table DF-11: Composition of Capital

Part I: Template to be used only from March 31, 2019

Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2019			Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		Rs. in Mn	
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	40472	A1
2	Retained earnings	(161946)	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	295825	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies ¹)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	174351	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	
9	Intangibles (net of related tax liability)	0	
10	Deferred tax assets	0	
11	Cash-flow hedge reserve	0	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0	
13	Securitisation gain on sale	0	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	65	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	63299	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0	
24	of which: mortgage servicing rights	0	



Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2019			Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		Rs. in Mn	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0	
26	National specific regulatory adjustments ⁷ (26a+26b+26c+26d)	0	
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	0	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	110986	
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0	B1+B2
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0	
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		



Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2019			Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		Rs. in Mn	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	0	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	110986	
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	18000	C3
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	8400	C1+C2
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
50	Provisions (Revaluation reserves, Provision on Standard assets, sale of NPAetc)	5017	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	31417	
52	Investments in own Tier 2 instruments		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	50	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	50	
58a	Tier 2 capital	31367	
58b	Tier 2 capital (T2) admissible for regulatory capital purposes	31367	
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	142354	
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	1480978	
60a	of which: total credit risk weighted assets	1206167	
60b	of which: total market risk weighted assets	159531	
60c	of which: total operational risk weighted assets	115280	
Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.49%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.49%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	9.61%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	



Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2019			Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		Rs. in Mn	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.00%	
Notional minima (if different from Basel III)			
69	Notional Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%	
70	Notional Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.875%	
71	Notional total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	NA	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	NA	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	NA	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	NA	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	NA	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	NA	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	28000	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	19600	



Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

(₹ in Millions)

		Balance sheet as in financial statements	Reference
		As on 31.03.2019	
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	40472	
	of which: Amount eligible for CET 1	40472	A1
	of which: Amount eligible for AT 1	0	B1
	Reserves & Surplus	148877	
	Share application Money pending allotment	2125	
	Minority Interest	0	
	Total Capital	191474	
ii	Deposits	2998554	
	of which: Deposits from banks	40220	
	of which: Customer deposits	2958334	
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	
iii	Borrowings	52391	
	of which: From RBI	-	
	of which: From banks	44	
	of which: From other institutions & agencies	2955	
	of which: Others (Outside India)	0	
	of which: Subordinated Debt	5000	C1
	of which: Upper Tier 2	23000	C2
	of which: Unsecuredem NC Basel III Bonds (Tier 2)	20000	C3
	of which: Innovative Perpetual Debt Instrument	1391	
iv	Other liabilities & provisions	64758	
	Total	3307177	
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	207791	
	Balance with banks and money at call and short notice	104208	
ii	Investments:	1252981	
iii	Loans and advances	1465254	
	of which: Loans and advances to banks	11	
	of which: Loans and advances to customers	1465243	
iv	Fixed assets	43102	
v	Other assets	233841	
	of which: Goodwill and intangible assets	0	
	of which: Deferred tax assets	78940	
vi	Goodwill on consolidation	0	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0	
	Total Assets	3307177	



Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

The main features of Tier - 1 capital instruments are given below:

Details	Equity
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A01010
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Common Shares
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	Rs. 40,472
Par value of instrument	Rs. 10 per share
Accounting classification	Shareholder's Equity
Original date of issuance	Various
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A.
Issuer call subject to prior supervisory approval	No
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Floating
Coupon rate and any related index	N.A.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	N.A.
Convertible or non-convertible	N.A.
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and others Creditors, bonds, and PNCPS
Non-compliant transitioned features	No
If yes, specify non-compliant features	



SERIES DETAILS	Sr. II PDI
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09252
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Ineligible
Post-transitional Basel III rules	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Perpetual Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	0
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY
Original date of issuance	28.09.2012
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A.
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	28.09.2022
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
Coupon rate and any related index	9.40% p.a.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other Creditors
Non-compliant transitioned features	Yes
If yes, specify non-compliant features	Fully derecognized, Not Basel III Loss absorbency features



The main features of Upper Tier - 2 capital instruments are given below

SERIES DETAILS	Upper Tier II (Sr.III)	Upper Tier II (Sr. IV)	Upper Tier II (Sr. V)	Upper Tier II (Sr. VI)
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA			
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09203	INE483A09211	INE483A09229	INE483A08015
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment				
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1500	1500	3000	900
Par value of instrument	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	23.06.2009	20.01.2010	11.06.2010	21.01.2011
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	23.06.2024	20.01.2025	11.06.2025	21.01.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	23.06.2019	20.01.2020	11.06.2020	21.01.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Coupons / dividends				
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	8.80%	8.63%	8.57%	9.20%
Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.



SERIES DETAILS	Upper Tier II (Sr.III)	Upper Tier II (Sr. IV)	Upper Tier II (Sr. V)	Upper Tier II (Sr. VI)
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA			
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES
If yes, specify non-compliant features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features

The main features of Subordinated Debt capital instruments are given below:

SERIES DETAILS	Lower Tier II Sr XIV
Issuer	
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09245
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1500
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY
Original date of issuance	21.12.2011
Perpetual or dated	DATED
Original maturity date	21.12.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	21.12.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
Coupon rate and any related index	9.33%
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.



SERIES DETAILS	Lower Tier II Sr XIV
Write-down feature	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES
If yes, specify non-compliant features	Not Basel III Loss absorbency features

The main features of BASEL III compliant Tier 2 Bonds are given below:

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS		
	SR I	SR II	SR III
Issuer			
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09260	INE483A09278	INE483A09286
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment			
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	ELIGIBLE	ELIGIBLE	ELIGIBLE
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	8000	5000	5000
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	08.11.2013	07.03.2017	29.03.2019
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	08.11.2023	07.05.2027	29.05.2029
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	07.05.2022	29.05.2024
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.
Coupons / dividends			
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	9.90%	8.62%	10.80%
Existence of a dividend stopper	No	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.



	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS		
	SR I	SR II	SR III
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	YES	YES	YES
If write-down, write-down trigger(s)	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")
If write-down, full or partial	Partial	Partial	Partial
If write-down, permanent or temporary	Temporary	Temporary	Temporary
If temporary write-down, description of write-up mechanism	<p>1) It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger.</p> <p>2) Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'.</p> <p>3) Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.</p>	<p>It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger.</p> <p>Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'.</p> <p>Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.</p>	<p>It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger.</p> <p>Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'.</p> <p>Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.</p>
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	NO	NO	NO
If yes, specify non-compliant features	-	-	-



Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sr. No.	Capital type	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity	Equity	As disclosed in Main features section
2.	TIER1	PDI	As disclosed in Main features section
3.	TIER 2	UPPER TIER 2 BONDS	As disclosed in Main features section
4.	TIER 2	SUBORDINATE BONDS	As disclosed in Main features section
5.	TIER 2	BASEL III COMPLIANT BOND	As disclosed in Main features section

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions As on 31.03.2019

Qualitative Disclosures		
1	<p>The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices. 	<ul style="list-style-type: none"> Investments in equity of subsidiaries and joint ventures (a Joint Venture would be one in which the bank, along with its subsidiaries, holds more than 25 percent of the equity) are required to classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes. In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into “Held for Trading” (HFT), “Available for Sale” (AFS) and “Held to Maturity” (HTM) categories (hereinafter called “categories”). Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose. <p>Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to “Capital Reserve” in accordance with the RBI Guidelines.</p>

Quantitative Disclosures		₹ in Mn	
		BOOK VALUE 31.03.2019	FAIR VALUE 31.03.2019
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments	3590	3590
	Publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	-	-
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:	-	-
	Publicly traded	-	-
	Privately held.	3590	3590
	JV In India (Cent Bank Home Finance)	219	219
	Associate Outside India (JV in Indo Zambia Bank Ltd)	475	475



Quantitative Disclosures		₹ in Mn	
		BOOK VALUE 31.03.2019	FAIR VALUE 31.03.2019
	RRBs	2771	2771
	Subsidiaries(Cent Bank Financial Services Ltd)	50	50
	Strategic Investments-	21	21
	Central Ware housing Corporation	21	21
	Strategic Investments-IFCI	40	40
	Strategic Investments-Other	20	20
	FIs (IFCI, GSFC, JKFC, WBFC)	20	20
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	-	-
4	Total unrealised gains (losses)	-	-
5	Total latent revaluation gains (losses)	NIL	NIL
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	-	-
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	NA	NA

LEVERAGE RATIO DISCLOSURES AS ON 31.03.2019

LEVERAGE RATIO

The minimum risk-based capital requirements under Basel III will be supplemented by non-risk-based Tier 1 leverage ratio.

Table DF 17- Summary Comparison of Accounting Assets Vs. Leverage Ratio Exposure Measure

	Item	(₹ in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	3318846
2	Less: Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	0
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	(62944)
4	Adjustments for derivative financial instruments	15257
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	2706
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	158501
7	Other adjustments	1479
8	Leverage ratio exposure	3433845



DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template

		(Amount in ₹ mn)
	On-balance sheet exposures	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	3162859
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(62944)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	3099915
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	4304
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	10953
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	15257
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	160172
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0
14	CCR exposure for SFT assets	0
15	Agent transaction exposures	0
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	160172
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	602168
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(443667)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	158501
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	114428
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	3433845
	Leverage ratio	
22	Basel III leverage ratio (per cent)	3.33%

A.K.CHATTERJEE
Dy. General Manager-RMD

K. K. TANEJA
General Manager-CREDIT

(ALOK SRIVASTAVA)
Executive Director

(P. RAMANAMURTHY)
Executive Director

(B. S. SHEKHAWAT)
Executive Director

(PALLAV MOHAPATRA)
Managing Director & CEO





<p>S.K.MEHTA & CO Chartered Accountants 302-306, Pragati Tower, 26, Rajendra place, NEW DELHI-110008</p>	<p>BORKAR & MUZUMDAR Chartered Accountants 21/168, Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola, Santacruz (East), MUMBAI-400055</p>
<p>MUKUND M CHITALE & CO Chartered Accountants II Floor, Kapur House, Paranjape 'B' Scheme, Road No. 1, Vile Parle East, Mumbai-400057</p>	<p>AAJV AND ASSOCIATES Chartered Accountants LGF-C-73, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024</p>

**AUDITOR'S REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF CENTRAL BANK OF INDIA
PURSUANT TO THE REGULATION 33 OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND
DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015**

To

The Board of Directors of Central Bank of India

- We have audited the accompanying Consolidated Financial Results of Central Bank of India (the "Parent Bank") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") and share of profit or loss of its associates for the year ended March 31, 2019 (the "Statement"), being submitted by the Parent Bank pursuant to the requirement of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. This statement which is the responsibility of the Parent Bank's management and approved by the Board of Directors, has been prepared in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, accounting principles generally accepted in India along with recognition and measurement principle's laid down in Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India so far as they are applicable to the Parent Bank and Reserve Bank of India guidelines from time to time. Our responsibility is to express an opinion on the presentation of the statements and financial results for the year ended March 31, 2019.
- We conducted our audit in accordance with the standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial results are free of material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the statement. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of risk of material misstatement of the Statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the Group's and its Associate's preparation and fair presentation of the Statement in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of the Statement. We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the branch auditors and other auditors in terms of their report of Subsidiary Company and unaudited financial statement provided by Associates' management is sufficient and appropriate to provide a reasonable basis for our opinion.
- These financial results incorporate the relevant returns of 20 Branches audited by us, 2549 branches audited by the other auditors specially appointed for this purpose and un-audited returns in respect of 2090 branches of the Parent Bank.
- We did not audit the financial statements incorporated in the Consolidated Financial Statements of two subsidiaries whose financial statement reflect total assets of ₹1442.88 crore as at March 31, 2019, total revenue of ₹146.50 crore and net cash inflows of ₹71.63 crore for the year ended March 31, 2019. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion is based solely on the reports of the other auditors.
 - The Consolidated Financial Statement also includes the Group's share of net profit after tax of ₹16.59 crore for the year ended March 31, 2019, as considered in the consolidated financial statements in respect of 4 associates, whose financial statements has not been audited by us. The financial statements of 3 associates namely



Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Uttar Bihar Gramin Bank and Central Madhya Pradesh Gramin Bank are unaudited and have been furnished to us by the Management. In case of an associate namely Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year, share in profit has been taken for nine months ended December 31, 2018 based on audited financial statements for the calendar year ended December 31, 2018 and profit for three months ended March 31, 2019 is taken based on unaudited financial statements as furnished by the Management. Our opinion and our report on the consolidated financial statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management of the Bank, the impact of the above is not material to the Group.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

5. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors and management's certified financial statements as referred to in paragraph 4 above, the Statement :
- i) includes the results of the following entities included in the consolidation
 - (a) **Subsidiaries**
 - (i) Cent Bank Home Finance Ltd.
 - (ii) Cent Bank Financial Services Ltd.
 - (b) **Associates**
 - (i) Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara
 - (ii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur
 - (iii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar
 - (iv) Indo-Zambia Bank Ltd., Zambia
 - ii) have been presented in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in this regard; and
 - iii) give a true and fair view of the consolidated net loss and other financial information for the year ended March 31, 2019 of the Group.

For S. K. MEHTA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
 Partner
 M.No.087002

For MUKUND M CHITALE & CO
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.106655W

(CA A. V. KAMAT)
 Partner
 M.No.039585

For BORKAR & MUZUMDAR
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
 Partner
 M.No.133755

For AAJV AND ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
 Partner
 M.No.093348

Place: Mumbai

Date: May 22, 2019



CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2019

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	As at 31-Mar-19 ₹	As at 31-Mar-18 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	4,04,72,014	2,61,81,558
Reserves and Surplus	2	15,13,62,928	15,59,23,052
Minorities Interest	2A	4,34,572	3,98,088
Share Application Money Pending Allotment		21,25,409	–
Deposits	3	3,00,31,13,856	2,95,35,44,875
Borrowings	4	5,63,96,659	6,02,56,819
Other Liabilities and Provisions	5	6,49,40,977	7,71,88,594
TOTAL		3,31,88,46,415	3,27,34,92,986
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	20,77,94,497	36,00,01,196
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	10,51,81,420	3,26,22,898
Investments	8	1,25,45,27,365	1,02,76,94,647
Loans & Advances	9	1,47,42,54,768	1,57,47,95,266
Fixed Assets	10	4,31,09,150	4,34,39,644
Other Assets	11	23,38,90,319	23,48,50,439
Goodwill on Consolidation		88,896	88,896
TOTAL		3,31,88,46,415	3,27,34,92,986
Contingent Liabilities	12	86,67,30,384	1,19,40,26,626
Bills for Collection		16,24,73,915	14,48,60,670
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 22, 2019



CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	Year Ended 31-Mar-19 ₹	Year Ended 31-Mar-18 ₹
I. INCOME			
Interest and Dividend Earned	13	22,74,86,195	24,16,31,164
Other Income	14	2,41,63,327	2,62,04,076
TOTAL		25,16,49,522	26,78,35,240
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	15,93,46,579	17,60,33,211
Operating Expenses	16	6,08,01,586	6,42,57,740
Provisions and Contingencies		8,77,78,525	7,84,99,996
TOTAL		30,79,26,690	31,87,90,947
III. PROFIT/(LOSS)			
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before Minority Interest		(5,62,77,168)	(5,09,55,707)
Less: Minority Interest		(57,943)	(59,936)
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year after deducting Minority Interest		(5,63,35,111)	(5,10,15,643)
Add: Share of earnings/(loss) in Associates		1,65,860	(3,80,386)
Consolidated Profit/(Loss) for the year attributable to the Group		(5,61,69,251)	(5,13,96,029)
Add: Brought forward consolidated Profit/(Loss) attributable to the Group		(10,32,87,865)	(5,08,85,164)
Profit Available for Appropriation		(15,94,57,116)	(10,22,81,193)
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		-	-
Investment Reserve		5,63,762	9,18,685
Revenue Reserve		15,900	24,286
Tax on Dividend		10,730	6,555
Special Reserve U/S 36 (1) (viii)		53,598	57,146
Balance Carried over to the Balance Sheet		(16,01,01,106)	(10,32,87,865)
TOTAL		(15,94,57,116)	(10,22,81,193)
Earnings Per Share (In Rs.)- Basic (Nominal Value Rs 10/- per share)		(20.10)	(26.52)
Earnings Per Share (In Rs.)- Diluted (Nominal Value Rs 10/- per share)		(20.10)	(26.52)
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit and Loss Account

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 22, 2019



SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2019

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2019		AS AT 31-Mar-2018	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		5,00,00,000		5,00,00,000
500,00,00,000 shares of Rs. 10/- each				
Issued Subscribed and Paid up Capital :	4,04,72,014		2,61,81,558	
4047201400 Equity Shares (previous year 2618155800 equity shares) of Rs. 10/- each [includes 3691169652 Equity Shares (previous year 2262123970 Equity Shares) of Rs. 10/- each held by Central Govt.]				
TOTAL		4,04,72,014		2,61,81,558
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet		2,07,59,131		2,07,59,131
Additions during the year		—		—
		2,07,59,131		2,07,59,131
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet		3,13,02,429		3,20,53,778
Additions - Adjustments during the year		91,575		—
Less: Transfer to Revenue and Other Reserves		(6,48,045)		(7,51,349)
Deductions during the year		—		—
		3,07,45,959		3,13,02,429
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet		1,10,91,383		1,01,72,698
Additions during the year		5,63,762		9,18,685
		1,16,55,145		1,10,91,383
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet		16,99,08,791		11,86,58,639
Additions/Adjustments during the year		5,16,29,543		5,12,50,152
		22,15,38,334		16,99,08,791
IV. Revenue and Other Reserves				
Balance as per last Balance Sheet		2,49,18,268		2,43,29,723
Add: Transfer from Capital Reserves		6,48,045		7,51,349
Addition during the year		22,859		24,286
(*) Add: Opening Balance Adjustments		2,283		—
Less: Deductions during the year		(1,10,503)		(1,87,090)
		2,54,80,952		2,49,18,268
V. Special Reserve U/S 36 (1)(viii)				
		12,84,513		12,30,915
VI. Balance in Profit and Loss Account				
		(16,01,01,106)		(10,32,87,865)
TOTAL		15,13,62,928		15,59,23,052

(*) The adjustment is on account of change in results of RRBs post audit. The consolidated financial statements of previous year was compiled based on unaudited financial statements of such RRBs.



(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2019		AS AT 31-Mar-2018	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	24,500		24,500	
Subsequent increase / decrease	4,10,072		3,73,588	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		4,34,572		3,98,088
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	1,32,14,516		43,03,783	
ii) From Others	15,08,78,553		14,24,78,002	
		16,40,93,069		14,67,81,785
II. Savings Bank Deposits				
		1,22,13,88,674		1,10,50,92,892
III. Term Deposits				
i) From Banks	3,18,29,169		4,23,06,308	
ii) From Others	1,58,58,02,944		1,65,93,63,890	
		1,61,76,32,113		1,70,16,70,198
TOTAL		3,00,31,13,856		2,95,35,44,875
B.				
i) Deposits of Branches in India		3,00,31,13,856		2,95,35,44,875
ii) Deposits of Branches outside India		—		—
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India		—		—
ii) Other Banks	37,50,514		29,07,191	
iii) Other Institutions & Agencies	29,55,145		41,08,628	
iv) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	53,00,000		80,00,000	
v) Upper Tier II Bonds	2,30,00,000		2,88,50,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	13,91,000		13,91,000	
vi) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	2,00,00,000		1,50,00,000	
		5,63,96,659		6,02,56,819
II. Borrowings outside India				
		—		—
TOTAL		5,63,96,659		6,02,56,819
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	64,54,286		69,18,635	
II. Inter Office Adjustments (Net)	—		55,26,439	
III. Interest Accrued	83,71,940		77,60,143	
IV. Deferred Tax Liabilities (Net)	—		—	
V. Others(including provisions)	5,01,14,751	6,49,40,977	5,69,83,377	7,71,88,594
TOTAL		6,49,40,977		7,71,88,594



(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2019		AS AT 31-Mar-2018	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in hand (including foreign currency notes)		1,33,78,811		1,50,56,892
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	14,04,15,686		13,59,44,304	
In Other Accounts	5,40,00,000		20,90,00,000	
		19,44,15,686		34,49,44,304
TOTAL		20,77,94,497		36,00,01,196

SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	6,66,151		11,47,268	
b) In Other Deposit Accounts	9,79,281		3,50,455	
		16,45,432		14,97,723
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	19,00,000		–	
b) With Other Institutions	10,15,66,371		2,01,07,348	
		10,34,66,371		2,01,07,348
TOTAL.... I		10,51,11,803		2,16,05,071
II. Outside India				
a) In Current Accounts	69,582		–	
b) In Other Deposit Accounts	35		68,427	
c) Money at Call & Short Notice	–		1,09,49,400	
TOTAL.... II		69,617		1,10,17,827
TOTAL.... (I + II)		10,51,81,420		3,26,22,898

SCHEDULE 8 : INVESTMENTS

I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	96,23,57,875		81,34,68,949	
ii) Other approved Securities	–		–	
iii) Shares	83,42,097		1,26,11,655	
iv) Debentures and Bonds	21,46,94,317		14,22,05,198	
v) Investment in Associates	32,78,914		32,44,310	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers Mutual Fund Units etc.)	6,43,84,140		5,48,28,052	
		1,25,30,57,343		1,02,63,58,164
II. Investments outside India in **				
i) Government Securities	–		–	
ii) Associates	14,70,022		13,36,483	
		14,70,022		13,36,483
TOTAL		1,25,45,27,365		1,02,76,94,647
* Investments in India :				
Gross Value of Investments	1,29,22,69,548		1,05,29,88,662	
LESS: Provision for Depreciation	3,92,12,205		2,66,30,498	
Net Investments		1,25,30,57,343		1,02,63,58,164
** Investments outside India :				
Gross Value of Investments	14,70,237		13,36,698	
LESS: Provision for Depreciation	215		215	
Net Investments		14,70,022		13,36,483
TOTAL		1,25,45,27,365		1,02,76,94,647



(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2019		AS AT 31-Mar-2018	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 9 : LOANS AND ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	1,11,08,722		1,21,08,770	
ii) Cash Credits Overdrafts & Loans repayable on demand	70,62,78,283		70,67,85,403	
iii) Term Loans	75,68,67,763	1,47,42,54,768	85,59,01,093	1,57,47,95,266
TOTAL		1,47,42,54,768		1,57,47,95,266
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets (including advances against Book Debts)	1,38,05,44,844		1,47,39,79,953	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	71,60,273		41,63,297	
iii) Unsecured	8,65,49,651	1,47,42,54,768	9,66,52,016	1,57,47,95,266
TOTAL		1,47,42,54,768		1,57,47,95,266
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sector	78,08,25,482		79,61,05,458	
ii) Public Sector	4,18,77,509		4,39,19,258	
iii) Banks	11,452		1,643	
iv) Others	65,15,40,325	1,47,42,54,768	73,47,68,907	1,57,47,95,266
TOTAL		1,47,42,54,768		1,57,47,95,266
(II) Advances outside India		—		—

SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS**I. Premises**

(At cost / revalued cost)

Balance as at 31st March of the preceding year 4,03,28,001 4,01,28,537

Additions during the year 14,580 1,99,464

Total 4,03,42,581 4,03,28,001

Deduction/Adjustments during the year 1,13,186 —

Total 4,02,29,395 4,03,28,001

Depreciation to date 73,27,018 67,85,203

TOTAL.... I 3,29,02,377 3,35,42,798**II. Other Fixed Assets**

(Including furniture and fixtures)

At cost as on 31st March of the preceding year 2,90,91,778 2,63,73,484

Additions/Adjustments during the year 27,59,755 34,89,485

Total 3,18,51,533 2,98,62,969

Deductions/Adjustments during the year (6,07,444) (7,71,191)

Total 3,12,44,089 2,90,91,778

Depreciation to date 2,10,37,316 1,91,94,932

TOTAL.... II 1,02,06,773 98,96,846**TOTAL.... (I + II)** 4,31,09,150 4,34,39,644



(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2019		AS AT 31-Mar-2018	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	1,85,19,612		1,68,33,027	
II. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net of Provisions)	5,16,70,499		5,35,02,038	
III. Stationery and Stamps	2,01,811		1,99,846	
IV. Deferred Tax Assets	7,88,21,035		5,35,75,850	
V. Inter office adjustments (Net).	12,55,927		—	
VI. Others	8,34,21,435		11,07,39,678	
		23,38,90,319		23,48,50,439
TOTAL		23,38,90,319		23,48,50,439

SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES

I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		10,54,991		11,06,450
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions etc		2,57,34,915		2,98,42,036
II. Liability for partly paid Investments		52,498		76,140
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		64,44,32,269		92,83,13,329
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	11,56,86,575		10,44,10,635	
b) Outside India	71,56,062		28,39,496	
		12,28,42,637		10,72,50,131
V. Acceptances Endorsements and Other Obligations		6,61,57,213		12,30,09,267
VI. Other items for which the bank is contingently liable		64,55,861		44,29,273
TOTAL		86,67,30,384		1,19,40,26,626


**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
 FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019**

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-19 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-18 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST AND DIVIDEND EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	13,05,38,318	14,60,09,458
II. Income on Investments	8,46,02,032	7,14,27,065
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	87,28,057	2,05,85,442
IV. Others	36,17,788	36,09,199
TOTAL	22,74,86,195	24,16,31,164
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	1,20,69,533	1,26,57,307
II. Profit/ (Loss) on sale of Investments (Net)	21,51,879	57,66,755
III. Profit / (Loss) on Exchange transactions (Net)	14,04,372	14,09,054
IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and Other Assets	(44,269)	(44,917)
V. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	-	-
VI. Miscellaneous Income	85,81,812	64,15,877
TOTAL	2,41,63,327	2,62,04,076
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	15,27,48,176	16,22,07,541
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	7,43,715	9,11,046
III. Others	58,54,688	1,29,14,624
TOTAL	15,93,46,579	17,60,33,211
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	3,57,44,821	3,99,00,472
II. Rent, Taxes and Lighting	47,40,970	47,66,150
III. Printing and Stationery	2,89,078	3,63,888
IV. Advertisement and Publicity	1,06,284	2,41,820
V. Depreciation on Bank's property	27,79,348	26,04,989
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	18,525	13,930
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	3,05,825	2,01,056
VIII. Law Charges	1,81,712	1,86,076
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	9,01,393	6,65,475
X. Repairs and Maintenance	9,90,100	11,33,762
XI. Bad Debts Written Off	3,757	731
XII. Insurance	30,01,136	35,72,072
XIII. Other Expenditure	1,17,38,637	1,06,07,319
TOTAL	6,08,01,586	6,42,57,740



SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 a) Basis of Preparation

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, National Housing Bank Act 1987, The Housing Finance Companies (NHB) Directions 2010, Companies Act 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

b) Use of Estimates

The preparation of consolidated financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting year. Management believes that the estimates used in preparation of the consolidated financial statements are prudent and reasonable.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/materialised.

2 Consolidation Procedures

2.1 Consolidated financial statements of the Group (comprising of 2 Subsidiaries and 4 Associates [including 3 RRBs]) have been prepared on the basis of:

- a. Audited financial statements of Central Bank of India (Parent)
- b. Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of the subsidiaries with the respective item of Parent and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealized profit/losses as per Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statement" issued by the ICAI.
- c. Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power has been accounted by using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The financial statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards. Financial statements received from these associates form the sole basis for their incorporation in these consolidated financial statements.
- d. The Accounting year of the Associate, viz. Indo Zambia Bank Ltd. is calendar year. In case accounting year of Associates are different than that of Parent Bank, proportionate share of profit is taken based on audited figures of audited period and for unaudited period proportionate share of profit is taken based on unaudited figures.
- e. The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transaction and other events in similar circumstances and are presented to the extent possible, in the same manner as the Company's separate Financial Statements except as otherwise stated.

2.2 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consist of:

- i. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made, and
- ii. The minority share of movements in equity since date of parent – subsidiary relationship came into existence.

3 Transactions involving Foreign Exchange

3.1 The transactions are initially recorded on previous day's closing rate



- 3.2 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the quarter end as notified by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FIBIL) and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.
- 3.3 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.
- 3.4 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the quarter end rates notified by FIBIL.
- 3.5 Outstanding Forward Contracts are translated at the quarter end rates notified by FIBIL and the resultant profit/ loss is recognized in Profit and Loss Account.

4 Investments

(A) Parent Bank

4.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are categorised into “Held to Maturity”, “Held for Trading” and “Available for Sale” categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Subsidiaries and sponsored institutions and
- vi) Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

4.2 Basis of Classification

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

- i) Held to Maturity:
These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity. Investments in subsidiaries and associates are also categorised under Held to Maturity.
- ii) Held for Trading:
Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.
- iii) Available for Sale:
Investments that cannot be classified in the above categories.

4.3 Transfer of Securities between categories

The transfer / shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

4.4 Valuation

- a) Held to Maturity

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.

Investments in subsidiaries and associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.

- b) Available for sale

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:



i)	Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FIBIL)
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government	On appropriate yield to maturity basis.
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper	At carrying cost.
iv)	Equity Shares	a) Quoted: At market price. b) Unquoted: At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1/- per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Shares	a) Quoted: At market price. b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a) Quoted: (Traded in last 15 days) at last Trade Price. b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	a) Quoted: At market price. b) Unquoted: At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital Fund (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.
ix)	Security Receipts (SR)	At Net Asset Value (NAV) advised by SC/ARC.

The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FIBIL). The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

4.5 Determination of Cost

- i) Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.
- ii) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- iii) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.

4.6 Income Recognition

- i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.
- ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and classified as Substandard/Doubtful/Loss as the case may be and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances or otherwise required as per RBI directives issued from time to time. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms



applicable to advances.

- iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms or as otherwise required as per the RBI directions issued from time to time.
- iv) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

4.7 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing/Lending.

(B) Subsidiaries

- 4.8 In case of Subsidiaries, the Investments are classified as current and non-current Investments. Current Investments are carried at lower of cost or market value and non-current investments are carried at cost. Provision for diminution, if any, in the value of the non-current investment is made only, if the diminution in the value is of permanent nature.

5 Derivatives

5.1 Derivatives used for hedging are accounted as under :

- i) In cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market, resultant gain/ loss is recognised in the Profit and Loss Account.
- ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.
- iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

5.2 Derivatives used for Trading are accounted as under:

- i) Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
- ii) MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit and loss account on final settlement.
- iii) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.
- iv) Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head

6 Advances

- 6.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or otherwise required in terms of RBI directions issued from time to time.
- 6.2 Partial Recovery in Non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest. However, where any borrowal account is required to be classified as Non-Performing from back date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances [viz. Scheme for sustainable Structuring of Stressed assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loan (5/25), Change of Ownership of Borrowing Entities (outside Strategic Debt Restructuring Scheme)].
- 6.3 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) / Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC).



6.4 Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

6.5 Financial Assets sold are recognized as under:

- i) In case the sale to Securitisation Company (SC) / Asset Reconstruction Company (ARC) is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is either charged to the Profit and Loss Account or such shortfall on assets sold on or after 26.02.2014 is spread over a period of two/one year in line with RBI guidelines subject to necessary disclosures.
- ii) In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.
- iii) In case of sale to SC/ARC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

6.6 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, provisions on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank.

6.7 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, Interest income is recognized on accrual basis except in case of Non-Performing Assets (NPA) where interest is accounted on realization. In loans, the repayment is received by the way of Equated Monthly Installments (EMIs) comprising principal and interest. Interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the month. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI monthly interest is charged. Recovery in case of NPA is appropriated first towards interest portion of overdue EMIs and thereafter towards principal portion of overdue EMIs.

7 Fixed Assets/Depreciation

(A) Parent Bank

7.1 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

- | | |
|--|--|
| i) Premises | At varying rates based on estimated life |
| ii) Furniture, Lifts, Safe Vaults | 10% |
| iii) Vehicles | 20% |
| iv) Air conditioners, Coolers, Typewriters, etc. | 15% |
| v) Computers including Systems Software | 33.33% |

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

7.2 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.

7.3 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

7.4 In case of assets, which have been revalued, the depreciation / amortization is provided on the revalued amount are charged to Profit and Loss Account. Amount of incremental depreciation / amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

7.5 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year on assets sold after 30th September.

(B) Subsidiaries

7.6 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation. Cost includes all expenses incidental to expenses to the acquisition of fixed assets.



7.7 Depreciation on fixed assets has been provided on straight line method at the rates specified in Schedule II to the Companies Act, 2013 except in case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, intangible assets have been amortized considering the economic life of the asset to be 5 years by the Management and amortized accordingly.

8 Employee Benefits

8.1 Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees. Short term employee benefits are recognised as an expense in the profit and loss account for the year in which the related service is rendered.

8.2 Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique. Actuarial gain/losses are recognized in the year when they arise.

8.3 Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account.

8.4 National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Banks pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account

8.5 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, the Gratuity amount has been provided on actuarial basis and invested in group maturity scheme administered by the Life Insurance Corporation of India. Company's contribution in respect of Employees' Provident Fund is made to Government Provident Fund and is charged to the Statement of Profit and Loss. The provision of leave encashment liability is calculated on the balance privilege leave of the employees as at the year end.

9 Recognition of Income and Expenditure

9.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.

9.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.

9.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.

9.4 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income recognition on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank (NHB).

9.5 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income from fee and other charges viz. login fee, penal interest on overdue, prepayment charges, interest on income tax refunds and other income etc. are recognized on receipt basis.

9.6 In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, income in relation to Executor Trusteeship business is accrued on occurrence of transactions relating to trust account. Revenue from Debenture and Security Trusteeship services is recognized on periodic basis and accounted on accrual basis except the income from Debenture & Security Trusteeship business of suit filed and/or BIFR companies, which is accounted on receipt basis.

10 Income Tax

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realized against future taxable profits. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment / appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.



11 Earnings per Share

The basic and diluted earnings per share have been computed by dividing the Net Profit / Loss attributable to the equity share holders for the period by the weighted average number of equity shares outstanding during the reporting period.

12 Sundry Unallocated Income and Proceeds

In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, the amounts received on behalf of beneficiaries of whom details about the beneficiaries can not be ascertained, have been accounted in nominal account "Sundry Party Unclaimed Dividend / Interest" and "Unallocated / Unclaimed Proceeds on Redemption of Securities".

As and when the details are received from the payer about the beneficiaries, the amount is transferred to the respective beneficiary account.

13 Provisions, Contingencies and Contingent assets

Provisions are recognized for present obligations, of uncertain timing or amount, arising as a result of a past event where a reliable estimate can be made and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required or the amount cannot be estimated reliably, the obligation is disclosed as a contingent liability unless the possibility of outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 22, 2019

**SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:****1 Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated Financial Statements**

1.1 The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (Parent Bank), its two Subsidiaries (collectively referred to as “the Group”) and share of Profit / Loss in four Associates consisting of three Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited as per details given below :

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at March 31, 2019	Ownership interest as at March 31, 2018
Cent Bank Home Finance Limited (Subsidiary)	India	64.40%	64.40%
Centbank Financial Services Limited (Subsidiary)	India	100.00%	100.00%
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate)	India	35.00%	35.00%
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate)	India	35.00%	35.00%
Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara (Associate)	India	35.00%	35.00%
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Zambia	20.00%	20.00%

1.2 The financial statements of the Subsidiaries and Associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of Parent Bank i.e. March 31, 2019, except Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year and share in profit has been taken on audited figures for nine months ended 31.12.2018 and unaudited figures for three months ended 31.03.2019. Financial Statement of Indo Zambia Bank is prepared as per the accounting policies adopted under local laws. In the opinion of the Management the impact is not material.

1.3 The accumulated share of profit/loss of the Parent Bank in the associates has been added / reduced to/from the carrying cost of Investments with corresponding adjustments in accumulated Reserves of the Group.

1.4 Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, like other Housing Finance Institutions grant loans for longer tenure, while deposits received / liabilities are for shorter tenure, resulting in mismatch of Assets and Liabilities. The same is being addressed by sufficient credit lines available.

1.5 Financial Statements of Subsidiaries and Associates are audited by other Auditors except three RRBs (Associates) namely Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Uttar Bihar Gramin Bank which is unaudited, certified by the Management.

2 In the preparation of consolidated financial statements, wherever, different accounting policies for similar transactions have been followed by subsidiaries and associates, adjustments have not been made as in the opinion of Management of the Bank the same are not material.

3 PARENT BANK**3.1 Capital:**

3.1.1 Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2019 is ₹ 4047.20 crore increased from ₹ 2618.16 crore of previous year by issue of fresh 1429045682 equity shares of ₹ 10 each in three allotments.

- 354357970 Equity Shares of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 56.43 on 13.11.2018
- 387439390 Equity Shares of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 33.31 on 28.02.2019.
- 687248322 Equity Shares of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 27.25 on 28.03.2019.

3.2 Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items are regularly being done, however certain entries are in progress:

- Inter Branch Office Balance



- Inter Bank Accounts
- Suspense Accounts
- Clearing and other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Balances related to ATM
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department
- Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances

The Management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3.3 Income Tax:

3.3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

3.3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 2569.16 crore (previous year ₹ 2979.91 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

3.4 Premises:

Premises obtained on Lease by the Bank includes properties costing ₹ 0.75 Crore (previous year ₹ 0.75 Crore) for which registration formalities are still under progress.

In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit and Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 64.80 Crore (previous year ₹ 75.13 Crore) is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

3.5 Advances / Provisions:

3.5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

3.5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crores (previous year ₹ 100.56 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹ 47.34 Crore (previous year ₹ 47.34 Crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.

3.5.3 Disclosure of Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

As the additional provisioning requirements assessed by RBI for FY 2017-18 exceeded threshold limit of 10% of the reported profit before provisions and contingencies, the following disclosure is made pursuant to RBI circular no. DBR.BP.BC.No. 32/21.04.018/2018-19 dated 01.04.2019 regarding Divergence in Asset Classification and Provisioning:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	38130.70
2.	Gross NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	38766.90
3.	Divergence in Gross NPAs (2 – 1)	636.20
4.	Net NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	17377.87
5.	Net NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	17830.67
6.	Divergence in Net NPAs (5 – 4)	452.80
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	19601.31



Sr. No.	Particulars	Amount
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	20743.31
9.	Divergence in provisioning (8 – 7)	1142.00
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018	(5104.90)
11.	Adjusted (Notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018 after taking into account the divergence in provisioning	(6246.90)

The Bank had duly recorded the impact of the above in its working results for the year ended March 31, 2019.

3.6 Disclosure of penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 1.16 crore (previous year ₹ 0.91 crore) in terms of Section 47A(1)(a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms.

4 Compliance with Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

4.1 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy

No. 9 of Schedule 17. However, the said income is not considered to be material.

4.2 Accounting Standard 15 (Revised) - Employee Benefits

4.2.1 Employee Benefits:

i) Defined Contribution Plan:

National Pension Scheme (NPS):-

During the year, Parent Bank has recognized ₹ 79.62 crore (Previous year ₹ 67.82 crore) as contribution to NPS in profit and loss account.

ii) Defined Benefit Plan:

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations of the Parent Bank is given below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2019		31.03.2018	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Table showing change in Defined Benefit Obligation:				
Liability at the beginning of the year	1741.56	13,821.17	1847.13	12484.08
Interest Cost	136.36	1,076.67	134.29	930.06
Current Service Cost	66.18	83.98	69.13	87.53
Past Service Cost(Non Vested Benefit)	0	0	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit)	0	0	329.37	0
Liability Transfer in	0	0	0	0
Liability Transfer out	0	0	0	0
Benefit Paid	(270.50)	(1,170.59)	(157.20)	(952.30)
Actuarial (gain)/loss on obligations	25.47	433.87	(481.16)	1271.80
Liability at the end of the year	1648.13	14,245.10	1741.56	13821.17



(₹ in crore)

Particulars	31.03.2019		31.03.2018	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Table of Fair Value of Plan Assets:				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	2124.94	13,515.58	1656.73	12420.00
Expected return on Plan Assets	166.38	1,048.81	120.44	925.29
Contributions	(100.00)	1,324.00	490.40	859.08
Transfer from Other Company	0	0	0	0
Transfer to Company	0	0	0	0
Benefit paid	(270.50)	(1,170.59)	(157.20)	(952.30)
Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	(42.56)	(72.66)	14.57	263.51
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1878.26	14,645.14	2124.94	13515.58
Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(17.09)	(506.33)	495.73	(1008.29)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2019		31.03.2018	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Expenses recognized in the Profit and Loss Account:				
Current Service Cost	66.18	83.98	69.13	87.53
Interest Cost	136.36	1076.67	134.29	930.06
Expected Return on Plan Assets	(166.38)	(1048.81)	(120.44)	(925.29)
Past Service Cost(Non Vested Benefit) recognized	0	0	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit) recognized	0	0	0	0
Recognition of Transition Liability	0	0	329.37	0
Actuarial (Gain) or Loss	17.09	506.53	(495.73)	1008.29
Expenses Recognized in P & L	53.25	618.37	(83.38)	1100.59
Actual Return on plan assets:				
Expected return on plan assets	166.38	1048.81	120.44	925.29
Actuarial gains/(losses) on plan assets – Due to Experience	(42.56)	(72.66)	14.57	263.51
Actual return on plan assets	123.82	976.15	135.01	1188.80
Experience adjustments:				
Actuarial (gains)/losses on obligation – Due to experience	(29.08)	422.24	(511.99)	1029.93
Actuarial (gains)/losses on plan assets – Due to experience	(42.56)	(72.66)	14.57	263.51
Principal actuarial assumption used (%)				
Discount Rate Current	7.79	7.78	7.83	7.76
Rate of return on Plan Assets Current	7.79	7.78	7.83	7.76
Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Current	0.50	0.50	0.50	0.50


Other long term benefits:

During the year, Parent Bank has recognized expenses of ₹ 84.09 crore (Previous year ₹ 72.94) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

4.2.2 The Cent Bank Home Finance Ltd, the subsidiary, provides for Gratuity covering eligible employees. To fund its liability, the Company has taken a Policy with Life Insurance Corporation of India, to cover the accumulated Gratuity Liability of its employees and the premium paid on this policy has been charged to Profit and Loss Account and the Provision for Leave Encashment Liability is calculated on the balance of privilege leave of the employees as on March 31, 2019. The same has been provided for the year ended 31.03.2019.

4.3 Accounting Standard 17 – Segment Report of the Group

CONSOLIDATED SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019										
Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
Particulars										
Revenue	10,016.80	10,239.35	7,115.12	8,335.47	8,028.82	8,204.57	4.20	4.14	25,164.95	26,783.52
Result	10.77	940.90	-8,268.62	-8,752.66	280.27	50.00	2.75	1.85	-7,974.83	-7,759.91
Unallocated Expenses									162.09	159.98
Operating Profit									-8,136.92	-7,919.89
Income Taxes									-2,520.00	-2,780.29
Extraordinary profit/loss										
Net Profit									-5,616.92	-5,139.60
Other Information:										
Segment Assets	1,62,107.96	1,46,513.22	72,130.18	79,499.55	82,189.87	88,069.90	17.33	17.53	3,16,445.34	3,14,100.20
Unallocated Assets									15,439.30	13,249.10
Total Assets									3,31,884.64	3,27,349.30
Segment Liabilities	1,66,200.97	1,49,296.72	68,454.78	75,908.17	77,827.81	83,927.32	5.05	6.63	3,12,488.61	3,09,138.84
Unallocated Liabilities										
Total Liabilities									3,12,488.61	3,09,138.84

- Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets wherever direct allocation is not possible.
- As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognized Treasury Operations, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Business as Primary Reporting Segments. There are no Secondary Reporting Segments.
- Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.
- The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures.
- The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts / Partnership Firms, Companies and Statutory bodies, which are not included under Retail Banking.



- vi) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
- vii) Retail Banking Segment is the Primary resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the Retail Banking Segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.
- viii) Allocation of cost:
- Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment.
 - Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated on rational basis.

4.4 Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party (of Parent Bank)

1 List of Related Parties:

- a. Key Managerial Personnel as on 31.03.2019

S. No	Name	Designation
i)	Mr. Pallav Mohapatra (w.e.f. 21.09.2018)	Managing Director & CEO
ii)	Mr. P.R. Murthy	Executive Director
iii)	Mr. Bajrang Shekhawat	Executive Director
iv)	Mr. Alok Srivastava (w.e.f. 23.01.2019)	Executive Director

2. Transactions with Related Parties:

Remuneration paid to key managerial persons:

(₹ in Lakh)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2019	31.03.2018
Mr. Pallav Mohapatra (w.e.f. 21.09.2018)	Managing Director & CEO	14.68	0.00
Mr. Rajeev Rishi (upto 31.07.2018)	Managing Director & CEO	39.50	30.13
Mr. B.K. Divakara (upto 22.01.2019)	Executive Director	46.55	23.70
Mr. R. C. Lodha (upto 28.02.2017)	Executive Director	0.00	0.42
Mr. P.R. Murthy	Executive Director	24.98	23.54
Mr. Bajrang Shekhawat	Executive Director	24.47	10.93
Mr. Alok Srivastava (w.e.f. 23.01.2019)	Executive Director	4.60	0.00
TOTAL		154.79	88.72

Note: Keeping in line with para 9 of the AS – 18 – “Related Party Disclosure” issued by ICAI, transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

4.5 Accounting Standard 20 – Earnings per Share of the Group

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.03.2019	31.03.2018
Net Profit / (Loss) after Tax available for Equity Share Holder (₹in Crore)	(5616.92)	(5139.60)
Weighted Average number of Equity Share (No.)	2794601814	1937882867
Basic Earnings per Share (₹)	(20.10)	(26.52)
Diluted Earnings per Share (₹)	(20.10)	(26.52)
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00



4.6 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income (of the Group)

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 7882.11 Crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2019.

Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2019 are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred tax Liability	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
Parent Bank:-				
Business Loss	346.89	0.00	0.00	0.00
Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00	27.77	21.24
Interest accrued but not due on investments	0.00	0.00	645.15	586.56
Provision for Leave Encashment	250.87	221.49	0.00	0.00
Provision for Investments	0.00	575.91	0.00	0.00
Provision for Loans and Advances	8004.11	5213.37	0.00	0.00
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	34.94	34.94
Cent Bank Home Finance Ltd.				
Provision on Advances	4.29	4.71		0.00
Depreciation on Fixed Assets		0.03	0.01	0.00
Others		0.00	1.60	2.13
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961		0.00	15.18	13.62
CentBank Financial Services Ltd. (Net)	0.60	0.57		0.00
TOTAL	8606.76	6016.08	724.65	658.49
Net Deferred Tax Asset/(Liability)	7882.11	5357.59		

Net increase in Deferred tax assets for the year 2018-19 is ₹ 2524.52 crore (Previous year ₹ 3013.23 crore) has been recognized in profit and loss account.

4.7 Accounting Standard – 28 – Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets of the Bank is not applicable. In the opinion of the Management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2019, requiring recognition in terms of the Standard.

4.8 Accounting Standard – 29 on Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets (of Parent Bank)

i) Provisions and Contingencies

(₹ in Crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2019	31.03.2018
Provisions/Depreciation on Investment(Net)	983.88	794.17
Provision towards NPA	11029.86	10543.58
Provision towards Standard Asset	(114.93)	6.31
Provision made for Taxes	(2528.74)	(2791.07)
Provision for Restructured Advances	(425.02)	(950.62)
Other Provisions	(177.08)	235.52
TOTAL	8767.97	7837.89



ii) Floating Provisions

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
A	Opening balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56
B	The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	-	-
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	-	-
D	Closing balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56

iii) Countercyclical Provisioning Buffer:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
A	Opening balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34
B	The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	-	-
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	-	-
D	Closing balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34

5 Other Disclosures:-

5.1 Corporate Social Responsibility:

During the year Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, has spent ₹ 0.39 crore (Previous year ₹ 0.33 towards Corporate Social Responsibility under section 135 of Companies Act 2013 and rules thereon.

5.2 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The PCR (inclusive of Technical write off) stood at 76.60 % (Previous Year 63.31%) – Parent Bank.

5.3 Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, holds investments in the nature of shares, securities and immovable properties on behalf of its clients in a fiduciary capacity on a Trustee-Beneficiary relationships, which in the opinion of the Board of Directors are adequately safeguarded and properly recorded and all duties arising from such fiduciary relationships are adequately fulfilled.

5.4 Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, has not transferred or allocated dividend, interest and other corporate benefits received over a period of time from various companies / undertakings, amounting to ₹1.51 crore to the trusts / beneficiaries, on whose behalf the investment portfolios are held under Trusteeship Services. The said amount stood at ₹1.43 crore as at 31.03.2018 and has increased to ₹ 1.51 crore as at 31.03.2019. Similarly, it has not transferred or allocated sales / redemption proceeds of shares / debentures amounting to ₹ 0.16 crore to the respective trust / beneficiary. The same is outstanding since 2005-06. It has kept the above funds in current account with its bank.

5.5 In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) of ₹ Nil as on March 31, 2019 (Previous year ₹ 2,115.52 crore were issued on risk sharing basis for a maximum period of 120 days ended July 30, 2018, thereby reducing the Parent Bank's Total Advances as on March 31, 2018 to same extent.)

5.6 As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Group, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

5.7 Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds

The Parent Bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS. CO. ITC. BC. No. 6/31. 02.008/2010-11 dated April 29 2011. These policies are being reviewed by the management of the Parent Bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 28.03.2019.



5.8 Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

5.9 Disclosure with respect to NCLT provisions:-

As per RBI circular No. DBR No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP .1906 /21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Parent Bank is holding total provision of ₹ 6,479.59 crores (86.34% of total outstanding) as on March 31, 2019.

5.10 The RBI had permitted Banks vide its Circular DBR.No.BP.BC.108/21.04.048/2017-18 dated 6th June 2018 to continue the exposures to MSME borrowers to be classified as standard assets. Accordingly, the Parent Bank has retained advances of Rs.241.68 crores as standard assets as on 31.03.2019. In accordance with the provisions of the circular, the Parent Bank has not recognized un-realized interest on these accounts and maintained a standard assets provision of Rs.12.08 crores (@ 5% on Rs.241.68 crores) as on March 31, 2019 in respect of such borrowers. Further, in accordance with RBI vide circular no. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January 2019, on "Relief for MSME borrowers registered under Goods and Service Tax (GST)" the details of MSME restructured accounts as on 31.03.2019 as under:-

No. of Accounts Restructured	Amount (Rs. in crores)
1202	97.13

5.11 Disclosure with respect to spreading of MTM Losses :-

The RBI had permitted Banks vide its Circular DBR.No.BP.BC.113/21.04.048/2018-19 dated 15th June 2018, to spread MTM losses on investments held in AFS and HFT category for the quarter ended 30th June 2018, over four quarters commencing from that quarter, in which loss has been incurred. The Parent Bank had incurred such loss amounting to ₹ 74.81Crore during the quarter ended 30th June, 2018 and provided ¼ of such loss each in June and September 2018 quarters by availing the benefit permitted for staggering of provision and un-amortised balance was ₹ 37.40 Crore. Since Bond rate has eased as on 31.12.2018 deferred provision was not required. Consequent to the above, entire MTM Losses stands fully covered as on 31.03.2019.

5.12 Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm to current year's classification.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 22, 2019



CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Crore)

PARTICULARS	31- 03- 2019	31- 03- 2018
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/(Loss) before Taxes & Minority Interest	(8,131.13)	(7,913.90)
I Adjustments for:		
Depreciation on fixed assets	277.93	260.50
Depreciation on investments (including on matured debentures)	983.88	794.17
Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	10,628.26	9,566.65
Provision for Standard Assets	(115.75)	5.51
Provision for Other items (Net)	(198.54)	263.96
(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	4.43	4.49
Sub total	3,449.08	2,981.38
II Adjustments for :		
Increase / (Decrease) in Deposits	4,956.90	(1,954.74)
Increase / (Decrease) in Borrowings	(386.02)	(3,597.62)
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(1,103.14)	(1,826.94)
(Increase) / Decrease in Advances	(574.21)	(26,582.21)
(Increase) / Decrease in Investments	(23,667.15)	(11,287.07)
(Increase) / Decrease in Other Assets	2,635.91	(1,808.19)
Direct Taxes Paid (Net of Refund etc)	178.64	(301.02)
Sub total	(17,959.07)	(47,357.80)
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(14,509.98)	(44,376.42)
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / Disposal of Fixed Assets	3.48	4.13
Purchase of Fixed Assets	(254.42)	(314.36)
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(250.94)	(310.23)
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Share Capital (Including Share Premium)	6,592.00	5,158.00
Share Application Money	212.54	-
Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(7.00)	(3.25)
Dividend Tax	(1.43)	(0.66)
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	6,796.11	5,154.09
D Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	(7,964.81)	(39,532.56)



CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Crore)

PARTICULARS	31- 03- 2019	31- 03- 2018
E CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash and Bank Balance with RBI	36,000.12	75,087.18
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	3,262.29	3,707.79
Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	39,262.41	78,794.97
F CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash and Bank Balance with RBI	20,779.45	36,000.12
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	10,518.14	3,262.29
Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	31,297.59	39,262.41

Notes:

- 1) The above Consolidated Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- 2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

PRAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 22, 2019



Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

12th Annual General Meeting

Folio No. or DP Id # / Client-Id #	
No. of Shares held	

I/We, _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholders of Central Bank of India hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 12th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of CENTRAL BANK OF INDIA to be held on Friday, 28th June, 2019 at 12.00 Noon on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2019.

Signature of the Proxy

Signature of the first named/ sole Shareholder

Name
(in Block Letters)

Address _____



INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholders who is for any reason , unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 21st June, 2019, being the immediate preceding working day to Sunday, 23rd June, 2019 which is holiday, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholders who have executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.

सेन्दल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India**Central Bank of India**

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ATTENDANCE SLIP**12th Annual General Meeting – Friday, 28th June, 2019 at 12.00 Noon**

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name and address of the Member (In Block Letters)	
Joint Holders	
Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)	

Signature of the Member/Proxy/
Representative Present

Day and Date	Friday, 28th June, 2019
Place	Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021

सेन्दल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India**Central Bank of India**

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

12th Annual General Meeting – Friday, 28th June, 2019 at 12.00 Noon

Place: Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name of Member	
No. of Shares	

Name and signature of attending Member/
Proxy/Authorised Representative Present_____
Bank Stamp and Signature

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.



'लोगो' किसी भी संगठन के वैशिष्ट्य को समाहित करता है और बाहरी दुनिया के समक्ष इसे प्रतिबिम्बित करता है. उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमानों के परिप्रेक्ष्य में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का समग्र स्वरूप भी वर्ष-दर-वर्ष रूपांतरित होता रहा है, जो समय के साथ सामंजस्य बनाये रखने की इसकी क्षमता का सूचक है.



The logo captures the personality of an organisation and projects it to the outside world. In Keeping with the shifting paradigms and the evolving Indian Economy, Central Bank of India's personality has also morphed through the years to represent the Bank's ability to keep up with the times.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग का शानदार बाह्य स्वरूप दर्शाने वाला यह 'लोगो' विश्वसनीयता और मजबूती को चित्रित करता है.

Logo in the form of magnificent Central Bank of India building structure depicted dependability and solidity.



बैंक की पहचान दर्शाने वाले आद्याक्षरों को चित्रित करने के लिए 'लोगो' को संशोधित किया गया.

Logo was revised to depict its initials identifiable with the Bank.



'लोगो' को नया बनाया गया, जिससे और अधिक कॉर्पोरेट एवं सम-सामायिक छवि प्रस्तुत की जा सके.

Logo was given a make-over to give it a more corporate and contemporary look.



'लोगो' में पट्टियों सहित चार वर्ग व्यक्ति, वित्त, उद्योग एवं राष्ट्र के बीच परस्पर प्रभावी अंतर संबंधों को उजागर करते हुए बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा देश की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को प्रतिबिम्बित करता है.

The four Squares in the logo with bars that represent the Man, Finance, Industry and Nation evolving their two way effective interrelationship reflects the services rendered by the bank and its role in the economy.





www.centralbankofindia.co.in

हमें लाइक करें:
Like us on:



<https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>

हमें फॉलो करें:
Follow us on:



https://twitter.com/centralbank_in

केन्द्रीय कार्यालय, चंद्रमुखी बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400 021
Central Office, Chandemukhi Building, Nariman Point, Mumbai - 400 021